



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संघ सरकार (वाणिज्यिक)
2020 का प्रतिवेदन संख्या 7
केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन
(अनुपालन लेखापरीक्षा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार (वाणिज्यिक)
2020 का प्रतिवेदन संख्या 7
केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन
(अनुपालन लेखापरीक्षा)

विषय सूची

प्राक्कथन		v
कार्यकारी सार		vii
अध्याय I	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के वित्तीय निष्पादन का सारांश	
1.1	प्रस्तावना	1
1.2	सरकारी कंपनियों एवं निगमों में निवेश	5
1.3	सरकारी कंपनियों और निगमों से प्रतिफल	15
1.4	सरकारी कंपनियों और निगमों की प्रचालन दक्षता	23
अध्याय II	सीएजी की निरीक्षण भूमिका	
2.1	सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा	46
2.2	सीएजी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति	46
2.3	सीपीएसई द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	46
2.4	सीएजी की निरीक्षण - लेखाओं की लेखापरीक्षा और अनूपूरक लेखापरीक्षा	49
2.5	सीएजी की निरीक्षण भूमिका के परिणाम	51
2.6	लेखांकन मानको/इंडएसके प्रावधानों का अननुपालन	83
2.7	प्रबन्धन पत्र	86
अध्याय III	निगमित अभिशासन	
3.1	प्रस्तावना	87
3.2	निदेशक मंडल का गठन	89
3.3	स्वतन्त्र निदेशकों की नियुक्ति एवं कार्यचालन पद्धति	91
3.4	निदेशक के पदों की भर्ती-कार्यकारी, गैर-कार्यकारी या स्वतंत्र	96
3.5	लेखापरीक्षा समिति	97
3.6	अन्य समितियां	103
3.7	निष्कर्ष	106
3.8	सिफारिशें	107

अध्याय IV	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व		
	4.1	प्रस्तावना	108
	4.2	लेखापरीक्षा उद्देश्य	109
	4.3	लेखापरीक्षा दायरा तथा कवरेज	110
	4.4	लेखापरीक्षा मानदंड	110
	4.5	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	111
	4.6	निष्कर्ष	132
अध्याय V	प्रशासनिक मंत्रालयों एवं महारत्न सीपीएसई के मध्य समझौता जापन का विश्लेषण		
	5.1	प्रस्तावना	133
	5.2	एमओयू नीति के कार्यान्वयन हेतु संस्थागत व्यवस्था	133
	5.3	निष्पादन निर्धारण और रेटिंग हेतु समझौता जापन के लक्ष्य	134
	5.4	एमओयू स्कोर और रैंकिंग	135
	5.5	विश्लेषण का कवरेज	136
	5.6	विश्लेषण का उद्देश्य	137
	5.7	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	137
	5.8	निष्कर्ष और सिफारिश	151
परिशिष्ट	I	2018-19 के दौरान सीएजी लेखापरीक्षा के दायरे में आई बाहर सरकारी कंपनियों/ सरकारी नियंत्रित अन्य कंपनियों की सूची	153
	II क	खातों का बकाया या परिसमापन धीन कंपनी का ब्यौरा	155
	II ख	खातों का बकाया या परिसमापनधीन / निष्क्रिय कंपनी का ब्यौरा	159
	III	सरकारी कंपनियों/ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों की सूची जहां 2018-19 के दौरान बकाया दीर्घ कालिक ऋणों की तुलना में कुल संपत्ति कम थी	161
	IV	2017-18 में नुकसान की तुलना में 2018-19 के दौरान लाभ कमाने वाली सीपीएसई में जोड़े गए सीपीएसई की सूची	162

V	2017-18 में लाभ की तुलना में 2018-19 के दौरान नुकसान उठाने वाले सीपीएसई की सूची	164
VI	31 मार्च 2019 को नकारात्मक कुल मूल्य वाले सीपीएसई की सूची	166
VII	सरकारी कंपनियों द्वारा घोषित लाभांश में कमी	170
VIII	सीपीएसई के उत्पादन का मूल्य, कुल परिसंपत्तियों और नियोजित पूंजी	174
IX	सीपीएसई की नियोजित पूंजी पर रिटर्न	202
X	सीपीएसई की इक्विटी पर रिटर्न	223
XI	2016-17 से 2018-19 के दौरान सीपीएसई वार आरओआरआर	246
XII	सीपीएसई की सूची जहां आरओई पिछले 5 वर्षों के दौरान 3 या उससे अधिक वर्षों के लिए एक ही क्षेत्र में निजी कंपनियों की तुलना में कम है	251
XIII	सीपीएसई की सूची जहां आरओसीई पिछले 5 वर्षों के दौरान 3 या उससे अधिक वर्षों के लिए एक ही क्षेत्र में निजी कंपनियों की तुलना में कम है	252
XIV	सीपीएसई की सूची जहां ईपीएस पिछले 5 वर्षों के दौरान 3 या उससे अधिक वर्षों के लिए समान व्यवसाय वाली निजी कंपनियों की तुलना में कम है	254
XV	सीपीएसई की सूची जहां पी/ई अनुपात पिछले 5 वर्षों के दौरान 3 या उससे अधिक वर्षों के लिए समान व्यवसाय वाली निजी कंपनियों की तुलना में कम है	256
XVI	सीपीएसई की सूची जहां पिछले 5 वर्षों के दौरान 3 या उससे अधिक वर्षों के लिए एक ही क्षेत्र में निजी कंपनियों की तुलना में ब्याज कवरेज अनुपात कम है	258
XVII	सीपीएसई की सूची जहां तीन चरण की लेखापरीक्षा आयोजित की	260
XVIII	सीपीएसई की सूची जहां सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट संशोधित की गई	263
XIX	सीपीएसई की सूची जहां सीएजी द्वारा टिप्पणी जारी की गई है	265

XX	उन कंपनियों का विवरण जहां सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन नहीं किया गया था को रिपोर्ट किया गया	267
XXI	सीपीएसई की सूची जहां सीएजी द्वारा प्रबंधन पत्र जारी किए गए	269
XXII	सूचीबद्ध सीपीएसई- जिन्हे अध्याय के लिए लिया गया	274
XXIII	चयनित 82 सी पी एस ई की सूची	276
XXIV	महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न एवं अन्य श्रेणी की 82 सी पी एस ई	279
XXV	सूचीबद्ध सीपीएसई अध्याय IV में शामिल	282
XXVI	सीपीएसई की सूची जहाँ सीएसआर खर्च कम था	284
XXVII	2 प्रतिशत सीएसआर से से अधिक खर्च करने वाले सीपीएसई की सूची	286
XXVIII	सीपीएसई की सूची जो आम विषय के तहत लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके	288
XXIX	सीपीएसई की सूची जहाँ कोई प्रभाव आकलन नहीं किया गया।	290
XXX	सीपीएसई की सूची जो परियोजना वार अलग से प्रत्यक्ष व्यय और ओएच व्यय पर रिपोर्ट नहीं कर सके	291

प्राक्कथन

सरकारी कम्पनियों के लेखाओं को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा लेखापरीखा की जाती है। सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक (सनदी लेखाकार) ऐसी कम्पनियों के लेखाओं को प्रमाणित करते हैं जो सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा के अधीन है। सीएजी सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणी अथवा पूरक रिपोर्ट देते हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013 सीएजी को सांविधिक लेखापरीक्षकों को उस विधि के विषय में निर्देश जारी करने का अधिकार देता है जिसमें कम्पनी के लेखाओं की लेखापरीक्षा की जाएगी।

2. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम तथा दामोदार घाटी निगम नाम के पांच निगमों के संदर्भ में सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है। सीएजी को केन्द्रीय भण्डारण निगम के संदर्भ में कानून के अन्तर्गत नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा किए जाने के पश्चात अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है।

3. नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के तहत सरकार को प्रस्तुत करने के लिए 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए एक सरकारी कम्पनी या निगम के लेखाओं पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई हैं जैसा 1984 में संशोधित किया गया था।

4. इस रिपोर्ट में समीक्षित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के लेखे वर्ष 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 (प्राप्ति की सीमा तक) के लेखाओं को शामिल किया गया है। ऐसे सीपीएसई जहां 30 सितम्बर 2019 से पूर्व किसी विशिष्ट वर्ष के लेखे प्राप्त नहीं किए गए थे, के संबंध में, अंतिम लेखापरीक्षित लेखाओं के आंकड़े लिए गए हैं।

5. कुछ सीपीएसई के संदर्भ में, पिछले वर्ष के आंकड़े अनंतिम आंकड़ों के लेखापरीक्षित/संशोधित आंकड़ों में प्रतिस्थापन के कारण 2019 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 18 में दर्शाए गए तदनुरूप आंकड़े से मेल नहीं खा सकते।

6. यदि इस संदर्भ में कोई अन्य परामर्श न दिया जाए तो इस रिपोर्ट में 'सरकारी कम्पनियों/निगमों या सीपीएसई' के सभी संदर्भों को 'केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों/निगमों' से संबंधित समझा जाए।

कार्यकारी सार

I. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन का सार

31 मार्च 2019 को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 668 केन्द्रीय सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) थे। इसमें 480 सरकारी कम्पनियां, 182 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां तथा 06 सांविधिक निगम शामिल थे। यह प्रतिवेदन 434 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों (06 सांविधिक निगमों सहित) तथा 162 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों की चर्चा करता है। इस प्रतिवेदन में 72 सीपीएसई (20 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों सहित) शामिल नहीं हैं, जिनके लेखे तीन वर्ष या अधिक से बकाया थे या समाप्त/परिसमापनाधीन थे या प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए थे या देय नहीं थे।

[पैरा 1.1.3]

केन्द्र सरकार का इक्विटी निवेश

434 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों के लेखाओं ने दर्शाया कि केन्द्र सरकार की शेयर पूंजी में ₹4,00,909 करोड़ का इक्विटी निवेश किया था। 31 मार्च 2019 तक केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण की ₹1,49,150 करोड़ की राशि बकाया थी। पिछले वर्ष की तुलना में केन्द्र सरकार द्वारा सीपीएसई की इक्विटी में निवेश में ₹40,370 करोड़ की निवल वृद्धि दर्ज की तथा 2018-19 के दौरान बकाया ऋण ₹60,699 करोड़ तक बढ़ा।

[पैरा 1.2, 1.2.1 और 1.2.2.1]

बाजार पूंजीकरण

31 मार्च 2019 तक उन 54 सूचीबद्ध सरकारी सरकारी कम्पनियों (05 सहायक कम्पनियों सहित) के शेयरों का कुल बाजार मूल्य ₹14,29,111 करोड़ था जिसके शेयरों को 2018-19 के दौरान विक्रय किया गया था। 31 मार्च 2019 तक 47 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों (07 सहायक कम्पनियों को छोड़कर) में केन्द्र सरकार द्वारा धारित शेयरों का बाजार मूल्य ₹13,35.264 करोड़ था।

[पैरा 1.2.4]

सरकारी कम्पनियों और निगमों से प्रतिफल

247 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा 2018-19 के दौरान अर्जित लाभ ₹1,77,932 करोड़ था जिसका 73 प्रतिशत (₹1,29,887 करोड़) योगदान तीन क्षेत्रों अर्थात् पेट्रोनियम, कोयला तथा लिग्नाइट तथा विद्युत में 63 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा किया गया था। 2017-18 में 225 सीपीएसई में 19.03 प्रतिशत की तुलना में इन 247 सीपीएसई में 2018-19 में इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) 18.58 प्रतिशत था।

[पैरा 1.3.1]

100 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों ने वर्ष 2018-19 के दौरान ₹71,857 करोड़ के लाभांश की घोषणा की। इसमें से केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त/प्राप्य लाभांश ₹36,709 करोड़ था जो सभी सरकारी कम्पनियों तथा निगमों में केन्द्र सरकार द्वारा कुल निवेश (₹4,00,909 करोड़) पर 9.16 प्रतिशत प्रतिफल का द्योतक है।

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत 13 सरकारी कम्पनियों ने ₹29,272 करोड़ का योगदान दिया जो सभी सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा घोषित कुल लाभांश का 40.74 प्रतिशत का द्योतक है।

36 सीपीएसई द्वारा लाभांश की घोषणा पर भारत सरकार के निर्देश का अननुपालन करने के फलस्वरूप वर्ष 2018-19 के लिए केन्द्र सरकार को भुगतान किए गए लाभांश में ₹8,011.33 करोड़ की कमी हुई।

[पैरा 1.3.4]

157 सीपीएसई ऐसे थे जिन्होंने वर्ष 2018-19 के दौरान हानि उठाई थी। इन कम्पनियों द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान ₹41,180 करोड़ की हानि की तुलना में 2018-19 में ₹37,310 करोड़ वहन की गई।

[पैरा 1.3.2]

निवल संपत्ति/संचित हानि

31 मार्च 2019 तक ₹1,40,307.55 करोड़ की संचित हानि वाली 189 सरकारी कम्पनियों तथा निगम थे। इनमें से 77 कम्पनियों की निवल सम्पत्ति उनकी संचित हानियों द्वारा पूर्ण रूप से क्षरित हो गई थी। इसके फलस्वरूप 31 मार्च 2019 तक इन कम्पनियों की कुल निवल सम्पत्ति ₹83,394.28 करोड़ तक नकारात्मक हो गई थी। वर्ष 2018-19 के दौरान इन 77 कम्पनियों में से केवल 15 ने ₹662.45 करोड़ का लाभ अर्जित किया था।

[पैरा 1.3.3]

सरकारी निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर)

इस रिपोर्ट में कवर किए गए 596 सीपीएसई में से 198 सीपीएसई में केन्द्र सरकार का प्रत्यक्ष निवेश है। 139 सीपीएसई (53 सूचीबद्ध सीपीएसई और 86 असूचीबद्ध सीपीएसई) के सम्बन्ध में आरओआरआर की 2000-01 से संगणना ऐतिहासिक लागत पर प्रतिफल की पारंपरिक दर के साथ उसकी तुलना करने के लिए की गयी है। आरओआरआर 2018-19 में 72.40 प्रतिशत की ऐतिहासिक लागत पर प्रतिफल की पारंपरिक दर की तुलना में 25.13 प्रतिशत था। आरओआरआर में 2006-07 तक बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शायी गयी है जिसके बाद इसमें कमी होनी शुरू हो गयी और यह 2014-15 से 2018-19 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान 25 प्रतिशत और 31 प्रतिशत के बीच थी।

पिछले तीन वर्षों के लिए आरओआरआर के कम्पनी वार विश्लेषण से पता चला कि जबकि सूचीबद्ध कम्पनियों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 58 प्रतिशत और 59 प्रतिशत के बीच आरओआरआर दिया है वहीं असूचीबद्ध सीपीएसई ने उसी अवधि के दौरान 2 प्रतिशत और 5 प्रतिशत के बीच नकारात्मक प्रतिफल दिया है।

(पैरा 1.4.4)

सूचीबद्ध सीपीएसई के निवेश पर रिटर्न (आरओआई)

53 सूचीबद्ध सीपीएसई के निवेश पर प्रतिफल (वार्षिक औसत दर) और आरओआई (मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर) की 2000-01 से संगणना इन सीपीएसई में केन्द्र सरकार द्वारा किए गए निवेश से प्राप्त लाभ कानिर्धारण करने के लिए की गयी। इन 53 सीपीएसई की समेकित आरओआई (औसत वार्षिक दर) 2016-17 के दौरान 190.24 प्रतिशत थी, यह घटकर 2017-18 में 182.53 प्रतिशत और 2018-19 में 159.31 प्रतिशत रह गयी। इसी प्रकार आरओआई (सीएजीआर) 2016-17 में 22.91 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 21.61 प्रतिशत और 2018 19 में 19.86 प्रतिशत रह गयी। समेकित आरओआई (वार्षिक औसत दर) में 2007-08 में 469 प्रतिशत से 2018-19 में 159 प्रतिशत तक निरन्तर घटती हुई प्रवृत्ति दर्शायी गयी।

(पैरा 1.4.5)

सूचीबद्ध सीपीएसई का निजी कम्पनियों के साथ निष्पादन

पिछले पांच वर्षों के दौरान 35 सूचीबद्ध सीपीएसई के निष्पादन की तुलना पांच मानदण्डों पर (आरओई, आरओसीई, ईपीएस, पी/ई अनुपात और आईसीआर) समान प्रकृति के कारोबार वाली निजी कम्पनियों के साथ की गई। यह देखा गया कि कुल 35 सीपीएसई में से आरओई, आरओसीई, ईपीएस, पी/ई अनुपात और आईसीआर क्रमशः 18,17,26,29 और 17 सीपीएसई उसी क्षेत्र में निजी कम्पनियों की तुलना में निम्न स्तर पर थे।

[पैरा 1.4.6]

II. सीएजी की निरीक्षण भूमिका

सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन 662 सीपीएसई में से (छ: सांविधिक निगमों को छोड़कर) 548 सीपीएसई से समय पर अर्थात् 30 सितम्बर 2019 तक वर्ष 2018-19 के वित्तीय विवरण प्राप्त किए गए। जबकि 19 सीपीएसई से वित्तीय विवरण देय नहीं थे, 95 सीपीएसई के वित्तीय विभिन्न कारणों से बकाया थे।

(पैरा 2.3.2)

548 सीपीएसई जिनमें वित्तीय विवरण समय पर प्राप्त हुए थे, में से 442 सीपीएसई में अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई थी।

(पैरा 2.5.1)

86 सीपीएसई में तीन चरणीय लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, लाभप्रदता और परिसंपत्तियों/देनदारियों के मूल्य में क्रमशः ₹10,184.75 करोड़ और ₹28,864.85 करोड़ का परिवर्तन हुआ।

एक सीपीएसई ने अपने वित्तीय विवरणों में संशोधन किया और 46 सीपीएसई के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वार्षिक सामान्य बैठक में वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने से पूर्व अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संशोधित किया था। इसके अतिरिक्त, वित्तीय विवरणों में त्रुटियां उजागर करने वाली विभिन्न टिप्पणियां भी जारी की गई थीं।

चयनित सीपीएसई के वित्तीय विवरणों पर जारी की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों का वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता तथा परिसंपत्तियों/उत्तरदायित्व पर क्रमशः ₹2,633.93 करोड़ और ₹7,068.01 करोड़ रहा।

(पैरा 2.5.1)

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणों की तैयारी में लेखाकरण मानकों/इंड एस के प्रावधानों से 27 सीपीएसई में विचलनों को देखा गया था। सीएजी ने भी 10 सीपीएसई में ऐसे विचलनों को बताया था।

(पैरा 2.6)

अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय रिपोर्टों में अथवा रिपोर्टिंग प्रक्रिया में अनियमितताओं और कमियों को देखा गया जो कि महत्वपूर्ण नहीं थी, प्रबंधन पत्र के माध्यम से सुधारात्मक कार्रवाई के लिए 155 सीपीएसई के प्रबंधन को सूचित की गई थी।

(पैरा 2.7)

III. कॉर्पोरेट अभिशासन

कॉर्पोरेट अभिशासन की समीक्षा में विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 55 सीपीएसई (53 सूचीबद्ध और 2 सीपीएसई जिनके बांड सूचीबद्ध हैं) को शामिल किया गया। कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों, डीपीई दिशानिर्देशों, कॉर्पोरेट अभिशासन से संबंधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के विनियम यद्यपि अनिवार्य थे परन्तु कुछ सीपीएसई द्वारा उनका अनुपालन नहीं किया जा रहा था। वर्ष के दौरान निर्धारित दिशानिर्देशों से निम्नलिखित महत्वपूर्ण विचलन देखे गए थे:

- एक सीपीएसई में गैर-कार्यकारी निदेशकों की संख्या निदेशक बोर्ड में कुल संख्या के 50 प्रतिशत से भी कम थी। दो सीपीएसई के बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं थी।

[पैरा 3.2.1 और 3.2.3]

- 30 सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों के प्रतिनिधित्व की अपेक्षित संख्या कम थी। दो सीपीएसई के निदेशक बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

[पैरा 3.2.2]

- स्वतंत्र निदेशकों ने 31 सीपीएसई में बोर्ड तथा 16 सीपीएसई में बोर्ड समिति की 80 प्रतिशत बैठकों में भाग नहीं लिया तथा 34 सीपीएसई में सामान्य बैठक में कुछ स्वतंत्र निदेशक उपस्थित नहीं हुए।

[पैरा 3.3.3 और 3.3.4]

- छः सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठकें आयोजित नहीं की गई थी और 20 सीपीएसई में कुछ स्वतंत्र निदेशक पृथक बैठकों में उपस्थित नहीं हुए थे।

[पैरा 3.3.5.1 और 3.3.5.2]

- 29 सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों की रिक्तियों को समय पर नहीं भरा गया था एवं चार सीपीएसई में पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की रिक्तियों को समय पर नहीं भरा गया था।

[पैरा 3.4.1 और 3.4.2]

- स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड और आईएफसीआई लिमिटेड को छोड़कर सभी समीक्षाधीन सीपीएसई ने लेखापरीक्षा समिति का गठन किया, वहीं लेखापरीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या दो सीपीएसई में निर्धारित संख्या से कम थी।

[पैरा 3.5.1]

- सात सीपीएसई में लेखापरीक्षा समिति ने व्हिसल ब्लोअर क्रियाविधि की समीक्षा नहीं की।

[पैरा 3.6.9]

IV. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

10 मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन समीक्षा में 82 सीपीएसई (7 महारत्न, 14 नवरत्न, 45 मिनिरत्न और 16 अन्य) को शामिल किया गया। समीक्षा के दौरान मार्च 2019 की समाप्ति तक एक वर्ष की अवधि शामिल की गई थी। समीक्षा में निम्नलिखित महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों की गयी थी:

[पैरा 4.3]

- पांच सीपीएसई की (एंटरिक्स, बीआरपीएल, आईटीआई लिमिटेड, एनएसकेएफडीसी एवं एनटीपीएल) सीएसआर समिति ने कम्पनी की सीएसआर नीति की मानीटरिंग नहीं की।

[पैरा 4.5.1.4]

- 11 सीपीएसई की वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक सीएसआर योजना नहीं थी। एक सीपीएसई, एनएफडीसी को केवल जुलाई 2019 में अनुमोदित सीएसआर के लिए वार्षिक बजट मिला।

[पैरा 4.5.1.5]

- चार सीपीएसई यथा हुडको, एनएसएल, एनईईपीसीओ एवं पीएचएल द्वारा सीएसआर के प्रति निधियों का कम आवंटन हुआ।

[पैरा 4.5.2.1]

- जबकि 14 सीपीएसई ने वर्ष 2018-19 के दौरान सीएसआर के लिए निवल लाभ के निर्धारित 2 प्रतिशत का पूर्णतया उपयोग किया, 30 सीपीएसई के उपयोग में कमी रही और 38 सीपीएसई ने निर्धारित राशि से अधिक खर्च किया।

[पैरा 4.5.2.3]

- आठ सीपीएसई ने वर्ष के दौरान सीएसआर की अग्रणीत की गयी राशि खर्च नहीं की।

[पैरा 4.5.2.4]

- 2018-19 में 82 सीपीएसई द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर कुल खर्च ₹3759 करोड़ था। पेट्रोलियम क्षेत्र ने सीएसआर के प्रति ₹1817.65 करोड़ की अधिकतम राशि खर्च की।

[पैरा 4.5.2.6 एंड 4.5.2.10]

- तीन सीपीएसई अर्थात एचसीओएल, केपीएल एवं पीएफसीएल में वर्ष 2018-19 के दौरान पांच प्रतिशत की उपरिव्यय सीमा अधिक हो गयी।

[पैरा 4.5.2.11]

- 39 सीपीएसई सामान्य विषय यानि स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पर 60 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके और 19 सीपीएसई ने नीति आयोग के अनुसार आकांक्षी जिलों को कोई प्राथमिकता नहीं दी।

[पैरा 4.5.2.12]

- स्वास्थ्य देखभाल पर ₹1310.87 करोड़ (35 प्रतिशत) के साथ अधिकतम जोर दिया गया उसके बाद ₹1231.21 करोड़ (33 प्रतिशत) के साथ शिक्षा आता था।

[पैरा 4.5.3.3]

- 33 सीपीएसई ने सीएसआर व्यय पर कोई प्रभावी निर्धारण नहीं किया।

[पैरा 4.5.4]

- आरईएमएल ने सीएसआर नियमावली 2014 के नियम 9 के अनुसार सीएसआर समिति का जिम्मेदारी का विवरण शामिल नहीं किया।

[पैरा 4.5.5]

V. प्रशासनिक मंत्रालयों और महारत्न सीपीएसई के बीच समझौता ज्ञापन का विश्लेषण

- लेखापरीक्षा ने आठ 'महारत्न' कम्पनियों और उनके संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के बीच वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए समझौता ज्ञापन का विश्लेषण किया।

[पैरा 5.5]

- समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों में वार्षिक बजट और कारपोरेट प्लान को ड्राफ्ट समझौता ज्ञापन के साथ प्रस्तुत करना अधिदेशित था। उसका चार सीपीएसई द्वारा अनुपालन नहीं किया गया था।

[पैरा 5.7.1.1]

- यद्यपि समझौता ज्ञापन के दिशानिर्देशों में सीपीएसई को उनके बोर्ड पर गैर अधिकारिक निदेशकों के पदों को भरने और स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में लिस्टिंग समझौता और कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन हेतु में प्रशासनिक मंत्रालय से आवश्यक प्रतिबद्धता शामिल करने के लिए अधिदेशित किया गया था, तथापि चार सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों के कुछ पद खाली थे।

[पैरा 5.7.2.2]

- वर्ष 2017-18 के लिए एनटीपीसी और विद्युत मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार अनिवार्य मानदंडों के अलावा निष्पादन मापदंड में एक मापदंड मानव संसाधन प्रबंधन का था जिसमें एक लक्ष्य के रूप में 'उत्तरवर्ती योजना तैयार करना और निदेशक बोर्ड द्वारा इसका अनुमोदन' शामिल था। इस मानदंड के लिए दिए जाने के लिए दो अंक थे और वह तारीख जिसतक उत्कृष्ट रेटिंग के लिए एचआर आडिट के निष्कर्ष पर एचआर आडिट और बोर्ड का निर्णय प्राप्त किया जाना था, वह 30 सितम्बर 2017 थी। यह लक्ष्य 27 अक्टूबर 2017 अर्थात् एनटीपीसी के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख को प्राप्त किया गया परन्तु एनटीपीसी ने प्राप्ति की स्व-मूल्यांकितस्कोर की तारीख में इसे 29 सितम्बर 2017 अर्थात् एनटीपीसी के कार्यकारी निदेशकों और सीएमडी को प्रस्तुत करने की तारीख को बताया और उसके लिए पूर्ण अंको का दावा किया। यदि लक्ष्य प्राप्ति की वास्तविक तारीख को माना जाता है तो यह एनटीपीसी द्वारा दावा की गयी उत्कृष्ट श्रेणी के विरुद्ध है। इसके परिणाम स्वरूप समझौता ज्ञापन 'बहुत अच्छा' की बजाय 'उत्कृष्ट' के रूप में ओवररेट हुआ और पीआरपी का अधिक भुगतान हुआ।

[पैरा 5.7.3.3 और 5.8]

अध्याय I

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के वित्तीय निष्पादन का सारांश

1.1 प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन सरकारी कम्पनियों, सांविधिक निगमों और सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के वित्तीय निष्पादन प्रस्तुत करता है। इस प्रतिवेदन में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) में उन सरकारी कम्पनियों को शामिल किया गया है जिनमें केंद्र सरकार की धारिता 51 प्रतिशत या अधिक है तथा ऐसी सरकारी कम्पनियों की सहायक कम्पनियां शामिल हैं। संसद द्वारा अधिनियमित संविधियों के अंतर्गत स्थापित सांविधिक निगमों और केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व वाली या नियंत्रित अन्य कंपनियों को भी सीपीएसई के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में एक सरकारी कम्पनी की परिभाषा ऐसी कम्पनी के रूप में दी गयी है जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत केन्द्र सरकार, अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित है और इसमें वह कम्पनी भी शामिल है जो सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी है।

सरकारी कंपनी

एक कम्पनी जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत केन्द्र सरकार, अथवा किसी एक या अधिक राज्य सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार और राज्य सरकार (रों) द्वारा धारित है तथा इसमें सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी सम्मिलित होती है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों या केन्द्रीय सरकार द्वारा आंशिक रूप से और एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी अन्य कंपनी¹ को इस प्रतिवेदन में सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के रूप में दर्शाया गया है।

¹ गजट अधिसूचना दिनांक 4 सितम्बर 2014 के माध्यम से कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कंपनियों का (कठिनाइयों का निवारण) सातवां आदेश 2014

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने अपने द्वारा प्रकाशित सर्वेक्षण में बताया (फरवरी 2020) कि सांविधिक निगमों के अलावा सीपीएसई वह सरकारी कम्पनियां हैं; जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक शेयर केन्द्र सरकार द्वारा धारित था। इन कम्पनियों की सहायक कम्पनियों, यदि भारत में पंजीकृत है, को भी सीपीएसई के तौर पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। इसमें विभागीय तौर पर चालित सार्वजनिक उद्यम, बैंकिंग संस्थान एवं बीमा कम्पनियाँ शामिल नहीं हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) एवं डीपीई द्वारा अपनाई गई परिभाषा में अंतर को देखते हुए, सीएजी एवं डीपीई द्वारा सीपीएसई मानी गई कम्पनियों की संख्या में अंतर हो सकता है। परिणामस्वरूप, डीपीई सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018-19 के तहत कवर किए गए सीपीएसई की संख्या 348 है, जबकि इस प्रतिवेदन में कवर किए जाने वाले सीपीएसई की संख्या 596 सीपीएसई (434 सरकारी कंपनी और संविधिक निगम तथा 162 अन्य सरकार नियंत्रित कंपनियां हैं)।

1.1.1 अधिदेश

सरकारी कम्पनियों और सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कम्पनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में सनदी लेखाकारों की नियुक्ति करता है और उस तरीके पर निर्देश देता है जिससे लेखाओं की लेखापरीक्षा की जानी है। इसके अतिरिक्त, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। कुछ सांविधिक निगमों को शासित करनेवाली संविधियों में उनके लेखाओं की मात्र नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की अपेक्षा की गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक तथा राष्ट्रीय आवास बैंक को शासित करने वाले अधिनियमों में वे प्रावधान निहित हैं जिनके द्वारा केन्द्र सरकार इन संस्थानों के लेखाओं की जांच करने और उन पर रिपोर्ट करने के लिए भी नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकती है। 2018-19 के दौरान ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की गई थी।

1.1.2 इस प्रतिवेदन में क्या है

इस प्रतिवेदन में केंद्र सरकारी कंपनियों तथा निगमों के वित्तीय निष्पादन की समग्र स्थिति को दर्शाया गया है।

लेखाओं के संशोधन तथा वर्ष 2018-19 (अथवा पिछले वर्षों के, जिन्हें चालू वर्ष के दौरान अन्तिम रूप दिया गया है) के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई सीपीएसई के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों, का प्रभाव प्रतिवेदन में दिया गया है। इस प्रतिवेदन में सांविधिक निगमों के वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी टिप्पणियों का प्रभाव भी निहित हैं जहां नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ही एकमात्र लेखापरीक्षक हैं।

यह प्रतिवेदन कार्पोरेट अभिशासन पर भारतीय प्रतिभूमि एवं विनियम बोर्ड (सेबी) तथा डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के सीपीएसई द्वारा पालन, तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के पालन तथा कार्पोरेट सामाजिक दायित्व पर डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों, केंद्रीय सरकार तथा सीपीएसई के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) के विश्लेषण की स्थिति का पूर्ण चित्रण प्रस्तुत करता है।

1.1.3 सीपीएसई की संख्या

31 मार्च 2019 को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 668 सीपीएसई थे। इनमें 480² सरकारी कंपनियां, 06 सांविधिक निगम³ तथा 182 सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियां शामिल थीं। इनमें से 596 सीपीएसई का वित्तीय

सरकारी कंपनियां	480
सांविधिक निगम	6
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां	182
कुल सीपीएसई	668

निष्पादन, इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है और इन सीपीएसई की प्रवृत्ति तालिका 1.1 में दर्शाई गई है:

² 480 सरकारी कंपनियों में 240 स्टैंडअलोन/होलडिंग सरकारी कंपनियां और सरकारी कंपनियों की 240 सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम (जेवी) शामिल हैं।

³ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), केन्द्रीय भण्डारण निगम (सीडब्ल्यूसी), दामोदर घाटी निगम (डीवीसी), भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)।

तालिका 1.1: इस रिपोर्ट में शामिल सीपीएसई की कवरेज और प्रकृति

सीपीएसई की प्रकृति	कुल सीपीएसई की संख्या	प्रतिवेदन में शामिल सीपीएसई की संख्या			कुल	इस प्रतिवेदन में कवर नहीं किए गए सीपीएसई की संख्या
		निम्न तक लेखे				
		2018-19	2017-18	2016-17		
सरकारी कम्पनियां	480	397	22	9	428 ⁴	52
सांविधिक निगम	6	5	1	0	6	0
कम्पनियों/निगमों की कुल संख्या	486	402	23	9	434	52
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां	182	151	8	3	162	20
जोड़	668	553	31	12	596	72

2018-19 के दौरान नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आयी/बाहर चली गई, सरकारी कम्पनियों/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के विवरण **परिशिष्ट-I** में दिए गए हैं।

इस प्रतिवेदन में 72 सीपीएसई (20 सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों सहित) शामिल नहीं हैं, जिनके लेखे तीन वर्ष या अधिक से बकाया थे या समाप्त/परिसमापनाधीन थे या प्रथम लेखे प्राप्त नहीं किए गए थे या बकाया नहीं थे। इन सीपीएसई को दो सितारों (**) के द्वारा **परिशिष्ट-II क** तथा **परिशिष्ट-II ख** में दर्शाया गया है।

इस प्रतिवेदन में शामिल सीपीएसई के वित्तीय निष्पादन का सारांश (सरकारी कंपनियां और सांविधिक निगम)	
सीपीएसई की संख्या	486
कवर किये गये सीपीएसई	434
प्रदत्त पूंजी (434 सीपीएसई)	₹5,45,338 करोड़
दीर्घावधि ऋण (434 सीपीएसई)	₹16,46,888 करोड़
बाज़ार पूंजीकरण (54 सूचीबद्ध ट्रेडेड सरकारी कंपनियाँ)	₹14,29,111 करोड़
निवल लाभ (247 सीपीएसई)	₹1,77,932 करोड़
निवल घाटा (157 सीपीएसई)	₹37,310 करोड़

⁴ 428 सरकारी कम्पनियों में से 198 सीपीएसई में केन्द्र सरकार की प्रत्यक्ष धारिता है। शेष 230 सीपीएसई इन 198 सीपीएसई की सहायक कम्पनियां और जेवी हैं।

शून्य लाभ/हानि (30 सीपीएसई) ⁵	
घोषित किया गया लाभ/हानि (100 सीपीएसई)	₹ 71,857 करोड़
कुल परिसंपत्ति (434 सीपीएसई)	₹ 51,54,667 करोड़
उत्पादन का मूल्य (434 सीपीएसई)	₹ 21,67,133 करोड़
निवल मूल्य (434 सीपीएसई)	₹ 16,96,646 करोड़

1.2 सरकारी कंपनियों और निगमों में निवेश

31 मार्च 2019 के अंत तक 434⁶ सरकारी कंपनियों और निगमों में इक्विटी और ऋणों में निवेश की राशि, तालिका 1.2 में दिए गए हैं:

तालिका 1.2: सरकारी कंपनियों और निगमों में इक्विटी, निवेश और ऋण

(₹ करोड़ में)

निवेश के स्रोत	31 मार्च 2019 को			31 मार्च 2018 को		
	इक्विटी	दीर्घावधि ऋण	जोड़	इक्विटी	लंबी अवधि के ऋण	जोड़
1. केन्द्र सरकार	400909	149150	550059	360539	88451	448990
2. केन्द्र सरकारी कंपनियों/निगम	66027	34694	100721	57670	27151	84821
3. राज्य सरकारें/राज्य सरकारी कंपनियों/निगम	29846	20060	49906	29436	16176	45612
4. वित्तीय संस्थाएं और अन्य	48556	1442984	1491540	47494	1202327	1249821
कुल	545338	1646888	2192226	495139	1334105	1829244
कुल निवेश के प्रति केन्द्र सरकार के निवेश का प्रतिशत	73.52	9.06	25.09	72.82	6.63	24.55

1.2.1 इक्विटी धारिता

2018-19 के दौरान, इस रिपोर्ट में शामिल गए 434 सीपीएसई में अंकित मूल्य पर कुल इक्विटी धारिता में ₹50,199 करोड़ की निवल वृद्धि दर्ज की गई। सीपीएसई में अंकित मूल्य

⁵ 434 में से, 30 सीपीएसई ऐसे थे जिन्होंने 2018-19 के दौरान कोई लाभ नहीं कमाया या कोई नुकसान नहीं उठाया था क्योंकि या तो ऑपरेशन शुरू नहीं हुए थे या सरकार से आर्थिक सहायता के रूप में नुकसान/निवल व्यय का दावा किया गया था।

⁶ 486 सीपीएसई - 52 सीपीएसई जिनके लेखा तीन साल या उससे अधिक के लिए बकाया थे या विचलन/अधीन परिसमापन थे या पहले लेखा प्राप्त नहीं हुए थे या देय नहीं थे।

पर केंद्र सरकार की इक्विटी धारिता 2018-19 के दौरान ₹40,370 करोड़⁷ तक बढ़ी। ₹40,370 करोड़ की वृद्धि, 41 सीपीएसई में ₹44,880 करोड़ के अंकित मूल्य वाले शेयरों के जारी करने और 24 सीपीएसई में ₹4,510 करोड़ के अंकित मूल्य वाले शेयरों का विनिवेश और पुनः खरीद का निवल परिणाम थी।

वर्ष 2018-19 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा ₹44,880 करोड़ की नयी इक्विटी धारिता में से, ₹43,314 की इक्विटी धारिता इक्विटी के रूप में थी, जिसके कारण सम्बन्धित सीपीएसई में नकद प्रवाह हुआ और ₹1,566 करोड़⁸ का बोनस शंयर जारी करने और ऋण को इक्विटी में अंतरित करने के रूप में थे जिसमें संबंधित सीपीएसई को नकद प्रवाह अन्तर्ग्रस्त नहीं था। सीपीएसई में नकद प्रवाह वाले ₹43,314 करोड़ की नई इक्विटी धारिता के प्रयोजन की लेखापरीक्षा में समीक्षा में दर्शाया गया कि ₹29,775 करोड़ का इन्फ्यूजन दो सीपीएसई⁹ में पूंजीगत और राजस्व व्यय दोनों के लिए था, ₹13,116 करोड़ 25 सीपीएसई में व्यय की पूंजीगतमदों के लिए थे, ₹300 करोड़ एक सीपीएसई में (इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड) व्यय की राजस्व मदों के लिए थे और ₹123 करोड़ 03 सीपीएसई¹⁰ में सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पर व्यय के लिए थे।

सरकारी कंपनियों और निगमों में 31 मार्च 2019 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार और अन्य द्वारा इक्विटी में धारिता को चार्ट-1 में दर्शाया गया है।


⁷ इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में 32 के अनंतिम आंकड़ों को उनके अंतिम ऑडिट किए गए लेखाओं के आंकड़ों के आधार पर शामिल किया गया है क्योंकि रिपोर्ट तैयार करने के लिए कट-ऑफ की तारीख यानी 30 सितंबर 2019 से पहले वर्ष 2018-19 के लेखा प्राप्त नहीं हुए थे।

⁸ एनटीपीसी लिमिटेड, जनरल इश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एमएमटीसी लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, एमएसटीसी लिमिटेड, इंडियन रेलवे क्रेडिटिंग एंड ट्रिजम कारपोरेशन लिमिटेड, ईडीसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड।

⁹ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इंडिया इंटरनेशनल कनवेंशन एंड एक्सीबिशन सेंटर लिमिटेड।

¹⁰ राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम।

चार्ट 1: सरकारी कंपनियों और निगमों में इक्विटी में धारिता



(*2018-19 के दौरान, पिछले वर्ष के आंकड़े अपडेट किए गए क्योंकि उस वर्ष के खाते प्राप्त हुए थे)

सीपीएसई की प्रदत्त पूंजी में 2018-19 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निवेश (₹2,000 करोड़ से अधिक का निवेश) का विवरण तालिका 1.3 में दिया गया है:

तालिका 1.3: केंद्र सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निवेश

(₹ करोड़ में)

सीपीएसई के नाम	मंत्रालय का नाम	राशि
सांविधिक निगम		
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	सड़क परिवहन और राजमार्ग	29,075
सरकारी कंपनियाँ		
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	रेलवे	3,110
इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	रेलवे	2,854
उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी	मानव संसाधन विकास	2,263

1.2.2 सरकारी कंपनियों और निगमों को दिया गया ऋण


1.2.2.1 31 मार्च 2019 को बकाया दीर्घावधि ऋण की गणना

31 मार्च 2019 को 434 सरकारी कम्पनियों और निगमों में से 180 सीपीएसई में सभी स्रोतों से बकाया कुल दीर्घावधि ऋण ₹16,46,888 करोड़ था। 2018-19 के दौरान, सरकारी कंपनियों और निगमों के दीर्घावधि ऋणों ने ₹3,12,783 करोड़ की वृद्धि दर्ज की। 31 मार्च 2019 को 180 सीपीएसई के कुल ऋणों में से केंद्र सरकार से ऋण ₹1,49,150 करोड़ था जिसमें से ₹64,739 का ऋण 35 सीपीएसई में 2018-19 से संबंधित था।

दीर्घावधि ऋणों ने इन 35 सीपीएसई में से 11 सीपीएसई¹¹ में 2017-18 और 2018-19 के दौरान वृद्धि दर्ज की। 11 सीपीएसई में से आठ सीपीएसई¹² को दोनों वर्षों के दौरान ऋण दिए गए। सात सीपीएसई को चालू परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधियन किया गया जब कि एक सीपीएसई को (पूर्वोत्तर हस्तशील्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड) कार्यचालन पूंजीगत आवश्यकताओं और प्रशासनिक खर्चों के प्रति कर्ज दिया गया। शेष तीन सीपीएसई के मामले में दीर्घावधि ऋणों में वृद्धि ऋण के वास्तविक संवितरण के आधार पर नहीं थी परन्तु पुराने ऋणों पर ब्याज के कारण थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 11 सीपीएसई में से 10 ने 2018-19 के दौरान ऋण की मूलराशि /ऋण पर ब्याज प्रदत्त नहीं किया है जबकि एक सीपीएसई (न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) ने 2018-19 के दौरान ₹719 करोड़ का ऋण प्रदत्त किया। सरकारी कंपनियों और निगमों के बकाया दीर्घकालिक ऋणों का वर्षवार विवरण चार्ट II में दर्शाया गया है।

चार्ट II: सरकारी कंपनियों और निगमों में दीर्घावधि ऋण बकाया



(*पिछले वर्षों के आंकड़े 2018-19 के दौरान अपडेट किए गए जब उस वर्ष के लेखा प्राप्त हुए थे)

¹¹ भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, डेडीकेटेड फ्रेट कारिडोर कारपोरेशन लिमिटेड, दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड, दामोदर घाटी निगम, कोलकाता मेट्रो रेल निगम लिमिटेड, पूर्वोत्तर हस्तशील्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, नागपुर मेट्रो रेल निगम, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

¹² डेडीकेटेड फ्रेट कारिडोर कारपोरेशन लिमिटेड, दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड, दामोदर घाटी निगम, कोलकाता मेट्रो रेल निगम लिमिटेड, पूर्वोत्तर हस्तशील्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, एचएचपीसी लिमिटेड, नागपुर मेट्रो रेल निगम, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।

434 सीपीएसई में से, 254 सीपीएसई (एक वैधानिक निगम यानी केंद्रीय भंडारण निगम सहित) में 31 मार्च 2019 तक कोई दीर्घकालिक ऋण नहीं था।

1.2.2.2 ऋण देनदारियों को पूरा करने के लिए परिसंपत्ति की पर्याप्तता

कुल परिसंपत्तियों के प्रति कुल ऋण का अनुपात यह निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक तरीका है कि क्या कंपनी विलायक रह सकती है। विलायक माना जाने के लिए, एक इकाई की परिसंपत्ति का मूल्य उसके ऋण/कर्ज की राशि से अधिक होना चाहिए। 180 सीपीएसई में कुल परिसंपत्तियों के मूल्य पर दीर्घावधि ऋणों का कवरेज, जिनके पास 31 मार्च 2019 तक बकाया ऋण था, तालिका 1.4 में दिया गया है।

तालिका 1.4: कुल परिसंपत्ति के साथ दीर्घावधि ऋण का कवरेज

	सकारात्मक कवरेज				नकारात्मक कवरेज			
	सीपीएसई की संख्या	दीर्घावधि के ऋण	परिसंपत्ति	ऋण के प्रतिपरिसंपत्ति का प्रतिशत	सीपीएसई की संख्या	दीर्घावधि ऋण	परिसंपत्ति	ऋण के प्रति परिसंपत्ति का प्रतिशत
		(₹ करोड़ में)				(₹ करोड़ में)		
संविधिक निगम	5	2,10,713	7,37,079	349.80				
सूचीबद्ध कम्पनियां	38	9,59,841	23,63,406	246.22	1	238	88	36.97
असूचीबद्ध कंपनियाँ	124	4,73,779	10,56,185	222.93	12	2,318	352	15.19
कुल	167	16,44,333	41,56,670		13	2,556	440	

180 सीपीएसई में से, 13 सीपीएसई (*परिशिष्ट-III*) के संबंध में कुल परिसंपत्ति का मूल्य बकाया ऋण से कम था।

1.2.2.3 ब्याज कवरेज

ब्याज कवरेज अनुपात (आईसीआर), का उपयोग किसी कंपनी की बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना ब्याज और करों से पूर्व कंपनी की आय (ईबीआईटी) को उसी अवधि के ब्याज खर्चों से विभाजित करके की जाती है। अनुपात कम होने पर, कंपनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता कम होती है। एक से नीचे आईसीआर होना संकेत देता था कि कंपनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व अर्जन नहीं कर रही थी। सीपीएसई के सकारात्मक और नकारात्मक ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण, जिसमें 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान बकाया ऋण थे, तालिका 1.5 में दिए गए हैं:

तालिका 1.5: ब्याज कवरेज अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज और कर से पहले की आय (ईबीआईटी) (₹ करोड़ में)	सीपीएसई की संख्या	आईसीआर > = 1 वाले सीपीएसई की संख्या	आईसीआर < = 1 वाले सीपीएसई की संख्या
संविधिक निगम					
2016-17	10,162.66	13,388.46	5	2	3
2017-18	11,833.26	14,812.69	5	2	3
2018-19	11,680.95	13,679.76	5	2	3
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियाँ					
2016-17	60,935.43	1,59,564.76	38	28	10
2017-18	63,844.46	1,79,678.36	39	29	10
2018-19	69,119.80	1,78,869.17	39	31	8
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियाँ					
2016-17	16,212.75	30,009.27	122	59	63
2017-18	20,887.26	22,140.81	128	54	74
2018-19	19,690.95	22,395.13	136	55	81

यह देखा गया कि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान, सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों के मामले में एक के बराबर या इससे अधिक के आईसीआर वाले सीपीएसई की संख्या में वृद्धि हुई है। छह¹³ सीपीएसई के संबंध में, दीर्घावधि ऋण पर देय ब्याज, 31 मार्च 2019 को उनकी कुल परिसंपत्ति के मूल्य से अधिक था जो इन कंपनियों में दिवालिया होने के उच्च जोखिम का संकेत देता है।

1.2.2.4 केंद्र सरकार के ऋणों पर ब्याज की बकाया अवधि वार विश्लेषण

31 मार्च 2019 तक, केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए 20 सीपीएसई के दीर्घावधि ऋणों पर, ₹3593.90 करोड़ की ब्याज की राशि बकाया थी। सीपीएसई में केंद्र सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का अवधि वार विश्लेषण तालिका 1.6 में दर्शाया गया है।

¹³ भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, इरकॉन शिव पुरी गण लिमिटेड, नेशनल बाइसिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड, अंडमान फिशरीज लिमिटेड, टीसीआईएल एलटीआर लिमिटेड

तालिका 1.6: केंद्र सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज


(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	केंद्र सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज	1 वर्ष से कम के लिए बकाया केंद्र सरकार के ऋण पर ब्याज	1 - 3 वर्षों के लिए केंद्र सरकार के ऋण पर ब्याज	3 वर्षों से अधिक के लिए बकाया केंद्र सरकार के ऋणों पर ब्याज
1	भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड	1,435.76	63.27	125.11	1,247.38
2	नेशनल बाइसिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	541.55	0	0	541.55
3	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	204.34	39.32	144.44	20.58
4	एनईपीए लिमिटेड	96.72	27.04	69.68	0
5	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	92.60	0	18.88	73.71
6	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	62.32	1.97	20.29	40.06
7	बर्डस जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	59.21	3.84	11.38	43.98
8	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	54.34	0	0	54.34
9	आईएफसीआई फेक्टर्स लिमिटेड	42.11	0	0	42.11
10	हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	37.60	9.98	24.54	3.08
11	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड	35.52	0	4.48	31.04
12	भारत पंप्स और कॉम-प्रेसर्स लिमिटेड	35.33	16.34	18.99	0
13	हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड	32.89	4.70	14.10	14.10
14	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड	22	11	11	0
15	हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड	19.35	3.73	0	15.62
16	उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	18.49	0	0	18.49
17	नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन	15.74	12.49	3.26	0
18	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	123.85	0	0	123.85
19	एनएचपीसी लिमिटेड	61.52	27.60	31.15	2.77
20	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	602.66	54.58	109.16	438.92
	कुल	3,593.90	275.85	606.46	2,711.59

1.2.3 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों में निवेश

केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों और निगमों द्वारा, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य 162¹⁴ कंपनियों में वर्ष 2018-19 के दौरान निवेश की गई पूंजी को चार्ट III में दर्शाया गया है।

चार्ट III: सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों में शेयर पूंजी की संरचना



31 मार्च 2019 तक, सरकार द्वारा नियंत्रित इन अन्य कंपनियों में इक्विटी ₹36,369 करोड़ थी। सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों की इक्विटी में 2018-19 में ₹1,845 करोड़ की वृद्धि हुई।

1.2.4 सरकारी कंपनियों में इक्विटी निवेश का बाजार पूंजीकरण

बाजार पूंजीकरण, उन कंपनियों के शेयरों के बाजार मूल्य का घटक है जिनके शेयर सूचीबद्ध हैं। 31 मार्च 2019 तक, 66 सरकारी कंपनियों के शेयर जिनमें, 52 सरकारी कंपनियों के शेयर शामिल थे, जिनमें तीन¹⁵ नई सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां, सरकारी कंपनियों के आठ सहायक कंपनियां और छह¹⁶ सरकारी नियंत्रित अन्य कंपनियां भारत के विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध थीं।

49 सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों (52-3 नव सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों) के संबंध में, 47 कंपनियों के शेयरों का कारोबार किया गया था और 2018-19 के दौरान दो¹⁷ कंपनियों के

¹⁴ 182- 20 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां जिनके लेखे तीन साल या उससे अधिक के लिए बकाया थे या निष्क्रिय/ परिसमापन के अधीन थे या पहले लेखे प्राप्त नहीं हुए थे या देय नहीं थे।

¹⁵ इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, एमएसटीसी लिमिटेड।

¹⁶ इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड, द बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड, तमिलनाडु टेलिकम्यूनिकेशन लिमिटेड, इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड, द उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड।

¹⁷ हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड और हिंदुस्तान फोटो-फिल्मस (मैन्युफैक्चरिंग) कंपनी लिमिटेड।

शेयरों का कारोबार नहीं किया गया था। सरकारी कंपनियों की आठ सहायक कंपनियों के संबंध में, सात के शेयरों का कारोबार किया गया और ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के शेयरों का कारोबार नहीं किया गया।

31 मार्च 2018 तक ₹16,43,345.68 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2019 को 54¹⁸ कारोबार वाली सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों (सात सहायक कंपनियों सहित) के शेयरों का कुल बाजार मूल्य ₹14,29,111.11 करोड़ (इक्विटी निवेश ₹85,041 करोड़) रहा है। शेयरों का कुल बाजार मूल्य 31 मार्च 2018 की तुलना में 31 मार्च 2019 को ₹2,14,234.57 करोड़ (13.04 प्रतिशत) घटकर रह गया। अधिकतम बाजार पूंजीकरण के साथ शीर्ष तीन क्षेत्रों में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (₹6,08,780.85 करोड़), विद्युत् (₹3,34,591.81 करोड़) और कोयला (₹1,55,577.46 करोड़) थे। रेलवे में (5.45 प्रतिशत) और विद्युत् (1.33 प्रतिशत) क्षेत्रों में ही शेयरों के बाजार मूल्य में वृद्धि देखी गई, जबकि शेयरों के बाजार मूल्य में सबसे अधिक कमी, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र (60.96 प्रतिशत) में देखी गई, इसके बाद वित्त क्षेत्र (38.92 प्रतिशत) और पर्यटन क्षेत्र (38.22 प्रतिशत) में थी। 31 मार्च 2019 तक, 47 सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों (सात सहायक कंपनियों को छोड़कर) के शेयरों का बाजार मूल्य ₹13,35,263.55 करोड़ था, जिसमें से केंद्र सरकार के पास मौजूद शेयरों का बाजार मूल्य ₹8,447,07.38 करोड़ था।

इस अवधि के दौरान, एस एंड पी बीएसई सूचकांक¹⁹ 31 मार्च 2018 को 32,968.68 से 17.30 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2019 तक 38,672.91 हो गया। एस एंड पी बीएसई - सीपीएसई सूचकांक²⁰ 31 मार्च 2018 को 1,591.37 से 7.69 प्रतिशत घटकर 31 मार्च 2019 तक 1,468.92 हो गया।


पिछले पांच वर्षों के लिए कारोबार वाली सूचीबद्ध सीपीएसई के बाजार पूंजीकरण की प्रवृत्ति को एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स और एस एंड पी बीएसई-सीपीएसई सूचकांक की तुलना में चार्ट-IV में दर्शाया गया है।

¹⁸ 54 = 47 सूचीबद्ध कारोबार वाली सरकारी कंपनियां + 7 सूचीबद्ध कारोबार वाली सहायक सरकारी कंपनियां

¹⁹ एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स की गणना 30 घटक शेयरों की "मार्केट कैपिटलाइजेशन-वेटेड" कार्यप्रणाली पर की गई है, जो प्रमुख क्षेत्रों में बड़े, सुस्थापित और वित्तीय रूप से मजबूत कंपनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

²⁰ एस एंड पी बीएसई सीपीएसई सूचकांक में बीएसई पर सूचीबद्ध प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं।

चार्ट-IV: बीएसई सेंसेक्स और सीपीएसई सूचकांक की तुलना में बाजार पूंजीकरण की प्रवृत्ति



यह देखा गया कि एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स और एस एंड पी सीपीएसई सूचकांक की तुलना में 2014-15 से 2016-17 के दौरान इन ट्रेडेड लिस्टेड सीपीएसई की बाजार पूंजीकरण की प्रवृत्ति समान थी। हालाँकि 2018-19 में, इन सीपीएसई के शेयरों का बाजार मूल्य 13.04 प्रतिशत (₹16,43,345.68 करोड़ से ₹14,29,111.11 करोड़ तक) घट गया, जब एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स में 17.30 प्रतिशत (₹32,968.68 से ₹38,672.91) की वृद्धि हुई। हालांकि, इसी अवधि के दौरान एसएंडपी सीपीएसई सूचकांक 7.69 प्रतिशत (₹1,591.37 से ₹1468.92) घटा।

सात सहायक सरकारी कंपनियों के शेयरों का बाजार मूल्य, जिनके शेयरों का कारोबार 2018-19 के दौरान किया गया था, 31 मार्च 2019 तक ₹93,847.55 करोड़ थे। 31 मार्च 2018 की तुलना में 31 मार्च 2019 तक, सात सहायक सरकारी कंपनियों में शेयरों का कुल बाजार मूल्य ₹11,499.28 करोड़ कम हो गया था। 31 मार्च 2019 को, उच्चतम बाजार पूंजीकरण के साथ शीर्ष 10 सीपीएसई को तालिका 1.7 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.7: उच्चतम बाजार पूंजीकरण के साथ सीपीएसई

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसईका नाम	बाजार पूंजीकरण
1	तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	2,00,718.35
2	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,53,168.37
3	कोल इंडिया लिमिटेड	1,45,933.41
4	एनटीपीसी लिमिटेड	1,33,922.83
5	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1,03,637.79
6	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	85,978.33
7	गेल (इंडिया) लिमिटेड	78,987.73
8	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	43,200.37
9	जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	42,561.74
10	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	32,473.00

31 मार्च 2019 तक 54 सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों में से आठ सीपीएसई के संबंध में बाजार पूंजीकरण में वृद्धि हुई थी। बाजार पूंजीकरण में वृद्धि के साथ सीपीएसई को तालिका 1.8 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.8: 31 मार्च 2019 तक बाजार पूंजीकरण में वृद्धि के साथ सीपीएसई

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	31 मार्च 2018 को बाजार पूंजीकरण	31 मार्च 2019 तक बाजार पूंजीकरण	पूंजीकरण में अंतर
1	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	22,678.30	32 473.00	9,794.70
2	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड	24,696.35	30,186.62	5,490.27
3	गेल (इंडिया) लिमिटेड	74,101.63	78,987.73	4,886.10
4	ऑयल इंडिया लिमिटेड	16,289.65	20,099.45	3,809.80
5	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1,01,414.37	1,03,637.79	2,223.42
6	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	30,313.61	31,966.63	1,653.02
7	दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	815.10	824.40	9.30
8	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड	20.81	30.08	9.27

1.3 सरकारी कंपनियों और निगमों से प्रतिफल

1.3.1 सरकारी कंपनियों और निगमों द्वारा अर्जित लाभ


2017-18 में 225 की तुलना में, 2018-19 में लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसई की संख्या 247 (51 सीपीएसई शामिल किए गए और 29 सीपीएसई को छोड़ दिया गया) थी। इन 51

सीपीएसई (परिशिष्ट-IV) में से पांच सीपीएसई नए थे और उन्होंने अपने प्रचालन के प्रथम वर्ष में लाभ सूचित किया और 46 सीपीएसई ने पूर्व वर्ष में निवल हानि उठाने के बाद लाभ सूचित किया। 46 सीपीएसई में से केवल 17 ने प्रचालनात्मक आय के कारण लाभ सूचित किया। 29 सीपीएसई (परिशिष्ट-V) जिन्होंने पूर्व वर्ष में लाभ अर्जित करने के बाद हानियां उठाई, के मामले में 20 सीपीएसई ने हानि उठाई जो मुख्यतया प्रचालनात्मक खर्चों के कारण थी।

2017-18 में ₹1,65,610 करोड़ से 2018-19 में अर्जित लाभ बढ़कर ₹1,77,932 करोड़ हो गया। हालांकि, 247 सीपीएसई का रिटर्न ऑन इक्विटी (आरओई) 2018-19 में 18.58 प्रतिशत था, जोकि 2017-18 में 225 सीपीएसई में 19.03 प्रतिशत की तुलना में था। 2018-19 में सभी 434 सीपीएसई का आरओई 11.81 प्रतिशत था जिनमें 157 हानि वाले और 30 शून्य लाभ वाली कंपनियों शामिल थी।

2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसई की संख्या को चार्ट-V में दर्शाया गया है:

चार्ट-V: लाभ कमाने वाले सीपीएसई की संख्या



(* पिछले वर्षों के आंकड़े 2018-19 के दौरान अपडेट किए गए, जब उस वर्ष के लेखा प्राप्त हुए थे)

2018-19 के दौरान अधिकतम लाभ अर्जित करने वाले शीर्ष तीन क्षेत्रों का विवरण तालिका 1.9 में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 1.9: शीर्ष 3 क्षेत्र जिन्होंने वर्ष 2018-19 के दौरान अधिकतम लाभ में योगदान दिया

क्षेत्र	लाभ कमाने वाले सीपीएसई की संख्या	अर्जित निवल लाभ (₹ करोड़ में)	कुल सीपीएसई लाभ के प्रति लाभ का प्रतिशत
पेट्रोलियम			
सूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ	7	65,714	36.93
असूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ	10	4,347	2.44
उप-जोड़ (क)	17	70,061	39.37
शक्ति			
सूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ	4	25,655	14.42
असूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ	33	5,581	3.14
उप- जोड़ (ख)	37	31,236	17.56
कोयला और लिग्नाइट			
सूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ	2	11,737	6.6
असूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ	7	16,853	9.47
उप-जोड़ (ग)	9	28,590	16.07
जोड़(क+ख+ग)	63	1,29,887	73.00

2018-19 के दौरान, ₹1,29,887 करोड़ का निवल लाभ सीपीएसई के कुल लाभ का 73 प्रतिशत 63 सीपीएसई के द्वारा योगदान दिया गया था, जो इन तीन क्षेत्रों में 2017-18 के दौरान 50 सीपीएसई के द्वारा 72.08 प्रतिशत योगदान की तुलना में था।

28 सीपीएसई द्वारा ₹37,895 करोड़ के शुद्ध लाभ का योगदान दिया गया था जो रक्षा, कोयला, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में कार्यरत था जो बाजार की प्रतिस्पर्धा के लिए खुले नहीं थे। यह 2018-19 के दौरान, सभी 247 सीपीएसई में ₹1,77,932 करोड़ के कुल लाभ का 21.29 प्रतिशत था। वर्ष 2018-19 में इन 28 सीपीएसई का आरओई 42.03 प्रतिशत था, जो प्रतिस्पर्धी माहौल में कार्य करने वाले 219 सीपीएसई में 18.56 प्रतिशत की तुलना में था।

वर्ष 2018-19 के दौरान ₹5,000 करोड़ से अधिक का लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसई की सूची तालिका 1.10 में दर्शायी गई है:

तालिका 1.10: सीपीएसई की सूची, जिसने ₹5,000 करोड़ से अधिक का लाभ अर्जित किया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	निवल लाभ
1	तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	26,716
2	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	16,894
3	एनटीपीसी लिमिटेड	11,750
4	कोल इंडिया लिमिटेड	10,470
5	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	9,922
6	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7,132
7	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	6,746
8	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	6,040
9	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	6,029
10	गेल (इंडिया) लिमिटेड	6,026
11	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड	5,703
कुल		1,13,428

यह देखा जा सकता है कि 2018-19 के दौरान इन 11 सीपीएसई ने 247 सीपीएसई द्वारा अर्जित कुल लाभ का 63.75 प्रतिशत योगदान दिया।

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान 162 सरकारी नियंत्रित अन्य कंपनियों में 112 कंपनियों ने ₹8,701 करोड़ का लाभ कमाया। 2018-19 में इन 112 सीपीएसई में आरओई 20.38 प्रतिशत था। 162 सरकारी नियंत्रित अन्य कंपनियों में आरओई 15.95 प्रतिशत था।

1.3.2 हानि उठाने वाले सरकारी कंपनियों और निगम

वर्ष 2018-19 के दौरान, 157 सीपीएसई ने हानियाँ उठाईं। 2018-19 में, इन सीपीएसई द्वारा द्वारा उठाई गई हानि घटकर ₹ 37,310 करोड़ हो गई, जोकि 2017-18 के दौरान ₹ 41,180 करोड़ थी, जैसा कि तालिका 1.11 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.11: 2018-19 के दौरान, हानि उठाने वाले सीपीएसई की संख्या

सूचीबद्ध/असूचीबद्ध वर्ष	हानि वाले सीपीएसई की संख्या	वर्ष के लिए निवल हानि (₹ करोड़ में)	संचित हानि (₹ करोड़ में)	कुल मूल्य ²¹ (₹ करोड़ में)
वैधानिक निगम				
2016-17	1	907	0	12,891
2017-18	1	847	0	12,144
2018-19	1	1,115	0	11,370
सूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ				
2016-17	11	10,168	28,481	18,253
2017-18	12	8,292	40,433	9,146
2018-19	12	5,476	35,149	-19,133
असूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ				
2016-17	134	22,745	73,775	1,45,077
2017-18	140	32,041	90,835	1,33,592
2018-19	144	30,719	80,692	1,18,774
जोड़				
2016-17	146	33,820	1,02,256	1,76,221
2017-18	153	41,180	1,31,268	1,54,882
2018-19	157	37,310	1,15,841	1,11,011

157 सीपीएसई द्वारा किए गए ₹37,310 करोड़ की कुल हानि में से, 7 सीपीएसई द्वारा ₹2,075 करोड़ की हानि का योगदान दिया गया था, जो शहरी विकास और पेट्रोलियम क्षेत्रों में कार्य कर रहे थे तथा जो बाजार की प्रतिस्पर्धा के लिए खुले नहीं थे।

वर्ष 2018-19 के दौरान, तालिका 1.12 में सूचीबद्ध सीपीएसई को ₹1,000 करोड़ से अधिक का हानि हुई।

²¹ नेट वर्थ का मतलब है कि शेयर पूंजी और मुक्त भंडार और अधिशेष के कुल जोड़ से संचित हानि और आस्थगित राजस्व व्यय को दर्शाना। मुक्त भंडार का मतलब है कि सभी लाभ और प्रीमियम खाता से बने भंडार, लेकिन परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से बनाए गए भंडार को शामिल न करें और मूल्यहास प्रावधान वापस लिखें।

तालिका 1.12: सीपीएसई जो 2018-19 के दौरान ₹1,000 करोड़ से अधिक का हानि उठाती है

(₹ करोड़ में)

क्र सं	सीपीएसई का नाम	शुद्ध हानि
1	भारत संचार निगम लिमिटेड	14,904
2	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	3,390
3	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,878
4	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,696
5	ओएनजीसीपेट्रो एडिशनस लिमिटेड	1,420
6	दामोदर घाटी निगम	1,115

वर्ष 2018-19 के दौरान, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य 162 कंपनियों में से 39 कंपनियों को ₹1,763 करोड़ की हानि हुई।

1.3.3 सरकारी कंपनियों में पूंजी का क्षरण

31 मार्च 2019 तक ₹1,40,307.55 करोड़ के संचित हानि के साथ 189 सीपीएसई थी। 189 सीपीएसई में से, 123 सीपीएसई को वर्ष 2018-19 में ₹13,748.56 करोड़ की हानि हुई, 66 सीपीएसई ने वर्ष 2018-19 में हानि (शून्य लाभ सहित) नहीं की, भले ही उन्हें ₹24,467 करोड़ की संचित हानि हुई हो। 189 में से 59 सीपीएसई समापन बंद परिसमापन/रणनीतिक विनिवेश में थी।

189 सीपीएसई में से 77 का निवल मूल्य, संचित हानि से पूरी तरह से क्षय हो गया था और उनका निवल मूल्य या तो शून्य या नकारात्मक था। इन 77 सीपीएसई का निवल मूल्य, 31 मार्च 2019 तक इन सीपीएसई में ₹40,005.95 करोड़ के इक्विटी निवेश के मुकाबले (-) ₹ 83,394.28 करोड़ था। इसमें छह सूचीबद्ध कंपनियां शामिल थीं, जिनकी कुल संपत्ति ₹ 6,685.49 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश के मुकाबले (-) ₹ 35,860.14 करोड़ थी। 77 सीपीएसई में से, जिनकी पूंजी (शून्य या ऋणात्मक निवल मूल्य होने के नाते) समाप्त हो गई थी, 15 सीपीएसई ने वर्ष 2018-19 के दौरान, ₹ 662.45 करोड़ लाभ अर्जित किया था (परिशिष्ट-VI)।

19 में से 77 सीपीएसई जिनकी पूंजी खत्म हो गई थी, 31 मार्च 2019 को बकाया सरकारी ऋण ₹4,400.59 करोड़ रुपये था। इसमें ₹1849.10 करोड़ के बकाया सरकारी ऋण वाली दो सूचीबद्ध कंपनियां शामिल थीं।

निवल मूल्य 356 सीपीएसई में से 31 के संबंध में उनकी प्रदत्त पूंजी के आधे से कम था, जिनकी निवल संपत्ति 31 मार्च 2019 के अंत में सकारात्मक थी, जो उनकी संभावित

वित्तीय बीमारी का संकेत है। कुल मिलाकर, सभी 434 सरकारी कंपनियों और निगमों का शुद्ध मूल्य ₹16,96,646.45 करोड़ उनकी प्रदत्त पूंजी के मुकाबले ₹5,45,337.74 करोड़ था।

1.3.4 सीपीएसई द्वारा लाभांश भुगतान


सरकारी कंपनियों और निगमों द्वारा अर्जित लाभ और घोषित लाभांश का विवरण तालिका 1.13 में दिया गया है:

तालिका 1.13: अर्जित लाभ और घोषित लाभांश

श्रेणी	सीपीएसई का नाम	प्रदत्त पूंजी (₹ करोड़ में)	निवल लाभ (₹ करोड़ में)	घोषित लाभांश (₹ करोड़ में)
संविधिक निगम	2	725	2,435	799
सूचीबद्ध कम्पनियां	37	76,023	1,31,212	57,652
असूचीबद्ध कंपनियाँ	61	41,754	29,767	13,406
जोड़	100	1,18,502	1,63,414	71,857

434 सरकारी कंपनियों और निगमों में से 100 सीपीएसई ऐसे थे, जिन्होंने 2018-19 में लाभांश घोषित किया। इन 100 लाभ कमाने वाले सीपीएसई के शुद्ध लाभ के प्रतिशत के रूप में घोषित लाभांश 2017-18 में 46.15 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 43.97 प्रतिशत हो गया। निरपेक्ष रूप से, सीपीएसई द्वारा 2018-19 में घोषित लाभांश में पिछले वर्ष की तुलना में, ₹1,295 करोड़ की वृद्धि हुई। चार्ट-VI में घोषित लाभांश को दर्शाया गया है जो उन सीपीएसई के अर्जित निवल लाभ और प्रदत्त पूंजी की तुलना में जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभांश घोषित किया।

चार्ट VI: अर्जित निवल लाभ और प्रदत्त पूंजी की तुलना में घोषित लाभांश (₹ करोड़ में)



वर्ष 2018-19 के लिए 100 सीपीएसई द्वारा घोषित, ₹71,857 करोड़ के कुल लाभांश में से, केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त/प्राप्य लाभांश ₹81,934 करोड़ के इक्विटी निवेश वाले 67²² सीपीएसई में ₹36,715 करोड़ (घोषित कुल लाभांश का 51.09 प्रतिशत), 434 सीपीएसई की इक्विटी पूंजी में केंद्र सरकार द्वारा किए गए ₹4,00,909 करोड़ के कुल निवेश पर लाभांश के रूप में 2017-18 के दौरान प्रतिफल 11.71 प्रतिशत की तुलना में 9.16 प्रतिशत था। इसी तरह, वर्ष 2018-19 में, 43 सीपीएसई को अन्य सीपीएसई में इक्विटी धारिता पर ₹12,312 करोड़ की प्रदत्त पूंजी पर लाभांश के रूप में ₹16,752 करोड़ प्राप्त हुए।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन 13 सीपीएसई ने ₹29,272 करोड़ की लाभांश राशि घोषित की जो कि 2018-19 में 100 सीपीएसई द्वारा घोषित ₹71,857 करोड़ के कुल लाभांश का 40.74 प्रतिशत थी।

मई 2016 में, निवेश और लो परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम) द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों में यह परिकल्पना की गई थी कि प्रत्येक सीपीएसई, कर के बाद लाभ का न्यूनतम वार्षिक लाभांश का 30 प्रतिशत या निवल मूल्य के पांच प्रतिशत का भुगतान करेगा, जो भी अतिरिक्त कानूनी प्रावधानों के तहत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन है। हालाँकि, 36 सीपीएसई (14 सूचीबद्ध सीपीएसई सहित) ने सरकार द्वारा निर्धारित लाभांश घोषित नहीं किया था जैसा कि **परिशिष्ट-VII** में दिया गया है। 2018-19 में, इस आधार पर कुल कमी ₹8,011.33 करोड़ थी।

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान, 162²³ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों में से 112 कंपनियों ने ₹8,701 करोड़ का लाभ अर्जित किया। इन 112 कंपनियों में से, 42 ने ₹1,063 करोड़ की लाभांश राशि घोषित की, जो उनकी ₹13,530 करोड़ की प्रदत्त पूंजी का 7.86 प्रतिशत थी। सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य 42 कंपनियों के क्षेत्रवार वर्गीकरण जिसने वर्ष 2018-19 के दौरान लाभांश घोषित किया था, को तालिका 1.14 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.14: सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों द्वारा घोषित लाभांश है

सेक्टर	कंपनियों की संख्या	प्रदत्त पूंजी (₹ करोड़ में)	शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	घोषित लाभांश (₹ करोड़ में)
वित्तीय सेवाएं	24	4,140	2,310	394
विद्युत्	5	5,181	1,365	246
बीमा	3	1,459	1,869	235

²² 67 सीपीएसई, 204 सीपीएसई (198 सरकारी कंपनियों और निगमों + 6 वैधानिक निगमों) में से हैं, जहां केंद्र सरकार की सीधी हिस्सेदारी है।

²³ 182-20 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां जिनके लेखे तीन साल या उससे अधिक के लिए बकाया थे या निष्क्रिय/परिसमापन के अधीनया पहले लेखे प्राप्त नहीं हुए थे या देय नहीं थे।


औद्योगिक विकास और तकनीकी परामर्श	3	3	3	1
ठेका और निर्माण सेवाएँ	2	252	180	52
परिवहन सेवाएं	1	164	51	8
ट्रेडिंग और मार्केटिंग	1	41	15	7
दूर संचार सेवाएं	1	42	63	2
पेट्रोलियम	1	60	52	9
कोयला और लिग्नाइट	1	2,188	271	109
जोड़	42	13,530	6,179	1,063

1.4 सरकारी कंपनियों और निगमों की प्रचालन दक्षता

1.4.1 उत्पादन का मूल्य

तीन वर्षों की अवधि के दौरान सरकारी कम्पनियों के उत्पादन का मूल्य, कुल परिसंपत्तियों तथा नियोजित पूंजी के सारांश को दर्शाने वाला सार चार्ट VII में दिया गया है।

चार्ट VII: उत्पादन का मूल्य, परिसंपत्तियां तथा नियोजित पूंजी (₹ करोड में)



पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 में उत्पादन के मूल्य, कुल परिसंपत्तियों तथा नियोजित पूंजी में वृद्धि हुई थी। उत्पादन का मूल्य, कुल परिसंपत्ति तथा नियोजित पूंजी का सीपीएसई वार विवरण *परिशिष्ट-VIII* में दिया गया है।

2018-19 के अंत में पिछले तीन वर्षों के लिए एकाधिकार²⁴ और गैर-एकाधिकार सीपीएसई के संबंध में नियोजित उत्पादन, कुलसंपत्ति और पूंजी का मूल्य तालिका 1.15 में दिया गया है।

तालिका 1.15: एकाधिकार बनाम गैर-एकाधिकार उत्पादन, संपत्ति और नियोजित पूंजी
(₹ करोड़ में)

टाइप / वर्ष	सीपीएसई की सं	उत्पादन का मूल्य	कुल संपत्ति	नियोजित पूंजी का जोड़
एकाधिकार सीपीएसई				
2016-17	61	10,40,494	14,21,911	8,58,402
2017-18	64	11,89,866	16,86,755	9,90,103
2018-19	66	14,60,046	19,11,733	11,30,737
गैर-एकाधिकार सीपीएसई				
2016-17	328	689,597	26,72,232	16,97,997
2017-18	347	7,38,789	29,19,380	17,84,337
2018-19	368	7,07,087	32,42,934	20,36,594
जोड़				
2016-17	389	17,30,091	40,94,143	25,56,399
2017-18	411	19,28,655	46,06,135	27,74,440
2018-19	434	21,67,133	51,54,667	31,67,331

1.4.2 नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आरओसीई)

आरओसीई एक ऐसा अनुपात है जो कंपनी की लाभप्रदता और दक्षता को मापता है जिसके साथ इसकी पूंजी नियोजित होती है। आरओसीई की संगणना ब्याज और करों से पहले कंपनी की आय (ईबीआईटी) को नियोजित पूंजी²⁵ से विभाजित करके की जाती है। आरओसीई का सीपीएसई वार विवरण *परिशिष्ट-IX* में दिया गया है। 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान 434 सीपीएसई के समेकित आरओसीई का ब्यौरा तालिका 1.16 में दिया गया है।

²⁴ एकाधिकार का मतलब है एक बाजार संरचना जिसमें एकल विक्रेता द्वारा विशेषता है, बाजार में एक अद्वितीय उत्पाद बेच रहा है। एकाधिकार बाजार में, विक्रेता का कोई मुकाबला नहीं होता है, क्योंकि वह सामान का एकमात्र विक्रेता होता है जिसका कोई करीबी विकल्प नहीं होता है। एक सीपीएसई को एकाधिकार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि भौगोलिक क्षेत्र में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है जिसमें वह संचालित होता है। पेट्रोलियम सेक्टर के तहत सीपीएसई को एकाधिकार श्रेणी के तहत शामिल किया गया है। चूंकि पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण तंत्र प्रभावी रूप से सरकारी नियंत्रण में है, इसलिए सरकारी और नियंत्रित पेट्रोलियम उत्पाद कंपनियां आभासी एकाधिकार के रूप में कार्य करती हैं।

²⁵ नियोजित पूंजी = प्रदत्त शेयर पूंजी + मुक्त भंडार और अधिशेष + दीर्घ कालिक ऋण संचित हानियां - आस्थगित राजस्व व्यय।

तालिका 1.16: नियोजित पूंजी पर रिटर्न

वर्ष	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (प्रतिशत में)
2016-17	2,73,262	25,56,399	10.69
2017-18	2,90,531	27,74,440	10.47
2018-19	3,18,634	31,67,331	10.06

यह देखा गया कि वर्ष 2018-19 के दौरान 434 सीपीएसई का आरओसीई वर्ष 2017-18 की तुलना में मामूली रूप से कम था।

एकाधिकार और गैर-एकाधिकार सीपीएसई के संबंध में आरओसीई तालिका 1.17 में दिए गए हैं।

तालिका 1.17: एकाधिकार बनाम गैर-एकाधिकार सीपीएसई का आरओसीई

वर्ष	एकाधिकार				गैर-एकाधिकार			
	सीपीएसई की संख्या	ईबीआईटी	नियोजित पूंजी	आरओसीई (% में)	सीपीएसई की संख्या	ईबीआईटी	नियोजित पूंजी	आरओसीई (% में)
		(₹ करोड़ में)				(₹ करोड़ में)		
2016-17	61	1,10,481	8,58,402	12.87	328	1,62,781	16,97,997	9.59
2017-18	64	1,23,546	9,90,103	12.48	347	1,66,985	17,84,337	9.36
2018-19	66	1,25,877	11,30,737	11.13	368	1,92,757	20,36,594	9.46

1.4.3 सीपीएसई की इक्विटी पर रिटर्न (आरओई)

आरओई²⁶ कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन का एक उपाय है जिसकी गणना शेयर धारकों की इक्विटी द्वारा निवल आय को विभाजित करके की जाती है। आरओई के सीपीएसई वार विवरण *परिशिष्ट-X* में दिए गए हैं। 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान 434 सीपीएसई का समेकित आरओई तालिका 1.18 में दिया गया है।

²⁶ इक्विटी पर रिटर्न = (कर और वरीयता लाभांश के बाद निवल लाभ/इक्विटी) * 100 जहां इक्विटी = प्रदत्त पूंजी + मुक्त भंडार - संचित हानियां आस्थगित राजस्व व्यय

तालिका 1.18: इक्विटी पर रिटर्न

वर्ष	कर और वरीयता लाभांश के बाद निवल लाभ (₹ करोड़ में)	इक्विटी (₹ करोड़ में)	आरओई (प्रतिशत में)
2016-17	1,24,722	10,60,364	11.76
2017-18	1,23,821	10,82,084	11.44
2018-19	1,38,819	11,75,234	11.81

यह देखा गया कि वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान 434 सीपीएसई का आरओई मामूली रूप से अधिक था।

एकाधिकार और गैर-एकाधिकार सीपीएसई के संबंध में आरओई तालिका 1.19 में दिए गए हैं।

तालिका 1.19: एकाधिकार बनाम गैर-एकाधिकार सीपीएसई का आरओई।

वर्ष	एकाधिकार				गैर-एकाधिकार			
	सीपीएसई की संख्या	इक्विटी	कर और वरीयता लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (प्रतिशत में)	सीपीएसई की संख्या	इक्विटी	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध लाभ	आरओई (प्रतिशत में)
			(₹ करोड़ में)				(₹ करोड़ में)	
2016-17	61	5,62,829	67,007	11.91	328	4,97,535	57,715	11.6
2017-18	64	6,30,954	71,371	11.31	347	4,51,130	52,450	11.63
2018-19	66	6,93,110	69,559	10.04	368	4,82,124	69,260	14.37

यह देखा जा सकता है कि पिछले दो वर्षों के दौरान एकाधिकार सीपीएसई के आरओई गैर-एकाधिकार सीपीएसई से काफी कम हैं।

सीपीएसई का क्षेत्र वार आरओई जहां क्षेत्र की कुल इक्विटी वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 10,000 करोड़ से अधिक है को तालिका 1.20 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.20: ₹10,000 करोड़ और अधिक की कुल इक्विटी वाले क्षेत्रों का आरओई
(प्रतिशत में)

क्र.सं.	क्षेत्र	2018-19 के दौरान आरओई	2017-18 के दौरान आरओई	2016-17 के दौरान आरओई
1	पेट्रोलियम	15.99	16.77	17.12
2	परिवहन सेवाएं	-1.62	-1.12	-1.33
3	विद्युत	13.22	12.95	11.91
4	वित्तीय सेवाएं	24.35	25.84	12.56
5	बीमा	-3.34	8.61	0.87
6	खनिज और धातु	17.95	15.33	10.4
7	कोयला और लिग्नाइट	72.46	43.02	72.38
8	भारी उद्योग	3.1	3.68	2.41
9	इस्पात	16.04	-11.73	-28.08
10	परिवहन उपकरण	24.87	17.14	21.41

1.4.4 सरकारी निवेशों पर वास्तविक रिटर्न की दर (आरओआरआर)

आरओआरआर लाभ प्रदता और दक्षता को मापता है जिस के साथ इक्विटी और इसी तरह की गैर-ब्याज असर वाली पूंजी को नियोजित किया गया है, उन्हें उन के समय के मूल्य के लिए समायोजित करने के बाद, और जब रिटर्न की पारंपरिक दर (आरओआर) की पारंपरिक दर के साथ तुलना कर के महत्व दिया जाता है, जिसे ऐतिहासिक लागत के आधार पर गिने जाने वाले ऐसे सभी निवेशों के योग से पीएटी विभाजित कर के गणना की जाती है।

इस प्रतिवेदन में शामिल 596 सीपीएसई में से, केंद्र सरकार का 198 सीपीएसई में प्रत्यक्ष निवेश है। इन 198 सीपीएसई में से, लेखा परीक्षा ने 139 सीपीएसई (53 सूचीबद्ध सीपीएसई और 86 असूचीबद्ध सीपीएसई) के संबंध में आरओआरआर की जांच की।

इन सीपीएसई में केन्द्र सरकार के निवेश के आरओआरआर की निम्नलिखित अवधारणाओं के आधार पर संगणना की गई थी:

- इक्विटी के रूप में सीपीएसई में केंद्र सरकार द्वारा वास्तविक आधान के अलावा, केंद्र सरकार द्वारा सीपीएसई को दिए गए परिचालन और प्रशासनिक व्ययों के लिए ब्याज मुक्त ऋण और अनुदानों/सब्सिडी पर केंद्र सरकार द्वारा निवेश आधान के रूप में माना गया है।

- उन मामलों में जहां सीपीएसई को दिए गए ब्याज मुक्त ऋण बाद में इक्विटी में बदल दिए गए थे, इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि ब्याज मुक्त ऋण की राशि से कम कर ली गई है और उस वर्ष की इक्विटी में जोड़ दी गई है।
- वर्ष के अंत में कुल निवेश की गणना करते समय विनिवेश में कटौती की गई है।
- संबंधित वित्तीय वर्ष²⁷ के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों पर भारित औसत ब्याज दर को वर्तमान मूल्य (पीवी) पर पहुंचने के लिए मिश्रित दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वे वर्ष के लिए निधियों के निवेश के प्रति सरकार द्वारा व्यय की गई लागत का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर रिटर्न की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में माना गया है।
- केन्द्र सरकार के निवेश के आरओआरआर की गणना के उद्देश्य हेतु 2000-01 से शुरू 2018-19 तक की अवधि को, 31 मार्च 2000 तक 139 सीपीएसई में केन्द्र सरकार के निवेश को 2000-01 की शुरुआत में केन्द्र सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य के रूप में मानते हुए लिया गया है।
- 198 सीपीएसई में से 139 सीपीएसई के संबंध में आरओआरआर की गणना की गई है क्योंकि 59 सीपीएसई से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए जा सके।

²⁷ सरकारी प्रतिभूतियों पर भारित औसत ब्याज की दर को भारतीय रिजर्व बैंक की सरकारी प्रतिभूति बाजार रिपोर्ट/सरकारी ऋण पर वित्त मंत्रालय के स्थिति पत्र से लिया गया है।

तालिका 1.21: 2000-01 से 2018-19 तक केन्द्र सरकार द्वारा निवेश तथा सरकारी निधियों के वास्तविक रिटर्न की दर का वर्षवार विवरण

(₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष की शुरुआत में केन्द्र सरकार के कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा संक्रमित इक्विटी	वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया शुद्ध ब्याज मुक्त ऋण	ब्याज मुक्त ऋण वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तित हो गया	परिचालन और प्रशासनिक व्यय के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दी गई अनुदान / सब्सिडी	अंकित मूल्य पर वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा विनिवेश	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	ब्याज की औसत दर	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए धन की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित वापसी	वर्ष के लिए कुल कमाई	आरओआरआर (प्रतिशत में)
A	B	C	D	E	F	G	H = C+D-E+F-G	I = B+H	J	₹ = I*(1+J/100)	L = I*J/100	M	N = M*100/₹
2000-01	5452474.35	1494556.27	63400.00	4053.41	7979.18	12971.39	1548910.7	7001385.00	10.95	7768036.66	766651.66	1906842.06	24.55
2001-02	7768036.66	279920.77	40220.00	0.00	5497.17	0.00	325637.94	8093674.60	9.44	8857717.48	764042.88	2598528.15	29.34
2002-03	8857717.48	184944.74	14232.00	0.00	12745.35	30702.00	181220.09	9038937.57	7.34	9702395.59	663458.02	3354486.33	34.57
2003-04	9702395.59	316503.19	17002.00	0.00	5794.73	114383.88	224916.04	9927311.63	5.71	10494161.12	566849.49	4859167.25	46.30
2004-05	10494161.12	242239.87	5257.41	0.00	60181.50	43291.50	264387.28	10758548.40	6.11	11415895.71	657347.31	6135340.72	53.74
2005-06	11415895.71	220769.33	14340.00	0.00	15357.00	0.00	250466.33	11666362.04	7.34	12522673.01	856310.97	6060419.26	48.40
2006-07	12522673.01	1045214.66	1260.00	0.00	11264.37	0.00	1057739	13580412.05	7.89	14651906.56	1071494.51	7987941.35	54.52
2007-08	14651906.56	762015.19	3003.00	103320.00	46586.96	29411.36	678873.79	15330780.35	8.12	16575639.71	1244859.36	7730127.59	46.64
2008-09	16575639.71	308889.79	4744.00	0.00	13504.66	-23530.01	350668.46	16926308.17	7.69	18227941.27	1301633.10	8256652.99	45.30
2009-10	18227941.27	492352.83	9544.00	0.00	282510.42	108942.17	675465.07	18903406.34	7.23	20270122.62	1366716.28	8163527.26	40.27
2010-11	20270122.62	386934.55	53401.00	0.00	63809.00	156826.44	347318.11	20617440.74	7.92	22250342.04	1632901.31	8353517.88	37.54
2011-12	22250342.04	466996.54	34588.00	8521.12	804.84	26759.64	467108.62	22717450.66	8.52	24652977.46	1935526.80	8643551.67	35.06
2012-13	24652977.46	621386.07	34309.00	0.00	16254.35	138186.71	533762.72	25186740.17	8.36	27292351.65	2105611.48	10761064.99	39.43
2013-14	27292351.65	470331.91	41445.00	0.00	45788.49	192122.55	365442.84	27657794.49	8.45	29994878.13	2337083.63	11801350.80	39.34

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

वित्तीय वर्ष	वर्ष की शुरुआत में केंद्र सरकार के कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान केंद्र सरकार द्वारा संक्रमित इक्विटी	वर्ष के दौरान केंद्र सरकार द्वारा दिया गया शुद्ध ब्याज मुक्त ऋण	ब्याज मुक्त ऋण वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तित हो गया	परिचालन और प्रशासनिक व्यय के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी गई अनुदान / सब्सिडी	अंकित मूल्य पर वर्ष के दौरान केंद्र सरकार द्वारा विनिवेश	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	ब्याज की औसत दर	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए धन की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित वापसी	वर्ष के लिए कुल कमाई	आरओआरआर (प्रतिशत में)
A	B	C	D	E	F	G	H = C+D-E+F-G	I = B+H	J	₹ = I*(1+J/100)	L = I*J/100	M	N = M*100/₹
2014-15	29994878.13	321965.45	37670.00	0.00	24575.27	84328.65	299882.07	30294760.19	8.51	32872844.29	2578084.09	10032805.38	30.52
2015-16	32872844.29	614725.59	47271.00	23101.14	67276.89	155951.04	550221.3	33423065.59	7.89	36060145.46	2637079.87	10984563.00	30.46
2016-17	36060145.46	1075694.06	84785.00	10177.52	77374.16	298168.10	929507.6	36989653.06	7.16	39638112.22	2648459.16	10948717.60	27.62
2017-18	39638112.22	1076949.62	117658.00	0.00	102538.18	245086.47	1052059.3	40690171.55	6.97	43526276.50	2836104.96	12031734.48	27.64
2018-19	43526276.50	1182211.25	112440.00	0.00	373538.86	503710.14	1164480	44690756.47	7.78	48167697.32	3476940.85	12106119.85	25.13
							11268067	403494959.08					

आरओआरआर ने 2006-07 तक एक बढ़ती प्रवृत्ति को दिखाया जब यह 54.52 प्रतिशत तक पहुंच गया, जिसके बाद यह गिरावट शुरू हुई और 2014-15 से 2018-19 के पांच वर्षों के दौरान 25.13 प्रतिशत और 30.52 प्रतिशत के बीच रही।

तालिका 1.22: वर्ष 2018-19 के लिए केंद्र सरकार के निवेश पर समेकित आरओआरआर

2018-19 में कुल आय / हानि (₹ लाख में)	2018-19 तक केंद्र सरकार द्वारा निवेश शुरू होने से (₹ लाख में)	2018-19 तक स्थापना के बाद से केंद्र सरकार द्वारा निवेश (ऐतिहासिक मूल्य (प्रतिशत में) के आधार पर केंद्र सरकार के निवेश पर बदले में)	2018-19 केअंत में केंद्र सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य (₹ लाख में)	निवेशों के वर्तमान मूल्य को देखते हुए केंद्र सरकार के निवेश पर आरओआरआर (प्रतिशत में)
A	B	C	D	E
उपरोक्त तालिका के स्तंभ M का मान	ऊपर स्तंभ का कुलयोग + 2000-01 की शुरुआत में सरकार निवेश	$A*100/B$	उपरोक्त तालिका के स्तंभ D का मान	$A*100/D$
1,21,06,120	1,67,20,541 (1,12,68,067+54,52,474)	72.40	4,81,67,697	25.13

पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए कंपनी-वार आरओआरआर को **परिशिष्ट- XI** में दिया गया है।

उसी के एक खंड से पता चलता है कि सूचीबद्ध कंपनियों ने आरओआरआर को 58 प्रतिशत से 59 प्रतिशत के बीच दिया है, जबकि पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान असूचीबद्ध सीपीएसई ने नकारात्मक रिटर्न दिया है, जो पूर्ववर्ती तीन वर्षों में दो प्रतिशत से पांच प्रतिशत के बीच था।

केंद्र सरकार के निवेश पर आरओआरआर की तुलना एकाधिकार और गैर-एकाधिकार कंपनियों की श्रेणी के तहत 139 सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध सीपीएसई के लिए निवेश के ऐतिहासिक मूल्य के आधार पर रिटर्न के साथ की गई थी। वर्ष 2018-19 का परिणाम तालिका 1.23 में दिया गया है:

तालिका 1.23: वर्ष 2018-19 के लिए एकाधिकार और गैर-एकाधिकार सीपीएसई के लिए केंद्र सरकार के निवेश पर आरओआरआर

	2018-19 में कुल आय / हानि (₹ लाख में)	2018-19 तक केंद्र सरकार द्वारा निवेश शुरू होने से (₹ लाख में)	ऐतिहासिक मूल्य के आधार पर केंद्र सरकार के निवेश पर रिटर्न (प्रतिशत में)	2018-19 के अंत में केंद्र सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य (₹ लाख में)	निवेश के वर्तमान मूल्य (प्रतिशत में) को देखते हुए केंद्र सरकार के निवेश पर आरओआरआर
सूचीबद्ध एकाधिकार सीपीएसई	65,82,332	12,04,093	546.66	26,88,346	244.85
सूचीबद्ध गैर-एकाधिकार सीपीएसई	67,54,633	50,10,184	134.82	2,00,76,689	33.64
समेकित सूचीबद्ध	1,33,36,965	62,14,277	214.62	2,27,65,035	58.59
असूचीबद्ध एकाधिकार सीपीएसई	30,003	39,40,278	0.76	67,88,674	0.44
असूचीबद्ध गैर-एकाधिकार सीपीएसई	-12,60,849	65,65,987	-19.20	1,86,13,988	-6.77
समेकित असूचीबद्ध	12,30,846	1,05,06,265	-11.72	2,54,02,662	-4.85

1.4.5 सूचीबद्ध सीपीएसई के निवेश पर रिटर्न (आरओआई)

स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध 53 सीपीएसई के निवेश पर रिटर्न (वार्षिक औसत दर)²⁸ की गणना 2000-2001 से की गई है ताकि इन सीपीएसई में केंद्र सरकार द्वारा किए गए निवेश से प्राप्त लाभ का निर्धारण किया जा सके। आरओआई एक निष्पादन माप है जिसका उपयोग किसी निवेश की दक्षता का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है।

इन सीपीएसई के आरओआई की निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर संगणना की गई थी:

²⁸ $\{(\text{वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को कंपनी के बाजार पूंजीकरण का सरकारी हिस्सा} + \text{वित्त वर्ष के 31 मार्च को सरकार की लाभांश प्राप्तियों का वर्तमान मूल्य} + \text{वित्त वर्ष के 31 मार्च के अनुसार सरकार के विनिवेश प्राप्तियों का वर्तमान मूल्य}) - (\text{स्थापना पर सरकार की प्रदत्त इक्विटी} + \text{स्थापना पर सरकार के द्वारा डाली गई इक्विटी का रियायती मूल्य} + \text{स्थापना पर परिचालन तथा प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए डाली गई आर्थिक सहायता/अनुदान का रियायती मूल्य}) / (\text{स्थापना पर सरकार की प्रदत्त इक्विटी} + \text{स्थापना पर सरकार के द्वारा डाली गई इक्विटी का रियायती मूल्य} + \text{स्थापना पर परिचालन तथा प्रशासनिक व्ययों की प्राप्ति के लिए डाली गई आर्थिक सहायता/अनुदान का रियायती मूल्य}) / \text{मध्यवर्ती वार्षिक अवधि की संख्या}\}$

- इक्विटी के रूप में सीपीएसई में केंद्र सरकार द्वारा वास्तविक आधान के अलावा, केंद्र सरकार द्वारा सीपीएसई को दिए गए परिचालन और प्रशासनिक व्ययों के लिए अनुदान/ आर्थिक सहायता, शुरुआत में उनके मूल्यों की पुनः गणना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा निवेश आधान अथवा बहिर्वाह के रूप में माना जाता है।
- वर्ष के अंत में सीपीएसई के बाजार पूंजीकरण और लाभांश प्राप्तियों और विनिवेश प्राप्तियों के वर्तमान मूल्य को स्थापना के बाद से अन्तर्वाह माना गया है।
- वित्त वर्ष 2000-01 को स्थापना वर्ष के रूप में माना गया है। सीपीएसई के लिए डेटा उपलब्धता 2000-01 को स्थापना वर्ष मानने का कारण है।

आरओआई के अलावा, इन सीपीएसई की कंपनी वार चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर²⁹(सीएजीआर) की गणना रिटर्न की दर निर्धारित करने के लिए भी की गई है जो किसी निवेश के इसके आदि शेष से अंत शेष तक की वृद्धि हेतु आवश्यक होगा।

सीपीएसई में केंद्र सरकार के ऐसे निवेश के आरओआई तथा सीएजीआर की समेकित स्थिति को तालिका 1.24 में दर्शाया गया है:

²⁹ चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर ज्यामितीय प्रगति अनुपात को इंगित करती है जो समय अवधि पर निरंतर रिटर्न दर प्रदान करता है।

तालिका 1.24: वर्ष 2000-01 से 2018-19 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा अर्न्वाह और केंद्र सरकार द्वारा बहिर्वाह और आरओआई तथा सीएजीआर का वर्षवार विवरण

निवेश पर समेकित रिटर्न (आरओआई)																	
(₹ लाख में)																	
वर्ष	केंद्र सरकार द्वारा आयोजित इक्विटी	केंद्र सरकार द्वारा जोड़ा गया इक्विटी	केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान सब्सिडी	केंद्र सरकार द्वारा लाभांश प्राप्तियां	केंद्र सरकार द्वारा विनिवेश प्राप्तियां	वर्षों की संख्या	ब्याज दर (आर)	1+r	इक्विटी का इंसेप्शन वैल्यू जोड़ा गया	अनुदान की स्थापना मूल्य	विनिवेश रसीदों का पी.वी.	लाभांश प्राप्ति यों का पी.वी.	निवेश की लागत	शेयर का बाजार मूल्य	निवेश का वर्तमान मूल्य	आरओआई (वार्षिक औसत दर)	आरओआई (सीएजीआर)
a	b	c	D	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
								(1+h)	c / i के आरंभ वर्ष से (g-1) के वर्ष मूल्य से गुणांक	d / l का आरंभ वर्ष से (g-1) के वर्ष मूल्य से गुणांक	f * वर्ष से अंतिम वर्ष तक l का उत्पाद	ई * वर्ष से अंतिम वर्ष तक l का उत्पाद	b+Σj+Σk		o+Σl+Σm	((r-n)/n)/g *100	((p/n)^1 /g-1)*100
2000-01	1143377	41010	0	279637	12792	1	0.1095	1.1095	41010	0	53830	1176702	1184387	4024177	5254709	343.66	343.66
2001-02	1131470	8615	0	372546	0	2	0.0944	1.0944	7765	0	0	1412942	1180244	5703717	8347191	303.62	165.94
2002-03	1140492	4981	0	685784	0	3	0.0734	1.0734	4102	0	0	2376598	1193368	6092799	11112872	277.07	110.39
2003-04	1140492	38649	384	724270	1239096	4	0.0571	1.0571	29653	295	4000479	2338340	1223316	15036927	26395819	514.43	115.53
2004-05	1921747	22550	59110	1183341	268407	5	0.0611	1.0611	16367	42902	819757	3614106	2063840	23656756	39449511	362.29	80.42
2005-06	1921747	13578	2000	1143356	0	6	0.0734	1.0734	9287	1368	0	3290912	2074496	37544749	56628416	438.29	73.52
2006-07	2024792	151848	9277	1369123	0	7	0.0789	1.0789	96763	5912	0	3671262	2280216	39234225	61989153	374.08	60.29
2007-08	2485474	26085	39652	1459375	181445	8	0.0812	1.0812	15406	23420	450959	3627094	2779724	80191057	107024039	468.77	57.83

वर्ष	केंद्र सरकार द्वारा आयोजित इक्विटी	केंद्र सरकार द्वारा जोड़ा गया इक्विटी	केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान सस्मिडी	केंद्र सरकार द्वारा लाभांश प्राप्तियां	केंद्र सरकार द्वारा विनिवेश प्राप्तियां	वर्षों की संख्या	ब्याज दर (आर)	1+r	इक्विटी का इंसेप्शन वैल्यू जोड़ा गया	अनुदान की स्थापना मूल्य	विनिवेश रसीदों का पी.वी.	लाभांश प्राप्ति यों का पी.वी.	निवेश की लागत	शेयर का बाजार मूल्य	निवेश का वर्तमान मूल्य	आरओआई (वार्षिक औसत दर)	आरओआई (सीएजी आर)
a	b	c	D	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
								(1+h)	c / i के आरंभ वर्ष से (g-1) के वर्ष मूल्य से गुणांक	d / l का आरंभ वर्ष से (g-1) के वर्ष मूल्य से गुणांक	f * वर्ष से अंतिम वर्ष तक l का उत्पाद	ई * वर्ष से अंतिम वर्ष तक l का उत्पाद	b+Σj+Σk		o+Σl+Σm	((r-n)/n)/g *100	((p/n)^1 /g-1)*100
2008-09	2485474	68391	13180	1382257	0	9	0.0769	1.0769	37360	7200	0	3177420	2824284	59007214	89017615	339.10	46.73
2009-10	3624723	125038	282000	1636823	2355291	10	0.0723	1.0723	63428	143050	5027534	3493913	4170011	102973421	141505269	329.34	42.25
2010-11	4578224	225217	18000	2139147	2214954	11	0.0792	1.0792	106543	8515	4409191	4258285	5238570	119637540	166836864	280.43	36.98
2011-12	4578224	8671	0	2604938	1389405	12	0.0852	1.0852	3801	0	2562837	4804958	5242371	90417318	144984438	222.14	31.87
2012-13	4690424	49199	13000	2855499	2404814	13	0.0836	1.0836	19873	5251	4087558	4853604	5379695	73100779	136609061	187.64	28.25
2013-14	4690424	73364	0	3842100	1424757	14	0.0845	1.0845	27348	0	2234880	6026735	5407043	68286227	140056125	177.88	26.17
2014-15	4694039	19200	16500	2966621	2432259	15	0.0851	1.0851	6600	5671	3517982	4290876	5422929	84160646	163739402	194.63	25.51
2015-16	4694039	12003	55202	3532471	1860590	16	0.0789	1.0789	3802	17486	2480075	4708610	5444218	67391637	154159077	170.73	23.24
2016-17	4694039	572439	60881	3918593	2955637	17	0.0716	1.0716	168070	17875	3651606	4841311	5630163	92449221	187709578	190.24	22.91
2017-18	5047977	456978	55437	3841947	8036851	18	0.0697	1.0697	125206	15189	9265868	4429468	6124496	98390425	207346118	182.53	21.61
2018-19	5066302	71324	368453	3515628	4202223	19	0.0778	1.0778	18269	94373	4529156	3789144	6255462	78329267	195603259	159.31	19.86

आरओआई (वार्षिक औसत दर) 2007-08 के बाद से लगातार गिरावट का संकेत देता है क्योंकि यह 2007-08 में 469 प्रतिशत था, जो 2018-19 में घटकर 159 प्रतिशत हो गया है।

सूचीबद्ध सीपीएसई और ओआई (वार्षिक औसत दर) और आरओआई (सीएजीआर) को एकाधिकार और गैर-एकाधिकार कंपनियों की श्रेणी के तहत किया गया था और पिछले तीन वर्षों के परिणाम तालिका 1.25 में दिए गए हैं:

तालिका 1.25: 2016-17 से 2018-19 के दौरान एकाधिकार और गैर-एकाधिकार सूचीबद्ध सीपीएसई के लिए आरओआई (औसत वार्षिक दर) और आरओआई (सीएजीआर)

(प्रतिशत में)

	आरओआई (औसत वार्षिक दर)			आरओआई (सीएजीआर)		
	2016-17	2017-18	2018-19	2016-17	2017-18	2018-19
सूचीबद्ध एकाधिकार सीपीएसई	667.53	552.04	510.68	32.16	29.18	27.29
सूचीबद्ध गैर-एकाधिकार सीपीएसई	130	133.64	112.79	20.29	19.60	17.79

पिछले तीन वर्षों के लिए सूचीबद्ध सीपीएसई वार आरओआई (औसत वार्षिक दर) और आरओआई (सीएजीआर) तालिका 1.26 में दिया गया है:

तालिका 1.26: 2016-17 से 2018-19 के दौरान सीपीएसई के आरओआई (औसत वार्षिक दर) और आरओआई (सीएजीआर)

क्र. सं.	सीपीएसई	आरओआई (औसत वार्षिक दर)			आरओआई (सीएजीआर)		
		2016-17	2017-18	2018-19	2016-17	2017-18	2018-19
1	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	990.89	701.43	652.00	35.24	30.90	28.93
2	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	586.94	579.04	498.75	31.17	29.52	27.14
3	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	253.58	180.34	190.04	35.77	29.69	28.37
4	गेल (इंडिया) लिमिटेड	446.38	419.44	410.50	29.10	27.25	25.86
5	आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड	एनए ³⁰	501.56	158.68	एनए	501.56	104.29

³⁰ एनए यह दर्शाता है कि सीपीएसई को उस वर्ष सूचीबद्ध नहीं किया गया था लेकिन बाद के वर्ष में सूचीबद्ध किया गया था.

6	आईएफसीआई लिमिटेड	52.94	27.64	15.05	29.54	17.70	10.83
7	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	613.01	398.23	372.13	31.51	26.89	25.22
8	एमओआईएल लिमिटेड	614.60	604.20	501.01	71.72	62.80	53.05
9	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	67.20	54.38	44.83	15.98	14.13	12.59
10	एनएचपीसी लिमिटेड	40.76	33.97	29.39	19.86	16.84	14.69
11	एनटीपीसी लिमिटेड	203.85	195.20	180.15	29.04	26.98	24.88
12	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	203.17	175.55	116.93	35.79	31.49	25.34
13	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड	312.95	238.91	126.81	41.55	35.06	26.13
14	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	22.63	30.85	17.55	9.73	11.01	8.02
15	एसजेवीएन लिमिटेड	53.27	49.74	37.63	24.85	22.22	17.85
16	ट्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	620.62	543.22	502.11	31.60	29.07	27.18
17	एनएमडीसी लिमिटेड	2237.60	2057.45	1910.58	41.86	38.92	36.39
18	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	1953.22	1771.29	1296.87	40.73	37.77	33.65
19	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	एनए	3626.74	1422.10	एनए	3626.74	442.60
20	बीईएमएल लिमिटेड	938.91	716.00	666.08	34.82	31.04	29.07
21	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड	374.28	378.21	372.60	30.96	29.36	27.76
22	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1464.55	1615.81	1611.94	38.37	37.07	35.18
23	एचएमटी लिमिटेड	20.14	14.07	12.45	9.14	7.26	6.59
24	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	989.40	750.58	688.08	35.23	31.39	29.29
25	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	816.66	1720.96	1630.39	33.72	37.55	35.26
26	तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	708.74	629.78	583.37	32.62	30.12	28.18
27	केआईओसीएल लिमिटेड	एनए	2103.72	675.39	एनए	2103.72	280.89
28	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	एनए	NA	1334.10	एनए	0.00	1334.10
29	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	एनए	14290.58	4396.22	एनए	14290.58	843.00
30	जनरल इश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	एनए	15527.18	3144.79	एनए	15527.18	699.35

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

31	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	एनए	11254.92	3974.59	एनए	11254.92	797.17
32	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	41.36	36.20	30.67	13.04	11.86	10.64
33	कोल इंडिया लिमिटेड	691.65	614.62	519.70	74.57	63.14	53.67
34	ऑयल इंडिया लिमिटेड	949.29	743.46	598.87	72.10	59.79	50.82
35	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड	71.53	71.92	60.55	16.37	15.77	14.22
36	एंड्रयूयूल एंड कंपनी लिमिटेड	27.67	27.45	15.80	10.79	10.41	7.57
37	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	113.71	105.33	87.26	19.38	18.09	16.29
38	एमएसटीसी लिमिटेड	एनए	एनए	1121.93	एनए	एनए	1121.93
39	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	185.81	174.36	161.43	22.74	21.31	19.95
40	भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड	171.90	155.68	133.15	22.20	20.58	18.78
41	राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड	65.31	58.26	49.28	15.80	14.53	13.10
42	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक्स केमिकल्स लिमिटेड	-3.18	-3.16	-3.00	-4.48	-4.55	-4.35
43	भारत इम्म्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8.01	5.88	-1.03	5.18	4.09	-1.14
44	आईटीआई लिमिटेड	1.54	8.59	7.69	1.38	5.33	4.85
45	एनएलसी (इंडिया) लिमिटेड	119.83	112.46	111.23	19.74	18.50	17.70
46	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	एनए	5023.09	2109.69	एनए	5023.09	557.22
47	उर्वरक और रसायन त्रावणकोर लिमिटेड	25.23	37.69	19.47	10.29	12.08	8.49
48	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	30.83	54.88	21.10	24.40	33.70	15.50
49	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	1842.59	1707.63	994.55	147.64	116.67	83.71
50	एसटीसी लिमिटेड	179.08	150.72	142.94	24.83	22.32	20.93
51	एमएमटीसी लिमिटेड	970.44	842.41	652.65	39.44	35.93	31.99
52	भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	788.82	722.12	388.17	109.59	88.12	61.11
53	आईआरसीओएन इंटरनेशनल लिमिटेड	एनए	एनए	4234.74	एनए	एनए	4234.74
	समेकित	190.24	182.53	159.31	22.91	21.61	19.86

आरओआई (औसत वार्षिक दर) और 50 सूचीबद्ध सीपीएसई³¹ की आरओआई (सीएजीआर) की समीक्षा से यह देखा गया है कि 47 सीपीएसई³² के आरओआई (औसत वार्षिक दर) और 48 सीपीएसई³³ के आरओआई (सीएजीआर) 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान कम हो गए हैं। जबकि 2016-17 के दौरान 43 सूचीबद्ध सीपीएसई का समेकित आरओआई (औसत वार्षिक दर) 190.24 प्रतिशत था, यह 2018-19 में घटकर 53 सीपीएसई का 159.31 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार, 43 सूचीबद्ध सीपीएसई का आरओआई (सीएजीआर) 2016-17 में 22.91 प्रतिशत से घटकर 53 सूचीबद्ध सीपीएसई का 19.86 प्रतिशत हो गया। यह भी देखा गया कि 2017-18 के दौरान सूचीबद्ध सात सीपीएसई³⁴ के संदर्भ में, आरओआई (औसत वार्षिक दर) और आरओआई (सीएजीआर) में 2017-18 की तुलना में 2018-19 में तेजी से गिरावट आई है, मुख्य रूप से शेयरों के बाजार मूल्य में कमी साथ ही साथ केंद्र सरकार द्वारा विनिवेश से प्राप्त आय के कारण।

1.4.6 निजी कंपनियों के साथ सूचीबद्ध सीपीएसई का निष्पादन

पांच अनुपातों (आरओआई, आरओसीई, प्रति शेयर आय, मूल्य आय अनुपात और आईसीआर) के मानकों पर 35³⁵ सूचीबद्ध सीपीएसई का निष्पादन 2014-15 से 2018-19 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान समान प्रकृति के व्यवसाय वाली निजी कंपनियों के साथ तुलना की गई थी। तुलना में निम्नलिखित परिणाम सामने आए:

आरओआई: पिछले पांच वर्षों के दौरान तीन या अधिक वर्षों के लिए व्यवसाय की समान प्रकृति वाली निजी कंपनियों की तुलना में 35 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 18 में आरओआई निचले स्तर पर था (*परिशिष्ट-XII*)।

³¹ मिश्र धातू निगम लिमिटेड, एमएसटीसी लिमिटेड और आईआरसीओएन इंटरनेशनल लिमिटेड को 2018-19 के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया था और इसलिए इस सूची में शामिल नहीं किया गया है।

³² सिवाय आईटीआई लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

³³ सिवाय आईटीआई लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

³⁴ सात सीपीएसई अर्थात् आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, के आईओसीएल लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जनरल इश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

³⁵ पिछले पांच वर्षों के दौरान केवल 47 सीपीएसई के शेयरों का व्यापार किया गया। 11 सीपीएसई के मामले में व्यवसाय की समान प्रकृति वाली कोई सूचीबद्ध निजी कंपनियां नहीं मिलीं, इसलिए तुलना के लिए 36 सीपीएसई पर विचार किया गया।

आरओसीई: पिछले पांच वर्षों के दौरान तीन या अधिक वर्षों के लिए व्यवसाय की समान प्रकृति वाली निजी कंपनियों की तुलना में 35 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 17 में आरओसीई निचले स्तर पर था (परिशिष्ट-XIII)।

प्रति शेयर आय (ईपीएस): पिछले पांच वर्षों के दौरान तीन या अधिक वर्षों के लिए व्यवसाय की समान प्रकृति वाली निजी कंपनियों की तुलना में 35 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 26 के संदर्भ में ईपीएस निचले स्तर पर था (परिशिष्ट-XIV)।

मूल्य आय अनुपात (पी/ई) अनुपात³⁶: पिछले पांच वर्षों के दौरान तीन या अधिक वर्षों के लिए व्यवसाय की समान प्रकृति वाली निजी कंपनियों की तुलना में 35 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 29 के संदर्भ में पी/ई अनुपात निचले स्तर पर था (परिशिष्ट-XV)।

आईसीआर: पिछले पांच वर्षों के दौरान तीन या अधिक वर्षों के लिए व्यवसाय की समान प्रकृति वाली निजी कंपनियों की तुलना में 35 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 17 के संदर्भ में आईसीआर निचले स्तर पर था (परिशिष्ट-XVI)।

आठ सीपीएसई के संबंध में, सभी पांच वर्षों के दौरान एक ही क्षेत्र में निजी कंपनियों की तुलना में उपरोक्त सभी मानक कम थे।

1.4.7 बिक्री और विपणन

2018-19 के दौरान, 434 सीपीएसई की कुल बिक्री 2017-18 के दौरान 411 सीपीएसई में ₹21,56,328 करोड़ की तुलना में ₹25,23,673 करोड़ थी। 434 सीपीएसई में से 128 सीपीएसई ने अपनी ₹12,28,922 करोड़ की बिक्री में से सरकारी क्षेत्र को ₹2,63,262 करोड़ की कीमत की वस्तुएं/सेवाएं बेचीं। सरकारी क्षेत्र को इन 128 सीपीएसई की बिक्री का कुल प्रतिशत उनकी कुल बिक्री के संदर्भ में 21.42 प्रतिशत था।

58 सीपीएसई ने ₹1,12,579 करोड़ (उनकी कुल बिक्री की राशि ₹15,83,485 करोड़ का 7.11 प्रतिशत) की कीमत की वस्तुएं/सेवाएं निर्यात की जबकि 29 सीपीएसई ने ₹70,413 करोड़ की कीमत की वस्तुएं/ सेवाएं आयात की जिसके परिणामस्वरूप सीपीएसई द्वारा निवल निर्यात ₹42,166 करोड़ का था।

कुल बिक्री, सरकारी क्षेत्र को बिक्री और एकाधिकार और गैर-एकाधिकार सीपीएसई के संबंध में निर्यात का विवरण तालिका 1.27 में दिया गया है।

³⁶ कीमत आय अनुपात (पी/ई अनुपात) वह अनुपात है जो कंपनी के मूल्य निर्धारण के लिए है जो इसकी प्रति शेयर आय के सापेक्ष वर्तमान शेयर मूल्य को मापता है। पी/ई अनुपात की गणना प्रति शेयर बाजार मूल्य/प्रति शेयर आयके रूप में की जाती है।

तालिका 1.27: एकाधिकार बनाम गैर-एकाधिकार सीपीएसई का बिक्री विवरण

टाइप / वर्ष	सीपीएसई की सं	कुल बिक्री	सरकारी क्षेत्र को बिक्री	निर्यात बिक्री
एकाधिकार सीपीएसई				
2016-17	61	12,15,516.4	42,842.51	36,279.5
2017-18	64	13,74,328.35	57,798.62	44,130.73
2018-19	66	16,59,394.41	64,097	74,195.2
गैर-एकाधिकार सीपीएसई				
2016-17	328	737683.95	180235.26	36473.2
2017-18	347	781999.68	176870.53	31193.81
2018-19	368	864278.14	199165.17	38383.36
ज़ोड़				
2016-17	389	1953200.35	223077.77	72752.70
2017-18	411	2156328.03	234669.15	75324.54
2018-19	434	2523671.55	263262.17	112578.56

434 सीपीएसई द्वारा, ₹25,23,673 करोड़ की कुल बिक्री के प्रति 58 सीपीएसई द्वारा निर्यात बिक्री 4.46 प्रतिशत थी (₹1,12,579 करोड़)। जिन सीपीएसई की निर्यात बिक्री ₹5,000 करोड़ से अधिक थी उन्हें तालिका 1.28 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.28: 2018-19 के दौरान ₹ 5,000 करोड़ से अधिक की निर्यात बिक्री के साथ सीपीएसई

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	निर्यातबिक्री
1	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	28,009
2	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	24,222
3	गेल (इंडिया) लिमिटेड	8,280
4	ओएनजीसी पेट्रो एजिन्स परिवर्धन लिमिटेड	7,671
5	ओएनजीसी-मंगलौर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	7,070
6	तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	6,862
7	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	5,227
कुल		87,341

इन सात सीपीएसई की निर्यात बिक्री सभी सीपीएसई के कुल निर्यात का 77.58 प्रतिशत है।

1.4.8 अनुसंधान एवं विकास

प्रौद्योगिकी, उत्पाद या आविष्कार का पेटेंट किसी कंपनी के अधिकार को दूसरों को इसे बनाने, उपयोग करने या बेचने से वर्जित करने में सक्षम बनाता है। यह विकास लागत को पुन प्राप्त करने और पेटेंट प्रौद्योगिकी के विकास में निवेश का रिटर्न प्राप्त करने में भी मदद करता है। पेटेंट का पंजीकरण जोखिम को सीमित करने में मदद करता है कि एक ही विचार पर विकसित तकनीक, उत्पाद या आविष्कार किसी अन्य कंपनी द्वारा प्राप्त किया जाएगा।

तालिका 1.29 पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत पेटेंट की तुलना में सीपीएसई वार आरएंडडी के व्यय को दर्शाती है:

तालिका 1.29: आरएंडडी के व्यय औरपंजीकृत पेटेंट

2016-17		2017-18		2018-19	
आरएण्डडी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत पेटेंट	आरएण्डडी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत पेटेंट	आरएण्डडी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत पेटेंट
4621.79	356	5320	339	5435	371

2018-19 के दौरान पंजीकृत 371 पेटेंट में से 31 पेटेंट का छह सीपीएसई द्वारा वाणिज्यीकरण कर दिया गया है और वर्ष 2018-19 के दौरान ₹796.65 करोड़ का राजस्व अर्जित किया जिसे नीचे दी गई तालिका 1.30 में वर्णित किया गया है।

तालिका 1.30: वाणिज्यीकृत पेटेंट की संख्या और अर्जित राजस्व

सीपीएसई का नाम	आरएण्डडी पर कुल व्यय (₹ करोड़ में)	पेटेंट पंजीकृत	वाणिज्यीकृत पेटेंट	पेटेंट के वाणिज्यीकृत पर अर्जित राजस्व (₹ करोड़ में)
एनएलसी इंडिया लिमिटेड	16.79	4	1	0.49
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	100.72	12	2	50.98
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	437.34	110	7	शून्य
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	267.59	174	19	707.63
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम लिमिटेड	0.79	1	1	37.26
नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	31	1	1	0.29
कुल	854.23	302	31	796.65

इसके अलावा, 2018-19 के दौरान ₹500 करोड़ से अधिक आरएंडडी व्यय वाली सीपीएसई को तालिका 1.31 में दर्शाया गया है।


तालिका 1.31: ₹500 करोड़ से अधिक आरएंडडी व्यय वाली सीपीएसई

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	कुल आरएंडडी व्यय (₹ करोड़ में)	निवल लाभ (₹ करोड़ में)	निवल लाभ में आरएंडडी व्यय की प्रतिशतता
1	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	1,464	2,282	64.15
2	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	1,077	1,927	55.89
3	तेल और प्राकृतिक गैस निगम	583	26,716	2.18

1.4.9 विनिवेश

सीपीएसई में विनिवेश का वर्ष वार लक्ष्य और 31 मार्च 2019 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा इनके प्रति वसूली गई राशि को नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है।

चार्ट VIII: विनिवेश लक्ष्य और वास्तविक उद्ग्रहण (₹ करोड़ में)



स्रोत: निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग

वर्ष 2018-19 के दौरान सीपीएसई में विनिवेश पर ₹80,000 करोड़ के बजट प्राप्ति के प्रति केंद्र सरकार की वसूली गई राशि ₹84,972.16 करोड़ है। वसूली गई राशि में शामिल हैं।

- (i) एक्सचेंज कारोबार कोष (ईटीएफ) से ₹45,080 करोड़ जिसमें सीपीएसई-ईटीएफ तथा भारत-22 ईटीएफ³⁷ शामिल है।
- (ii) आईपीओ द्वारा सृजित आय से ₹1,914 करोड़,
- (iii) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (एसयूयूटीआई)³⁸ निवेश के विशेष उपक्रम की रणनीतिक धारित के विनिवेश से ₹ 5,379 करोड़ और भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक(सीईपीआई)³⁹ की अभिरक्षा के तहत शेयरों की बिक्री के माध्यम से ₹779 करोड़।
- (iv) ₹15,913.80 करोड़ की राशि रणनीतिक विनिवेश के माध्यम से वसूली गई, तथा
- (v) ₹15,904.63 करोड़ की वसूली शेयरों की बायबैक बिक्री तथा बिक्री के लिए प्रस्ताव (ओएफएस)⁴⁰ के माध्यम से 11 सीपीएसई में धारिता के विनिवेश से की गई थी।

मई 2016 में वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा जारी सीपीएसई के पूंजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देशों में परिकल्पना की गई थी कि कम से कम ₹ 2,000 करोड़ की कुल संपत्ति और ₹1,000 करोड़ से अधिक का नकद और बैंक शेष वाली प्रत्येक सीपीएसई के अपने शेयरों के बायबैक के विकल्प देना चाहिए। हालाँकि, मझगांव डॉक लिमिटेड और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इन दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया था।

दिशानिर्देशों में आगे यह परिकल्पना की गई थी कि प्रत्येक सीपीएसई को बोनस शेयर जारी करना चाहिए, यदि इसका निर्धारित भंडार और अधिशेष इसकी प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 10 गुना के बराबर या उससे अधिक था। हालाँकि, इन दिशानिर्देशों (30 सितंबर 2019) का पालन न करने वाली सीपीएसई को तालिका 1.32 में दर्शाया गया है।

³⁷ ईटीएफएक स्टॉक का समूह है जो एक सूचकांक जैसे निफ्टी 501 की संरचना को दर्शाता है, सरकार दो ईटीएफ-(i) सीपीएसई-ईटीएफ जिसमें 11 सीपीएसई स्टॉक है तथा (ii) भारत-22 ईटीएफ जिसमें 16 सीपीएसई स्टॉक है को प्रचालित करती है।

³⁸ एसयूयूटीआई का गठन यूटीआई ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में पूर्ववर्ती यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (यूटीआई) के पुनर्गठन द्वारा किया गया था। यह यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 के पारित होने पर 1 फरवरी 2003 से लागू हुआ। एसयूयूटीआई को निरस्त अधिनियम की अनुसूची 1 में उल्लिखित योजनाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2018-19 के दौरान, एक्सिस बैंक के शेयरों में ₹5,379 करोड़ की ऑफ लोडिंग राशि थी।

³⁹ पहली बार, सीईपीआई के तहत शेयरों को दैनिक आधार पर एक सुनियोजित ड्रिबलिंग तंत्र के माध्यम से बेचा गया था।

⁴⁰ ओएफएस:ऑफरफॉरसेल (ओएफएस) एक सेगमेंट है जिसमें प्रमोटर/प्रमोटर ग्रुप एंटीटी/नॉन प्रमोटर एक्सचेंज के बिडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारदर्शी तरीके से शेयर बेच सकते हैं।

तालिका 1.32: जिन सीपीएसई ने बोनस शेयर जारी करने पर इन दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं किया

क्र. सं.	सीपीएसईकानाम	प्रदत्त पूंजी	परिभाषित आरक्षण	टिप्पणियाँ
		31 मार्च 2019 का (₹ करोड़ में)		
1	बीईएमएल लिमिटेड	41.77	2095.19	रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया के तहत
2	मझगांव डॉक लिमिटेड	224.10	2581.74	मांगी गई छूट के लिए अनुमोदन
3	इस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	1.44	243.00	मांगी गई छूट के लिए अनुमोदन
4	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1966.88	34072.34	रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया के तहत
5	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	465.8	6363.36	--
6	एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	6.80	1471.60	--
7	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	13.49	179.57	--

सीएजी की निरीक्षण भूमिका

2.1 सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) एवं (7) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) सरकारी कम्पनी एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पास अनुपूरक लेखापरीक्षा करने तथा सांविधिक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपूरक जारी करने या उस पर टिप्पणी जारी करने का अधिकार है। कुछ निगमों को शासित करने वाली संविधियों से अपेक्षा है कि उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाए तथा प्रतिवेदन संसद को प्रस्तुत किया जाए।

2.2. सीएजी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के अन्तर्गत एक सरकारी कम्पनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षक वित्तीय वर्ष होने से 180 दिनों की अवधि के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त किये जाने हैं।

वर्ष 2018-19 के लिए कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति जुलाई 2018 के दौरान की गई थी।

वर्ष 2018-19 के लिए उपर्युक्त कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सीएजी द्वारा जुलाई 2018 के दौरान की गई थी।

2.3 सीपीएसई द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

2.3.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार, सरकारी कम्पनी के कार्यचालन और मामलों पर वार्षिक रिपोर्ट इसकी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के तीन महीने के अन्दर तैयार की जानी है। ऐसी तैयारी के बाद यथा शीघ्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति और सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर की गई कोई टिप्पणी अथवा अनुपूरक के साथ संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान विद्यमान हैं। यह तंत्र भारत की

समेकित निधि से कम्पनियों में निवेश की गई सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर आवश्यक संसदीय नियंत्रण उपलब्ध कराता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 प्रत्येक कम्पनी से प्रत्येक कलेंडर वर्ष में एक बार शेयर धारकों की एजीएम आयोजित करने की अपेक्षा करती है। यह भी कहा गया है कि एक एजीएम और अगले एजीएम की तारीख के बीच 15 महीने से अधिक का समय नहीं बीतना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में अनुबद्ध है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण उक्त एजीएम में उनके विचार के लिए प्रस्तुत किया जाना है।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 129 (7) में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के अननुपालन के लिए जिम्मेदार कम्पनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर दंड और कारागार जैसी शास्ति लगाने का भी प्रावधान है।

इसके बावजूद, 30 सितम्बर 2019 तक विभिन्न सीपीएसई के वार्षिक लेखे लम्बित थे जिसके ब्यौरे आगामी पैराग्राफ में दिये गये हैं।

2.3.2 सरकारी कम्पनियों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में सामयिकता

31 मार्च 2019 को सीएजी के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में 480 सरकारी कम्पनियां तथा 182 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां थी। वर्ष 2018-19 के लिए इनमें से 461 सरकारी कंपनियों और 182 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों से लेखे देय थे। 19 सरकारी कंपनियों, जो कि नई थी, के लेखे देय नहीं थे। 30 सितम्बर 2019 को या इससे पहले कुल 397 सरकारी कम्पनियों तथा 151 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों ने सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किए। 64 सरकारी कम्पनियों तथा 31 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे। सरकारी कम्पनियों के बकाया लेखाओं को प्रस्तुत करने के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

662 कम्पनियों में से 95 कम्पनियों के लेखे बकाया थे।

विवरण	सरकारी कम्पनियां/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां						
	सरकारी कम्पनियां		सरकारद्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां		कुल		
	सूचीबद्ध	असूचीबद्ध	सूचीबद्ध	असूचीबद्ध	सूचीबद्ध	असूचीबद्ध	
31.03.2019 तक सीएजी के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र के तहत कुल कंपनियों की संख्या	480		182		662		
सूचीबद्ध/असूचीबद्ध	66	414	6	176	72	590	
कमी: नई कंपनियां जिनके लेखे 2018-19 के लिए देय नहीं थे।	0	19	0	0	0	19	
कंपनियों की संख्या जिनके लेखे 2018-19 के लिए देय थे।	66	395	6	176	72	571	
30 सितम्बर 2019 तक सीएजी की लेखापरीक्षा हेतु लेखा प्रस्तुत करने वाली कंपनियों की संख्या	66	331	6	145	72	476	
बकाया लेखाओं की संख्या	0	64	0	31	0	95	
बकाया के ब्यौरें	(i) परिसमापनाधीन	0	20	0	8	0	28
	(ii) समाप्त	0	2	0	5	0	7
	(iii) अन्य	0	42	0	18	0	60
'अन्य' श्रेणी के प्रति बकाया का अवधि वार विश्लेषण	एक वर्ष (2018-19)	0	21	0	8	0	29
	दो वर्ष (2017-18 और 2018-19)	0	8	0	3	0	11
	तीन वर्ष और अधिक	0	13	0	7	0	20

परिशिष्ट-II ए और परिशिष्ट-II बी में इन कम्पनियों के नाम दर्शाए गए हैं।

2.3.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में सामयिकता

छ: सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है। पाँच सांविधिक निगमों, जहां सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है, में से वर्ष 2018-19 के लिए भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, दामोदर घाटी निगम और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लेखे 30 सितम्बर 2019 से पूर्व प्रस्तुत किए थे। वर्ष 2018-19 के लिए भारतीय खाद्य निगम तथा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के लेखें 30 सितम्बर 2019 को प्रतीक्षित थे। सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के मामले में, सीएजी अनुपूरक लेखापरीक्षा करता है तथा लेखे समय पर प्राप्त हुए थे।

2.4 सीएजी का निरीक्षण - लेखाओं की लेखापरीक्षा और अनुपूरक लेखापरीक्षा

2.4.1 वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा

कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रपत्र में और लेखाकरण मानकों की राष्ट्रीय परामर्श समिति के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखाकरण मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। सांविधिक निगमों से सीएजी के परामर्श से बनाए गए नियमों तथा ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित किसी अन्य विशेष प्रावधान के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में अपने लेखे तैयार करने की अपेक्षा की जाती है।

2.4.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों के द्वारा सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं और कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अनुसार उन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

सीएजी इस उद्देश्य के साथ, कि सांविधिक लेखापरीक्षक उनको आबंटित कार्यों का उचित प्रकार तथा प्रभावी रूप से निर्वहन करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की निगरानी द्वारा निरीक्षक की भूमिका निभाते हैं। इस कार्य का निर्वहन निम्न शक्तियों का उपयोग करते हुए किया जाता है:

- कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना।
- कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को अनुपूरक करना या टिप्पणी करना।

2.4.3 सरकारी कंपनियों के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम 2013 अथवा अन्य सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार वित्तीय विवरणों के तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी एक इकाई के प्रबंधन की है।


कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के मानक लेखापरीक्षण पद्धतियों तथा सीएजी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों से कम्पनी अधिनियम, 2013

की धारा 143 के अन्तर्गत सीएजी को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ चयनित सरकारी कम्पनियों के प्रमाणित लेखे की समीक्षा अनुपूरक लेखापरीक्षा के माध्यम से सीएजी द्वारा की जाती है। ऐसी समीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां, यदि कोई हैं, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अन्तर्गत एजीएम के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं।

2.4.3.1 चयनित सरकारी कंपनियों में तीन चरणीय लेखापरीक्षा दृष्टिकोण को अपनाना

चूँकि, लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी वित्तीय प्रतिवेदन की गुणवत्ता अर्थात् पठनीयता, विश्वसनीयता और विभिन्न शेयर धारकों के लिए उपयोगिता में वृद्धि में प्रबंधन की सहायता करना है, इसलिए सीएजी ने “तीन चरणीय लेखापरीक्षा की प्रणाली” शुरू की। तीन चरणीय लेखापरीक्षा प्रणाली को निम्नलिखित उद्देश्यों से प्रबंधन और संबंधित सांविधिक लेखापरीक्षक के साथ नए लेखापरीक्षा अभिगम के उद्देश्यों और कार्य प्रणाली पर चर्चा के बाद मतैक्य आधार पर 2008-09 के वित्तीय विवरणों के लिए ‘सूचीबद्ध’, ‘नवरत्न’, ‘मिनीरत्न’ और ‘सांविधिक निगमों’ की श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले चयनित सीपीएसई में लागू किया गया था:



- सीपीएसई द्वारा प्रस्तुत वित्तीय विवरणों से संबंधित असंगतियों और संदेहों को दूर करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों, प्रबंधन और सीएजी की लेखापरीक्षा के मध्य प्रभावी संप्रेषण और समन्वित अभिगम स्थापित करना।
- सीपीएसई के प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन के पूर्व त्रुटियों, चूक, अननुपालन आदि की पहचान करना और उल्लेख करना और सीपीएसई के सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा प्रबन्धन को समय से उपचारी कार्रवाई करने के लिए ऐसे मुद्दों की जांच करने के लिए अवसर प्रदान करना।
- सीपीएसई के प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन के बाद सीएजी की लेखापरीक्षा के समय को कम करना।

तीन चरण लेखापरीक्षा के चरण-I और चरण-II कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के विस्तारित प्रावधान है। प्रथम दो चरणों के अन्तर्गत लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां प्रारंभिक अभ्युक्तियों के रूप में मानी जाती हैं और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अन्तर्गत उप-निर्देशों के भाग के रूप में सांविधिक लेखापरीक्षकों को सूचित की जाती हैं। लेखापरीक्षा का अंतिम (चरण III) प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन और सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा के बाद किया जाता है।

2.5 सीएजी की निरीक्षण भूमिका के परिणाम

2.5.1 कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

वर्ष 2018-19 के लिए 397 सरकारी कम्पनियों (66 सूचीबद्ध कम्पनियों सहित), 151 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों (6 सूचीबद्ध कम्पनियों सहित) तथा 04 सांविधिक निगमों के वित्तीय विवरण 30 सितम्बर 2019 तक प्राप्त हुए थे। इनमें से 300 सरकारी कम्पनियों और 142 सरकार द्वारा नियंत्रित कम्पनियों तथा 4 सांविधिक निगमों के लेखाओं की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई थी।

सीएजीने वर्ष 2018-19 के लिए 442 कम्पनियों और 4 सांविधिक निगमों के लेखाओं की समीक्षा की।


कुछ मिलाकर सीएजी ने 30 सितम्बर 2019 तक प्राप्त लेखाओं में से 76 प्रतिशत सरकारी कम्पनियों और 94 प्रतिशत सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के लेखाओं की समीक्षा की। समीक्षा के परिणाम के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

2.5.1.1 तीन चरणीय लेखापरीक्षा का परिणाम

86 सीपीएसई (परिशिष्ट XVII) में की गई तीन चरण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, सीपीएसई ने अपने वित्तीय विवरणों में अनेक मात्रात्मक के साथ-साथ गुणात्मक परिवर्तन किए थे, जिसके कारण इनके वित्तीय विवरणों की गुणवत्ता में सुधार हुआ।

वर्ष 2018-19 के लिए इन सीपीएसई के वित्तीय विवरणों की तीन चरण लेखापरीक्षा द्वारा किया गया मूल्यवर्द्धन नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है:

तीन चरण लेखापरीक्षा का निवल प्रभाव



सीपीएसई जहां मुख्य मूल्य वर्धन किया गया:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1.	भारत संचार निगम लिमिटेड
2.	सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड
3.	ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड
4.	जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
5.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
6.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
7.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
8.	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
9.	एनएचपीसी लिमिटेड
10.	नॉर्डर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड
11.	एनटीपीसी लिमिटेड
12.	आयल और नेचुरल गैस निगम लिमिटेड
13.	ऑयल इंडिया लिमिटेड
14.	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड
15.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

2.5.1.2 वित्तीय विवरणों का संशोधन

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की सीएजी द्वारा की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, एपीआईटीसीओ लिमिटेड, एक सरकारी कंपनी ने वार्षिक सामान्य बैठक में उक्त रखने से पहले वित्तीय विवरण को संशोधित किया था।

2.5.1.3 लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का परिशोधन

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की सीएजी द्वारा की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, 34 सरकारी कंपनियां और 12 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों जैसा कि परिशिष्ट XVIII में वर्णित है, के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वार्षिक सामान्य बैठक में इन कंपनियों के वित्तीय विवरण को रखने से पहले अपनी रिपोर्ट संशोधित की थी।

2.5.1.4 सरकारी कंपनियों/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुपूरक के रूप में जारी सीएजी की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2018-19 के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के पश्चात, सीएजी ने चयनित सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की। सीपीएसई की सूची, जिनके संबंध में टिप्पणियाँ जारी की गईं, परिशिष्ट XIX में दी गई हैं। सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय विवरणों पर जारी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ, जिनका लाभ प्रदत्ता पर वित्तीय प्रभाव ₹ 2633.93 करोड़ और परिसंपत्तियों/देयताओं पर ₹7068.01 करोड़ था, को नीचे तालिका बद्ध किया गया है:

सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां

लाभ प्रदत्ता पर टिप्पणी

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	बीईएमएल लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को टाट्टा ट्रकों की आपूर्ति में देरी के लिए निर्णीत हर्जानों का प्रावधान न होने के परिणामस्वरूप ₹18.79 करोड़ से व्यापार प्राप्तियों और लाभ को अधिक बताया गया।
2.	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण)	<ul style="list-style-type: none"> भारत सेवा निर्यात योजना के तहत भारत सरकार से ₹ 339.22 करोड़ की प्राप्त अनुदान राशि को अन्य आय के रूप में उसे दर्शाने के बजाय अन्य परिचालन आय के तहत दिखाया गया था जो लेखांकन मानक 20 के अनुपालन में नहीं था।
3.	आईएफसीआई लिमिटेड (स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण)	<ul style="list-style-type: none"> नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के निर्णय और संकल्प योजना के अनुसार कंपनी द्वारा संपर्क किया गया था, जिससे मैसर्स रेनबो पेपर्स लिमिटेड और मैसर्स आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रति ₹592.34 करोड़ के कंपनी के दावे को ₹190.79 करोड़ तक

		<p>सीमित किया गया था। जबकि कंपनी द्वारा ₹401.55 करोड़ के बकाया शेष को बढ़े खाते में डाल दिया था, ₹43.28 करोड़ के उपचित ब्याज को अंतिम निपटान के बजाय मूल राशि के रूप में ₹190.79 करोड़ की निपटान राशि को ध्यान में रखकर लेखांकित की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹43.28 करोड़ ब्याज आय और बकाया ऋण को अधिक बताया गया था।</p> <ul style="list-style-type: none"> • इन कंपनियों के साथ किए गए एक मुश्त निपटानों के अनुसार मैसर्स एसईडब्ल्यू ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और मैसर्स एसईडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से वसूली योग्य ₹89.60 करोड़ की बकाया राशि के गैर-समायोजन के परिणामस्वरूप ₹23.18 करोड़ तक अधिक ऋण बताया और ₹35.42 करोड़ तक भत्तों के नुकसान को अधिक बताया है, फलस्वरूप वर्ष के लिए हानि को ₹23.18 करोड़ तक कम बताया गया। • आईएलएंडएफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड को दिए गए ₹ 29.77 करोड़ की बकाया ऋण राशि की सम्पूर्ण राशि के गैर प्रावधान की राशि कम है, जिसके लिए प्रतिभूत उपलब्ध थी, परिणामस्वरूप ₹11.78 करोड़ तक के ऋण को अधिक बताया और ₹17.99 करोड़ तक के भत्तों के नुकसान को अधिक बताया गया। फलस्वरूप वर्ष के लिए हानि को ₹11.78 करोड़ तक कम बताया गया था। • मैसर्स आधुनिक मेटालिक्स लिमिटेड (एएमएल) से ₹164.02 करोड़ के कुल बकाया के प्रति, ऋण लेने की संकल्प योजना के तहत निजी पार्टियों द्वारा दिए गए प्रस्तावों के अनुसार अधिकतम प्राप्य राशि ₹33.60 करोड़ थी। उपरोक्त को देखते हुए, कंपनी को ₹130.42 करोड़को बढ़े खाते में डालने चाहिए और एएमएल से बकाया निवल ऋण के रूप में ₹13.29 करोड़(₹33.60 करोड़ - ₹20.31 करोड़) दिखाना चाहिए था। उसी के गैर-समायोजन के परिणामस्वरूप ₹51.58 करोड़ तक के अधिक ऋण बताया और ₹78.84 करोड़ तक के भत्ते के नुकसान को अधिक बताया गया है। फलस्वरूप वर्ष हेतु हानि को ₹51.58 करोड़ से कम बताया गया था। • गीतांजलि जेम्स लिमिटेड को चरण III ऋण के रूप में प्रदान किए गए ₹24.96 करोड़ के ऋण का वर्गीकरण और उपलब्ध प्रतिभूति की राशि से कम संपूर्ण ऋण हेतु प्रदान करने के बजाय आंशिक प्रावधान करने के परिणामस्वरूप ₹9.59 करोड़ तक के ऋण को अधिक बताया और ₹14.67 करोड़ से भत्ते के नुकसान को अधिक बताया गया है। फलस्वरूप, वर्ष हेतु हानि को ₹9.59 करोड़ से कम बताया गया था।
4.	द जनरल इंश्यूरेन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तीय विवरण)	<p>कंपनी ने निवेश के मूल्य हाज के प्रति इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएलएंडएफएस) के असुरक्षित अपरिवर्तनीय डिबेंचरस (एनसीडीस) में 100 प्रतिशत और 50 प्रतिशत सुरक्षित एनसीडीस का निवेश होने के कारण ₹ 436.91 करोड़ का प्रावधान किया। लेखाओं पर टिप्पणी में प्रकटीकरण किया गया था कि जो प्रावधान किए गए थे, वह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और बीमा कंपनियों के लिए</p>

		लागू भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा जारी किए गए आय मान्यता, संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान के लिए विवेकपूर्ण मानकों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान से उच्च थे। हालांकि, नेशनल कंपनी लॉअपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के समक्ष कार्यवाही (11 फरवरी 2019) के अनुसार, जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध थे, दो आईएलएंडएफएस संस्थाओं को आईएलएंडएफएस समूह की कंपनियों के मामलों का प्रबंधन करने के लिए संघ सरकार द्वारा नियुक्त नए निदेशक मंडल द्वारा 'रेड' श्रेणी के तहत रखा गया था, जिसका अर्थ था कि ऐसी संस्थाएं वरिष्ठ सुरक्षित वित्तीय क्रेडिटर्स के लिए अपने भुगतान दायित्वों को पूरा नहीं कर सकती हैं। इन घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी को उपरोक्त निवेशों के मूल्यहास के प्रतिपूर्ण प्रावधान करना चाहिए। इन कम प्रावधान के परिणामस्वरूप निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान को ₹ कम और ₹ 351.89 करोड़ तक लाभ को अधिक बताया गया।
5.	द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (स्टैंड अलोन और समेकित वित्तीय विवरण)	<ul style="list-style-type: none"> खराब और संदेहस्पद ऋणों के लिए रिजर्व में ₹71.38 करोड़ अनुरक्षित निवेशों के लिए 100 प्रतिशत प्रावधान और आईएलएंडएफएस और इसके समूह की कंपनियों में ₹ 10 प्रतिशत सुरक्षित निवेश के लिए प्रावधान शामिल है, जिसमें कुल निवेश ₹128.24 करोड़ है। हालांकि सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध एनसीएलएटी के समक्ष कार्यवाही के अनुसार आईएलएंडएफएस को आईएलएंडएफएस समूह की कंपनियों के मामलों का प्रबंधन करने के लिए संघ सरकार द्वारा नियुक्त नये निदेशक मंडल द्वारा 'रेड' श्रेणी के तहत रखा गया था, जिसका अर्थ था कि ऐसी संस्थाएं वरिष्ठ सुरक्षित वित्तीय क्रेडिटर्स के प्रति अपने भुगतान दायित्वों के पूरा नहीं कर सकती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने 10 प्रतिशत के बजाय आईएल एंड एफएस के सुरक्षित निवेश में ₹15 करोड़ के निवेश पर पूर्ण प्रावधान करना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान को कम और ₹13.50 करोड़ तक लाभ को अधिक बताया गया।

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

क्र. सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी ने भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त किए बिना अपनी अधिकृत पूंजी को ₹800 करोड़ से ₹10,000 करोड़ तक वृद्धि की जो कंपनी के एजीएम में लिए गए निर्णय के विपरीत था।

प्रकटन पर टिप्पणी

क्र. सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	बीईएमएल लिमिटेड (स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण)	<ul style="list-style-type: none"> 1 अप्रैल 2018 से इंड एएस 115 को अपनाने पर इंड एएस 8 के अनुसार प्रकटन आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया था।

2.	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्टैंड- अलोन और समेकित वित्तीय विवरण)	<ul style="list-style-type: none"> अन्य मौजूदा परिसम्पत्तियों के तहत ₹1044.03 करोड़ की राशि शामिल की गई थी, जो वर्ष 2015-16 से 2018-19 के लिए भारत सेवा निर्यात योजना के तहत भारत सरकार से प्राप्त लाभों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह भारत सरकार के परीक्षणाधीन थी। इस तथ्य को लेखाओं की टिप्पणियों में कंपनी द्वारा सही ढंग से प्रकट नहीं किया गया था।
3.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> भले ही वर्ष के दौरान, लेखांकन नीति को इमारत की प्रमुख संरचनात्मक मरम्मत जैसे पूंजीगत मरम्मत के शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था, इंड एस 8 के तहत अपेक्षित प्रकटन नहीं किए गए थे। चालू वर्ष की आय और व्यय के रूप में पिछली सेवाओं से संबंधित आय और व्यय का विचार करने के लिए टर्नओवर की भौतिकता सीमा 0.5 प्रतिशत में 1 प्रतिशत तक के संशोधन से संबंधित भौतिक परिवर्तन का प्रकटन नहीं किया गया था। ओवरहेड्स को कुछ इकाइयों में पूंजीगत कार्य में प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) की प्रतिशतता के आधार पर वसूल किया गया था जो लेखांकन नीति के विपरीत था जिसमें कहा गया था कि इसे वास्तविक आधार पर वसूल किया जा रहा था।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणी

क्र. सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	आईएफसीआई लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी द्वारा अनुरक्षित अचल परिसंपत्तियों के रजिस्टर में विभिन्न परिसंपत्तियों जैसे कि फ्लैट्स, पेंटिंग्स और भूमि आदि की स्थिति/मात्रा का विवरण नहीं था, जिसे कंपनियों के लेखापरीक्षक की रिपोर्ट आदेश (सीएआरओ) नियमावली 2016 के खंड 3 (i) के तहत यथापेक्षित स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा उजागर नहीं किया गया था। भले ही अचल परिसंपत्तियों की भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट में परिसंपत्तियों के बीच तुलना प्रदान नहीं की गई, जैसाकि अचल परिसंपत्तियों के रजिस्टर में दिखाई गई तुलना में भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई, स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में बताया गया है कि अचल परिसंपत्तियों का प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापन किया जा रहा था और कोई सामग्री विसंगतियां नहीं देखी गई थी।
2.	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (समेकित वित्तीय विवरण)	<ul style="list-style-type: none"> सीएजी द्वारा जारी निर्देशों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत रिपोर्ट, उस पर की गई कार्रवाई और कंपनी के लेखाओं और वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव को लेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था।
3.	द जनरल इश्यूरेन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	<ul style="list-style-type: none"> स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में यह प्रमाण पत्र शामिल नहीं किया गया था कि पॉलिसी धारक की निधियों की परिसंपत्ति का कोई हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पॉलिसी धारक की निधियों का उपयोग और निवेश से संबंधित बीमा अधिनियम 1938 (1938 का 4) के प्रावधानों के उल्लंघन में लागू नहीं

		<p>किया गया था, जो आईआरडीएआई के विनियमों के विपरीत था।</p> <ul style="list-style-type: none"> कंपनी ने 31 मार्च 2019 तक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में निवेश किया यद्यपि ऐसा निवेश बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम 2015 की धारा 27ए (4) के तहत प्रतिबंधित था। इनमें ₹45.56 करोड़ (टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड में नियत ब्याज बॉण्ड में ₹45 करोड़, छतर केमिकल्स के एनसीडी में ₹0.11 करोड़, अताश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एनसीडी में ₹0.33 करोड़ और इलेक्ट्रा (इंडिया) लिमिटेड के एनसीडी में ₹0.12 करोड़) का निवेश शामिल किया गया है; इसे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में नहीं दिखाया गया था।
--	--	---

असूचीबद्ध सरकारी कंपनियां

लाभप्रदत्ता पर टिप्पणी

क्र. सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	एयर इंडिया लिमिटेड (स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण)	<ul style="list-style-type: none"> वित्त लागत में अनुमान के आधार पर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को देय विलम्ब भुगतान पर ब्याज के लिए ₹126.96 करोड़ की राशि शामिल की गई, जिसके बाद में डूड-अप किया जाएगा। परिचालनों से राजस्व को कम बताया गया और गैर-समावेश के कारण ₹78.03 लाख की हानि को अधिक बताया गया: अप्रैल और मई 2019 के दौरान कंपनी के एक प्रभाग, शेफेयर फ्लाइट कैटरिंग द्वारा निर्धारित 2018-19 की अवधि के लिए ₹ 38.40 लाख के राजस्व अन्तर को निर्धारित किया गया। अक्टूबर 2018 में मई 2017 से अपने होटल की छत पर दो मोबाइल टावरों की स्थापना के नवीनीकरण के कारण ₹ 39.60 लाख तक की राशि मई 2017 से मार्च 2019 की अवधि के लिए प्राप्य बकाया है। ₹ 8.23 करोड़ की राशि को कंपनी की सिफारिश (नवम्बर 2018) पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित (जुलाई 2019) मजदूरी संशोधन के आधार पर यूनियन कर्मचारियों को देय बकाया को चालू वर्ष व्यय के बजाय पूर्व अवधि के व्यय के रूप में निर्धारित किया गया था जो इंड एएस 8 के अनुरूप नहीं था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष हेतु व्ययों और हानि को ₹ 8.23 करोड़ तक कम बताया। 2010-11 से 2015-16 की अवधि के लिए ₹ 5.55 करोड़ की राशि का भुगतान किए गए विलासिता करपर ब्याज को चालू वर्ष के व्यय के बजाय पूर्व अवधि के व्यय के रूप में निर्धारित किया गया था जो इंडएएस 8 के अनुरूप नहीं था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए ₹ 5.55 करोड़ तक वित्त लागत और हानि को कम बताया गया।

		<ul style="list-style-type: none"> अप्रैल 2008 या उसके बाद जाँड़न किए गए कैडेट पायलटों सहित पायलटों से प्रशिक्षण की लागत को वसूली योग्य नहीं दिखाया गया था।
2.	आन्ध्र प्रदेश सोलर पॉवर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सोलर पार्कों के विकास के लिए दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को इसके द्वारा किए गए कुल निवेश का एक प्रतिशत के हस्तांतरण का प्रावधान नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹7.16 करोड़ तक के लाभ को अधिक बताया और उसी राशि से देनदारियों को कम बताया गया।
3.	बोकरों पॉवर सप्लाई कंपनी (पी) लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड से वसूली योग्य अन्य परिसंपत्तियों के तहत दर्शाई गई ₹6.18 करोड़ की राशि का गैर प्रावधान, इसके द्वारा विवादित होने के बावजूद, के परिणामस्वरूप ₹ 6.18 करोड़ तक की मौजूदा परिसंपत्ति और लाभ को अधिक बताया गया है। सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए राख के परिवहन के लिए ₹ 53.16 करोड़ की अनुमानित लागत का प्रावधान नहीं होने के परिणामस्वरूप व्यय को कम बताया गया और उसी राशि से लाभ को अधिक बताया गया। इसके अलावा, 15.04 लाख एम³ राख के परिवहन के लिए कोई प्रावधान कंपनी द्वारा नहीं किया गया था। राख का निपटान नहीं करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को देय ₹ 1.03 करोड़ की शास्ति का प्रावधान नहीं किया गया था, जिसके कारण व्यय का कम और उसी राशि से लाभ को अधिक बताया गया था।
4.	ब्रॉडकास्ट इंजीनिरिंग कंसल्टन्ट्स इंडिया लिमिटेड (2017-18)	<ul style="list-style-type: none"> भले ही प्रसार भारती से सात साल के अधिक समय के स्वीकृति और वसूली के लिए ₹ 9.21 करोड़ की राशि लंबित थी लेकिन इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था जो लेखांकन नीति के अनुपालन में नहीं था। व्यापार प्राप्य में 22 पार्टियों से वसूली योग्य बकायों के लिए ₹ 5.05 करोड़ की राशि शामिल थी जो पांच वर्षों से अधिक के लिए वसूली हेतु लंबित थी। हालांकि, लेखांकन नीति के विपरीत, इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। पट्टेदारों द्वारा विलम्बित भुगतानों के लिए ब्याज के रूप में वर्ष 2014-15 के दौरान एकत्र किए गए ₹ 6.19 करोड़ में से ₹ 0.93 करोड़ की राशि को राजस्व के रूप में निर्धारित किया गया था और ₹ 0.48 करोड़ की राशि को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से एमओयू या अनुमोदन में बिना किसी प्रावधान के कानूनी प्रभारों के लिए किए गए व्यय के लिए समायोजित किया गया था। इसके कारण, सूचना और प्रसारण मंत्रालय को देय राशि के साथ-साथ हानि को ₹ 1.41 करोड़ तक कम बताया गया था। 31 मार्च 2018 तक किराये के प्रभारों के लिए ₹ 24.43 करोड़ की राशि पर ब्याज के लिए देयता जो पट्टेदारों से एकत्र की गई

		थी लेकिन सूचना और प्रसारण मंत्रालय को प्रेषित करने के लिए प्रदान नहीं की गई थी।
5.	ईसीजीसी लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> आईएलएंडएफएस के सुरक्षित एनसीडी में ₹ 105 करोड़ के निवेश पर, कंपनी ने निवेश के मूल्य की 25 प्रतिशत की कमी के लिए ₹ 26.25 करोड़ का प्रावधान किया गया। लेखाओं पर टिप्पणियों में भी प्रकटीकरण किया गया था कि जो प्रावधान किया गया था वह आरबीआई और बीमा कंपनियों के लिए लागू आईआरडीएआई द्वारा जारी किए गए आय मान्यता, संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान के लिए विवेकपूर्ण मानकों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान से उच्च था। हालांकि, दिनांक 11 फरवरी 2019 को एनसीएलएटी के समक्ष कार्यवाही के अनुसार, आईएल एंड एफएस समूह की कंपनियों के मामलों का प्रबंधन करने के लिए संघ सरकार द्वारा नियुक्त नए निदेशक मंडल द्वारा कंपनी को 'रेड' श्रेणी के तहत रखा गया था जिसका अर्थ है कि संस्था वरिष्ठ सुरक्षित वित्तीय क्रेडिटर्स के प्रति अपने भुगतान दायित्वों को पूरा नहीं कर सकती है। इन घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी को उपरोक्त निवेश के मूल्य में कमी के प्रति पूर्ण प्रावधान करने चाहिए। इन कम प्रावधान के परिणामस्वरूप निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान कम बताए और ₹78.75 करोड़ तक के लाभ को अधिक बताया गया है।
6.	हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> ₹30.81 करोड़ के बकाया भुगतान पर ₹13.12 करोड़ के ब्याज का गैर-प्रावधान होने से प्रतिभूति की लागत के परिणामस्वरूप ₹13.12 करोड़ तक के व्यय और हानि को कम बताया गया। बकाया ग्रेच्युटी पर कर्मचारी को देय ब्याज के लिए ₹3.32 करोड़ के ब्याज का प्रावधान न होने के परिणामस्वरूप ₹3.32 करोड़ तक के व्ययों और नुकसान को कम बताया गया है।
7.	हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> वर्ष के लिए आय के साथ-साथ लाभ को पूर्व अवधि आय के रूप में पहले के वर्षों से संबंधित त्रुटि के लेखांकन के कारण ₹2.27 करोड़ तक अधिक बताया गया था जो इंड एस 8 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था।
8.	एचएलएल इन्फ्रा टेक सर्विस लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> बड़े खाते में डाले गए व्यापार प्राप्त के कारण ₹ 69.52 लाख की राशि को व्ययों में शामिल किया जो एचएलएल मद्र एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल लिमिटेड (एचएमसी) से देय थे। इस राशि को एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड के एचएमसी के विलय और नकारात्मक नेटवर्थ के कारण अपने बकाया के निपटान की एचएमसी की अक्षमता के कारण बड़े खाते में डाल दिया गया था। हालांकि, विलय व्यवस्था के अनुसार, एचएमसी की परिसंपत्तियां और देनदारियों को एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड को हस्तांतरित करनी थी जो सकारात्मक नेटवर्थ के साथ एक गोइंग कंसर्न थी। कंपनी ने बकायो की वसूली की संभावना की जांच और तलाशी के बिना राशि को बड़े खाते में डालने के निर्णय के परिणामस्वरूप अन्य व्ययों को अधिक बताया और चालू परिसंपत्तियों और लाभ को ₹ 69.52 लाख की राशि तक कम बताया गया।

9.	होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	<ul style="list-style-type: none"> परिचालन से राजस्व को कम बताया गया था और गैर-समावेशन के कारण ₹ 78.03 लाख की राशि के नुकसान को अधिक बताया गया था: अप्रैल और मई 2019 के दौरान कंपनी के एक प्रभाग शेफेयर फ्लाइट कैटरिंग द्वारा निर्धारित की गई 2018-19 की अवधि के लिए ₹ 38.44 लाख के अंतर-राजस्व। अक्टूबर 2018 में मई 2017 से अपने होटल की छत पर दो मोबाइल टावरों के संस्थापन के नवीकरण के कारण ₹ 39.60 लाख की राशि मई 2017 से मार्च 2019 की अवधि के लिए प्राप्य बकाया। ₹ 8.23 करोड़ की राशि को कंपनी की सिफारिश (नवम्बर 2018) पर नागरिक उद्ययन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित (जुलाई 2019) मजदूरी संशोधन के आधार पर यूनियन कर्मचारियों को देय बकाया को चालू वर्ष व्यय के बजाय पूर्व अवधि के व्यय के रूप में निर्धारित किया गया था जो इंड एस 8 के अनुरूप नहीं था। इसके परिणामस्वरूप व्ययों और वर्ष के लिए हानि को ₹ 8.23 करोड़ तक कम बताया गया है। 2010-11 से 2015-16 की अवधि के लिए ₹ 5.55 करोड़ की राशि का भुगतान किए गए विलासिता कर पर ब्याज को चालू वर्ष के व्यय के बजाय पूर्व अवधि के व्यय के रूप में निर्धारित किया गया था जो इंडएस 8 के अनुरूप नहीं था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए ₹ 5.55 करोड़ तक वित्त लागत और हानि को कम बताया गया है।
10.	आईएफसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट लिमिटेड (स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण)	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार और फ्रेजर सूट इकाई (सेवा अपार्टमेंट और आवास एवं रेस्तरा सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित) में धारित परिसंपत्तियों के संबंध में कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार मूल्यहास/ परिशोधन के गैर-प्रभार के कारण ₹ 2.98 करोड़ तक के मूल्यहास और परिशोधन को कम बताया गया था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए ₹ 0.56 करोड़ तक के लाभ और ₹ 2.42 करोड़ तक के रिजर्व और अधिशेष को अधिक बताया गया। आय को कम बताया गया था और अन्य मौजूदा देनदारियों को दो प्लॉटों के प्रतिफल से कटौती की जाने वाली राशि के गैर-लेखांकन के कारण ₹ 75 लाख तक अधिक बतायी गई, जिनकी बिक्री क्रेता के अनुरोध पर रद्द कर दी गई थी।
11.	इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> कैवर्नस के परिचालन और रखरखाव पर ₹ 78.21 करोड़ का व्यय हुआ जो भारत सरकार से वसूली योग्य था और भारत सरकार और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से ₹ 58.95 करोड़ की वसूली को कंपनी की बहियों में दर्ज नहीं किया गया था। सिर्फ ₹ 19.26 करोड़ की शेष राशि को भारत सरकार से प्राप्य के रूप में दर्शाया गया था। व्यवहार कंपनी अधिनियम 2013 और कंपनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोशियशन के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। इस मुद्दों पर वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी के लेखाओं पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा

		टिप्पणी भी की गई थी, हालांकि सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी।
12.	इस्कॉन देवनगरी हैवेरी हाइवे लिमिटेड	अन्य आय में एस्करो लेखा पर अर्जित ₹ 3.26 करोड़ का ब्याज और निर्माण अवधि के दौरान मोबिलाइजेशन अग्रिम शामिल था, जिसे अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों में क्रेडिट क्या जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.26 करोड़ तक कर से पहले लाभ को अधिक बताया गया और उसी राशि से अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को अधिक बताया गया।
13.	इस्कॉन पीबी टॉलवे लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> निर्माण ठेका से राजस्व प्राप्त होने के कारण ₹ 338.17 करोड़ की राशि को परिचालन राजस्व के अर्न्तगत प्रकटकरने के बजाय अन्य परिचालन राजस्व रूप में बताया गया था जो इंडस 115 के अनुसार नहीं था।
14.	कर्नाटक सॉलर पावर डिवेलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सॉलर पार्को के विकास के लिए दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को इसके द्वारा किए गए कुल निवेश का एक प्रतिशत हस्तांतरित करने का प्रावधान नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹1.07 करोड़ तक के लाभ को अधिक बताया और उसी राशि द्वारा देनदारियों को कम बताया गया।
15.	भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (2017-18)	<ul style="list-style-type: none"> दूरदर्शन से वसूली योग्य ₹4.68 करोड़ की राशि की व्यापार प्राप्तियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था यद्यपि वसूली चार वर्ष से अधिक समय से लंबित थी और इस पर विवाद चल रहा था, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए लाभ और उसी राशि तक व्यापार की प्राप्तियों को अधिक बताया गया है।
16.	नेशनलइंश्योरेंसकंपनी लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी ने आईएलएंडएफएस लिमिटेड और आईएलएंडएफएस फाइनेंसियल सर्विस लिमिटेड की सुरक्षित एनसीडी में ₹ 209.09 करोड़ रखे हैं। इन दोनों कंपनियों ने मूलधन के साथ-साथ ब्याज के भुगतान में चूक की हैं। कंपनी ने निवेश के बुक मूल्य के लिए ₹ 31.36 करोड़ (15 प्रतिशत) का प्रावधान किया गया। एनसीएलएटी के समक्ष कार्यवाही के अनुसार, इन दोनों कंपनियों को आईएलएंडएफएस समूह की कंपनियों के मामलों का प्रबंधन करने के लिए संघ सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक मंडल द्वारा 'रेड' श्रेणी के तहत रखा गया था, जिसका अर्थ था कि ऐसी संस्थाएं वरिष्ठ सुरक्षित वित्तीय क्रेडिटों के लिए अपने भुगतान दायित्वों को भी पूरा नहीं कर सकते हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, पूरे निवेश के लिए प्रदान किया जाना चाहिए और ऐसा नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 177.73 करोड़ तक केसंदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान को कम बताया गया और इसके फलस्वरूप उसी सीमा तक नुकसान को कम बताया गया। 2018-19 के दौरान ठेकेदार द्वारा प्रदत्त विभिन्न आईटी संबंधित सेवाओं के लिए ₹ 17.22 करोड़ का प्रावधान नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप विविध लेनदारों को कम बताया

		<p>गया था और वर्ष के लिए उसी राशि तक वर्ष के लिए हानि को कम बताया गया था।</p> <ul style="list-style-type: none"> कंपनी ने अनंतिम सीडिंग कमीशन अर्थात् पुनर्बीमा संधि के तहत ₹ 1230 करोड़ के कुल सीडिंग प्रीमियम के 5 प्रतिशत के तौर पर ₹61.50 करोड़ निर्धारित किए थे भले ही कमीशन सहित अंतिम निपटान को 31 मार्च 2024 तक के नुकसान अनुपात के आधार पर गणना की जाएगी। इसके परिणामस्वरूप विविध कमीशन (नेट) को कम बताया गया और ₹61.50 करोड़ से वर्ष के लिए हानि को कम बताया गया। <p>चूँकि स्वास्थ्य साथी योजना के तहत दावा अनुपात 80 प्रतिशत से कम था, इसलिए कंपनी ने योजना की शर्तों के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार को ₹ 194.43 करोड़ का प्रीमियम वापस करना था। रिफंड करते समय, ₹ 22.93 करोड़ की राशि को कंपनी द्वारा एक और स्वास्थ्य योजना अर्थात् राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के तहत प्राप्य प्रीमियम के प्रति समायोजित किया गया था जिसका सरकार द्वारा विरोध किया गया था। चूँकि दोनों योजनाएं अलग-अलग थीं और आरएसबीवाई योजना के प्रति प्रीमियम प्राप्य करने वाली पहले ही 5 वर्ष से अधिक पुरानी थी और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इसे अभिस्वीकृति/स्वीकार नहीं किया गया था जिसके लिए प्रावधान किए जाने चाहिए थे, इसके समायोजन के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य साथी योजना के तहत देय राशि, आरएसबीवाई के तहत प्रीमियम प्राप्य, आरएसबीवाई के लिए संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान और वर्ष के लिए ₹ 22.93 करोड़ तक की हानि को कम बताया गया।</p>
17.	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (2017-18)	<ul style="list-style-type: none"> छह वर्षों से अधिक के लिए सरकारी पार्टियों का बकाया और तीन वर्षों से अधिक के लिए निजी पार्टियों के बकाया की प्राप्त होने वाली ₹ 2.05 करोड़ की राशि का गैर-प्रावधान लेखांकन नीति के विपरीत था और इसके परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्य और उसी राशि तक लाभ को अधिक बताया गया।
18.	नॉर्थ ईस्टर्न हैण्ड्री, क्राफ्ट्स एंड हैण्डलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (2017-2018)	<ul style="list-style-type: none"> मौजूदा देनदारियों और कर्मचारी लाभ लागतों को कम बताया गया था और कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटी के कारण योगदान के संबंध में कम प्रावधान होने के कारण ₹ 33.14 लाख तक लाभ को अधिक बताया गया था।
19.	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण)	<ul style="list-style-type: none"> मौजूदा देनदारियों में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत 2018-19 के दौरान प्राप्त ₹284.68 करोड़ के प्रीमियम का किसानों के भाग के चार प्रतिशत की दर से बैंकों को देय सेवा शुल्क के रूप में ₹ 11.25 करोड़ को शामिल नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.25 करोड़ से नुकसान का कम बताया गया तदनुसार मौजूदा देनदारी को कम बताया गया। कंपनी ने आईएलएंडएफएस लिमिटेड और आईएलएंडएफएस फाइनेंसियल सर्विस लिमिटेड के सुरक्षित एनसीडी में ₹ 298.04 करोड़ और असुरक्षित एनसीडी में ₹ 60.24 करोड़ रखे हैं। इन एनसीडी पर पहली बार सितम्बर 2018 में ब्याज और जनवरी

		<p>2019 में मूलधन के भुगतान में चूक हुई थी (कुल चूक-मूलधन ₹ 10.00 करोड़ और जून 2019 तक ब्याज ₹ 19.49 करोड़)। कंपनी ने निवेश को उप-मानक के रूप में माना और असुरक्षित एनसीडी में निवेश की कुल राशि ₹ 60.24 करोड़ होने के कारण और सुरक्षित एनसीडी में निवेशित राशि का 10 प्रतिशत होने के कारण ₹ 29.80 करोड़ प्रावधान किया गया।</p> <p>हालांकि, सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध एनसीएलएटी के समक्ष की कार्यवाही के अनुसार, इन दोनों कंपनियों को आईएलएंडएफएस समूह की कंपनियों के मामलों का प्रबंधन करने के लिए संघ सरकार द्वारा नियुक्त नये निदेशक मंडल द्वारा 'रेड' श्रेणी के तहत रखा गया था, जिसका अर्थ है कि ऐसी संस्थाएं वरिष्ठ सुरक्षित वित्तीय क्रेडिटों के लिए भी अपनी भुगतान देयताओं को पूरा नहीं कर सकती है। इसके अलावा, इन कंपनियों की निवेश रेटिंग आईसीआरए और सीएआरई द्वारा सबसे नीचे के स्तर 'डी' तक अधोमुखी कर दी थी जिसका अर्थ है कि इस रेटिंग वाले इंस्ट्रूमेंट डिफाल्ट थे या इनके जल्द ही डिफॉल्ट होनेकी उम्मीद थी।</p> <p>उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ₹ 358.28 करोड़ का संपूर्ण निवेश प्रावधान किया जाना चाहिए और ऐसा नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 268.24 करोड़ तक के संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान को कम बताया गया और उसी सीमा तक नुकसान को कम बताया गया था।</p> <ul style="list-style-type: none"> • कंपनी ने पीएमएफबीवाई के संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार महालनोबिस नेशनल क्रॉप फॉरकास्ट सेन्टर (एमएनसीएफसी) से क्षेत्र विसंगति डेटा के बजाय पिछले तीन वर्षों के लिए राज्य सरकार के डेटा लेने से क्षेत्र सुधार कारक⁴¹ (एसीएफ) के उपयोग के कारण खरीफ 2018 के लिए महाराष्ट्र के बीड जिले में सोयाबीन फसल के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ₹ 71.26 करोड़ के दावे और ₹ 28.02 के प्रीमियम प्राप्त का गलती से उल्ट दिया, जो प्रतीक्षित था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 28.02 करोड़ तक की आय और ₹ 71.26 करोड़ तक की मौजूदा देनदारियों को कम बताया गया। इसके फलस्वरूप, वर्ष के लिए नुकसान को ₹ 43.24 करोड़ तक कम बताया गया था।
20.	पीईसी लिमिटेड (2017-18)	<ul style="list-style-type: none"> • किसी भी लेखांकन नीति की अनुपस्थिति में बिना दावों की देयता के पुनरांकन करने के परिणामस्वरूप ₹ 6.86 करोड़ तक कुल व्यापक आय के नकारात्मक शेष को कम बताया गया।
21.	सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण)	<ul style="list-style-type: none"> • कंपनी ने पिछले वर्ष अर्थात् 2017-18 से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्ति (डीटीए)/आस्थगित कर देयता (डीटीएल) की त्रुटि को सुधारते हुए गलती से ₹ 4.76 करोड़ की राशि की भूमि की कीमत को शामिल किया गया, यद्यपि यह एक गैर-मूल्यहास

⁴¹ एरिया करेक्शन फैक्टर को एक दिए गए इकाई क्षेत्र के लिए बीमित क्षेत्र द्वारा बोए गए क्षेत्र से विभाजित करके और इसे कम रखने के लिए दावा राशि पर लागू करके पहुँचा गया है। परिणामस्वरूप, एक इकाई क्षेत्र में सभी किसानों के दावों को समान रूप से बताया जाता है।

		<p>परिसंपत्ति, आयकर अधिनियम के अनुसार परिसंपत्तियों की लिखित मूल्य में है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2017-18 के लिए डीटीएल को कम बताया गया। फलस्वरूप, इसके परिणामतः डीटीए और वर्ष 2017-18 के लिए लाभ को ₹ 1.64 करोड़ ⁴² तक कम बताया गया।</p> <ul style="list-style-type: none"> • ₹ 5.98 करोड़ के अचल सामान के लिए प्रावधान, ₹ 5.32 करोड़ की अनुकम्पा नियुक्तियों के बदले मुआवजे का प्रावधान, ₹ 3.88 करोड़ के अनुग्रहपूर्वक व बोनस राशि के लिए प्रावधान और अन्य कर्मचारियों को ₹ 32.38 करोड़ के अल्पकालिक प्रावधान का लाभ, समय भिन्नता मदों के रूप में माना गया था और पिछले वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान पूर्वोक्त मदों पर डीटीए सृजित किया गया था। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, इनको डीटीए के लिए सृजन के लिए समय भिन्नता के रूप में नहीं माना गया था। हालांकि, डीटीए पिछले वर्ष के दौरान इन मदों पर पहले ही बनाया गया जो एक लेखांकन त्रुटि थी, जिसे पलटा नहीं गया था जो इंड एस 8 का उल्लंघन था और जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2017-18 के लिए डीटीए के साथ-साथ ₹ 16.46 ⁴³ करोड़ तक लाभ को अधिक बताया गया था। • समापन स्टॉक में अन्तः इकाई बिक्री के लाभ मार्जिन को शामिल करने के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए समान के साथ-साथ ₹ 5.59 करोड़ तक के लाभ को अधिक बताया गया था।
22.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड को भूमि की बिक्री से प्राप्त लाभ का लेखांकन नहीं होने के कारण ₹ 55.23 करोड़ तक की असाधारण मदों को कम बताया गया था। इसे भारत सरकार को देय राशि के तौर पर गलत तरीके से दिखाया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 38.02 करोड़ के कर से पहले लाभ के बजाय ₹ 17.21 करोड़ के कर से पहले नुकसान का गलत खुलासा हुआ और इसके परिणामस्वरूप भी ₹ 55.23 करोड़ तक की अन्य मौजूदा देनदारियों को भी अधिक बताया गया। इस प्रकार, वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों से सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रतिबिंबित नहीं होता है और यह सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप भी नहीं था। • उपर्युक्त प्राप्त किए ₹ 55.23 करोड़ की राशि को भारत सरकार के ऋण और ₹ 467.07 करोड़ की राशि के ब्याज को चुकाने पर आयकर के भुगतान के लिए उपयोग किया गया था जो 2016-17 के दौरान पूंजीगत लाभ के रूप में गलत तरीके से लेखांकित किया गया था। वर्ष 2016-17 के लिए लेखा में ₹ 467.07 करोड़ के पूंजीगत लाभ के रूप में गलत लेखांकन को 2017-18 के दौरान भी सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा योग्य पाया गया था। हालांकि, 2018-19 के दौरान इस संबंध में प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

⁴² ₹4.76 करोड़ पर 34.61 प्रतिशत की प्रभावी आयकर दर से कर की गणना की गई है।

⁴³ ₹47.56 करोड़ पर 34.61 प्रतिशत की प्रमाणी आयकर दर से कर की गणना की गई है।

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

क्र. सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> वर्ष 2014 में विभिन्न सामान्य और प्रशासन व्ययों के पूंजीकरण के कारण, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों को अधिक बताया गया था और अन्य इक्विटी को ₹ 271.38 करोड़ तक कम बताया गया था। इसे 2014-15, 2015-16, 2016-17 की अवधि के लिए लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में उजागर किया गया था और 2017-18 में इस कार्यालय द्वारा इस पर टिप्पणी भी की गई थी। हालांकि, सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी।
2.	एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी की लेखांकन नीति के उल्लंघन में अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के तहत प्राप्त ₹ 22.62 करोड़ की राशि का बीमा दावा शामिल है जिसमें बताया गया है कि बीमा कंपनी से प्राप्त दावों को इस तरह के दावों पर बीमा कंपनी द्वारा स्वीकृत के लिए लेखांकित किया जाता है, परिणामस्वरूप वर्ष के लिए उसी राशि तक लाभ के साथ-साथ उसी को अधिक बताया गया।
3.	एयर इंडिया लिमिटेड (समेकित वित्तीय विवरण)	<ul style="list-style-type: none"> वर्ष 2014 में विभिन्न सामान्य और प्रशासन व्ययों के पूंजीकरण के कारण, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों को अधिक बताया गया था और अन्य इक्विटी को ₹ 271.38 करोड़ तक कम बताया गया था। इसे 2014-15, 2015-16, 2016-17 की अवधि के लिए लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में उजागर किया गया था और 2017-18 में इस कार्यालय द्वारा इस पर टिप्पणी भी की गई थी। हालांकि, सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी। कंपनी की लेखांकन नीति के उल्लंघन में अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के तहत प्राप्त ₹ 22.62 करोड़ की राशि का बीमा दावा शामिल है जिसमें बताया गया है कि बीमा कंपनी से प्राप्त दावे को इस तरह के दावों पर बीमा कंपनी द्वारा स्वीकृत के लिए लेखांकित किया जाता है, परिणामस्वरूप वर्ष के लिए उसी राशि तक लाभ के साथ-साथ उसी को अधिक बताया गया।
4.	एयर लाइन अलाइड सर्विस लिमिटेड (2017-18)	<ul style="list-style-type: none"> कार्यालय उद्देश्यों के लिए कंपनी के कर्मचारियों को दिए गए ₹ 28.90 लाख की अग्रिम नकद राशि और को नकद समतुल्यों के तहत शामिल किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप नकद और नकद समतुल्यों का अधिक बताया गया और उसी राशि तक अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों को कम बताया गया।
5.	बोकरों पॉवर सप्लाइ कंपनी (पी) लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> निर्धारण वर्ष 2007-08 से 2018-19 के लिए ₹ 268.53 करोड़ की राशि को अग्रिम कर में शामिल किया जिसके प्रति ₹ 254.81 करोड़ का प्रावधान किया गया था। भले ही आय कर विभाग द्वारा निर्धारणों को वर्ष 2016-17 तक पूरा कर लिया था, लेकिन अग्रिम कर और इसी अवधि के लिए संबंधित कर प्रावधानों को निर्धारण आदेशों के अनुसार समायोजित नहीं किया गया था। चूंकि इस संबंध में कंपनी द्वारा दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसलिए वित्तीय विवरणों पर प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका।

6.	गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (2017-18)	<ul style="list-style-type: none"> • वर्ष के दौरान कंपनी को हस्तान्तरित किए गए जीईएम परियोजना और विभिन्न अन्य संपत्तियों को कंपनी की बुकों में लेखांकित नहीं किया गया था। • अग्रिम के समावेश के कारण अल्पावधि ऋणों और अग्रिमों को ₹ 24.71 से अधिक बताया गया था, जिन्हें अग्रिम संवितरण के चौथे और पांचवें वर्ष में किए जाने वाले भुगतान से समायोजित किया जाना था। इसके फलस्वरूप, दीर्घावधि ऋणों और अग्रिमों को उसी राशि तक कम बताया गया था।
7.	हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बोन्स लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • कंपनी ने इंड एस के परिवर्तन की तिथि पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अनुमानित लागत को अपनाया गया था, सिवाय फ्रीहोल्ड भूमि के जहां उचित मूल्य पर विचार किया गया था। यह इंड एस 101 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था, जो चयनात्मक आधार पर मूल्य को आगे ले जाने के उपयोग के लिए प्रदान नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को अधिक बताया गया और 2017-18 के वित्तीय विवरणों में ₹ 29.96 करोड़ तक की अन्य इक्विटी के नकारात्मक शेष को कम बताया गया था। पूर्व में इंगित किए जाने के बावजूद, 2018-19 के वित्तीय विवरणों में इस पर कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी।
8.	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • परिसंपत्तियों का पूंजीकरण जिसेबिक्री के लिए रखा गया था, परिणामस्वरूप ₹ 10.63 करोड़ की सीमा तक अचल संपत्तियों का अधिक पूंजीकरण हुआ और फलस्वरूप मूल्यहास को ₹ 1.88 करोड़ से अधिक वसूल किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.88 करोड़ से संबंधित लाभ को कम बताया गया था।
9.	एचएलएल इन्फ्राटेक सर्विस लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • भले ही कंपनी दिनांक 3 अगस्त 2017 के डीपीई परिपत्र के अनुसार अपने कर्मचारियों को संशोधित वेतन प्रदान करने के लिए योग्य नहीं थी, फिर भी उक्त उद्देश्य के लिए ₹ 7.88 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मौजूदा देनदारियों को अधिक बताया और उसी राशि तक लाभ को कम बताया गया था।
10.	एचएमटी वॉचेस लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • अन्य वित्तीय देनदारियों और अन्य इक्विटी के नकारात्मक शेष को वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा ऋणों और उन पर ब्याज को बट्टे खाते में डालने के गैर-लेखांकन के कारण ₹ 2669.40 करोड़ तक अधिक बताया गया था।
11.	आईएफसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट लिमिटेड (स्टैंड अलोन और समेकित वित्तीय विवरण)	<ul style="list-style-type: none"> • इलाहाबाद के माननीय उच्च न्यायालय के पास कंपनी द्वारा स्टाम्प शुल्क के कम भुगतान से संबंधित विवादित राशि का 50 प्रतिशत होने के कारण जमा ₹ 0.75 करोड़ की राशि को अन्य गैर-मौजूदा परिसंपत्तियों के तहत उसे दर्शाने के बजाय इनवेंटरियों के तहत दर्शाया था। • बैंको के पास जमा की गई ₹ 1.40 करोड़ की राशि को नकद और नकद समतुल्य में 12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि के साथ सम्मिलित करना, जो कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-III (इंड एस) पर दिए गए मार्गदर्शन नोट के विपरीत था, जिसके परिणामस्वरूप गैर-मौजूदा परिसंपत्तियों

		को कम बताया और ₹ 1.40 करोड़ से वर्तमान परिसंपत्तियों को अधिक बताया गया था।
12.	आईएफसीआई वेचर कैपिटल फंड लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> सकल ऋण राशि में एक पार्टी से प्राप्त किए गए ब्याज के कारण ₹ 4.65 करोड़ का गलत समायोजन था जिसके प्रति कोई ऋण बकाया नहीं था। इसके अलावा, एक पार्टी से प्राप्त किए गए ₹ 0.81 करोड़ की राशि को समायोजित नहीं किया था जबकि उक्त पार्टी के ऋण खाता को बढ़े खाते में डाल दिया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.65 करोड़ तक के ब्याज आय को कम बताया गया और ₹ 0.81 करोड़ से व्ययों को अधिक बताया गया था। इसके फलस्वरूप, इस अवधि के लिए नुकसान को अधिक बताया गया था और ऋणों को ₹ 5.46 करोड़ से कम बताया गया था।
13.	इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सिबिशन सेन्टर लिमिटेड (2017-18)	<ul style="list-style-type: none"> इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपोजिशन सेन्टर की विस्तृत डिजाइन, निर्माण, टेस्टिंग और कमिशनिंग सहित वर्ष के दौरान किए गए कार्य के लिए ठेकेदार को देय ₹ 6.88 करोड़ की राशि को मौजूदा देनदारियों में शामिल नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.88 करोड़ से मौजूदा देनदारियों और सीडब्ल्यूआईपी को कम बताया गया है।
14.	इरकॉन शिवपुरी गुना टॉलवे लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> परिचालन के पहले वर्ष के दौरान परिचालन नुकसान वहन करने के बावजूद कंपनी ने ₹ 692.41 करोड़ के अपने निवेश की हानि का परीक्षण नहीं किया, जो इंड एस 36 के प्रावधानों के साथ ही कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार नहीं था।
15.	कर्नाटक सोलर पॉवर डिवेलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> विखण्डन, बर्खास्त और पुनः स्थापना की पूंजीकरण लागत को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वहन राशि में शामिल नहीं किया गया था जो इंड एस 16 के अनुरूप नहीं था। राशि लेखापरीक्षा में परिमाणबद्ध नहीं थी।
16.	केआईओसीएल लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> निवेश के तहत उसी को वर्गीकृत करने के बजाय म्यूच्युअल फंड में निवेश की गई राशि को शामिल करने के कारण नकद एवं नकद समतुल्य को ₹ 42.31 करोड़ तक अधिक बताया गया था। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत उसी को वर्गीकृत करने के बजाय कैपिटल स्पेयर्स को शामिल करने के कारण इन्वेंट्री को ₹ 10.93 करोड़ तक अधिक बताया गया था। मूल्यहास के प्रभाव को डेटा की अनुपलब्धता के कारण परिमाणित नहीं किया जा सका है। इसके अलावा, लेखांकन नीति जो कैपिटल स्पेयर्स की कीमत पर मूल्यांकित की गई थी, वह भी इंड एस 16 के अनुरूप नहीं थी।
17.	राष्ट्रीय राजमार्ग व अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी ने ₹ 34.63 करोड़ की राशि के लिए देयता प्रदान नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार देयता को कम बताया गया और राष्ट्रीय राजमार्गों की परियोजना के लिए और रखरखाव और मरम्मत के लिए उक्त राशि तक भारत सरकार के धन को अधिक बताया गया था। अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों में असम में निर्माण के लिए लगे एक ठेकेदार से वसूली योग्य ₹ 77.75 करोड़ की राशि को

		<p>शामिल किया जिसमें मुख्यतः ठेके की समाप्ति पर परिनिर्धारित नुकसान को शामिल किया गया, जिसकी वसूली अनिश्चित थी और जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था।</p> <ul style="list-style-type: none"> • इस तथ्य के बावजूद कि कंपनी द्वारा विकसित और अनुरक्षित किए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग भारत सरकार की परिसंपत्तियों थे और बाद में तय किए जानेवाले तौर-तरीकों के अनुसार इसे हस्तांतरित किया जाना था; इस संबंध में निम्नलिखित बातों को देखा गया था: <ol style="list-style-type: none"> (a) अल्पावधि ऋणों और अग्रिमों में ठेकेदारों और सलाहकारों को दी गई अग्रिमों और अन्य अग्रिमों में जुटाई जा रही ₹ 2103.48 करोड़ की राशि और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/विकास के लिए सक्षम प्राधिकारी भूमि अधिग्रहण (सीएएलए) के लिए दी गई भूमि अधिग्रहण के लिए जमा राशि को शामिल किया है। चूंकि इन अग्रिमों और जमाओं की प्रकृति कंपनी द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाली परियोजनाओं के लिए उपयोग की जाने वाली राशि की थी, इसके परिणामस्वरूप ₹ 2103.48 करोड़ में परियोजना के लिए भारत सरकार से अल्पावधि ऋणों एवं अग्रिमों और निधियों को अधिक बताया गया था। (b) मौजूदा देनदारियों और अन्य मौजूदा परिसम्पत्तियों को भारत सरकार और कंपनी की स्थापना से संबंधित की ओर से कंपनी द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं से संबंधित में वर्गीकृत नहीं किया गया था।
18.	नेशनल इन्फॉरमैटिक्स सेंटर सर्विस इंक	<ul style="list-style-type: none"> • एनआईसी क्लॉउड सर्विसेस को बढ़ाने के लिए खरीदी गई ₹ 2.45 करोड़ की राशि सामग्री में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को शामिल नहीं किया गया। • व्यापार देय के साथ-साथ व्ययों में वर्ष के दौरान प्राप्त सेवाओं पर व्यय के गैर-समावेश के कारण ₹ 8.80 करोड़ तक कम बताया गया था।
19.	नेपा लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • आरएमडी परियोजना के संबंध में ₹ 17.32 करोड़ की राशि को अन्य दीर्घावधि देनदारियों में शामिल किया गया जो रिपोर्टिंग अवधि से 12 महीने के अन्दर देय थी जिसे कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार अन्य अल्पावधि देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
20.	ओएनजीसी पेट्रो एडिसंस लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • आंशिक रूप से निर्मित हजीरा दाहेज नेफ्था पाइपलाइन का अधिग्रहण करने के लिए ओएनजीसी लिमिटेड को देय राशि को शामिल नहीं करने के कारण मौजूदा देनदारियां और गैर-मौजूदा परिसंपत्तियों को ₹ 115.44 करोड़ तक कम बताया गया था, जैसा कि 29 मार्च 2019 को किए गए करार के अनुसार आधारित है।
21.	यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • वर्ष हेतु प्रावधान के साथ-साथ हानि को अंश प्रावधान अर्थात् इसे पूर्ण रूप से प्रदान करने के बजाय आईएलएंडएफएस तथा इसकी सहायक कंपनियों से देय मूल तथा ब्याज की राशि के 10 प्रतिशत की सीमा तक सृजन की वजह से ₹ 247.72 करोड़ तक कम बताया गया। इसे इस तथ्य के बावजूद नहीं किया

		गया कि एनसीएलएटी की कार्रवाई के अनुसार, उक्त कंपनी को संघ सरकार द्वारा नियुक्त नए निदेशक मंडल द्वारा 'रेड' श्रेणी के अन्तर्गत रखा गया था जिसका तात्पर्य है कि ये कंपनियां वरिष्ठ सिक्क्योरड वित्तीय क्रेडिटर्स के प्रति भी अपने भुगतान दायित्वों को पूरा करने की स्थिति में नहीं थी।
--	--	--

प्रकटन पर टिप्पणियां

क्र. सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	एयर इंडिया लिमिटेड (स्टैंडअलोन तथा समेकित वित्तीय विवरण)	<ul style="list-style-type: none"> बिक्री हेतु रखी गई परिसम्पत्तियों के संबंध में टिप्पणी में उन तीन संपत्तियों के संबंध में प्रकटन सम्मिलित नहीं था जिन्हें जमा की गई राशि को वापिस करने के लिए आवंटन प्राधिकरण को रिटर्न हेतु निर्धारित किया गया था। एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, कंपनी की एक सहायक कंपनी ने न तो डीटीए को मान्यता दी तथा न ही इसे मान्यता न देने हेतु कोई प्रकटन किया।
2.	गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (2017-18)	<ul style="list-style-type: none"> नकद प्रवाह विवरण को वित्तीय विवरण के साथ संलग्न नहीं किया गया जोकि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन था।
3.	हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> आकस्मिक देयता में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं थे: मै. आदर्श एचईसी करमचर क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड द्वारा ` 12.72 करोड़ की राशि का दावा किया गया जिसके संदर्भ में झारखण्ड उच्च न्यायालय में एक मामला लंबित था। सेवा कर मामलों के संबंध में मांग पर ` 4.62 करोड़ का देय ब्याज। केन्द्रीय माल एवं सेवा कर के तहत ` 1.06 करोड़ की शास्ति लगाई गई।
4.	इरकॉन देवेनगैरे हवैरी हाईवे लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्यय की गई ₹ 4.05 करोड़ की राशि के ब्याज तथा अन्य वित्त लागत को इंड एस 7 के उल्लंघन में नकद प्रवाह विवरण में वित्तपोषण गतिविधि से नकद प्रवाह के तहत प्रदर्शित नहीं किया गया। ₹ 131.80 करोड़ की राशि की गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में परिवर्तन को निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह के तहत इसे प्रदर्शित करने के बजाय कार्यकारी पूंजीगत परिवर्तनों के समायोजन में प्रदर्शित किया।
5.	इरकॉन पीबी टॉलवे लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह में टॉल रोड के निर्माण पर व्यय ₹97.88 करोड़ की राशि सम्मिलित थी तथा जिसे अमूर्त परिसंपत्ति की खरीद/निर्माण के बजाय संपत्ति की खरीद, सीडब्ल्यूआईपी सहित संयंत्र तथा उपकरण के रूप में दर्शाया गया।
6.	इरकॉन शिवपुरी गुना टॉलवे लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी ने इंड एस-7 के उल्लंघन में वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह के तहत अपनी धारण कंपनी को भुगतान किए गए ₹ 52.60 करोड़ की राशि के ब्याज को प्रदर्शित नहीं किया।

		<ul style="list-style-type: none"> • टॉल रोड के निर्माण पर वर्ष के दौरान व्यय किए गए ₹ 44.33 करोड़ को गलत तरीके से निवेश गतिविधि से नकद प्रवाह के तहत अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद/निर्माण के बजाय संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद (सीडब्ल्यूआईपी सहित) के रूप में दर्शाया गया। • कंपनी द्वारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) के साथ किए गए रियायत करार के अनुसार, कंपनी को 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ एनएचएआई को ₹ 20.19 करोड़ प्रतिवर्ष के प्रीमियम का भुगतान करना अपेक्षित था। यह प्रतिबद्धता करार की समयावधि के दौरान ₹ 532.38 करोड़ पर संगणित की गई। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के तहत अपेक्षित अनुसार अपनी टिप्पणियों के तहत इस प्रतिबद्धता को नहीं दर्शाया।
7.	ओएनजीसी पेट्रो एडिशनस लि.	<ul style="list-style-type: none"> • सलाहकार द्वारा संगणना के अनुसार ₹ 1681.63 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाले दहेज सेज को छोड़ने के लिए मई 2018 में लिए गए निर्णय तथा जिसका कंपनी के परिचालन पर महत्वपूर्ण प्रभाव होगा, को वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
8.	पवन हंस लिमिटेड (2017-18)	<ul style="list-style-type: none"> • इस नीति, कि मालसूची को अप्रचलित तथा अन्य हानियों की व्यवस्था करने के पश्चात कम लागत तथा निवल उगाही योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया गया था, को जहां भी आवश्यक समझा जाए, में एक टिप्पणी के मद्देनजर संशोधन की आवश्यकता है जिसमें यह बताया गया हो कि विमानन क्षेत्र में कीमत रुझान अन्य उद्यमों में कीमतों के रुझान की तुलना में भिन्न थी तथा खरीदने से पूर्व हैलीकॉप्टर स्टोर/स्पेयर/उपभोज्य हेतु बिक्री/खरीद कीमत खुले बाजार में सीधे उपलब्ध नहीं था जिसकी वजह से मालसूची की कीमत ने निवल उगाही योग्य कीमत को प्रदर्शित किया। • इस तथ्य कि वीटी-पीएचजेड की घटना हेतु बीमा दावा समय बाधित हो गया था क्योंकि बीमा कंपनी द्वारा इसे अस्वीकार करने को 12 कलेंडर माह के अन्दर विधि न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई, को बीमा दावों से संबंधित टिप्पणी में सम्मिलित नहीं किया गया।
9.	रिन्यूएबल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • कंपनी ने कुल प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) मुआवजे तथा केएमपी की विभिन्न श्रेणियों हेतु विवरण प्रदर्शित नहीं किया जो इंड एस 24 के प्रावधानों का उल्लंघन था।
10.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्टस लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • वर्ष के दौरान भूमि की बिक्री से ₹ 55.23 करोड़ की प्राप्ति तथा इसके उपयोग को नकद प्रवाह विवरण में सम्मिलित नहीं किया गया। • लेखाओं की टिप्पणियों में इस प्रकटन कि ₹ 55.23 करोड़ की भूमि की बिक्री आय को भारत सरकार को वितरित करना था, ने सही स्थिति को परिलक्षित नहीं किया क्योंकि इस राशि को पहले ही बकाया आयकर देयता के भुगतान हेतु उपयोग किया गया था।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणियां

क्र. सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड (2017-18)	<ul style="list-style-type: none"> संचित हानि को लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ₹ 2098.28 करोड़ की वास्तविक हानि के प्रति ₹ 2078.40 करोड़ के रूप में सूचित किया गया। लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में गुणवत्ता वाले मत पैराग्राफ के आधार का संदर्भ था तथापि, कथित रिपोर्ट में ऐसा कोई पैराग्राफ नहीं था।
2.	बोकारों पावर सप्लाई कंपनी (पी) लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> लेखापरीक्षक की रिपोर्ट ने यह विवरण सही नहीं था कि संलग्नक में विवरण के अनुसार विधिक तथा मध्यस्थता मामलों के वित्तीय प्रभाव का परिमाण निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि 12 मामलों में से तीन में विवादित राशि का परिमाण निर्धारित था। एक मामले जिसका दिसम्बर 2018 में निपटान किया गया था, को लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के संलग्नक में चालू न्यायिक मामले के रूप में दर्शाया गया था। एक चालू न्यायिक मामले को लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के संलग्नक में सम्मिलित नहीं किया गया था। इस विवरण में सही स्थिति नहीं दर्शाई गई कि 20 मे.वा. सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को आगे न बढ़ाने के संबंध में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से पत्र पर कंपनी द्वारा कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई क्योंकि कंपनी के निदेशक मंडल ने मामले को दर्ज किया था।
3.	आईएफसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> स्वतंत्र लेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि कंपनी अचल परिसंपत्तियों के मात्रात्मक विवरण तथा स्थिति सहित सभी विशिष्टता दर्शाने वाले उचित अभिलेखों का अनुरक्षण कर रही थी तथा प्रबंधन द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार अचल परिसंपत्तियों को प्रबंधन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित किया गया है तथा कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं देखी गई। इसने आगे कहा कि प्रबंधन द्वारा नियमित अन्तराल पर कंपनी की मालसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था तथा कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं देखी गई। तथापि, कोई भी अचल परिसंपत्ति रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसके अलावा, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए अभिलेखों में कोई दस्तावेज/रिपोर्ट नहीं थी कि कंपनी द्वारा अचल परिसंपत्तियों तथा मालसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था। इस प्रकार, स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कमी थी तथा यह कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2016 के अनुवर्ती नहीं थी।
4.	आईआईडीएल रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> स्वतंत्र लेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि प्रबंधन द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, अचल परिसंपत्तियों का प्रबंधन द्वारा चरणबद्ध तरीके से प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था तथा रिकॉर्ड बुक और प्रत्यक्ष अचल परिसंपत्तियों के बीच कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं देखी गई। रिपोर्ट में यह भी बताया

		<p>गया कि प्रबंधन द्वारा नियमित अन्तराल पर कंपनी की मालसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था तथा कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं देखी गई।</p> <p>तथापि, कोई भी अचल परिसंपत्ति रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसके अलावा, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए अभिलेखों में कोई दस्तावेज/रिपोर्ट नहीं थी कि कंपनी द्वारा अचल परिसंपत्तियों तथा मालसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था। इस प्रकार, स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कमी थी तथा यह कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2016 के अनुवर्ती नहीं थी।</p>
5.	नेशनल हाईवेएण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामलों के तहत, ₹ 22.60 करोड़ जिसे भारत सरकार के अलावा अन्य स्रोत से प्राप्त किया गया था, को भारत सरकार से निधियों के तहत सम्मिलित किया गया।
6.	नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> अचल परिसंपत्तियों के स्वामित्व विलेख को कंपनी के नाम पर रखा गया था, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के एक भाग में की गई यह टिप्पणी इसी रिपोर्ट में कहीं ओर की गई टिप्पणी के विपरीत थी जिसमें कुछ संपत्तियों के संबंध में स्वामित्व विलेख/पट्टा विलेख के क्रियान्वयन न होने/उपलब्ध न होने तथा पट्टा राशि को अंतिम रूप न देने को दर्शाया गया था।
7.	पारादीप पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> यह अर्हता औचित्यपूर्ण नहीं थी कि ब्याज व्यय को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) से इसके लिए देय सहायक ऋण के साथ वसूली योग्य राशि को वसूल किए बिना प्रदान किया गया था तथा तदनुसार वित्तीय लागत को ₹ 0.27 करोड़ तक कंपनी द्वारा अधिक दर्ज किया गया क्योंकि वसूली योग्य राशि विभिन्न कारकों की वजह से थी जिसके लिए ब्याज की वसूली/भुगतान हेतु कंपनी तथा एनएचएआई के बीच कोई करार नहीं है।
8.	पवन हंस लिमिटेड (2017-18)	<ul style="list-style-type: none"> लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में यह कहा गया कि कंपनी के पास तीन वर्षों की अवधि में मालसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की नीति थी जो सही नहीं थी क्योंकि कंपनी द्वारा ऐसी कोई नीति अपनाई नहीं गई थी।

असूचीबद्ध सरकारी नियंत्रण की अन्य कंपनियां

लाभप्रदता पर टिप्पणियां

क्र. सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी ने आईएलएंडएफएस लिमिटेड तथा आईएलएंडएफएस फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड द्वारा जारी अचल आय प्रतिभूतियों में ₹125 करोड़ रखे थे। आईएलएंडएफएस ने दिसम्बर 2018 में ब्याज तथा फरवरी और मार्च 2019 में मूल राशि का भुगतान करने में चूक की थी। आईएलएंडएफएस ग्रुप के रेटिंग के गिरने तथा अक्टूबर 2018 में भारत सरकार द्वारा बोर्ड का पुनः गठन करने के मद्देनजर, कंपनी इन निवेशों को गैर-कार्यकारी परिसंपत्तियों (एनपीए) के

		<p>रूप में मानने के पश्चात् 50 प्रतिशत अंकित मूल्य अर्थात् ₹ 62.50 करोड़ मूलकीमत निवेश का निर्णय लिया (मई 2019)। तथापि, एनसीएलएटी के समक्ष कार्रवाई के अनुसार, आईएलएंडएफएस ग्रुप की इन दोनों कंपनियों को आईएलएंडएफएस कंपनी समूह के मामलों को प्रबंधित करने के लिए संघ सरकार द्वारा नियुक्त नए निदेशक मंडल द्वारा 'रेड' श्रेणी के तहत रखा गया है जिसका तात्पर्य यह है कि ऐसे सत्व वरिष्ठ सिक्क्योर वित्तीय क्रेडिटर्स के प्रति भी अपने भुगतान दायित्वों को पूरा नहीं कर सकते।</p> <p>उक्त के मद्देनजर निवेश रेटिंग आईसीआरए तथा सीएआरई द्वारा न्यूनतम स्तर 'डी' तक कम की गई थी जिसका तात्पर्य यह है कि इस रेटिंग वाले साधन चूककर्ता थे अथवा उनका शीघ्र ही चूककर्ता होना अपेक्षित था, उक्त के मूल्य में कमी के प्रति पूर्ण प्रावधान किया जाना चाहिए।</p> <p>शेष 50 प्रतिशत निवेश का प्रावधान न होने के परिणामस्वरूप प्रावधान को ₹ 62.50 करोड़ तक कम बताया गया तथा जिससे इसी सीमा तक लाभ को अधिक बताया गया।</p>																				
<p>2.</p>	<p>इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड</p>	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी ने आईएलएंडएफएस ग्रुप कंपनियों के विभिन्न इंस्ट्रुमेंट तथा सत्वों में ₹ 228 करोड़ का निवेश किया। वर्ष के दौरान मूलधन तथा ब्याज में चूक थी तथा कंपनी ने निवेशों के मूल्य में कमी के प्रति ₹ 58.56 करोड़ का प्रावधान किया है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं: <p style="text-align: right;">(आंकड़े ₹ करोड़ में)</p> <table border="1" data-bbox="746 1205 1437 1731"> <thead> <tr> <th>सत्व का नाम</th> <th>इंस्ट्रुमेंट</th> <th>निवेशित राशि</th> <th>कंपनी द्वारा किया गया प्रावधान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>आईएलएंडएफएस लिमिटेड</td> <td>एनसीडी प्रतिभूति</td> <td>118</td> <td>57.56</td> </tr> <tr> <td>आईएलएफएस ऐजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड</td> <td>अप्रतिभूत वाणिज्यिक पेपर्स</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>आईएलएंडएफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड</td> <td>अप्रतिभूत एनसीडी</td> <td>10</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>कुल</td> <td></td> <td>228</td> <td>58.56</td> </tr> </tbody> </table> <p>तथापि, दिनांक 11 फरवरी 2019 को एनसीएलएटी के समक्ष कार्रवाई के अनुसार, आईएलएंडएफएस ग्रुप कंपनियों के मामलों को प्रबंधित करने के लिए संघ सरकार द्वारा नियुक्त नए निदेशक मंडल ने इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज तथा आईएलएंडएफएस फाइनेंशियल सर्विसेज को 'रेड' श्रेणी के तहत रखा है जिसका तात्पर्य यह है कि सत्व</p>	सत्व का नाम	इंस्ट्रुमेंट	निवेशित राशि	कंपनी द्वारा किया गया प्रावधान	आईएलएंडएफएस लिमिटेड	एनसीडी प्रतिभूति	118	57.56	आईएलएफएस ऐजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड	अप्रतिभूत वाणिज्यिक पेपर्स	100		आईएलएंडएफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	अप्रतिभूत एनसीडी	10	1.00	कुल		228	58.56
सत्व का नाम	इंस्ट्रुमेंट	निवेशित राशि	कंपनी द्वारा किया गया प्रावधान																			
आईएलएंडएफएस लिमिटेड	एनसीडी प्रतिभूति	118	57.56																			
आईएलएफएस ऐजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड	अप्रतिभूत वाणिज्यिक पेपर्स	100																				
आईएलएंडएफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	अप्रतिभूत एनसीडी	10	1.00																			
कुल		228	58.56																			

		<p>अपनेवरिष्ठ प्रत्याभूत वित्तीय क्रेडिटर्स के प्रति भी अपने भुगतान दायित्वों को पूरा नहीं कर सकते। इन विकासों के मद्देनजर, कंपनी को उक्त दो निवेशों के मूल्य में कमी के प्रति पूर्ण प्रावधान करना चाहिए। वाणिज्यिक पेपरों में किए गए निवेश के संदर्भ में, यद्यपि, दिनांक 11 फरवरी 2019 के एनसीएलएटी आदेश में आईएलएफएस ऐजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड अवर्गीकृत सत्व की सूची में शामिल हैं, फिर भी यह विचार करते हुए कि ये अप्रत्याभूत इस्ट्रूमेंट है, पूर्ण प्रावधान करना चाहिए।</p> <p>कम प्रावधान के परिणामस्वरूप ₹ 169.44 करोड़ तक निवेश के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान को कम तथा लाभ को अधिक बताया गया।</p>
3.	रतनागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> व्यापार देयों तथा उपभोग किए गए ईंधन में दिनांक 29.03.2017 के गैस आपूर्ति करार (जीएसए) के अनुसार गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा उद्ग्रहित वर्ष 2018-19 हेतु बढ़े हुए ट्रांसमिशन प्रभारों के प्रति ₹ 20.73 करोड़ सम्मिलित नहीं थे जिसे आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 20.73 करोड़ तक व्यापार देयताओं को कम, ईंधन व्ययों को कम तथा आकस्मिक देयताओं को अधिक बताया गया।
4.	सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्रीज लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> मूल/दिलुटेड आय प्रति शेयर को ₹ 3.44 के बजाय ₹ 3.00 के रूप में दर्शाया गया था। पूर्व प्रदत्त व्ययों में कंपनी द्वारा भारतीय रेल को अग्रिम में भुगतान किए गए भूमि पट्टा प्रभार होने के नाते ₹ 31.51 लाख सम्मिलित थे। इनमें से 2016-17 तक की समयावधि से संबंधित ₹ 10.50 लाख के पट्टा प्रभारों को लाभ तथा हानि के विवरण से प्रभारित नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियों को ₹ 10.50 लाख तक अधिक बताने के साथ-साथ कर से पूर्व लाभ को इसी राशि तक अधिक बताया गया। <p>शेष में से ₹ 10.50 लाख 2020-21 से संबंधित थे तथा इसलिए इसे चालू परिसंपत्तियों के बजाय गैर चालू परिसंपत्तियों के तहत वर्गीकृत करना चाहिए।</p>
5.	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी ने आईएलएंडएफएस के प्रत्याभूत एनसीडी में ₹ 85.09 करोड़ का निवेश किया था जिसमें से इसने निवेश के मूल्य में कमी हेतु ₹ 62.55 करोड़ (74 प्रतिशत) का प्रावधान किया। तथापि, दिनांक 11 फरवरी 2019 के एनसीएलएटी के समक्ष कार्रवाई के अनुसार, आईएलएंडएफएस ग्रुप कंपनियों के मामलों को प्रबंधित करने के लिए संघ सरकार द्वारा नियुक्त नए निदेशक मंडल ने सत्त्व को 'रेड' श्रेणी में रखा था जिसमें कंपनी उक्त वर्णित निवेश अर्थात् आईएलएंडएफएस धारण करती है। इसका तात्पर्य यह है कि सत्व वरिष्ठ प्रत्याभूत वित्तीय क्रेडिटर्स के प्रति भी अपने भुगतान दायित्वों को पूरा

		नहीं कर सकी। इस विकासों को ध्यान में रखते हुए कंपनी को उक्त निवेश के मूल्य में कमी के प्रति पूर्ण प्रावधान करना चाहिए। कम प्रावधान के परिणामस्वरूप ₹ 22.55 करोड़ तक निवेश के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान को कम तथा लाभ को अधिक बताया गया।
6.	स्टार यूनियन डाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> मूलधन तथा ब्याज की चूक पर, कंपनी ने आईएलएंडएफएस के एनसीडी में ₹ 55 करोड़ (गैर-लिंक निधियों में ₹ 44 करोड़ तथा लिंक निधियों में ₹ 11 करोड़) के अपने निवेश पर ₹ 7.15 करोड़ का प्रावधान किया था। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध एनसीएलएटी के समक्ष कार्रवाई के अनुसार, आईएलएंडएफएस को आईएलएंडएफएस ग्रुप की कंपनियों के मामलों को प्रबंधित करने के लिए संघ सरकार द्वारा नियुक्त नए निदेशक मंडल द्वारा 'रेड' श्रेणी के अन्तर्गत रखा गया जिसका तात्पर्य यह है कि ऐसे सत्व वरिष्ठ प्रत्याभूत वित्तीय क्रेडिटों के प्रति भी अपने भुगतान दायित्वों को पूरा नहीं कर सके। इसे अलावा, लेखाओं पर टिप्पणियों में यह प्रकटन किया गया कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों आईसीआरए तथा सीएआरई ने आईएलएंडएफएस की रेटिंग 'एएए'से 'डी' तक नीचे की थी। इन विकास को ध्यान में रखते हुए, आईएलएंडएफएस में निवेश की पूर्ण राशि हेतु प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप ₹ 47.85 करोड़ तक निवेश के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान को कम तथा लाभ को अधिक बताया गया।

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियां

क्र. सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> गैर-चालू निवेशों में ₹ 2.51 करोड़ के दो निवेश सम्मिलित थे जो मार्च 2020 अर्थात् रिपोर्टिंग तिथि से 12 माह के अन्दर परिपक्व होंगे, इसलिए गैर-चालू निवेश के बजाय चालू निवेश के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
2.	नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> ₹28.61 लाख के नकद तथा नकद समान (तीन माह से कम परिपक्वता वाले) और ₹ 84.34 करोड़ के अन्य बैंक बकाया (तीन माह से अधिक परिपक्वता वाले) के आंकड़े तुलन पत्र पर आपस में परिवर्तित हो गए थे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 84.05 करोड़ प्रत्येक तक नकद तथा नकद समान को अधिक और अन्य बैंक बकाया को कम बताया गया। 12 माह से अधिक की शेष परिपक्वता अवधि के साथ ₹ 4.49 करोड़ के आवधिक जमा को गलत तरीके से अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों (गैर चालू परिसम्पत्तियों) के बजाय अन्य बैंक बकायों में सम्मिलित किया गया जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III का अननुपालन था। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, जोकि गैर चालू परिसंपत्तियां हैं, की खरीद हेतु दिए गए अग्रिम पूंजीगत अग्रिम हैं। तथापि, सेवाओं और

		<p>उपकरणों एवं संयंत्र की खरीद हेतु दिए गए ₹ 3.45 करोड़ के अग्रिम को अन्य चालू परिसंपत्तियों के तहत शामिल किया गया था जिसके परिणामस्वरूप उक्त को अधिक बताया गया तथा अन्य चालू परिसंपत्तियों को उसी राशि तक कम बताया गया।</p> <ul style="list-style-type: none"> कंपनी ने डीटीए के ₹ 15.13 करोड़ की राशि कम करने के पश्चात तुलन पत्र में डीटीएल (निवल) के प्रति ₹ 15.42 करोड़ की राशि को मान्यता दी जोकि दर विनियमित कार्यों के लेखांकन पर मार्गदर्शन टिप्पणी के अनुसार नहीं थी जिसने यह अनुबंधित किया कि एक सत्व दर नियमित परिसंपत्तियों तथा देयताओं का समजन नहीं करेगा और यह तुलन पत्र में प्रथम क्रम बंध को प्रस्तुत करेगा।
--	--	--

प्रकटन पर टिप्पणियां

क्र. सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी के जाली दस्तावेजों के आधार पर ₹ 24.25 लाख के ऋण के आवंटन हेतु आईपीसी की धारा 420 तथा 34 के तहत अपने दो उधारकर्ताओं तथा अपने दो पूर्व कर्मचारियों के विरुद्ध 21 सितम्बर 2018 को प्रथम सूचना रिपोर्ट फाइल करने के बावजूद, लेखापरीक्षकों ने सूचित किया था कि कंपनी द्वारा अथवा इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी सूचित नहीं की गई है। यह कंपनी लेखापरीक्षक के रिपोर्ट आदेश (सीएआरओ) नियमावली, 2016 के अनुपालन में नहीं था।
2.	क्रॉस बार्डर पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी ने 400 केवी मुज्जफरपुर - सरसंद डी/सी ट्रांसमिशन लाइन के विस्तार हेतु एआईएस उप-स्टेशन पैकेज हेतु माल एवं सेवा ठेके की आपूर्ति हेतु ठेको की राशि के प्रति ₹ 5.71 करोड़ की पूंजीगत प्रतिद्धता को प्रदर्शित नहीं किया जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के प्रावधानों के अनुसार नहीं था।
3.	कृष्णापट्टनम रेलवे कंपनी लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी ने इंड एस 7 के उल्लंघन में वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह के तहत उनसे लिए गए ऋण के प्रति विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंको को भुगतान किए गए ₹ 97.10 करोड़ के ब्याज को प्रदर्शित नहीं किया। निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह में एक मद 'पूंजीगत अग्रिमों सहित अचल परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय' सम्मिलित थी जिसे 'अमूर्त परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय' के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था। नकद तथा नकद समतुल्य के तहत बैंक के पास शेष में निलम्ब लेखों से संबंधित ₹ 7.78 करोड़ की राशि की निर्धारित निधि सम्मिलित थी। इसे कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के तहत अपेक्षित अनुसार पृथक रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया था।
4.	सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्रीज लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> अन्य बैंक शेषों और नकद समतुल्य के समावेश की वजह से आदि शेष नकद तथा नकद समतुल्यों को ₹ 20.02 लाख

		<p>तक अधिक तथा अन्तः नकद और नकद समतुल्यों को ₹ 21.31 लाख तक अधिक बताया गया।</p> <ul style="list-style-type: none"> • इंड एस-17 के उल्लंघन में, कंपनी ने 33 वर्षों की अवधि हेतु स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से पट्टे पर ली गई भूमि के संबंध में आगामी न्यूनतम भुगतान को प्रदर्शित नहीं किया।
5.	स्टार यूनिजन डाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • अंतरिम लाभांश के संबंध में टिप्पणी में ₹ 3.24 करोड़ की प्रस्तावित लाभांश राशि के संबंध में प्रकटन सम्मिलित नहीं था।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणियां

क्र. सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में 31 मार्च 2019 तक टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड के 9.43 प्रतिशत एनसीडी में ₹ 10 करोड़ के निवेश के विषय में वर्णन नहीं किया गया था जो भारतीय बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण तथा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तैयारी) विनियमन, 2002 की अनुसूची 'सी' के पैरा-4 के उल्लंघन में था।
2.	सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • भले ही कंपनी ने जाली दस्तावेजों के आधार पर ऋण के आवंटन हेतु अपने दो उधारकर्ताओं तथा अपने दो पूर्व कर्मचारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी फिर भी सांविधिक लेखापरीक्षक ने कंपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट आर्डर (सीएआरओ) नियमावली 2016 के तहत अपनी रिपोर्ट में किसी धोखाधड़ी की सूचना नहीं थी।
3.	कृष्णापटनम रेलवे कंपनी लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • लेखापरीक्षक द्वारा बनाई गई यह अर्हता की कंपनी ने गलत तरीके से ₹ 306.38 लाख के कार्यालय भवन का पूजीकरण किया था तथा इस पर ₹ 32.16 लाख का मूल्यहास प्रदान किया था जिसके परिणामस्वरूप संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण को ₹ 306.38 लाख तक अधिक तथा सीडब्ल्यूआईपी को उसी सीमा तक कम तथा मूल्यहास को भी ₹32.16 लाख तक अधिक तथा लाभ को उसी सीमा तक कम बताया गया, गलत थी क्योंकि कार्यालय भवन को कंपनी द्वारा अक्टूबर 2014 में उपयोग हेतु तैयार स्थिति में खरीदा था।
4.	सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्रिज लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • लेखापरीक्षक की 17.04.2019 की रिपोर्ट को 24.05.2019 को तथा पुनः 25.06.2019 को संशोधित करने हेतु कारण को संशोधित रिपोर्टों में सम्मिलित नहीं किया गया था।
5.	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • यह प्रमाणन कि पॉलिसी धारकों की निधियों की परिसंपत्तियों का कोई भी भाग प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों के उल्लंघन में प्रयोग नहीं किया गया था, गलत था क्योंकि कंपनी ने 31.3.2019 तक टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड में निर्धारित ब्याज बांड में ₹ 63.29 करोड़ का निवेश किया था जो बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 धारा 27ए (4) के तहत निषिद्ध था।
6.	स्टार यूनिजन डाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • यह प्रमाणन कि नीति धारकों की निधियों की परिसंपत्तियों का कोई भी भाग प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों के उल्लंघन में अनुप्रयोग नहीं

		किया गया था, गलत था क्योंकि कंपनी ने टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड में निर्धारित ब्याज बांड में ₹ 60 करोड़ का निवेश किया था जो बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 धारा 27ए (4) के तहत निषिद्ध था।
--	--	--

2.5.2 सांविधिक निगम जहां सीएजी ही एकमात्र लेखापरीक्षक है

सांविधिक निगमों जहां सीएजी ही एकमात्र लेखापरीक्षक है, के संबंध में सीएजी द्वारा जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों के विवरण नीचे दर्शाए गए हैं:

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

- कार्गो परिचालन तथा मूल्यहास से संबंधित मूर्त अचल परिसंपत्तियों को एएआई कार्गो लॉजिस्टिक एंड एलाइड सर्विसिज कंपनी लिमिटेड को इन परिसंपत्तियों को हस्तांतरित न करने की वजह से क्रमशः ₹ 9.44 करोड़ तथा ₹ 2.67 करोड़ तक अधिक बताया गया। इसके फलस्वरूप, प्राप्यों को ₹ 12.11 करोड़ तक कम बताया गया।
- मूर्त अचल परिसंपत्तियों को एक परिसंपत्ति (सी-एटीएफएम) की गलत पूंजीकरण तिथि लेने के कारण मूल्यहास के कम प्रभारित होने की वजह से ₹ 16.39 करोड़ तक अधिक बताया गया। इसके फलस्वरूप, इसी सीमा तक लाभ को अधिक बताया गया।
- सीडब्ल्यूआईपी को निम्नलिखित पूर्ण कार्य का पूंजीकरण न होने की वजह से ₹ 138.30 करोड़ तक अधिक बताया गया:

(₹करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	राशि
i.	लखनऊ एयरपोर्ट पर 19.07.2018 को पूर्ण डीवीआर प्रणाली	0.25
ii.	11 परिसंपत्तियां पूर्ण की गईं तथा लेह एयरपोर्ट पर अभीष्ट उपयोग हेतु तैयार थी	4.26
iii.	गोवा एयरपोर्ट पर स्टाफ क्वार्टर के निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ।	21.56
iv.	गुवाहटी एयरपोर्ट पर रनवे कार्य की री-कारपेटिंग	41.09
v.	इम्फाल एयरपोर्ट पर एप्रेन तथा लिंक टैक्सी मार्ग का विस्तार कार्य	8.94
vi.	शिलांग तथा तेजु एयरपोर्ट पर उपकरण	5.01
vii.	अगरतला एयरपोर्ट पर नए स्थान के लिए उपकरण की शिफ्टिंग पर किया गया व्यय	1.44
viii.	खजुराहो एयरपोर्ट पर 27.03.2019 को चालू क्रैश फायर टैंडर	5.27

ix.	जीएसएटी-15 के समेकन तथा जीएएमईएस (गगन मैसेज सिस्टम) के क्रियान्वयन पर किया गया व्यय	40.63
x.	शेष कार्य चरण-I में पूरा हुआ, सी-एटीएफएम 26.11.2015 को पूरा हुआ।	9.85
	कुल	138.30

- सीडब्ल्यूआईपी को टर्निंग पेड 27 को चौड़ा करने तथा टैक्सी के फाइलेट/शॉल्डर को चौड़ा करने से संबंधित पूंजीगत कार्य की वजह से ₹ 7.17 करोड़ तक कम बताया गया जिसे गलत तरीके से राजस्व व्यय के रूप में प्रभारित किया गया था।
- जेवीसी/अनुषंगी कंपनियों से देयों को 2017-18 तथा 2018-19 की समयावधि के दौरान निर्मित कार्गो सेंगमेंट परिसंपत्तियों पर संचित मूल्याह्रास के कारण ₹ 3.10 करोड़ तक कम बताया गया और 31.3.2019 तक एएआई कार्गो लॉजिस्टिक एंड एलाइड सर्विसिज कंपनी लिमिटेड को स्थानांतरित किया गया।
- वर्ष 2018-19 के दौरान मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड से प्राप्त अधिक पट्टा राजस्व के प्रति एयरपोर्ट पट्टा राजस्व को अधिक तथा देयताओं को ₹ 10.75 करोड़ तक कम बताया गया। इसके फलस्वरूप लाभ को इसी राशि तक अधिक बताया गया।
- संबंधित परियोजना व्ययों के साथ मोबिलाइजेशन अग्रिमों पर अर्जित ब्याज आय का समंजन न करने की वजह से अन्य आय को ₹ 5.81 करोड़ तक अधिक बताया गया।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (2017-18)

- अचल परिसंपत्तियों के तहत 'भारत सरकार की ओर से धारित परिसंपत्तियों (पूर्ण एवं चालू)' के प्रकटन की वजह से एनएचआई की अचल परिसंपत्तियों को ₹ 2,85,643.72 करोड़ तक अधिक बताया गया।
- वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 6890.24 करोड़ की उधार लागत की सम्पूर्ण राशि को 'भारत सरकार की ओर से धारित परिसंपत्तियों' के तहत बुक किया गया जिसमें पूर्ण परियोजनाओं के संदर्भ में उधार लागत भी सम्मिलित थी जो सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का उल्लंघन था। चालू तथा पूर्ण परियोजनाओं के संदर्भ में परियोजना वार ब्यौरों के अभाव में, इसका मात्रा निर्धारण तथा सत्यापन संभव नहीं था।
- एनएचआई ने लाभ तथा हानि खाते में राजस्व प्रकृति के व्यय की बुकिंग के बजाय 'वर्ष हेतु निवल स्थापना व्यय' की ₹ 392.26 करोड़ की सम्पूर्ण राशि का पूंजीकरण कर दिया। ऐसे व्यय के परियोजना-वार ब्यौरों के अभाव में, लेखापरीक्षा एनएचआई की वजह से ऐसे गलत लेखांकन के प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ थी।

- यद्यपि भारत सरकार की ओर से किए गए व्यय के साथ ₹ 1383.01 करोड़ की राशि की 19 परियोजनाओं की लागत को राज्य सरकार को हस्तांतरित किया गया, फिर भी लेखा बहियों में कोई समायोजन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप इसी राशि तक 'भारत सरकार की ओर से धारित परिसंपत्तियों' को अधिक बताया गया।
- 56 परियोजनाएं ऐसी थी जिन्हें राज्य सरकारों/लोक निर्माण कार्य विभागों तथा अन्य विभागों से एनएचएआई द्वारा लिया गया था। तथापि, प्राप्त की गई इन परियोजनाओं की ₹ 767.29 करोड़ के आरंभिक मूल्य को सम्मिलित नहीं किया गया जिसकी वजह से 'भारत सरकार की ओर से धारित परिसंपत्तियों' को ₹ 767.29 करोड़ तक कम बताया गया।
- टॉल संग्रहण गतिविधियों पर व्यय को भारतीय हाईवे प्रबंधन कंपनी लिमिटेड को जनवरी 2018 से मार्च 2018 तक की अवधि हेतु देय छूट (कैश बैंक) तथा फीस संग्रहण प्रभारों के प्रति प्रावधान न होने की वजह से ₹ 124.99 करोड़ तक कम बताया गया।
- सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार, अप्रयुक्त पूंजी पर अर्जित ब्याज की राशि एनएचएआई का राजस्व नहीं था तथा इसीलिए इसे भारत सरकार को देय राशि के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था जिसकी वजह से एनएचएआई की लेखांकन नीति पर पुनः विचार करने की आवश्यकता थी। इस मामले को वर्ष 2016-17 के दौरान भी उठाया गया परन्तु इस संबंध में कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।
- 31 मार्च 2018 तक, विभिन्न ऋणों के प्रति ₹ 1,22,524.15 करोड़ की राशि को देय के रूप में दर्शाया गया था। तथापि, इसकी स्वयं की नियमावली के उल्लंघन में, एनएचएआई ने 2015-16 तथा 2016-17 हेतु एनएचएआई के लेखाओं पर समान टिप्पणी करने के बावजूद इन ऋणों को चुकाने हेतु आरक्षित निधि सृजित नहीं की।
- आठ विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) कंपनियों को आवंटित ऋण राशि पर वर्ष 2017-18 के दौरान प्रोद्भूत ₹ 129.84 करोड़ के ब्याज को 'अचल परिसंपत्ति - भारत सरकार की ओर से धारित परिसंपत्ति' से कम किया गया था जिसे वास्तव में लाभ तथा हानि खाते में प्राधिकरण की आय के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप 'भारत सरकार की ओर से धारित परिसंपत्तियों' तथा वर्ष हेतु आय को ₹ 129.84 करोड़ तक कम बताया गया।
- 'भारत सरकार की ओर से धारित परिसंपत्तियों' को मध्यस्थता अधिकरण अवॉर्ड्स के प्रति ठेकेदारों/रियायतग्रहियों को 75 प्रतिशत के अग्रिम भुगतान को शामिल करने के आधार पर ₹ 237.16 करोड़ तक अधिक बताया गया था जिसे विभिन्न न्यायालयों में चुनौती दी गई, जो आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीईए) के निर्णय

(5 सितम्बर 2016) के अनुसार किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ऋण तथा अग्रिमों को भी समान राशि तक कम बताया गया।

- 'भारत सरकार की ओर से धारित परिसंपत्तियों' को स्टॉफ के लिए आवास और दूसरे कार्यालय के लिए भवन जो एनएचएआई की परिसंपत्तियां थी, को शामिल करने के आधार पर ₹79.71 करोड़ तक अधिक बताया गया। इसके परिणामस्वरूप 'सीडब्ल्यूआईपी अचल परसंपत्तियों' को भी कम बताया गया।
- भारत सरकार की ओर से धारित परिसंपत्तियों में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम चरण-IV के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न राज्य सरकारों को एनएचएआई द्वारा जारी ₹1194.84 (₹ 76.63 करोड़ के मोबिलाइजेशन अग्रिम सहित) करोड़ सम्मिलित थे। तथापि, इन परियोजनाओं को एनएचएआई द्वारा न तो हस्तांतरित किया गया न ही धारित किया गया। इसलिए, 'भारत सरकार की ओर से धारित परिसंपत्तियों' के तहत इन परियोजनाओं के संदर्भ में एनएचएआई द्वारा राज्य सरकार को जारी राशि दर्शाना सही नहीं था तथा इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा धारित अचल-परिसंपत्तियों-परिसंपत्तियों को ₹1118.21 करोड़ तक तथा चालू परिसंपत्तियों और ऋणों एवं अग्रिमों को ₹76.63 करोड़ तक अधिक बताया गया।
- इस तथ्य के बावजूद कि तीन विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) अर्थात् अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे कॉ. लि. (एवीईएक्ससीएल), मोरादाबाद टॉल रोड कॉ.लि. (एमटीआरसीएल) तथा कोचीन पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड (सीपीआरसीएल) को दिए गए ₹ 253.28 करोड़ के ऋण की वसूली की कोई संभावना नहीं थी क्योंकि संबंधित कंपनियों के निदेशक मंडल द्वारा इन तीनों कंपनियों को बन्द करने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका था, एनएचएआई ने कथित राशि हेतु कोई प्रावधान नहीं किया जिसके फलस्वरूप 'जमा, ऋण तथा अग्रिमों' को ₹ 253.28 करोड़ तक अधिक तथा इसी सीमा तक वर्ष हेतु हानि को कम बताया गया।
- प्रीमियम के युक्तियुक्तकरण की नीति के अनुसार, एनएचएआई ने 20 राजमार्ग परियोजनाओं के संबंध में रियायतग्राहियों से वसूलीयोग्य ₹9331.87 करोड़ की राशि के प्रीमियम को स्थगित किया। तथापि, इसमें ₹3791.04 करोड़ की राशि सम्मिलित थी, जो 2014-15 से 2017-18 तक से संबंधित थी जिसे वसूलीयोग्य दर्शाया जाना चाहिए था। इसके फलस्वरूप भारत सरकार की देयताओं-भुगतानयोग्य राशि को तथा प्राप्य दावे को ₹3791.04 करोड़ तक कम बताया गया।
- चालू देयताओं को निम्नलिखित के प्रति देयताओं का प्रावधान न होने/कम होने की वजह से ₹ 5029.70 करोड़ तक कम बताया गया:

क्र. सं.	विवरण	राशि
i.	मध्यस्थता अँवार्ड के अनुसार भूमि खोने वालों को देय 3डी अधिसूचना/3जी अँवार्ड जारी करने के बावजूद भूमि के अधिग्रहण हेतु देय मुआवजा	4646.88
ii.	निष्पादित निर्माण कार्य के संदर्भ में ठेकेदारों/रियायतग्राहियों को देय राशि	231.27
iii.	यूटिलिटी शिफ्टिंग हेतु ठेकेदार/रियायतग्राही को देय राशि	7.24
iv.	निष्पादित पर्यवेक्षण कार्य के संदर्भ में सलाहकारों को देय राशि	2.30
v.	रियायतग्राहियों/ठेकेदारों द्वारा विलम्बित भुगतान पर टॉल/ब्याज के कम प्रेषण के संदर्भ में भारत सरकार को देय राशि	21.42
vi.	बीओटी टॉल परियोजनाओं पर प्रीमियम के संदर्भ में भारत सरकार को देय राशि	7.15
vii.	निष्पादित अनुरक्षण कार्य हेतु ठेकेदारों को देय राशि	7.73
viii.	विधिक व्यय/मध्यस्थता/न्यायालय अँवार्ड की वजह से देय राशि	2.79
ix.	व्यवहार्य गेप फंडिंग (वीजीएफ) के 2 ^र शेयर हिस्से की वजह से रियायतग्राही को देय राशि	85.06
x.	टॉल प्लाजा के सस्पेंशन के दौरान ऋण तथा ओएंडएम व्ययों पर ब्याज की वजह से देय राशि	15.36
xi.	54 ईसी बांड के प्रति प्राप्त अनुप्रयोग धन पर मार्च 2018 माह हेतु ब्याज	2.50
	कुल	5029.70

- वसूली योग्य राशि को चरण IV तथा एनएच-17 की 32 परियोजनाओं के निर्माण हेतु राज्य सरकार की एजेंसियों को किए गए भुगतान के प्रति सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय से वसूलीयोग्य के रूप में मानी गई राशि होते हुए इस तथ्य के बावजूद ₹ 8622.91 करोड़ तक अधिक बताया गया कि मंत्रालय ने भुगतान हेतु पहले ही मना कर दिया था (जून 2018)।
- लेखाबहियों में वर्णित अनुसार ईस्टर्न पेरिफेरल एक्प्रेसवे पर जमा तथा व्यय की गई राशि सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय को एनएचएआई द्वारा प्रस्तुत स्टेटस रिपोर्ट के साथ मेल नहीं खाती थी जिसे इसी वजह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। टिप्पणियों के अनुसार जमा की गई राशि ₹ 800.25 करोड़ थी जबकि स्टेटस रिपोर्ट में यह राशि ₹ 937.92 करोड़ थी। इसी प्रकार, टिप्पणियों के अनुसार व्यय की गई राशि ₹ 5115.18 करोड़ थी जबकि स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार यह राशि ₹ 5357.75 करोड़ थी।
- लाभ एवं हानि खाते के बजाय पूंजीगत खाते के प्रति राजमार्ग के अनुरक्षण पर अनुरक्षण अनुदान तथा किए गए व्यय के समायोजन की वजह से, शेयर धारक की

निधि-निधि पूंजीगत के साथ-साथ वर्ष हेतु हानि को ₹ 891.14 करोड़ तक कम बताया गया। वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 हेतु दर्शाए जाने के बावजूद भी कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

- एनएचएआई ने आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति के अनुमोदन के अनुसार सुस्त परियोजनाओं के रियायतग्राहियों को एक मुश्त निधि सम्मिश्रण के रूप में ₹ 893.44 करोड़ की राशि वितरित की। बैंक दर जमा 2 प्रतिशत के ऋण आधार पर उक्त राशि के अनुदान हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। तथापि, लेखाबहियों में ब्याज को मान्यता नहीं दी गई।

इनलैंड वाटरवेज अथोरिटी ऑफ इंडिया (2017-18)

- ₹41.98 करोड़ के निवल मूल्य पर पट्टा भूमि की बुकिंग तथा पट्टा किराए के रूप में ₹3.89 करोड़ को प्रभारित करने के कारण, सकल ब्लॉक को ₹3.89 करोड़ तक कम बताया गया।
- परिचालनात्मक तथा अनुरक्षण व्यय के तहत 2017-18 के दौरान जल मार्ग विकास परियोजना पर व्यय की गई राशि के समावेश की वजह से सीडब्ल्यूआईपी को ₹23.95 करोड़ तक कम बताया गया। इसके फलस्वरूप, घाटे को इसी राशि तक अधिक बताया गया।
- विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार ने एक करार (मार्च 2009) के माध्यम से म्यांमार के सिट्वे पोर्ट को भारत में मिजोरम राज्य से जोड़ने वाली कलदन नदी पर मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट सुविधा के क्रियान्वयन हेतु संचालित की जा रही कलदन परियोजना हेतु परियोजना विकास सलाहकार (पीडीसी) के रूप में एक प्राधिकारी नियुक्त किया। परियोजना कार्य प्रगति पर है। परियोजना से संबंधित वित्तीय लेन-देनों के संबंध में टिप्पणी में प्रकटन को प्रदान नहीं किया जा सका क्योंकि प्राधिकारी ने वर्ष 2017-18 हेतु कलदन परियोजना की पृथक लेखाबहियां बनाई थी तथा उक्त परियोजना के लेखों के घटकों को वर्ष 2017-18 हेतु प्राधिकारी के लेखों में सम्मिलित नहीं किया गया था। यह मामला 2016-17 के दौरान भी उठाया गया परन्तु प्रबंधन द्वारा अभी तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

2.6 लेखांकन मानको/इंडएसके प्रावधानों का अननुपालन

कथित अधिनियम की धारा 129 (1), धारा 132 और धारा 133 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से केन्द्र सरकार ने लेखांकन मानक 1 से 7 तथा 9 से 29 निर्धारित किए। इसके अलावा, केन्द्र सरकार ने कंपनी (भारतीय

लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधन) नियमावली, 2016 के माध्यम से 41 भारतीय लेखांकन मानक (इंडएएस) अधिसूचित किए।
सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सूचित किया कि **परिशिष्ट-XX** में ब्यौराबद्ध 27 कम्पनियों ने अनिवार्य लेखांकन मानकों/इंडएएस का पालन नहीं किया।

अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान, सीएजी ने यह पाया कि निम्नलिखित कम्पनियों ने लेखांकन मानकों/इंड एएस का अनुपालन नहीं किया था जिन्हें उनके सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दर्शाया नहीं गया था:

लेखांकन मानक/इंड एएस		कंपनी का नाम	विचलन
इंड एएस 1	इक्विटी में परिवर्तन	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (2017-18)	<ul style="list-style-type: none"> आरक्षित तथा अधिशेष और 'अन्य इक्विटी' के तहत अन्य व्यापक आय सहित प्रत्येक घटक हेतु पृथक समेकन नहीं दर्शाया गया।
इंड एएस 7	नकद प्रवाह विवरण	नार्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> परिसंपतियों के अंकित मूल्य जिसका निपटान किसी नकद प्रवाह से नहीं किया गया, को नकद प्रवाह विवरण में निवेश गतिविधियों के तहत सम्मिलित किया गया था। आवधिक जमा, जिनकी परिपक्वता अवधि 3 माह से अधिक थी, को निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह के बजाय नकद तथा नकद समतुल्य के तहत सम्मिलित किया गया।
		इरकॉन देवेनगोरेहवेरी हाईवे लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> ब्याज तथा अन्य वित्त लागत को वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह के तहत दर्शाया नहीं गया। गैर-चालू वित्तीय परिसंपतियों में परिवर्तन को निवेश गतिविधियों से प्रवाह के तहत इसे प्रदर्शित करने के बजाय कार्यकारी पूंजी परिवर्तनों के समायोजन में दर्शाया गया।
		इरकॉन पीबी टॉलवे लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह में टॉल रोड के निर्माण पर व्यय की गई राशि सम्मिलित थी जिसे अमूर्त परिसंपतियों की खरीद/विनिर्माण के बजाय सीडब्ल्यूआईपी सहित संपत्ति, संयंत्र तथा

			उपकरण की खरीद के रूप में दर्शाया गया था।
		इरकॉन शिवपुरी गुना टॉलवे लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • कंपनी ने वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह के तहत अपनी धारण कंपनी को भुगतान की गई ब्याज राशि को प्रकट नहीं किया। • टॉल रोड के निर्माण पर व्यय की गई राशि को गलत तरीके से निवेश गतिविधि से नकद प्रवाह के तहत अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद/निर्माण के बजाय संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण (सीडब्ल्यूआईपी सहित) की खरीद के रूप में दर्शाया गया।
		कृष्णापट्टनम रेलवे कंपनी लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • विभिन्न राष्ट्रीकृत बैंको को उनसे लिए गए ऋण के प्रति भुगतान किए गए ब्याज को वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह के तहत प्रकट नहीं किया गया। • निवेश गतिविधि से नकद प्रवाह में पूंजीगत अग्रिमों सहित अचल परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय सम्मिलित था जिसे अमूर्त परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था।
इंड एस 8	लेखांकन नीति, लेखांकन आकलनों तथा त्रुटियों में परिवर्तन	हिन्दुस्तान फ्लुरोकार्बनस लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • पूर्व वर्षों से संबंधित त्रुटि का लेखांकन पूर्व अवधि की आय के रूप में किया गया जो इंड एस के अनुसार नहीं था।
		हॉटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	<ul style="list-style-type: none"> • पूर्व वर्षों के लिए प्रदत्त ब्याज को चालू वर्ष के व्यय के बजाय पूर्व अवधि के व्यय के रूप में बुक किया गया।
इंड एस 12	आयकर	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसिज लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • कंपनी ने न तो डीटीए की पहचान की और न ही इसकी पहचान न करने हेतु कोई प्रकटन किया।
इंड एस 17	पट्टा	सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्रीज लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से 33 वर्ष की अवधि हेतु पट्टे पर ली गई भूमि के संदर्भ में आगामी न्यूनतम भुगतान को प्रकट नहीं किया गया।
इंड एस 20	आय प्रति शेयर	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • भारत सरकार से प्राप्त अनुदान को अन्य आय के रूप में इसे दर्शाने के बजाय अन्य परिचालन आय के तहत दर्शाया गया।

इंड एस 36	परिसंपतियों की हानि	इरकॉनशिवपुरी टॉलवे लिमिटेड	गुना	• निवेश की क्षति जांच नहीं की गई थी।
इंड एस 101	भारतीय लेखांकन मानकों को प्रथम बार अपनाना	हिन्दुस्तान फ्लुरोकार्बन लिमिटेड		• इंड एस के ट्रांजिशन की तिथि पर परिसंपतियों की मानी गई लागतको चयन आधार पर अपनाया गया था।
इंड एस 115	ग्राहकों के साथ ठेके से राजस्व	इरकॉनपीबी लिमिटेड	टॉलवे	• विनिर्माण ठेके से राजस्व को परिचालन राजस्व के तहत इसे प्रदर्शित करने के बजाय अन्य परिचालन राजस्व के रूप में प्रकट किया गया था।

2.7 प्रबन्धन पत्र

वित्तीय लेखापरीक्षा उद्देश्यों में से एक लेखापरीक्षक और निगम सत्व के अभिशासन के उत्तरदायित्व वाले व्यक्तियों के बीच वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से व्युत्पन्न लेखापरीक्षा विषयों पर संवाद स्थापित करना है।

पीएसई के वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियां कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा टिप्पणियों के रूप में सूचित की गई थी। इन टिप्पणियों के अलावा, वित्तीय रिपोर्टों में अथवा रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं में सीएजी द्वारा पाई गई अनियमितताएं अथवा त्रुटियां सुधारात्मक कार्रवाई के लिए 'प्रबंधन पत्र' के माध्यम से प्रबन्धन को भी बताई गई थी। इस वर्ष के दौरान, सीएजी द्वारा 155 सीपीएसई को 'प्रबंधन पत्र' जारी किए गए (परिशिष्ट XXI)। यह त्रुटियां सामान्यतया निम्नलिखित से संबंधित थी।

- लेखांकन नीतियों और प्रथाओं को लागू करना और व्याख्या करना,
- लेखापरीक्षा से उद्भूत समायोजन जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते थे; और
- कतिपय सूचना की अपर्याप्तता या अप्रकटीकरण जिस पर संबंधित पीएसई के प्रबन्धन ने यह आश्वासन दिया कि आगामी वर्ष में सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

अध्याय III

निगमित अभिशासन

3.1 प्रस्तावना

3.1.1 कम्पनी अधिनियम 2013 में यथा शामिल प्रावधान

कम्पनी अधिनियम, 1956 को प्रतिस्थापित करते हुए 29 अगस्त 2013 को कम्पनी अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया था। इसके अलावा, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने प्रबन्धन और प्रशासन, निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता, निदेशक बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियाँ और लेखाओं को भी कम्पनी नियमावली, 2014 में अधिसूचित (31 मार्च 2014) किया था। कम्पनी नियमों के साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 निगमित अभिशासन के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करते हैं। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का प्रावधान है:

- व्यवसायिक आचरण के लिए कर्तव्यों और दिशानिर्देशों के साथ स्वतंत्र निदेशकों के लिए योग्यताएं (कंपनी निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियमावली 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 149(6) एवं (8) और अनुसूची IV} को पढ़ा जाये ।
- सूचीबद्ध कम्पनियों के बोर्ड पर एक महिला निदेशक की अनिवार्य नियुक्ति {धारा (1)149}।
- निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति {धारा (135)}, लेखापरीक्षा समिति {धारा 177 (1)}, नामांकन और पारिश्रमिक समिति {धारा 178(1)}, और पणधारक संबंध समिति {धारा 178(5)} जैसी कुछ समितियों का अनिवार्य रूप से गठन।
- प्रति वर्ष निदेशक मंडल की कम से कम चार बैठकें इस तरीके से आयोजित करना कि बोर्ड की लगातार दो बैठकों के बीच 120 दिन से अधिक का अन्तराल नहीं होगा {धारा 173(1)}।

3.1.2 निगमित अभिशासन पर सेबी के दिशानिर्देश

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधिनियमन के उपरान्त भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 को संशोधित किया (अप्रैल और सितम्बर 2014) ताकि उसे कम्पनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट निगमित अभिशासन प्रावधानों के साथ संरेखित किया जा सके।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ने 2 सितम्बर 2015 पुराने प्रावधानों को निरस्त करके सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015, जो 1 दिसम्बर 2015 से लागू हुई, को अधिसूचित किया गया ।

सेबी ने 13 अक्टूबर 2015 को सभी प्रकार की प्रतिभूतियों के लिए एक एकीकृत सूचीबद्ध करार प्रपत्र जारी किया जिसके द्वारा सूचीबद्ध कम्पनियों को सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक था। ये विनियम 22 दिसम्बर 2015, 25 मई 2016, 8 जुलाई 2016, 4 जनवरी 2017, 15 फरवरी 2017, 13 अप्रैल 2017, 09 मई 2018, 30 मई 2018, 01 जून 2018, 8 जून 2018, 06 सितम्बर 2018, 16 नवम्बर 2018 और 29 मार्च 2019 को संशोधित किए गए।

3.1.3 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देश

सार्वजनिक उद्यम विभाग)डीपीई (ने निदेशक मंडल में गैर अधिकारिक निदेशकों को शामिल करने पर नवम्बर, 1992 में निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश जारी किए। डीपीई ने निदेशक मण्डल में स्वतंत्र निदेशकों को शामिल करने के लिए नवम्बर, 2001 में पुनः दिशानिर्देश जारी किए। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों)सीपीएसई (के कार्यचालन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए संघ सरकार ने जून, 2007 में सीपीएसई के लिए निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश जारी किए। ये दिशानिर्देश स्वरूप में स्वैच्छिक थे। इन दिशानिर्देशों को एक वर्ष की प्रयोगात्मक अवधि के लिए लागू किया गया था। इस अवधि के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर, मई 2010में डीपीई दिशानिर्देशों को आशोधित करने एवं पुनः जारी करने का निर्णय लिया गया था। इन दिशानिर्देशों को अनिवार्य बनाया गया और ये सभी सीपीएसई के लिए लागू किए गए हैं। डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निदेशक मंडल के संयोजन, मंडल समितियों के संयोजन एवं कार्य जैसे लेखापरीक्षा समिति, परिश्रमिक समिति, सहायक कम्पनियों का विवरण, उदघोषणाएं, रिपोर्टों और कार्यान्वयन हेतु कार्यक्रम के क्षेत्र कवर होते हैं । इस अध्याय में डीपीई दिशानिर्देशों के सभी संदर्भ मई, 2010 में जारी डीपीई दिशानिर्देशों से संदर्भित है जो सभी सीपीएसई के लिए अनिवार्य है। डीपीई ने सभी सीपीएसई के एमओयू में निष्पादन पैरामीटर के रूप में निगमित अभिशासन को भी शामिल किया है। जहां तक सूचीबद्ध सीपीएसई का संबंध है, वहाँ उन्हें डीपीई दिशानिर्देशों में दिए गए प्रावधानों के अनुपालन के अतिरिक्त निगमित अभिशासन पर सेबी दिशानिर्देशों/विनियमों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

3.1.4 चयनित सीपीएसई द्वारा निगमित अभिशासन प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा

31 मार्च 2019 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 596 सीपीएसई थे। सीपीएसई को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की सरकार की नीति के संदर्भ में निगमित अभिशासन और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। महारत्न योजना के अंतर्गत, सीपीएसई से अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालनों को बढ़ाने और वैश्विक पहचान बनाने की उम्मीद की जाती है जिसके लिए प्रभावी निगमित अभिशासन अत्यावश्यक है।

समीक्षा के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधानों, सेबी द्वारा जारी (अप्रैल और सितम्बर 2014), सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 और निगमित अभिशासन पर डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों (मई 2010) तथा विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध सीपीएसई द्वारा अनुपालन के आधार पर एक निर्धारण रूपरेखा तैयार की गई थी। इन प्रावधानों के वर्ष 2018-19 के दौरान अनुपालन को निर्धारण रूपरेखा में दर्शाया गया था। समीक्षा में 53 सूचीबद्ध सीपीएसई तथा दो सीपीएसई, जिनके बाण्ड 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए विभिन्न मंत्रालयों प्रशासनिक के नियंत्रणाधीन सूचीबद्ध हैं, को शामिल किया गया है। सीपीएसई की सूची *परिशिष्ट-XXII* में दी गई है।

3.2 निदेशक मंडल का गठन

3.2.1 बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशक

बोर्ड निगमित अभिशासन का एक बहुत महत्वपूर्ण तंत्र हैं। सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(II)(ए)(1) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 17(1)(ए) में अनुबंधित है कि कम्पनी के निदेशक मंडल में कार्यकारी एवं गैर-कार्यकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन होना चाहिए जिनमें से गैर कार्यकारी निदेशक, निदेशक मंडल के 50 प्रतिशत से कम नहीं होने चाहिए।

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड में गैर कार्यकारी निदेशक (तीन) कुल बोर्ड सदस्य (सात) के 50 प्रतिशत से कम थे।

3.2.2 स्वतंत्र निदेशक

प्रबन्धन के निर्णयों पर स्वतन्त्र विचार देने में समर्थ बोर्ड में स्वतंत्र प्रतिनिधियों की उपस्थिति को शेयरधारकों और अन्य पणधारकों के हितों की सुरक्षा करने के साधन के रूप में व्यापक रूप से माना गया है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4), कम्पनी (निदेशकों की नियुक्ति तथा योग्यता) नियमावली, 2014 के नियम 4, सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 (II)(ए)(2), सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 17(1)(बी) और डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के अनुसार जहां बोर्ड का अध्यक्ष गैर कार्यकारी निदेशक है, वहां कम से कम बोर्ड के एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए

और यदि वह एक कार्यकारी निदेशक है तो कम से कम आधा बोर्ड स्वतंत्र निदेशकों का बना हुआ होना चाहिए। खण्ड 49(II)(बी)(1)के अनुसार, 'स्वतंत्र निदेशक' का अर्थ कम्पनी के नामित निदेशक के अलावा गैर कार्यकारी निदेशक होगा।

निदेशक मंडल के गठन की समीक्षा से पता चला कि तालिका 3.1 में सूचीबद्ध सीपीएसई में उनके बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी:

तालिका :3.1सीपीएसई जहां स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों के अलावा निदेशकों की सं.	अध्यक्ष की प्रास्थिति	स्वतंत्र निदेशकों को अपेक्षित संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या
1	एनएमडीसी लिमिटेड	8	कार्यकारी	8	6
2	केआईओसीएल लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	3
3	ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	5	कार्यकारी	5	-
4	एचएमटी लिमिटेड	4	कार्यकारी	4	2
5	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	7	कार्यकारी	7	5
6	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	5
7	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	4
8	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	9	कार्यकारी	9	7
9	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	5
10	बीईएमएल लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	4
11	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	7	कार्यकारी	7	6
12	आईआरसीओएन इंटरनेशनल लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	5
13	ऑयल इंडिया लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	4
14	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	7	कार्यकारी	7	4
15	बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड	7	कार्यकारी	7	4
16	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	3	कार्यकारी	3	1
17	शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	8	कार्यकारी	8	6
18	एंड्र्यू यूले एंड कंपनी लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	3
19	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7	कार्यकारी	7	4
20	एमएमटीसी लिमिटेड	7	कार्यकारी	7	6
21	भारत पर्यटन विकास निगम	5	कार्यकारी	5	4
22	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड	10	कार्यकारी	10	7
23	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	8	कार्यकारी	8	7
24	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	4
25	पावर ग्रिड कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	5

26	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	8	कार्यकारी	8	5
27	एनएचपीसी लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	5
28	पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	5	कार्यकारी	5	2
29	एसजेवीएन लिमिटेड	7	कार्यकारी	7	5
30	एमओआईएल लिमिटेड	7	कार्यकारी	7	4

सीपीएसई) आईएफसीआई लिमिटेड तथा स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (के संबंध में बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

3.2.3 बोर्ड में महिला निदेशक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(1), कम्पनी (निदेशक की नियुक्ति तथा योग्यता) नियमावली, 2014 के अध्याय XI का नियम 3 तथा सूचीबद्ध करार का खण्ड 49(II)(ए)(1) और सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 का विनियम 17(1)(ए) निर्धारित करता है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक होगी। तथापि दो कंपनियों (बीईएमएल लिमिटेड तथा एमएमटीसी लिमिटेड) के संबंध में यह आवश्यकता पूर्ण नहीं की गई।

3.3 स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति एवं कार्यचालन पद्धति

3.3.1 स्थिति की घोषणा

सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 25(8)के साथ पठित विनियम 16(1)(बी) प्रावधान करता है कि स्वतंत्र निदेशक यह घोषणा करेगा कि वह स्वतंत्र निदेशक की स्थिति को पूरा करता है। तथापि, तीन सीपीएसई (मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड) के संबंध में, स्वतंत्र निदेशकों द्वारा स्वतंत्र स्थिति की घोषणा नहीं की गई थी।

3.3.2 स्वतंत्र निदेशकों का प्रशिक्षण

3.3.2.1 कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV (पैरा-(III)(1)स्वतंत्र निदेशकों के कर्तव्य) और सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(II)(ख)(7)(क)और(ख)और सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 के विनियमन 25(7) में प्रावधान है कि कम्पनी प्रशिक्षणों के माध्यम से स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी के बारे में जानकारी, कंपनी में उनकी भूमिकाएं, अधिकार, उत्तरदायित्वों, उद्योग की प्रकृति जिसमें कंपनी संचालित होती है, कंपनी के व्यापार मॉडल इत्यादि विषयों से अवगत करायेगी। तथापि, यह पाया गया कि तीन (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड तथा भारत

इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स लिमिटेड) सीपीएसई में उन स्वतंत्र निदेशकों के लिए ऐसा कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया जो वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड में थे।

3.3.2.2 इसके अतिरिक्त, सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015, के विनियमन 46(2)(i) और अनुसूची V(सी)(2)(जी) के उल्लंघन में वेबसाइट पर प्रशिक्षण का विवरण उद्घोषित नहीं किया गया था और तालिका 3.2 में सूचीबद्ध सीपीएसई की वार्षिक रिपोर्ट में उनका कोई वेब लिंक नहीं दिया गया था।

तालिका 3.2: सीपीएसई, जहां वेबसाइट पर प्रशिक्षण विवरण नहीं दिया गया था

क्र .सं.	सीपीएसई का नाम
1	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2	दि फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड
3	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
4	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
5	भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

3.3.3 निदेशक मंडल और बोर्ड समितियों की बैठक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV(III)(3)में वर्णित है कि स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल और बोर्ड समितियों की सभी बैठकों में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए, जिनके वे सदस्य हैं। तथापि, कुछ स्वतंत्र निदेशकों ने कुछ बैठकों में भाग नहीं लिया। तालिका 3.3 ऐसे स्वतंत्र निदेशकों की संख्या दर्शाती है:

तालिका 3.3: स्वतंत्र निदेशक जिन्होंने बोर्ड/समिति की कुछ बैठकों में भाग नहीं लिया

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जिन्होंने बोर्ड की 80 प्रतिशत बैठकों में भाग नहीं लिया	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जिन्होंने कुछ बोर्ड समितियों की बैठकों में भाग नहीं लिया
1	एनएमडीसी लिमिटेड	3	1
2	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड	-	1
3	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1	-
4	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	1	-
5	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	2	-
6	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	1	1
7	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	4	-
8	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	1	2
9	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	1	2

10	बीईएमएल लिमिटेड	1	-
11	राइट्स लिमिटेड	2	1
12	इरकॉन लिमिटेड	1	1
13	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	5	-
14	आईटीआई लिमिटेड	3	-
15	ऑयल इंडिया लिमिटेड	1	-
16	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	2	3
17	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	-	1
18	एंड्र्यू यूले कंपनी लिमिटेड	1	1
19	शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1	1
20	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	2	1
21	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	1	1
22	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड	1	-
23	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	1	-
24	एन बी सी सी (इंडिया) लिमिटेड	4	-
25	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2	-
26	स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड	4	-
27	गेल (इंडिया) लिमिटेड	2	-
28	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	4	2
29	एनटीपीसी लिमिटेड	1	-
30	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	6	-
31	एसजेवीएन लिमिटेड	1	-
32	आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड	1	1
33	इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड	2	2

3.3.4 कम्पनी की सामान्य बैठकों में भाग लेना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV)III(5)(में वर्णित है कि स्वतंत्र निदेशकों को कम्पनी की सामान्य बैठकों में भाग लेना होगा। तालिका 3.4 में ऐसे सीपीएसई सूचीबद्ध हैं, जहां स्वतंत्र निदेशकों ने कम्पनी की सामान्य बैठकों में भाग नहीं लिया।

तालिका 3.4: स्वतंत्र निदेशक, जिन्होंने सामान्य बैठकों में भाग नहीं लिया

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जिन्होंने सामान्य बैठक में भाग नहीं लिया
1	एनएमडीसी लिमिटेड	1
2	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	3
3	दि फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	1
4	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	2
5	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	1

6	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	3
7	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	1
8	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	4
9	बीईएमएल लिमिटेड	2
10	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1
11	राइट्स लिमिटेड	1
12	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	1
13	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	2
14	आईटीआई लिमिटेड	7
15	भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	2
16	कोल इंडिया लिमिटेड	1
17	ऑयल इंडिया लिमिटेड	1
18	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	1
19	एंड्रयू यूले एंड कंपनी लिमिटेड	2
20	शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	4
21	राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड	1
22	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	2
23	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	1
24	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड	1
25	इन्जिनियर्स इण्डिया लिमिटेड	1
26	एनटीपीसी लिमिटेड	1
27	भेल लिमिटेड	1
28	एनएचपीसी लिमिटेड	2
29	आरईसी लिमिटेड	1
30	आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड	2
31	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड	3
32	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2
33	स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड	1
34	इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड	1

3.3.5 स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

3.3.5.1 कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV(VII)(1), सूचीगत करार के विनियम 49 II बी (6) (ए) और सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियमन 25(3) में अपेक्षित है कि स्वतंत्र निदेशक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना बैठक करेंगे। तालिका 3.5 ऐसे सीपीएसई दर्शाती है जहां कोई पृथक बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

तालिका 3.5 : सीपीएसई जहां स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक आयोजित नहीं की गई थी

क्र .सं.	सीपीएसई का नाम
1	ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
2	एचएमटी लिमिटेड
3	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
4	भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
5	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
6	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड

3.3.5.2 कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV(VII)(2)में प्रावधान है कि सभी स्वतंत्र निदेशक ऐसी पृथक बैठकों में भाग लेने का प्रयत्न करेंगे। तथापि, तालिका 3.6 में सूचीबद्ध सीपीएसई के संबंध में, कुछ स्वतंत्र निदेशकों ने पृथक बैठकों में भाग नहीं लिया था।

तालिका 3.6: सीपीएसई जहां कुछ स्वतंत्र निदेशकों ने पृथक बैठकों में भाग नहीं लिया था

क्र .सं.	सीपीएसई का नाम
1	केआईओसीएल लिमिटेड
2	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड
3	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
4	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
5	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
6	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड
7	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
8	राइट्स लिमिटेड
9	इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड
10	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
11	आईटीआई लिमिटेड
12	कोल इंडिया लिमिटेड
13	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
14	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
15	एनएचपीसी लिमिटेड
16	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
17	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
18	गेल इंडिया लिमिटेड
19	इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड
20	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

3.4. निदेशक के पदों की भर्ती-कार्यकारी, गैर-कार्यकारी या स्वतंत्र

3.4.1 निदेशकों के रिक्त पदों की समय पर भर्ती, कम्पनी के प्रबंधन में अपेक्षित कौशल तथा विशेषज्ञता की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। रिक्तियों को भरने में किसी प्रकार का विलम्ब, निर्णय लेने की प्रक्रिया की प्रभावशीलता में रूकावट पैदा कर सकता है। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV (पैरा VI(2)(स्वतंत्र निदेशकों के पंजीकरण या हटाना), सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 (II) (डी)(4) और सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 25(6) में प्रावधान है कि एक स्वतंत्र निदेशक के त्याग-पत्र अथवा पद से हटाए जाने से उत्पन्न रिक्ति को जल्द से जल्द किन्तु अगली बोर्ड बैठक अथवा ऐसी रिक्ति की तिथि से तीन महीने, जो भी बाद में हो, तक तुरन्त भरा जाना चाहिए। कार्मिक, शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय/डीओपीटी द्वारा सीपीएसई में बोर्ड स्तर की नियुक्तियों के संबंध में जारी दिशानिर्देशों के संग्रह के अनुसार प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सीपीएसई के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या में समय पर नियुक्ति के लिए उत्तरदायी हैं। यह देखा गया कि स्वतंत्र निदेशकों के पद सीपीएसई के संबंध में काफी समयावधि तक रिक्त रहे जिनके विवरण तालिका 3.7 में दिए गए हैं।

तालिका 3.7: सीपीएसई जहां स्वतंत्र निदेशकों की रिक्तियां समय पर नहीं भरी गईं

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	महीनों में खाली रहना
1	एनएमडीसी लिमिटेड	9
2	केआईओसीएल लिमिटेड	32
3	एचएमटी लिमिटेड	36
4	ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	12
5	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	36
6	फर्टिलाइजर्स एंड त्रावणकोर लिमिटेड	12
7	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	16
8	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	12
9	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	12
10	बीईएमएल लिमिटेड	36
11	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	12
12	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	12
13	ऑयल इंडिया लिमिटेड	18
14	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	36
15	बामर लॉरी कंपनी लिमिटेड	36
16	एंड्रयू यूले एंड कंपनी लिमिटेड	24
17	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड	36
18	शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	24

19	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	04
20	एमएमटीसी लिमिटेड	24
21	भारतीय पर्यटन विकास निगम	08
22	इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन	12
23	नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड	24
24	पावर ग्रिड कारपोरेशन लिमिटेड	24
25	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	12
26	एनएचपीसी लिमिटेड	04
27	पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	36
28	एसजेवीएन लिमिटेड	36
29	एमओआईएल लिमिटेड	24

3.4.2 इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि चार सीपीएसई (मेंगलोर रिफाइनरी एंड एग्रो केमिकल्स लिमिटेड, बीईएमएल लिमिटेड, आईटीआई लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड) में पूर्ण कालिक प्रमुख प्रबंधन कार्मिक की रिक्तियां कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 203(4) में निर्धारित छः महीनों की अवधि में नहीं भरी गई थी।

3.5 लेखापरीक्षा समिति

3.5.1 लेखापरीक्षा समिति का गठन

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 177(1) और (2), सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(III)(ए) और सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) नियमावली, 2015 के विनियमन 18 में प्रावधान है कि सदस्य रूप में न्यूनतम तीन निदेशकों वाली एक लेखापरीक्षा समिति होगी जिसके दो तिहाई सदस्य के स्वतंत्र निदेशक होंगे। तथापि, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड और आईएफसीआई लिमिटेड के संबंध में कोई लेखापरीक्षा समिति गठित नहीं की गई थी।

इसके अतिरिक्त दो सीपीएसई) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (के संबंध में लेखापरीक्षा समिति के दो तिहाई सदस्य, स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

3.5.2 लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष की एजीएम में उपस्थिति

सूचीबद्ध करार के खंड 49(III)(ए)(3) और (4) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 18(1)(डी)में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होगा तथा शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में उपस्थिति रहेगा। तालिका 3.8 में दर्शाई गई निम्नलिखित कंपनियों के संबंध में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष ने शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एजीएम में भाग नहीं लिया।

तालिका 3.8: सीपीएसई जिनमें लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष ने वार्षिक सामान्य बैठक में भाग नहीं लिया

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	एनएलसी इंडिया लिमिटेड
2	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
3	आईटीआई लिमिटेड
4	भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड
5	कोल इंडिया लिमिटेड

3.5.3 लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 का विनियम 18(2)(ए) और (बी) और खंड 49(III)(बी) प्रावधान करता है कि लेखापरीक्षा समिति की बैठक वर्ष में कम से कम चार बार होनी चाहिए तथा दो बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। लेखापरीक्षा समिति के कोरम के लिए निर्दिष्ट संख्या या तो दो सदस्य या एक तिहाई सदस्य, जो भी अधिक हो, की होनी चाहिए परन्तु न्यूनतम दो स्वतंत्र निदेशक उपस्थित होने चाहिए। महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड के संबंध में न्यूनतम चार बैठके आयोजित नहीं की गईं और लेखापरीक्षा समिति की दो बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतर था।

चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संबंध में, लेखापरीक्षा समिति की दो बैठकों में पर्याप्त कोरम नहीं था।

3.5.4 आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का मूल्यांकन

सूचीबद्ध करार खण्ड 49(III)(डी)(11) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 की अनुसूची II के भाग सी (ए)(11) में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति को आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों तथा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना चाहिए। तथापि दो सीपीएसई (मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड) के संबंध में लेखापरीक्षा समिति ने इन प्रणालियों का मूल्यांकन नहीं किया है।

3.5.5 सांविधिक तथा आन्तरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की समीक्षा

इसके अलावा, सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(III)(डी)(12) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 की अनुसूची II के भाग सी (ए)(12) में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति को प्रबंधन, सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा आन्तरिक

लेखापरीक्षकों के निष्पादन की समीक्षा करनी चाहिए। तालिका 3.9 में दिए गए सीपीएसई के संबंध में ऐसा निष्पादन मूल्यांकन नहीं किया गया था।

तालिका 3.9: सीपीएसई जहां लेखापरीक्षा समिति द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों और आन्तरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की समीक्षा नहीं की गई

क्र .सं .	सीपीएसई का नाम
1	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
3.	ऑयल इंडिया लिमिटेड
4.	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
5.	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड

3.5.6 लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता की निगरानी

सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 की अनुसूची II भाग - सी, खण्ड (7) में प्रावधान किया गया है कि लेखापरीक्षा समिति लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता और निष्पादन, और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभाविकता की समीक्षा और निगरानी करेगी। तालिका 3.10 में दर्शाई गई सीपीएसई के संबंध में लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता और निष्पादन की समीक्षा नहीं की गई थी।

तालिका 3.10: सीपीएसई जिनमें लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता और निष्पादन की समीक्षा नहीं की गई थी

क्र .सं.	सीपीएसई का नाम
1	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
3.	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड
4.	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड
5.	पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

3.5.7 आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता

3.5.7.1 सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 (III) (डी) (13) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 की अनुसूची II के भाग सी (ए) (13) में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति को आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, विभाग के शीर्ष अधिकारियों की स्टॉफिंग और वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, आन्तरिक लेखापरीक्षा की कवरेज तथा निरंतरता को सम्मिलित करते हुए आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य, यदि कोई हो, की पर्याप्तता की समीक्षा करनी चाहिए। तथापि चार सीपीएसई (चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड तथा हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड) के संबंध में लेखापरीक्षा समिति ने आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्यों की समीक्षा नहीं की।

3.5.7.2 सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(III)(डी)(14) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 की अनुसूची II के भाग सी (14) के अनुसार, महत्वपूर्ण निष्कर्षों तथा उस पर अनुवर्ती कार्रवाई पर आन्तरिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करना भी लेखापरीक्षा समिति का दायित्व है। तथापि तीन सीपीएसई (चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड) के संबंध में लेखापरीक्षा समिति ने आन्तरिक लेखापरीक्षकों के साथ कोई चर्चा नहीं की थी।

3.5.7.3 लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना/दस्तावेजों की समीक्षा

सांविधिक अधिदेश के अनुसार, सभी सीपीएसई भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के अधीन हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार देती है। इसके अलावा, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(4)(iii) प्रावधान करती है कि लेखापरीक्षा समिति वित्तीय विवरणों तथा उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की जांच करेगी। इस प्रकार, सीपीएसई के मामले में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए प्रबंधन के पत्रों सहित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निष्कर्षों की समीक्षा करना लेखापरीक्षा समिति का उत्तरदायित्व है। तालिका 3.11 में दर्शाई गई निम्नलिखित सीपीएसई के संबंध में लेखापरीक्षा समिति ने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निष्कर्षों और प्रबंधन के पत्रों की समीक्षा नहीं की।

तालिका 3.11: सीपीएसई जिनमें लेखापरीक्षा समिति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निष्कर्षों और प्रबंधन के पत्रों की समीक्षा नहीं की गई थी

क्र .सं.	सीपीएसई का नाम
1	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
2	बीईएमएल लिमिटेड
3.	शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
4	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
5	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
6	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड

सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 18 और अनुसूची II के भाग(सी)ए(19) में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति की भूमिका में उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव और पृष्ठभूमि आदि के निर्धारण के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति का अनुमोदन शामिल होगा। तथापि, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मामले में मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति लेखापरीक्षा समिति के अनुमोदन के बिना की गई थी।

सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं), विनियमावली 2015 की अनुसूची II के विनियम 18 (3) तथा भाग सी(बी)में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति निम्न सूचना की अनिवार्य रूप से समीक्षा करेगी (i) प्रबंधन विचार-विमर्श और वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों के विश्लेषण, (ii) प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण तत्संबंधी पार्टी संव्यवहारों (लेखापरीक्षा समिति द्वारा यथा परिभाषित) के विवरण (iii) प्रबंधन के पत्रों/सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक नियंत्रण की कमियों के पत्रों और (iv) आंतरिक नियंत्रक की कमियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों का विवरण लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा के अध्यक्षीन होंगे। लेखापरीक्षा समिति ने तालिका 3.12 में दर्शाई गई निम्नलिखित सीपीएसई के संबंध में उपरोक्त मदों की समीक्षा नहीं की।

तालिका 3.12: सीपीएसई जिनमें लेखापरीक्षा समिति ने में से एक या अधिक अनुबंधों की समीक्षा नहीं की

क्र .सं.	सीपीएसई का नाम
1	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
2	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3.	दि फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड
4	भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड
5	राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड

3.5.7.4 सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा

सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(III)(डी)(16) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 के भाग सी (ए)(16) में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति को लेखापरीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व लेखापरीक्षा की प्रकृति तथा कार्यक्षेत्र के विषय में सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करनी चाहिए तथा साथ ही साथ चिंता के किसी विषय का पता लगाने के लिए पश्च-लेखापरीक्षा चर्चा करनी चाहिए। तालिका 3.13 में दर्शाई गई निम्न सीपीएसई के संबंध में लेखापरीक्षा समिति ने ऐसी कोई चर्चा नहीं की।

तालिका 3.13: सीपीएसई जिनमें लेखापरीक्षा समिति ने लेखापरीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा नहीं की और पश्च लेखापरीक्षा चर्चा नहीं की

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	पूर्व लेखापरीक्षा चर्चा	पश्च लेखापरीक्षा चर्चा
1	ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	--	नहीं की गई
2	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	नहीं की गई	नहीं की गई
3	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	--	नहीं की गई
4	दि फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	--	नहीं की गई
5	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	नहीं की गई	नहीं की गई
6	भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	नहीं की गई	नहीं की गई
7	ऑयल इंडिया लिमिटेड	नहीं की गई	नहीं की गई
8	शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	नहीं की गई	--
9	राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड	नहीं की गई	--
10	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	नहीं की गई	--
11	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	नहीं की गई	--
12	एंड्र्यू यूले एंड कंपनी लिमिटेड	नहीं की गई	नहीं की गई
13	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड	नहीं की गई	--
14	पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	नहीं की गई	--
15	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	नहीं की गई	--
16	आरईसी लिमिटेड	नहीं की गई	--
17	एमओआईएल लिमिटेड	--	नहीं की गई
18	स्टील आथेरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	नहीं की गई	-

3.6 अन्य समितियां

3.6.1 नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 178(1), कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियां) नियमावली 2014 के नियम 6, सूचीबद्ध करार का खण्ड 49(IV) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 का विनियम 19(1) तथा (2) यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक सीपीएसई कम से कम तीन निदेशकों वाली नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन करेगी जिसमें सभी गैर-कार्यकारी निदेशक होंगे तथा कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे। समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होगा। तथापि, तीन सीपीएसई (एचएमटी लिमिटेड, भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड) में कोई नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति नहीं थी।

3.6.2 आईएफसीआई लिमिटेड के संबंध में यद्यपि समिति का गठन किया गया था परन्तु तीन निदेशक और उनमें से आधे स्वतंत्र निदेशक होने की आवश्यकता पूर्ण नहीं की गई थी।

3.6.3 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (7), सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(iv) और सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 19(2) और (3) में प्रावधान है कि समिति का अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होगा तथा एजीएम में उपस्थित रहेगा। तालिका 3.14 में दर्शाई गई निम्नलिखित सीपीएसई के संबंध में नामांकन और पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष एजीएम में उपस्थित नहीं थे।

तालिका 3.14: नामांकन और पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में उपस्थित नहीं थे

क्र .सं.	सीपीएसई का नाम
1	एनएमडीसी लिमिटेड
2	कोचीन शिप यार्ड लिमिटेड
3	मिश्र धातू निगम लिमिटेड
4	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड
5	बीईएमएल लिमिटेड
6	इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड
7	आईटीआई लिमिटेड
8	भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड
9	ऑयल इंडिया लिमिटेड
10	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
11	गेल इंडिया लिमिटेड
12	आरईसी लिमिटेड
13	आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड

3.6.4 सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 का विनियम 19(3ए)में भी प्रावधान है कि नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी। तथापि दो सीपीएसई (नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड तथा स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड) के संबंध में इस आवश्यकता का पालन नहीं किया गया था।

3.6.5 पणधारक संबंध समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(5),सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 20(1)में अपेक्षित है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कम्पनी, पणधारक संबंध समिति का गठन करेगी। समिति का अध्यक्ष गैर-कार्यकारी निदेशक होगा। तथापि, मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड में अध्यक्ष गैर कार्यकारी निदेशक नहीं था।

3.6.6 सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमवली, 2015 के विनियम 20(2ए) में प्रावधान है कि समिति में कम से कम तीन निदेशक होने चाहिए जिनमें से कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा गठित समिति में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

3.6.7 सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) नियमावली, 2015 के विनियम 20(3)में प्रावधान है कि समिति का अध्यक्ष पणधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित रहेगा। तथापि तालिका 3.15 में दर्शायी गयी निम्नलिखित सीपीएसई के संबंध में अध्यक्ष एजीएम में उपस्थित नहीं था।

तालिका 3.15: सीपीएसई जिनमें पणधारक संबंध समिति का अध्यक्ष वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित नहीं था

क्र .सं.	सीपीएसई का नाम
1	एनएलसी इंडिया लिमिटेड
2	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
3	मिश्र धातू निगम लिमिटेड
4	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड
5	बीईएमएल लिमिटेड
6	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
7	एमएमटीसी लिमिटेड
8	दी स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड
9	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
10	आईटीआई लिमिटेड
11	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
12	आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड

3.6.8 विनियमावली की अनुसूची V(सी)(6)में यथापेक्षित पणधारकों द्वारा दायर की गई शिकायतें इन सीपीएसई में 31 मार्च 2019 तक लंबित थी जैसा कि तालिका 3.16 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.16: सीपीएसई जिनमें पणधारकों द्वारा दायर की गई शिकायतें लंबित हैं

क्र .सं.	सीपीएसई का नाम	लंबित शिकायतों की संख्या
1	मेंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड	5
2	इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड	16
3	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड	7
4	पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2
5	एनएचपीसी लिमिटेड	2
6	आरईसी लिमिटेड	2
7	एमओआईएल लिमिटेड	1
8	एमएमटीसी लिमिटेड	2
9	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	2

3.6.9 चेतावनी तंत्र

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9)कंपनी(बोर्ड की बैठके एवं इसकी शक्तियां) नियमावली 2014 के नियम 7,संशोधित खण्ड 49(II)(एफ), सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 18(3) तथा भाग सी(ए) प्रावधान करते हैं कि लेखापरीक्षा समिति चेतावनी तंत्र की कार्यप्रणाली की समीक्षा करेगा। यह देखा गया कि लेखापरीक्षा समिति ने तालिका 3.17 में सूचीबद्ध सीपीएसई में चेतावनी तंत्र के कार्यों की समीक्षा नहीं की।

तालिका 3.17: सीपीएसई जिनमें लेखापरीक्षा समिति ने चेतावनी तंत्र की कार्यप्रणाली समीक्षा नहीं की

क्र .सं.	सीपीएसई का नाम
1	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड
3	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
4	मिश्र धातू निगम लिमिटेड
5	आईटीआई लिमिटेड
6	कोल इंडिया लिमिटेड
7	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड

3.6.10 सम्बन्धित पक्षों से संबंधित नीति

सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 23(1) एवं (4) में प्रावधान है कि प्रत्येक कम्पनी संबंधित पार्टी संव्यवहारों के महत्व पर एक नीति बनाएगी। इसके अलावा, ऐसे महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी संव्यवहारों को अंशधारकों द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से अनुमोदन किया जाना अपेक्षित है। तथापि तीन सीपीएसई (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड) के संबंध में ऐसी कोई नीति नहीं बनाई गई थी।

विनियम 23(2) में अपेक्षित है कि सभी संबंधित पार्टी संव्यवहारों हेतु लेखापरीक्षा समिति का पूर्व अनुमोदन लिया जाएगा। तथापि, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के संबंध में इसका पालन नहीं किया गया था।

3.6.11 वेबसाइट पर सूचना का प्रकटन

सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 46(2)(सी) में प्रावधान है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कम्पनी अपनी वेबसाइट पर निदेशक बोर्ड की विभिन्न समितियों का संयोजन प्रस्तुत करेगी। मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के संबंध में वेबसाइट पर ऐसा कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

3.6.12 अनुपालन रिपोर्ट

सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 27(2)(ए) में प्रावधान है कि प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक तिमाही के अन्त से 15 दिनों के अन्दर स्टॉक एक्सचेंज को तिमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। इसके अलावा सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) दिशा-निर्देशों के पैरा 8.3 में अपेक्षित है कि प्रत्येक कम्पनी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 15 दिनों के अन्दर निर्धारित प्रारूप में तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बामर लारी लिमिटेड के संबंध में प्रशासनिक मंत्रालय को तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी।

3.7 निष्कर्ष

अध्याय में शामिल 55 सूचीबद्ध सीपीएसई में से एक सीपीएसई में 50 प्रतिशत से कम गैर-कार्यकारी निदेशक थे; दो सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किये गये थे और 30 सीपीएसई में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किए गए थे; 2 सीपीएसई में कोई महिला निदेशक नियुक्त नहीं की गई थी; 3 सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों के लिए कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था। 31 सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों ने बोर्ड की 80 प्रतिशत बैठकों में भाग नहीं लिया; 16 सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशको ने बोर्ड की

80 प्रतिशत समिति की बैठकों में शामिल नहीं हुए। 34 सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों ने सामान्य बैठकों में भाग नहीं लिया। छः सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों के लिए अलग बैठक आयोजित नहीं की गई थी और 20 सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों ने ऐसी बैठकों में भाग नहीं लिया। 29 सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त पद उनके रिक्त होने की तारीख से 4-36 महीने से अधिक के विलम्ब के साथ भरे गए जबकि चार सीपीएसई में कार्यकारी निदेशकों के रिक्त पद 10-30 महीने से अधिक विलम्ब के साथ भरे गए। दो सीपीएसई में लेखापरीक्षा समिति में दो-तिहाई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे; दो सीपीएसई में लेखापरीक्षा समिति ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबन्धन प्रणाली का मूल्यांकन नहीं किया। चार सीपीएसई में लेखापरीक्षा समिति द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों और आंतरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की समीक्षा नहीं की गयी। सात सीपीएसई में लेखापरीक्षा समिति ने चेतावनी तंत्र के कार्यचालन की समीक्षा नहीं की और तीन सीपीएसई में सम्बन्धित पार्टी संव्यवहारों की मूर्तता से सम्बन्धित कोई नीति नहीं थी। पांच सीपीएसई के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष ने वार्षिक सामान्य बैठक में भाग नहीं लिया। 14 सीपीएसई के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा समिति ने सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ (लेखापरीक्षा पूर्व) चर्चाएं नहीं की। तीन सीपीएसई में कोई नामांकन और पारिश्रमिक समिति नहीं थी। 13 सीपीएसई के सम्बन्ध में नामांकन और पारिश्रमिक समिति का अध्यक्ष वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित नहीं थे। 12 सीपीएसई के सम्बन्ध में पणधारक सम्बन्ध समिति का अध्यक्ष वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित नहीं थे। किसी भी सीपीएसई ने कारपोरेट अभिशासन अपेक्षाओं का पूर्णतया अनुपालन नहीं किया।

सार्वजनिक उद्यमों के विभाग (डीपीई) ने कहा है (जून 2020) कि सीपीएसई द्वारा संबंधित कानूनों, विनियमों, दिशा-निर्देशों इत्यादि के कार्यान्वयन की निरीक्षण/निगरानी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों में निहित है।

3.8 सिफारिशें


भारत सरकार डी पी ई/सेबी दिशानिर्देशों तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के सम्बन्धित प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों पर जोर दे सकता है ताकि सूचीबद्ध सीपीएसई में कारपोरेट अभिशासन का उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक बोर्ड को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डी पी ई/सेबी दिशानिर्देशों तथा कम्पनी अधिनियम 2013 के सम्बन्धित प्रावधानों का पालन किया जा रहा है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

4.1 प्रस्तावना

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का प्राथमिक उद्देश्य व्यापक स्तर पर जिम्मेदार तथा दीर्घकालिक व्यापार दर्शन को बढ़ावा देना तथा देश के सामाजिक व पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कंपनियों को नवीन विचारों और मजबूत प्रबंधन प्रणालियों को आगे लाने के लिए प्रोत्साहित करना है। मोटे तौर पर, सीएसआर आधिदेश राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन इत्यादि से जुड़े हैं। सीएसआर जागरूकता तथा सीएसआर चेतना बड़ी व मध्यम आकार की कंपनियों के बीच विकसित हुई है, जो अब सीएसआर को उस समुदाय और पर्यावरण के साथ नीतिबद्ध तौर पर उपयुक्त बनाने हेतु देखते हैं जिसमें वे काम करते हैं।

चार्ट 4.1



सीएसआर की अवधारणा कंपनियों को अपने प्रबंधकीय कौशल, तकनीक तथा नवीनता के माध्यम से देश की विकास चुनौतियों में योगदान करने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करती है। निगमों (कॉर्पोरेट्स) को अपने सीएसआर पहलु को पूरा करने के लिए एक समग्र मार्गदर्शन ढांचा प्रदान करने के अलावा, यह डिजाइन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त स्वायत्तता तथा लचीलापन प्रदान करती है। निगरानी, कंपनी द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट के निर्धारित प्रारूप

के अनुसार किए गए खुलासों पर आधारित होती है।

कानूनी ढाँचा: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 (इसके पश्चात अधिनियम के रूप में संदर्भित), कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के विषय से संबंधित है तथा कंपनियों के लिए

वित्तीय वर्ष⁴⁴ के तुरंत पहले नेट मूल्य, टर्नओवर (कुल बिक्री) तथा शुद्ध लाभ के आधार पर योग्यता मानदंड निर्धारित करता है जो सीएसआर गतिविधियों को करने के लिए आवश्यक है। यह खंड (सेक्शन) अन्य बातों के साथ कंपनी के निदेशक मंडल के द्वारा सीएसआर गतिविधियों के चयन, कार्यान्वयन तथा जाँच के व्यापक तौर-तरीको को निर्दिष्ट करता है। कंपनियों द्वारा अपनी सीएसआर नीतियों में शामिल की जा सकने वाली गतिविधियाँ अधिनियम के अनुसूची VII में सूचीबद्ध हैं। अधिनियमकी धारा 135 व अनुसूची VII के प्रावधान सीपीएसई सहित सभी कंपनियों पर लागू होते हैं। यह अधिनियम (एक्ट), एक कंपनी के लिए सीएसआर गतिविधियों के लिए पहले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत वार्षिक खर्च करने को अनिवार्य बनाता है।

अधिनियम के अनुसार सीएसआर के प्रावधानों का अनुपालन अर्थात् सीएसआर समिति के गठन, नीति तैयार करना तथा सीएसआर गतिविधियों पर निर्धारित राशि खर्च करना अप्रैल 2014 से लागू हुआ। फरवरी 2014 में, कॉर्पोरेट मामलो के मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनी नियम 2014 (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) जारी किए। सीएसआर नियम सीपीएसई सहित सभी कंपनियों को 1 अप्रैल 2014 से लागू किए गए। सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) ने सीपीएसई के द्वारा सीएसआर के तहत, चयन व कार्यान्वयन में पारदर्शिता तथा नियत परिश्रम के पालन पर अधिसूचना (अगस्त 2016) जारी की। दिसम्बर 2018 में, डीपीई ने थीम आधारित दृष्टिकोण पर धन के उपयोग से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए। वर्ष 2018-19 के लिए फोकस हस्तक्षेप के लिए स्कूल शिक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल को थीम (विषय) के रूप में लिया गया। आम थीम पर सीएसआर खर्च का लक्ष्य 60 प्रतिशत वार्षिक सीएसआर व्यय था। दिशानिर्देशों के अनुसार नीति आयोग द्वारा चयनित किए गए आकांक्षात्मक जिलो को वरीयता दी जा सकती है।

4.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

सीपीएसई की सीएसआर गतिविधियों पर अनुपालन लेखापरीक्षा का लेखापरीक्षा उद्देश्य यह पता लगाना था कि कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम 2014 तथा डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन किया गया था या नहीं। सीपीएसई के प्रयासों का आकलन करने के लिए लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित मुद्दों की जाँच की:

- क्या सीएसआर समिति के गठन, नीति के निर्माण व अनुपालन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया गया है;

⁴⁴ कंपनी अधिनियम 2017 के संशोधन 37 के अनुसार, किसी भी वित्तीय वर्ष पर अस्पष्टता का समाधान करने के लिए, शब्द 'किसी भी वित्तीय वर्ष' को तुरंत वित्तीय वर्ष से पहले के शब्दों से बदल दिया गया है। यह अधिसूचना 19 सितम्बर 2018 से प्रभावी है।

- क्या कार्यान्वयन के लिए चयनित सीएसआर गतिविधियां कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची VII के तहत दी गई गतिविधियों की सूची में है;
- क्या सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली निर्धारित राशि से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया गया है;
- क्या सीएसआर गतिविधियों के तहत गतिविधियों/परियोजनाओं के चयन को प्राथमिकता देते समय स्थानीय लोगो की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है;
- क्या गतिविधियों के चयन तथा कार्यान्वयन में पारदर्शिता तथा समयक परिश्रम किया गया है; तथा
- क्या निगरानी, रिपोर्टिंग तथा मूल्यांकन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

4.3 लेखापरीक्षा दायरा तथा कवरेज

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2018-19 के दौरान 82 सीपीएसई द्वारा की गई सीएसआर गतिविधियों की समीक्षा की। लेखापरीक्षा ने 2017-18 में लाभ कमाने वाली कुल 184 सीपीएसई में से 82 सीपीएसई का चयन किया (अनुलग्नक XXIII) जिसका विवरण तालिका 4.1 में है।

तालिका 4.1: सीएसआर गतिविधियों की समीक्षा के लिए सीपीएसई का चयन

सीपीएसई का शुद्ध लाभ	सीपीएसई की संख्या	चयनित सीपीएसई की संख्या	प्रतिशत
₹ 100 करोड़ से ऊपर	69	62 ⁴⁵	89.85
₹ 50 करोड़ से ₹ 100 करोड़	20	08	40.00
₹ 10 करोड़ से ₹ 50 करोड़	50	11	22.00
₹ 10 करोड़ से कम	45	01	02.22
जोड़	184*	82	44.57

*प्राथमिक स्रोत: 2017-18 के लिए डीपीई की सर्वेक्षण रिपोर्ट

चयनित 82 सीपीएसई में 7 महारत्न, 14 नवरत्न, 45 मिनीरत्न तथा 16 अन्य कंपनियों (अनुलग्नक-XXIV) शामिल थी जिसमें से 41 सीपीएसई सूचीबद्ध कंपनी थी (अनुलग्नक-XXV)।

⁴⁵ ओवीएल विदेशों में अपने कार्य करता है तथा इसलिए सीएसआर के अंतर्गत नहीं आता। शेष छह कंपनियों में से, चार सीपीएसई (एचईसीएल, टीएसपीएल, हिन्दुस्तान एंटीबायोटेक्स लिमिटेड तथा एफसीआई) ने कंपनी अधिनियम की धारा 198 के अनुसार नुकसान उठाया, एक सीपीएसई (एएआईसीएल तथा एएसएल) ने अपने तीन साल पूरे नहीं किए थे तथा एक सीपीएसई (एचसीएल) बंद हो रहा था, इसीलिए सीएसआर के अंतर्गत नहीं आता।

4.4 लेखापरीक्षा मानदण्ड

निम्नलिखित मानदण्डों के अनुसार लेखापरीक्षा विश्लेषण किया गया था:

- कंपनी अधिनियम 2013 (31 मार्च 2019 तक संशोधित) के अधिनियम 135 एवं अनुसूची VII में शामिल प्रावधान
- कंपनी (सीएसआर नीति) नियम 2014 (31 मार्च 2019 तक संशोधित) के प्रावधान
- 1 अगस्त 2016 से सीएसआर पर डीपीई के दिशानिर्देश।

4.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

सीएसआर समिति के गठन, नीति निर्माण व अनुपालन, सीएसआर गतिविधियों की योजना व कार्यान्वयन, तथा सीपीएसई द्वारा निगरानी और रिपोर्टिंग के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन का लेखापरीक्षा जाँच-परीणाम निम्नलिखित अनुच्छेद (पैराग्राफ) में दिए गए हैं।


4.5.1 योजना

4.5.1.1 सीएसआर समिति का गठन

अधिनियम की धारा 135(1) के अनुसार, प्रत्येक कंपनी जिसका पिछले वित्तीय वर्ष में कुल मूल्य ₹ 500 करोड़ या इससे अधिक हो, या ₹ 1000 करोड़ या इससे अधिक का टर्नओवर हो, या ₹ 5 करोड़ या इससे अधिक का लाभ हो, तीन या इससे अधिक निदेशक वाले बोर्ड की एक सीएसआर समिति का गठन करेगी। अधिनियम की धारा 135(3), (4) व (5) के अनुसार बोर्ड तथा सीएसआर समिति की भूमिका को चार्ट 4.2 में दिखाया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी लेखापरीक्षा के लिए चयनित 82 सीपीएसई, अधिनियम के अनुसार सीएसआर गतिविधियों को करने के लिए उपरोक्त मानदंड को पूरा कर रही थी। यद्यपि 75 सीपीएसई ने एक स्टैडअलोन सीएसआर समिति का गठन किया था, 6 सीपीएसई (सीपीएसएल, हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड, एचपीसीएल, आईआरईएल, एमआरपीएल तथा आईओसीएल) ने सतत विकास समिति के साथ ही सीएसआर समिति को जोड़ दिया था; एक सीपीएसई (एसजेवीएन) ने सीएसआर समिति को अनुसंधान तथा विकास समिति के साथ जोड़ दिया था। सभी सीपीएसई में अधिनियम की धारा 135(1) के तहत समिति में कम से कम तीन निदेशक थे।

चार्ट 4.2



4.5.1.2 समिति में स्वतन्त्र निदेशक

जहां स्वतंत्र निदेशक हैं: 72 सीपीएसई

जहां कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है: 10 सीपीएसई

जहां एक से अधिक स्वतंत्र निदेशक हैं: 45 सीपीएसई

अधिनियम की धारा 135(1) के अनुसार, सीएसआर समिति में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। इसके अलावा, सीएसआर नियम, 2014 के नियम 5(1)(i) के अनुसार, धारा 135(1) के तहत कवर की गई गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनी को अधिनियम की धारा 149(4) के लिए एक स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है तथा वहाँ स्वतंत्र निदेशक के बिना सीएसआर समिति हो सकती है। लेखापरीक्षा ने पाया कि 82 सीपीएसई में से, जिन्होंने सीएसआर समिति का गठन किया था, 72 सीपीएसई में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक थे तथा 45 सीपीएसई में एक से अधिक स्वतंत्र निदेशक थे। दस⁴⁶ गैर-सूचीबद्ध सीपीएसई में एक स्वतंत्र निदेशक नहीं है, जिसकी सीएसआर नियम 2014 के नियम 5(1)(i) के तहत अनुमति प्राप्त है।

4.5.1.3 सीएसआर नीति का गठन

अधिनियम की धारा 135(3) के लिए यह आवश्यक है कि सीएसआर समिति बोर्ड को एक सीएसआर नीति की तैयारी तथा सिफारिश करेगी। सभी 82 सीपीएसई ने सीएसआर नीति को तैयार किया था तथा संबंधित बोर्ड ने उसे अनुमोदित किया। इसमें से छह सीपीएसई (सीसीएल, एनसीएल, एसईसीएल, आरईएमएल, बीआरबीएल तथा एनटीपीवीवीएन) ने सहायक कंपनियाँ होने पर (पहली तीन के लिए सीआईएल, राईटस तथा एनटीपीसी) होल्डिंग कंपनी की नीति को अपनाया था। नीति से संबंधित नियम 6 की तथा सीपीएसई द्वारा उनके अनुपालन से संबंधित आवश्यक तालिका 4.2 में दी गई है।

तालिका 4.2: सीएसआर नियम की आवश्यकता तथा उसका अनुपालन

सीएसआर नियम सं. 6 की आवश्यकता	सीपीएसई द्वारा अनुपालन
नीति के साथ शामिल	
उन परियोजनाओं की सूची, जिन्हें कंपनी ने कार्यान्वयन अनुसूची के साथ शुरू करने योजना बनाई है	सभी सीपीएसई ने परियोजनाओं की पूरी सूची के स्थान पर अपनी सीएसआर नीति में क्षेत्रों/अनुसूची VII गतिविधियों उल्लेख किया है।
सीएसआर परियोजना या कार्यक्रम या गतिविधियों से उत्पन्न होने	एनएफएल, एनएचडीसी, बीपीसीएल, एनएचपीसी, एसजेवीएन तथा ईआईएल ने अपनी सीएसआर नीति में इसे निर्दिष्ट नहीं किया है।

⁴⁶ ओवीएलविदेशों में अपने कार्य करता है तथा इसलिए सीएसआर के अंतर्गत नहीं आता। शेष छह कंपनियों में से, चार सीपीएसई (एचईसीएल, टीएसपीएल, हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड तथा एफसीआई) ने कंपनी अधिनियम की धारा 198 के अनुसार नुकसान उठाया, एक सीपीएसई (एएआईसीएल तथा एएसएल) ने अपने तीन साल पूरे नहीं किए थे तथा एक सीपीएसई (एचसीएल) बंद हो रहा था, इसीलिए सीएसआर के अंतर्गत नहीं आता।

वाला अधिशेष एक कंपनी के व्यावसायिक लाभ का हिस्सा नहीं बनेगा	यद्यपि एनएफएल तथा बीपीसीएल ने अपनी नीति में सीएसआर गतिविधियों के अधिशेष के व्यवहार (उपचार) का खुलासा करने का आश्वासन दिया है।
---	---


4.5.1.4 सीएसआर नीति की जाँच (निगरानी)

सीएसआर नियम 2014 के नियम 6(1)(ए) के अनुसार, कंपनी की सीएसआर नीति में उन सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों की सूची शामिल होगी, जिन्हे कंपनी अधिनियम की सूची VII के दायरे में आते हुए, करने की योजना बना रही है, जो इस तरह की परियोजनाओं या कार्यक्रमों के निष्पादन के तौर तरीकों को भी निर्दिष्ट करता है। 31 मार्च 2014 की अधिसूचना में, अनुसूची VII(i) के अन्तर्गत गतिविधियों में से एक जैसे 'निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना' को 'निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना' के साथ प्रतिस्थापित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 77 सीपीएसई की सीएसआर समिति ने सीएसआर नीति की मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक या जब भी आवश्यकता हो, जाँच की। 5 सीपीएसई (एनटीक्स, बीआरबीएल, आईटीआई लिमिटेड, एनएसकेएफडीसी तथा एनटीपीएल) के संबंध में, ऐसा कोई क्रियाविधि मौजूद नहीं हुई। इसके अलावा, सीआईएल, एमसीएल तथा एनसीएल ने मार्च 2014 की अधिसूचना के अनुसार सीएसआर नीति का अद्यतन नहीं किया तथा केवल इसे "निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना" की बजाय केवल "निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा" के रूप में कहा।

4.5.1.5 वार्षिक सीएसआर योजना तथा बजट

सीएसआर समिति की भूमिका बोर्ड को सीएसआर गतिविधियों तथा वित्तीय वर्ष में खर्च की जाने वाली राशि की सिफारिश करना है, बोर्ड को सीएसआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। यह



सीएसआर गतिविधियों तथा बजट की योजना और अनुमोदन के लिए आवश्यक है। यद्यपि 11⁴⁷ सीपीएसई के पास वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक सीएसआर योजना नहीं थी तथा छह⁴⁸ सीपीएसई ने सीएसआर योजना पर समय-समय पर/सामयिक तौर पर सीएसआर समिति तथा बोर्ड से मंजूरी ली थी। एआईईएल ने लंबित विनिवेश प्रस्ताव के मद्देनजर कोई

⁴⁷ एआईईएल, एएलआईएमसीआई, बीआरबीसीएल, गेल गैस, एचएससीसी (इंडिया), आईटीपीओ, एनएचडीसी, एनएसएल, पीवीटीएल तथा आरईसीपीडीसीएल

⁴⁸ एनटीक्स, भेल, एचएससीसी, आईआरसीटीसी, आईआरडीडीए, आईआरएफसी, एनएसकेएफडीसी, एनएसआईसी, पीवीटीएल, आरएआईएलटीईएल, एसपीएमसीआईएल

कोई वार्षिक सीएसआर योजना तैयार नहीं की। एक सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में, प्रस्तावित सीएसआर परियोजना तथा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट को पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च तक सीएसआर समिति के माध्यम से अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि अंतिम तिमाही में धनराशि समाप्त करने में कोई हड़बड़ी न हो। इसके अलावा, यह वित्तीय वर्ष में निधियों का पूर्ण उपयोग भी सुनिश्चित करेगा। यह पाया गया कि 58 सीपीएसई के लिए उपलब्ध डेटा के अनुसार, 7⁴⁹ सीपीएसई ने पिछले वर्ष (2017-18) में बजट स्वीकृत किया गया, 23⁵⁰ सीपीएसई को 2018-19 की प्रथम तिमाही में, 16⁵¹ सीपीएसई ने, दूसरी तिमाही में तथा 8⁵² सीपीएसई को तीसरी तिमाही में व तीन⁵³ सीपीएसई को चौथी तिमाही में अनंतिम बजट स्वीकृत कराया। एनएफडीसी ने जुलाई 2019 में ही बजट को स्वीकृत कराया।

4.5.2 वित्तीय घटक

4.5.2.1 निधियों का आवंटन

अधिनियम की धारा 135(5) के अनुसार, किसी भी कंपनी के लिए तीन तत्कालीन विगत वित्तीय वर्षों के शुद्ध लाभ के औसत का कम से कम 2 प्रतिशत वार्षिक रूप से खर्च करना अनिवार्य है। अधिनियम की धारा 198 के अनुसार, 82 सीपीएसई के लिए शुद्ध लाभ के औसत का 2 प्रतिशत ₹ 3585.21 करोड़ था। हालांकि सीपीएसई ने ₹ 3734.39 करोड़ अर्थात् ₹ 149.18 करोड़⁵⁴ अधिक आवंटित किया। लेखापरीक्षा ने चार सीपीएसई, हुडको (₹ 12.98 करोड़), एनएसएल (₹ 9.92 करोड़), नीपको (₹ 2.91 करोड़) तथा पीएचएल (₹ 0.11 करोड़) के संबंध में सीएसआर निधि का कम आवंटन किया।

4.5.2.2 ऋणात्मक निवल लाभ वाली सीपीएसई

लेखापरीक्षा के लिए चयनित 82 सीपीएसई में से, धारा 198 के अनुसार, एक सीपीएसई (आईटीआई लिमिटेड) का औसत शुद्ध लाभ ₹ 0.02 करोड़ था। यद्यपि, सीपीएसई ने 2018-19 में ₹ 0.64 करोड़ सीएसआर पर आवंटित तथा खर्च किए।

⁴⁹ आईआरसीओएन, गेल, गेल गैस, मिथानी, एनएचडीसी तथा एसईसीएल

⁵⁰ सीपीसीएल, सीएसएल, एमसीएल, एनपीसीआईएल, ओएल, टीएचडीसी, डब्ल्यूएपीसीओएस

⁵¹ एएआई, बेल, बीईएमएल, बीएलसी, बीपीसीएल, जीएसएल, एचसीओएल, एचएएल, आईटीपीओ, केपीएल, एमडीएल, एमओआईएल, एमआरपीएल, नाल्को, एनबीसीसी, एनसीएल, नीपको, एनटीपीसी, पोसोको, राइटस, एसजेवीएन, यूसीआईएल, जीआरएसबीईएल


⁵² बीडीएल, सीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल, हुडको, आईआरईएल, केआरएल, एमएमटीसी, एनएफएल, एनएलसी, एनटीपीएल, एनआरएल, ओएनजीसी, आरईसीपीडीसीएल, आरवीएनएल, एनएमडीसी

⁵³ एएलआईएमसीआई, बीआरबीएल, सीसीएल, एनपीसीसी, एनएचपीसी, पीजीसीआईएल, आरईएमसीएल, एससीआई

⁵⁴ बीआरसीआईएल, पीएफसी, पीएचएल

4.5.2.3 निधियों का उपयोग

अधिनियम की धारा 135(5) में कहा गया है कि बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी पूर्ववर्ती तीन वर्षों के औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत खर्च करें। डीपीई ने यह भी यह सलाह (01.08.2016) दी कि वर्ष के लिए आंबटित सीएसआर निधियों के पूर्ण उपयोग के लिए सीपीएसई द्वारा सभी प्रयास किए जाने चाहिए।



लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 3585.21 करोड़ की निर्धारित दो प्रतिशत राशि व ₹ 3734.39 करोड़ की आंबटित राशि के प्रति, 82 सीपीएसई ने केवल ₹ 3271.67 करोड़ खर्च किए। इस प्रकार, 2018-19 के लिए सीएसआर खर्च में कमी थी व

निर्धारित राशि ₹ 314.19 करोड़ थी। आगे, जबकि 14 सीपीएसई ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में सीएसआर निधि को पूर्णतः उपयोग किया, 30 सीपीएसई ने उपयोग में कमी की (अनुलग्नक XXVI) तथा 38 सीपीएसई (अनुलग्नक XXVII) ने निर्धारित राशि से ज्यादा खर्च किए। 30 सीपीएसई के संबंध में कमी 2.48 से 100 प्रतिशत की सीमा में थी। अधिकतम कमी (100 प्रतिशत) तीन सीपीएसई, एएलआईएमसीआई, पीएफसी व रेलटेल में पाई गई, जिन्होंने पिछले सालों की खर्च न की गई राशि की अग्रेनीत राशि में से सीएसआर निधि को खर्च किया।

4.5.2.4 अग्रेनीत राशि का उपयोग

तालिका 4.3 (अग्रेनीत राशि का उपयोग)

(₹ करोड़ में)

सीपीएसई	पिछले वर्ष से अग्रेनीत	2018-19 में खर्च	अव्यतित राशि
ओएनजीसी	611.08	134.43	476.65
एसईसीएल	186.03	2.51	183.52
पीजीसीआईएल	123.33	8.79	114.54
सीसीएल	42.59	0.00	42.59
आईआरएफसी	39.25	2.01	37.24
पीएफसीएल	131.23	100.50	30.73
बेल	41.61	12.69	28.92
भेल	31.14	11.85	19.29
आईआरईडीए	20.54	4.79	15.74
एन्ट्रिक्स	12.72	0.12	12.60
एमआरपीएल	23.57	11.25	12.32


एनएचडीसी	23.29	11.92	11.37
हुडको	14.89	3.56	11.33
कोनकोर	11.00	0.00	11.00
एनपीसीआईएल	10.92	1.70	9.22
एनएचपीसी	20.97	12.42	8.55
केपीएल	8.44	0.00	8.44
एमडीएल	13.12	7.34	5.78

एमसीए स्पष्टीकरण के अनुसार (12 जनवरी 2016), बोर्ड यह तय करने के लिए स्वतन्त्र है कि क्या न्यूनतम सीएसआरनिधिसे किसी भी अव्ययित राशि को अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाना है।

42 सीपीएसई ने ₹ 1576.17 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2017-18 तथा पिछले वर्षों से) की 15 अव्ययित राशि को अग्रणीत किया, जिसमें से 2018-19 में ₹ 519.81 करोड़ राशि खर्च की गई तथा ₹ 1056.36 करोड़ राशि (34 सीपीएसई) शेष है। 12⁵⁵ सीपीएसई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में ₹ 844.19 करोड़ की अव्ययित राशि का जिक्र नहीं किया। जबकि 8⁵⁶ सीपीएसई ने 2018-19 में अग्रणीत राशि को पूर्णतः खर्च किया, आठ⁵⁷ सीपीएसई ने पिछले सालों की ₹ 64.52 करोड़ की अव्ययित राशि को खर्च नहीं किया। 34 सीपीएसई ने सीएसआर अग्रणीत राशि को पूरी तरह से खर्च नहीं किया। मुख्यतः अव्ययित राशि (₹ 0.5 करोड़ तथा ऊपर) वाली सीपीएसई को तालिका में सूचीबद्ध किया गया है। यह बतान आवश्यक है कि 43 सीपीएसई के संबंध में कुल अव्ययित राशि ₹ 1,676.50 करोड़ थी (वर्तमान वर्ष के बजट से अव्ययित तथा अग्रणीत राशि)

4.5.2.5 तिमाही वार खर्च

82 सीपीएसई द्वारा पहली तीन तिमाही में कुल खर्च ₹ 1865.19 करोड़ था तथा अंतिम तिमाही में ₹ 1893.81 करोड़ (कुल सीएसआर खर्च का 49 प्रतिशत) (अग्रणीत के साथ) यह इंगित करता है कि अंतिम तिमाही में सीएसआर खर्च में शीघ्रता की



⁵⁵ ₹175.10 करोड़ ज्यादा आवंटन (23 सीपीएसई), ₹25.92 करोड़ कम आवंटन (4 सीपीएसई)


⁵⁶ एआईईएल, हुडको, आईआरएफसी, एमएमटीसी, एनएफएल, एनसीएल, एनपीसीएल, ओएनजीसी, पीजीसीएल, आरईसीएल, एससीआई, एसईसीएल

⁵⁷ एएलएमसीआई, बीडीएल, बीपीसीएल, गेल गैस, आईआरसीटीसी, केआरसीएल, आरईएमएल और एसपीएमसीआईएल

थी 7⁵⁸ सीपीएसई ने केवल अंतिम तिमाही खर्च किया। दो सीपीएसई, बीआरसीआई एवंआईआरएफसी ने तिमाही I व तिमाही II में सीएसआर पर कोई खर्च नहीं किया। तीन सीपीएसई बीईएमएल, जीआरएसबीईएल तथा यूसीआईएल⁵⁹ ने सीएसआर को समान रूप से खर्च किया था। यद्यपि ऑयल इंडिया लिमिटेड, सीपीसीएल, सीएसएल तथा एनपीसीआईएल का 2018-19 वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले ही सीएसआर बजट/एड-होक/प्रोविजनल बजट मंजूर किया गया था, लेकिन इन चार सीपीएसई ने पूरे साल निधि को समान रूप से खर्च नहीं किया। एआईईएल ने सीएसआर में पिछले वर्षों की अग्रणीत को ही खर्च किया क्योंकि वर्ष के दौरान यह विनिवेश के लिए विचाराधीन था।

4.5.2.6 शीर्ष खर्च करने वाला

2018-19 में 82 सीपीएसई द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर किया गया कुल खर्च ₹ 3759 करोड़ (प्रशासनिक व्यय सहित) था। ₹ 614.64 करोड़ (कुल सीएसआर खर्च का 16.36 प्रतिशत) के साथ ओएनजीसी, उसके बाद आईओसीएल, एनटीपीसी, पीजीसीआईएल तथा बीपीसीएल, शीर्ष खर्च करने वाले थे, तीन सीपीएसई तेल क्षेत्र व दो विद्युत क्षेत्र में हैं। कुलसीएसआर खर्च ₹ 3759 करोड़ के प्रति, 5 सीपीएसई ने कुल खर्च का 46.93 प्रतिशत अर्थात् ₹ 1764.15 करोड़ किया। 7 महारत्न द्वारा ₹ 1731.27 करोड़ (46.06 प्रतिशत, 14 नवरत्नों द्वारा ₹ 1087.85 करोड़ (28.94 प्रतिशत) तथा 45 मिनीरत्न द्वारा ₹ 818.86 करोड़ (21.78 प्रतिशत) सीएसआर खर्च किया गया। शेष 16 सीपीएसई में सीएसआर खर्च ₹ 121.03 करोड़ था। (3.22 प्रतिशत)




⁵⁸ बीआरबीएल, बीएलसी, सीसीएल, कॉनकोर, एचकोल, आईआरएफसी, केपीएल, एनटीपीवीवीएन, आरईसीएल

⁵⁹ एएलएमसीआई, बीआरबीएल, गेलगैस, एनटीपी वीवीएन, एचएससीसी, एनबीसीसी और पीवीटीएल


4.5.2.7 सीएसआर खर्च (व्यय) की सीमा

12 सीपीएसई ने ₹ 100 करोड़ से अधिक, 6 सीपीएसई ने ₹ 50 और ₹ 100 करोड़ के बीच, 20 सीपीएसई ने ₹ 10 से ₹ 50 करोड़ के बीच, 30 सीपीएसई ने 1-10 करोड़ की सीमा में तथा 14 सीपीएसई ने एक करोड़ से कम खर्च किया।



4.5.2.8 राज्यवार सीएसआर व्यय

82 सीपीएसई में से 76 सीपीएसई (एनएफडीसी तथा पीवीटीएल सहित)⁶⁰ ने दमन व दीव को छोड़कर सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए एक से अधिक राज्यों में



सीएसआर गतिविधियां की, तथा ओएनजीसी और आईओसीएल ने अधिकतम राज्यों (32); उसके बाद पीजीसीआईएल (28), एचपीसीएल (28), एएआई (25), बीपीसीएल (24), तथा गेल इंडिया (23) में सीएसआर गतिविधियां की थीं। 6 सीपीएसई⁶¹ ने केवल

एक राज्य अर्थात् क्रमशः उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना तथा हरियाणा में खर्च किए थे। अधिकतम सीएसआर उड़ीसा (₹ 481 करोड़) उसके बाद उत्तर प्रदेश (₹ 328 करोड़) तथा असम (₹ 307 करोड़) खर्च किए थे। उड़ीसा, में एमसीएल द्वारा अधिकतम (₹ 167 करोड़) खर्च किए गए। इसके बाद आईओसीएल (₹ 146 करोड़) उत्तर प्रदेश में अधिकतम सीएसआर खर्च एनटीपीसी द्वारा (₹ 77 करोड़), उसके बाद गेल इंडिया द्वारा (₹ 42 करोड़) था। इन तीन राज्यों में कुल सीएसआर व्यय का 44 प्रतिशत हिस्सा बनता है। अंडमान व निकोबार में मेस सीएसआर व्यय सबसे कम (₹ 0.36 करोड़) था। उत्तर प्रदेश

⁶⁰ बीईएमएलने सभी तिमाहियों में क्रमशः ₹0.84 करोड़, ₹0.77 करोड़ ₹0.75 करोड़ तथा ₹0.73 करोड़ खर्च किए; यूसीआईएल ने सभी तिमाहियों में ₹0.82 करोड़ खर्च किए तथा जीआरएसबीईएल ने सभी तिमाहियों में क्रमशः ₹0.62, ₹0.70 करोड़ ₹0.66 करोड़ तथा ₹0.70 करोड़ खर्च किए।

⁶¹ एनएफडीसी और पीवीटीएल ने सारी सीएसआर निधि को पीएमएनआरएफ तथा गंगा सफाई निधि में जमा करा दिया।

में अधिकतम ध्यान दिया गया अर्थात् 45 सीपीएसई द्वारा, और उसके बाद नई दिल्ली (36 सीपीएसई) तथा महाराष्ट्र (30 सीपीएसई) द्वारा ध्यान दिया गया। दादर, नगर हवेली तथा लक्ष्यद्वीप की ओर केवल एक सीपीएसई क्रमशः आईआरसीटीसी, आईओसीएल तथा एससीआई द्वारा ध्यान दिया गया। पुडुचेरी पर तीन सीपीएसई तथा अंडेमान व निकोबार पर केवल दो सीपीएसई द्वारा ध्यान दिया गया।

4.5.2.9 जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में सीएसआर व्यय

82 सीपीएसई में से केवल 12 सीपीएसई⁶² ने 2018-19 में जम्मू और कश्मीर में 17.95 करोड़ अर्थात् कुल सीएसआर व्यय का 0.48 प्रतिशत खर्च किया गया। इसी प्रकार, उत्तर पूर्वी राज्यों (सिक्किम को मिलाकर कुल 8 राज्य) के संबंध में, 23 सीपीएसई⁶³ ने वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 380.85 करोड़ खर्च किए जो कुल सीएसआर व्यय का 10.14 प्रतिशत था। उत्तरपूर्वी राज्यों में असम में अधिकतम व्यय ₹ 307.40 करोड़ तथा मिजोरम में न्यूनतम ₹ 0.75 करोड़ खर्च किए गए।

4.5.2.10 क्षेत्रवार सीएसआर व्यय

लेखापरीक्षा ने 9 क्षेत्रों (अन्य को मिलाकर) में 82 सीपीएसई को कवर किया। पेट्रोलियम क्षेत्र द्वारा (12 सीपीएसई, ₹ 1817.65 करोड़) अधिकतम खर्च किया गया, उसके बाद विद्युत क्षेत्र (15 सीपीएसई, ₹ 800.19 करोड़) तथा खनन क्षेत्र द्वारा (9 सीपीएसई, ₹ 641.88 करोड़) खर्च किए गए। न्यूनतम व्यय उर्वरक क्षेत्र द्वारा, केवल एक सीपीएसई द्वारा (₹ 2.29 करोड़) में किया गया।

तालिका 4.4: (क्षेत्रवार सीएसआर व्यय)

क्र. सं.	क्षेत्र	सीपीएसई की संख्या	2% करोड़ में (अग्रणीत राशि के साथ)	वास्तविक व्यय करोड़ में (अग्रणीत राशि के साथ)
1	विमानन	03	88.07	87.83
2	खनन	09	781.02	641.88
3	रक्षा	08	212.06	163.66
4	उर्वरक	01	10.14	2.29
5	पेट्रोलियम	12	2414.75	1817.65
6	विद्युत/ट्रांसमिशन/	15	1176.51	800.19
7	रेलवे	9	166.74	63.90

⁶² एएलआईएमसीआई, बीआरबीसीएल, जीआरएसबीइएल, एमसीएल, एमआईडीएचएएनआई और एनटीपीवीवीएन

⁶³ एएआई, एंटीक्स, बीपीसीएल, सीआईएल, एचपीसीएल, आईओसीएल, आईआरसीओएन, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पीजीसीआईएल, एनएचपीसी और आरआईटीईएस

8	जहाजरानी	3	36.17	20.77
9	अन्य	22	275.92	160.83
जोड़		82	5161.38	3759

तालिका में दिए गए डेटा के अनुसार, सभी क्षेत्रों में सीएसआर व्यय में कमी थी। अधिकतम कमी पेट्रोलियम क्षेत्र सीपीएसई द्वारा ₹ 597.1 करोड़, उसके बाद विद्युत क्षेत्र द्वारा ₹ 376.32 करोड़ थी।

4.5.2.11 प्रशासनिक उपरिव्यय

सीएसआर नियम 4(6) के अनुसार, प्रशासनिक उपरिव्यय (ओएच) को कुल सीएसआर निधि के 5 प्रतिशत तक सीमित रखा जाना है। अलग से उल्लिखित ओएच खर्चमें आधारभूत अध्ययन, क्षमता निर्माण तथा अन्य उपरिव्यय को शामिल किया जाना चाहिए। ₹ 3759 करोड़ के कुल सीएसआर व्यय में से 35 सीपीएसई के लिए ओएच की औसत प्रतिशतता 2.46 प्रतिशत अर्थात् ₹ 92.36 करोड़ थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- 32 सीपीएसई ने सीएसआर के तहत किसी ओएच को सूचित नहीं किया गया।
- एमसीए संशोधन 12.09.2014 के अनुसार, कंपनियां अपने स्वयं के कर्मियों के साथ-साथ अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों की सीएसआर क्षमताओं का निर्माण कम से कम तीन वित्तीय वर्षों के स्थापित ट्रैक के साथ संस्थानों के माध्यम से कर सकती हैं लेकिन प्रशासनिक व्यय सहित इस तरह के व्यय एक वित्तीय वर्ष में कंपनी के कुल सीएसआर खर्च का पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस संबंध में, कुल 23 सीपीएसई में ओएच के तहत ₹ 76.03 करोड़ का वेतन शामिल था। 9 सीपीएसई⁶⁴ के लिए वेतन ₹ 1 करोड़ से अधिक था।
- तीन सीपीएसई अर्थात् एचसीओएल (5.28 प्रतिशत), केपीएल (6.47 प्रतिशत), तथा पीएफसीएल (5.27 प्रतिशत) के संबंध में ओएच 5 प्रतिशत की सीमा से अधिक था।

4.5.2.12 आम विषय पर सीएसआर व्यय

डीपीई ओएम दिनांक 10.12.2018 के अनुसार (डीपीई दिनांक 01.08.2016 के पहले की सलाह के अतिरेक), सक्षम प्राधिकारी ने सीपीएसई द्वारा सीएसआर गतिविधियों को करने के लिए कार्यवाई के निम्नलिखित विषयों को मंजूरी दी थी:

⁶⁴ एएआई, एंटिक्स बीपीसीएल, सीआईएल, कोनकोर, ईआईएल, गेल, एचपीसीएल, आईओसीएल, आईआरसीओएन, आईआरसीटीसी, निपको, एनएचपीसी, एनआरएल, एनटीपीसी, ऑयल, ओएनजीसी, पीएफसीएल, पीजीसीएल, आरपीडीसीएल, आरईसीएल, आरआईटीईएस, एसजेवीएन

- (क) सीपीएसई द्वारा सीएसआर गतिविधियों के लिए प्रत्येक वर्ष एक आम विषय को चुनना चाहिए। चालू वित्त वर्ष के लिए 2018-19, स्कूली शिक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल को फोकस हस्तक्षेप के विषय के रूप में लेना चाहिए।
- (ख) विषयगत कार्यक्रम के लिए सीएसआर व्यय सीपीएसई के वार्षिक सीएसआर व्यय का लगभग 60 प्रतिशत होना चाहिए तथा
- (ग) नीति आयोग द्वारा पहचाने गए आकांक्षात्मक जिलो को वरीयता दी जा सकती है।

82 सीपीएसई में से, केवल 43 ही आम विषय पर सीएसआर व्यय के 60 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर सकी तथा 39 सीपीएसई (अनुलग्नक XXVIII) लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके। 39 सीपीएसई में से, एनएफडीसी तथा पीवीटीएल ने क्रमशः पीएमएनआरएफ तथा स्वच्छ गंगा फंड में पूरे सीएसआर फंड को जमा कराया तथा चार सीपीएसई (सीपीसीएल, एनएफएल, आ व एसजेवीएन) ने आम विषय पर सीएसआर खर्च का कम से कम 50 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर सके। सीएसआर खर्च को आम विषय पर करने के लिए आकांक्षी जिलो को वरीयता देने के संबंध में, 19 सीपीएसई⁶⁵ ने नीति आयोग के अनुसार इन जिलो को प्राथमिकता नहीं दी थी।

अधिकतर सीपीएसई ने उल्लेख किया कि आम विषय तथा आकांक्षात्मक जिलों पर दिसम्बर 2018 में दिशानिर्देश प्राप्त हुए थे और वर्ष 2018-19 का सीएसआर बजट पहले ही परियोजनाओं/गतिविधियों के लिए आवंटित/प्रतिबद्ध था। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि:

- ₹ 442.18 करोड़ का व्यय आम विषयों पर आकांक्षात्मक जिलो में किया गया अर्थात् कुल सीएसआर व्यय का 11.78 प्रतिशत।
- केवल 55 सीपीएसई ने आकांक्षात्मक जिलो में सीएसआर व्यय किया।
- अधिकतम सीएसआर आकांक्षात्मक जिलो में आईओसीएल द्वारा (₹ 58.81 करोड़), उसके बाद एसईसीएल (₹ 49.09 करोड़) तथा उसके बाद एनसीएल (₹ 40.58 करोड़) द्वारा किया गया।
- छत्तीसगढ़ के आकांक्षात्मक जिलो को ₹ 72.78 करोड़ के सीएसआर व्यय का अधिकतम फोकस मिला। इस राज्य में अधिकतम व्यय एसईसीएल (₹ 39.02 करोड़) तथा उसके बाद एनएमडीसी (₹ 26.18 करोड़) द्वारा था।
- बीआरबीएल ने अपने कुल सीएसआर खर्च का 100 प्रतिशत (₹ 0.61 करोड़) इसके बाद सीसीएल ने 88.70 प्रतिशत (₹ 26.33 करोड़) तथा एमएमटीसी ने ₹ 71.62 प्रतिशत (₹ 0.94 करोड़) आकांक्षात्मक जिलो में व्यय किया।

⁶⁵ बीईएल, सीसीएल, आईओसीएल, ओएनजीसी, एचएएल, एनएचडीसी, एनआरएल, पीजीसीएल और आरईसीएल

4.5.2.13 सीएसआर परियोजना से अधिशेष

सीएसआर नियम 2014 के अनुसार, सीएसआर परियोजना से उत्पन्न होने वाला कोई भी अधिशेष एक कंपनी के व्यावसायिक लाभ का हिस्सा नहीं होगा। 82 सीपीएसई में से, केवल 2 सीपीएसई (बीईएल तथा एचएएल) ने सीएसआर परियोजना से अधिशेष की सूचना दी थी तथा इसे वापस सीएसआर निधि में ही जमा करा दिया।

4.5.2.14 सीएसआर गतिविधियों से परिसंपत्ति निर्माण

82 सीपीएसई में से, सीएसआर गतिविधियों में से 2018-19 के दौरान 17 सीपीएसई ने सीएसआर परिसंपत्तियां बनाई। यद्यपि कंटेनर कॉपोरेशन ऑफ इंडिया को छोड़कर सीपीएसई के नाम पर कोई सीएसआर संपत्ति नहीं है तथा सभी सीएसआर संपत्ति या तो राज्य सरकार, स्थानीय प्रतिनिधि, एनजीओ या लाभार्थी को हस्तांतरित कर दी गई। सीएसआर परिसंपत्ति अर्थात् उत्तर प्रदेश में पेरिशेबल कारगो सेन्टर, गाजीपुर व राजातालाब, यद्यपि अधिनियम की अनुसूची VII के अन्तर्गत ग्रामीण विकास विषय के तहत किए गए को सीपीएसई के नाम पर संपत्ति के रूप में दिखाए गए।

4.5.3 परियोजना कार्यान्वयन

4.5.3.1 सीएसआर परियोजना/गतिविधियों का चयन

आधारभूत सर्वेक्षण तथा निर्धारण का संचालन: 82 सीपीएसई में से, 44 सीपीएसई ने सीएसआर गतिविधियों/परियोजना की पहचान के लिए 7605 योजनाओं के संबंध में आधारभूत सर्वेक्षण किया तथा आवश्यकता निर्धारण अध्ययन किया। जिसमें से 14 सीपीएसई ने आधारभूत तथा निर्धारण अध्ययन के संचालन पर ₹ 2.15 करोड़ खर्च किए। 31 सीपीएसई ने 539 परियोजनाओं के संबंध में आधारभूत सर्वेक्षण नहीं किया।

4.5.3.2 सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन का तरीका

कंपनी (सीएसआर) नियम 2014 के नियम 4, विशेष रूप से धारा 135(1) के तहत सीएसआर गतिविधियों को संचालित करने के तरीके से संबंधित है। बोर्ड अपनी सीएसआर गतिविधियों का कार्यान्वयन करने का निर्णय एक पंजीकृत ट्रस्ट/सोसायटी या सीपीएसई या इसके होल्डिंग या सहायक या सहयोगी कंपनी द्वारा अधिनियम की धारा 8 के तहत या अन्यथा द्वारा स्थापित कोई कंपनी के माध्यम से सीएसआर समिति द्वारा अनुमोदित करने के उपरांत करसकता है। 11,215 सीएसआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन का तरीका निम्नानुसार था:


- प्रत्यक्ष/आंतरिक: कुल 2,763 परियोजनाएं सीपीएसई द्वारा प्रत्यक्ष/आंतरिक रूप से कार्यान्वित की गई थी।

- बाह्य एजेन्सियां: 8,452 परियोजनाएं सरकारी/बाह्य एजेन्सियों, एनजीओ, सोसायटी इत्यादि द्वारा कार्यान्वित की गई।

बाह्य एजेन्सियो द्वारा कार्यान्वित 8,452 योजनाओं में से, सीपीएसई ने 1654 परियोजनाओं के संबंध में निविदा का सहारा लिया था, 734 परियोजनाएं नामांकन के आधार पर तथा शेष परियोजनाएं या तो सरकारी एजेन्सियों/सस्थाओं, स्थानीय निकायों/समुदाय आधारित संगठनों या गैर सरकारी संगठनों/कार्यान्वयन एंजेन्सियों आदि से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर शुरू की गई थी।

4.5.3.3 केन्द्र बिन्दु के क्षेत्र

जैसा कि चार्ट में संकेत दिया गया है, स्वास्थ्य पर अधिकतम (35 प्रतिशत) ध्यान दिया गया। 76 सीपीएसई द्वारा इस शीर्ष के तहत कुल व्यय ₹ 1,310.87 करोड़ था। अगला अधिकतम व्यय (1231.21 करोड़, 74 सीपीएसई के द्वारा) शिक्षा में अर्थात 33 प्रतिशत था। केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक संस्थानों के भीतर स्थित प्रौद्योगिकी




इन्क्यूबेटरों के लिए प्रदान किए गए फंड/योगदान, (चार सीपीएसई द्वारा ₹ 3.33 करोड़), सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके अश्रितों के (15 सीपीएसई द्वारा ₹ 8.11 करोड़) तथा केन्द्रीय सरकार फंड में योगदान (11 सीपीएसई द्वारा ₹ 10.34 करोड़) सबसेकम ध्यान के क्षेत्र थे। एनएफडीसी ने सारी सीएसआर राशि प्रधान मंत्री सहायता कोष में

जमा करा दी। एनटीपीवीवीएन ने सारा सीएसआर फंड ग्रामीण विकास पर खर्च कर दिया। दो सीपीएसई (ओएनजीसी तथा एमआरपीएल) ने अनुसूची VII में निहित गतिविधियों (11 में से 9) को कवर किया। दो सीपीएसई (आईटीआई लिमिटेड तथा एमओआईएल) ने क्रमशः आपदा प्रबंधन पर (₹ 0.05 करोड़) तथा एमओआईएल फाउंडेशन ट्रस्ट (₹ 5.20 करोड़) पर खर्च/सहयोग किया। जबकि एमओआईएल फाउंडेशन ट्रस्टकी किसी भी जानकारी के अभाव में उद्देश्य/श्रेणी को “अन्य” में दिखाया गया। पीएफसी ने अनुसूची VII गतिविधियों के अलावा

‘अन्य’ के तहत ‘सौभाग्य’ योजना के होर्डिम्स पर सीएसआर व्यय के लिए ₹ 42 करोड़ खर्च किए।

चार्ट 4.10: अधिकतम सीएसआर व्यय पर आधारित चार अधिकतम केन्द्रित अनुसूची VII थीम का विश्लेषण



अनुसूची VII विषयों के उपविषय के तहत, स्वास्थ्य देखभाल के तहत पानी और स्वच्छता पर अधिकतम सीएसआर व्यय अर्थात् ₹ 543.31 करोड़ खर्च किए गए, इसके बाद क्रमशः शिक्षा विषय तथा ग्रामीण विकास के तहत अवसरंचना ढांचे के समर्थन पर ₹ 391.88 करोड़ व ₹ 349.91 करोड़ खर्च किए गए। सबसे कम सीएसआर व्यय ग्रामीण विकास के तहत क्रमशः जागरूकता सृजन तथा युवा क्लबोंके उपविषय पर ₹ 4.56 करोड़ तथा ₹ 7.68 करोड़ किया गया। ओएनजीसी, भेल तथा एनएचपीसी ने केन्द्रित क्षेत्रों में उपविषयवार श्रेणियों को बनाए नहीं रखा।


4.5.3.4.1 स्थानीय क्षेत्र

अधिनियम की धारा 135(5) प्रावधान करती है कि कंपनी सीएसआर गतिविधियों के लिए निर्धारित राशि व्यय करने के लिए स्थानीय क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों जहां वह काम करती है को वरीयता देगी ।

- 82 सीपीएसई में से, 14 सीपीएसई⁶⁶ ने अपनी सीएसआर नीति में स्थानीय क्षेत्र को परिभाषित नहीं किया।

⁶⁶ एएलआईएमसीआई, बीईएमएल, बीएलसी, सीएसएल, जीएसएल, गेल गैस, जीआरएल, आईओसीएल, आईआरईएल, केआरएल, एनएफडीसी, निपको, एनएलसीआईएल, एनपीसीएल, एनएलसीटीपीएल, एनबीसीसी, ऑयल, टीएचडीसी और आरईएमएल

- 79 सीपीएसई के संबंध में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, ₹ 3585.73 करोड़ के कुल सीएसआर व्यय में से (प्रशासनिक ओएच सहित), 37 सीपीएसई ने गैर-परिचालन क्षेत्र में ₹ 652.10 करोड़ व्यय किए जो कि 18.19 प्रतिशत रहा।
- आईआरडीडी तथा एमडीएल ने गैर परिचालन क्षेत्र में सीएसआर फंड का 50 प्रतिशत से अधिक व्यय किया।
- 42 सीपीएसई ने स्थानीय क्षेत्रों में 100 प्रतिशत व्यय किया। एनडीएफसी तथा पीवीटीएल ने क्रमशः पीएमएनआरएफ तथा स्वच्छ गंगा फंड में सारा सीएसआर फंड जमा कर दिया।
- एसईसीएल ने अपनी सीएसआर नीति का उल्लंघन करते हुए परिचालन क्षेत्र के 25 किलोमीटर से बाहरी क्षेत्र में 20 प्रतिशत के अधिकतम सीमा के अलावा/के अतिरिक्त ₹ 42.13 करोड़ व्यय किए। इसी प्रकार, एमडीएल की सीएसआर नीति के अनुसार, सीएसआर व्यय के लिए स्थानीय व अन्य क्षेत्र में अनुपात 60:40 था तथा एमडीएल द्वारा गैर परिचालन क्षेत्र में सीएसआर निर्धारित व्यय 40 प्रतिशत के मुकाबले 59.86 प्रतिशत था।



4.5.3.5 भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं/परियोजनाओं की फंडिंग/निधियन

भारत सरकार ने समाज के लाभ के लिए विभिन्न योजनाओं तथा परियोजनाओं की शुरुआत की तथा निधियन के लिए सीपीएसई से संपर्क किया। सीपीएसई अधिनियम की अधिसूची VII की शर्तों को पूरा करने के लिए सीएसआर के अधीन ऐसी योजनाओं/परियोजनाओं के निधियन पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थे अनुसूची VII के तहत आने वाली परियोजनाएं व योजनाएं सीएसआर के तहत निधियन के लिए योग्य थीं। 82 सीपीएसई में से, 24 सीपीएसई⁶⁷ ने भारत सरकार की योजनाओं पर कोई राशि व्यय नहीं की। लेखापरीक्षा ने सीएसआर के तहत सीपीएसई द्वारा कुछ भारत सरकार परियोजनाओं के निधियन की समीक्षा की तथा जाँच-परिणाम नीचे दिए गए हैं:

⁶⁷ एनट्रिक्स, बीडीएस, बीआरबीएल, बीपीसीएलश, सीएसएल, एचएसएल (इंडिया) लिमिटेड, मिथानी, एनएसकेएफडीसी, एनएफडीसी, एनबीसीसी (सर्विसेस), रेलटेल, एससीआई, एसपीएमसीआईएस, यूसीआईएल

स्वच्छ भारत (एसबी) मिशन

अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, डीपीई ने सीपीएसई को गंगा कायाकल्प के लिए स्वच्छ गंगा निधि तथा एसबी मिशन पर सीएसआर निधि का 33 प्रतिशत व्यय करने का निर्देश (अगस्त 2016) दिया। एमओयू के तहत निष्पादन मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देशों (जनवरी 2018) के अनुसार, सीपीएसई को एसबी का अनुपालन पूरा करना होगा। एसबी के तहत अनुमत घटको (i) एसबी कोष, (ii) प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई) तथा (iii) स्वच्छ गंगा निधि में योगदान था। हालांकि उपर्युक्त डीपीई अधिसूचना का स्थान डीपीई अधिसूचना दिनांक 10/12/2018 ने ले लिया जो कहता है कि 2018-19 में सीएसआर खर्च का लगभग 60 प्रतिशत आम थीम, स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर होना चाहिए।



48 सीपीएसई द्वारा एसबी पर कुल खर्च ₹ 414.46 करोड़ (₹ 156.98 करोड़ एसबी पर + ₹ 76.21 करोड़ स्वच्छ गंगा पर + ₹ 181.27 करोड़ पीएमयूवाई पर) था। आगे, अन्य भारत सरकार योजनाओं/परियोजनाओं पर सीएसआर व्यय का नीचे तालिका 4.5 में उल्लेख किया गया है।

तालिका 4.5: भारत सरकार योजनाओं पर सीएसआर व्यय/सरकारी निधि में योगदान

भारत सरकार की योजना/सरकारी निधियों का नाम	सीएसआर व्यय (₹ करोड़ में)	सीपीएसई की संख्यानाम/
राष्ट्रीय खेल विकास निधि/ खेलो इंडिया	3.59	4 सीपीएसई (बेल, कोनकोर, नाल्को, पीजीसीआईएल)
सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष/ सेना कोष	5.21	9 सीपीएसई ⁶⁸
मिडडे मील योजना	1.42	3 सीपीएसई (एमडीएल, एससीआई, टीएचडीसी)
कौशल विकास भारतमिशन	47.69	10 सीपीएसई ⁶⁹
शुजलम्, शुफलम् योजना, नलजल योजना/ग्रामीण जल आपूर्ति योजना	0.77	3 सीपीएसई (पीजीसीएल, एसईसीएल, एचयूडीसीओ)
पीएमएनआरएफ/सीएमआरएफ	1.02	2 सीपीएसई (एमआरपीएल, एनएफडसी)
शिरीन विकास कार्यक्रम	3.17	2 सीपीएसई (बीएलसी, नाल्को)
बेटी बचाओ, बेटी बढाओ	3.14	2 सीपीएसई (टीएचडीसी, नाल्को)
आपदा प्रबंधन	0.05	1 सीपीएसई (आईटीआई)

⁶⁸ एन्ट्रिक्स, बीईएमएल, कोनकोर, सीपीसीएल, जीएसएल, आईआरएफसी, एमडीएल, एमडीएल, एमआरपीएल, एनपीसीआईएल

⁶⁹ बीपीसीएल, बीआरसीआईएल, ईआईएल, जीएसएल, एचसीओएल, एचएएल, एनएएलसीओ, एनआरएल, एससीआई, टीएचडीसी (केवल दस सीपीएसई द्वारा प्रदान किए गए आकड़े)।

आईटीआई को समर्थन	0.16	1 सीपीएसई (एमडीएल)
सर्वज्ञान	0.01	1 सीपीएसई (आईटीआई)
प्रत्यक्ष रूप से देखे गए उपचार	0.44	1 सीपीएसई (एनटीपीसी)
वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम	0.02	1 सीपीएसई (आईटीआई)
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	1.74	1 सीपीएसई (एनआरएल)
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम	0.06	1 सीपीएसई (एनआरएल)
उड़ान योजना - जनजातीय बालशिक्षा	0.20	1 सीपीएसई (एसईसीएल)
इंजॉर योजना बीपीएल - छात्रों	0.19	1 सीपीएसई (एसईसीएल)
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम	0.20	1 सीपीएसई (पीएचएल)
हरियार - वृक्षारोपण	10.26	1 सीपीएसई (एसईसीएल)
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	0.91	1 सीपीएसई (आईओसीएल)
हृदय	0.59	1 सीपीएसई (टीएचडीसी)
उजाला	0.18	1 सीपीएसई (टीएचडीसी)

4.5.3.6 सीपीएसई द्वारा आरंभ की गई सीएसआर परियोजनाओं पर निष्कर्ष

(i) सीएसआर गतिविधियों के तहत कवर न की जाने वाली गतिविधियां

पीजीसीआईएल ने शिक्षा क्षेत्र के तहत मुम्बई के 105 रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई हॉटस्पॉट उपलब्ध कराने के लिए ₹ 30.53 करोड़ के कुल बजट परिव्यय के खिलाफ ₹ 0.16 करोड़ खर्च किए। इसके अलावा, पीजीसीआईएल के सीएसआर व स्थिरता नियम के अनुसार 'शिक्षा' के मुख्य क्षेत्र में स्कूल/कॉलेज/ हॉस्टल की अवसंरचना, छात्रवृत्ति तथा मानसिक व शारीरिक रूप से विकलंग बच्चों/व्यक्तियों पर व्यय करना शामिल है। इसीलिए, उपरोक्त योजना पर किया गया व्यय इसके अपने सीएसआर व स्थिरता नियमों के अनुरूप नहीं था। प्रबंधन ने कहा कि परियोजना को 'ग्रामीणविकास' तथा 'शिक्षाको बढ़ावा देने' के मुख्य क्षेत्र के तहत अनुमोदित किया गया था और परियोजना के लिए किए गए व्यय को सीएसआर के अधीन योग्य माना जा सकता है। पीजीसीआईएल का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि परियोजना के लिए किया गया व्यय उसके अपने सीएसआर व स्थिरता नियमों के तहत अर्हता प्राप्त नहीं करता।

ii) बिना यूटिलाइजेशन (उपयोगीकरण) सर्टिफिकेट (यूसी) /कार्यान्वयन एजेंसी के अनुचित यूसीतहत सीएसआर व्यय

सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
सीसीएल	₹ 3.90 करोड़ के लिए सरकारी एजेन्सी से यूसी प्राप्त नहीं हुआ
एसईसीएल	उचित यूसी के बिना ₹ 47.89 करोड़ खर्च किए (स्वीकृत ऑर्डर के अनुसार यूसी नहीं था)

केपीएल	जिला कलेक्टर/ट्रस्ट प्राधिकारी से ₹ 3.29 करोड़ का यूसी प्राप्त नहीं हुआ
एनटीपीसी	एसडीएमसी से ₹ 0.75 करोड़ के लिए यूसी प्राप्त नहीं हुआ।

(iii) एक इंवेट की वित्त व्यवस्था

जनवरी 2016 में एमसीए द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, सीएसआर के तहत मैराथन/पुरस्कार/विज्ञापन इत्यादि को शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- एनआरएल ने एक बार होने वाले आयोजनों पर ₹ 49.38 लाख खर्च किए जैसे कि हाथी के अतिक्रमण से सुरक्षा के लिए गाँवों व रिफाइनरी के आस-पास सर्च लाइट का वितरण, जागरूकता अभियान, स्वच्छता अभियान, कला व वादविवाद प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, सेनेटरी नेपकिन का वितरण आदि।
- एनटीपीसी, पीएफसी तथा पीजीसीआईएल ने देश के विभिन्न राज्यों में सौभाग्य योजना (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना) के होर्डिंग के प्रदर्शन के लिए ₹ 96.07 करोड़ (क्रमशः ₹ 48.31 करोड़, ₹ 41.40 करोड़ तथा ₹ 6.36 करोड़) खर्च किए। पीजीसीआईएल ने कहा कि अभियान के प्रस्तावित लाभार्थी आबादी के गरीब व हाशिये के तबके थे, जिन्हें अभी तक घरों में बिजली कनेक्शन प्राप्त नहीं हुए हैं। इसका नतीजा यह हुआ किमीटरींग के साथ अधिकृत चैनल के माध्यम से कई बिजली कनेक्शन लगाए गए जिसके परिणामस्वरूप अधिक ग्रामीण परिवारों को बिजली आपूर्ति के कारण उनकी अजीविका तथा विकास बदल रहा है। यद्यपि, यह तथ्य है कि विज्ञापन पर होने वाला खर्च एमसीए के परिपत्र के अनुसार सीएसआर खर्च के योग्य नहीं है।
- एनटीपीसी द्वारा नुक्कड़ नाटक संचालन तथा ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पेटिंग प्रतियोगिता पर ₹ 0.87 करोड़ खर्च किए गए।

4.5.3.7 उल्लेखनीय परियोजनाएं

82 सीपीएसई ने शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के चार केन्द्रित क्षेत्रों में 2018-19 में कुल 11,215 सीएसआर परियोजनाएं शुरू की। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के तहत कुल खर्च क्रमशः ₹ 1,231.21 करोड़, ₹ 1,310.87 करोड़ तथा ₹ 414.74 करोड़ था। कुछ उल्लेखनीय परियोजनाएं नीचे सूचीबद्ध हैं:

तालिका 4.6: उल्लेखनीय परियोजनाओं

सीपीएसई	उल्लेखनीय परियोजनाएं
शिक्षा	
एचपीसीएल	परियोजना नन्ही कली - लड़कियों के लिए शिक्षा
बीपीसीएल	3500 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया, योजना 'अक्षर' 48595 बच्चों तक गया तथा सागर में समुदाय में 3459 तक तथा 48,377 बच्चे तथा 1472 स्वयंसेवक नन्दुबार में।
आईआरसीटीसी	आकांक्षात्मक जिलों में टॉयलेट को बनाने के लिए अधिसंरचना सहायता तथा स्कूलों में फर्नीचर के लिए प्रस्ताव
ओएनजीसी	संपूर्ण भारत में विभिन्न केवी में ई-कक्षा को स्थापित करना
गेल	उत्कर्ष योजना - हाशिए पर रहने वाले छात्रों को आईआईटी - जेईई कोचिंग
स्वास्थ्य सेवा तथा सेनिटेशन	
ओएनजीसी	ओएनजीसी मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल - राजबरी , सीबसागर, असम
पीजीसीआईएल	इंदिरा गाँधी चिकित्सा विज्ञान संस्थान, पटना में विश्राम सदन का निर्माण
बीपीसीएल	एक ट्रेन में लाइफलाइन एक्सप्रेस अस्पताल में चिकित्सा सेवा
रोजगार तथा कौशल विकास	
बीडीएल, ईआईएल, एचपीसीएल, जीएसएल, सीएसएल, एनएचपीसी, केपीएल, पीजीसीआईएल	कौशल विकास प्रशिक्षण, जो आमतौर पर युवाओं, महिलाओं/संविदाकर्मीयों/विकलांग व्यक्तियों आदि को शामिल करता है।
पर्यावरण	
ईआईएल, आईओसीएल, ओएनजीसी, एनटीपीएल	ईंधन संयंत्र के लिए अपशिष्ट (आईओसी तथा ईआईएल द्वारा), बेतुल मध्य प्रदेश में सौर पी वी चूल्हा वितरण के लिए वित्तीय सहायता (ओएनसीसी की द्वारा), कोरामपल्म जलाशय का डी-सिल्टिंग, थारुवलुरणी में जल संवर्धन और भू-जल सुधार के लिए (एनटीपीएल द्वारा)

4.5.4 निगरानी ढांचा

सीएसआर नियम 2014 के नियम 5 (2) क अनुसार, सीएसआर समिति, कंपनी द्वारा शुरू किए गए सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र स्थापित करेगी। डीपीई ने का.जा. दिनांक 01.08.2016 के द्वारा सीपीएसई को सीएसआर की निगरानी, रिपोर्टिंग तथा मूल्यांकन के लिए एक संस्थापन तंत्र रखने का निर्देश दिया। लेखापरीक्षा ने पाया कि 82 सीपीएसई में से, केवल एनएफडीसी ने सीएसआर नीति में निगरानी तंत्र को निर्दिष्ट नहीं किया। निगरानी, रिपोर्टिंग तथा मूल्यांकन के लिए सस्थागत तंत्र के संबंध में, 13 सीपीएसई ने मासिक समीक्षा बैठके की, 30 सीपीएसई ने

त्रैमासिक, 5 सीपीएसई ने छमाही, 8 सीपीएसई ने परियोजना की आवश्यकता के अनुसार नियमित/ समवर्ती/एकाधिक/लगातार बैठके की। शेष सीपीएसई ने सीएसआर नीति, एमओयू, लेटर ऑफ अवार्ड, मील के पत्थर लक्ष्य पूरा होने के आधार पर समीक्षा बैठक आयोजित की तथा एक सीपीएसई (सीपीसीएल) की समीक्षा बैठकों की आवधिकता तय नहीं थी। इस संबंध में बैठके आमतौर पर 1-12 बैठकों की सीमा में थी केवल एक सीपीएसई अर्थात् मझगाँव डॉक लिमिटेड ने 2018-19 के दौरान 21 बैठके की।

मूल्यांकन/प्रभाव आकलन: डीपीई का.जा. दिनांक 01.08.2016 के पैरा 2(V) के अनुसार, सीपीएसई द्वारा सीएसआर को कार्यान्वित करने के लिए निगरानी, रिपोर्टिंग तथा मूल्यांकन के लिए एक संस्थागत तंत्र को शुरू किया जाना चाहिए था। सीपीएसई, सीएसआर परियोजना/गतिविधियों के प्रकार पर निर्भर रहते हुए मामले के आधार पर प्रभाव निर्धारण किया। उपलब्ध डेटा के अनुसार, 20 सीपीएसई द्वारा प्रभाव आकलन पर कुल व्यय ₹ 1.91 करोड़ था। लेखापरीक्षा ने पाया कि 82 सीपीएसई में से:

- 49 सीपीएसई ने प्रभाव आकलन किया
- 49 सीपीएसई में से
- 31 सीपीएसई ने बाहरी एजेंसियों के माध्यम से प्रभाव आकलन कराया।
- 6 सीपीएसई ने (बेल, बीईएमएल, आईआरईएल, मिघानी, पीएचएल तथा यूसीआईएल) ने सीएसआर गतिविधियों के प्रभाव का आंतरिक रूप प्रभाव आकलन किया,
- 6 सीपीएसई (बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी, एनसीएल, पीजीसी आईएल तथा एसईसीएल) ने बताया कि प्रभाव आकलन दोनो प्रकार (आंतरिक तथा बाहरी एजेंसी से) से किया गया तथा
- 6 सीपीएसई (सीसीएल, आईओसीएल, एनएफएल, बीआरबीएल, आरवीएनएल तथा एसजेवीएन) ने प्रभाव आकलन के प्रकार का निर्दिष्ट नहीं किया।
- 33 सीपीएसई (अनुलग्नक XXIX) ने कोई प्रभाव आकलन नहीं किया।
- 33 सीपीएसई में से,
- 2 सीपीएसई (एनएफडीसी तथा पीवीटीएल) के संबंध में कोई निगरानी तथा आकलन करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि पूरी निधि को पीएमआरएफ या स्वच्छ गंगा निधि में दे दिए।
- 5 सीपीएसई (कोनकोर, राइटस, आरईसीपीडीसीएल, नाल्को तथा गेल गैस) ने 2018-19 के दौरान कोई प्रभाव आकलन नहीं किया क्योंकि इसकी सीएसआर नीति के अनुसार प्रभाव आकलन पाँच करोड़ (कोनकोर, दो करोड़ (राइटस), एक करोड़ (आरईसीपीडीसीएल तथा नाल्को) तथा 50 लाख (गेल गैस) से उपर की परियोजनाओं के संबंध में किया जाना चाहिए था।

4.5.5 रिपोर्टिंग तथा प्रकटीकरण

अधिनियम की धारा 134(3) (ओ) के साथ पठित धारा 135(2) के अनुसार, कंपनी को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में सीएसआर पर एक वार्षिक रिपोर्ट को शामिल करने और इसे अधिकारिक वेबसाइट पर रखने की आवश्यकता होती है। सीएसआरनियम 2014 के नियम 9 के अनुसार, कंपनियों को निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित का खुलासा करना होता है :

1. सीएस आर नीति की विषय-वस्तु , सीएसआर नीति की वेब लिंक, औसत निवल लाभ, सीएसआर समिति की संरचना, प्रशासनिक उपरिव्यय, निर्धारित राशि, अव्ययित राशि, अव्ययित राशि के कारण।
2. सीएसआर समिति द्वारा हस्ताक्षरित एक उत्तरदायित्व विवरण कीसीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी सीएसआर उद्देश्य और कंपनी की नीति के अनुपालन में था, भी शामिल करना।

82 सीपीएसई द्वारा अनुपालन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां निम्ननुसार है:

- दो सीपीएसई (आरईएमएल तथा यूसीआईएल) ने वार्षिक रिपोर्ट तथा वेबसाइट पर सीएसआर नीति की विषय-वस्तु का जिक्र नहीं किया । सीपीसीएल ने सीएसआर नीति रिपोर्ट में योजनाओं के वेब लिंक को वे रिपोर्ट नहीं दर्शाया।
- तीन सीपीएसई (सीपीसीएल, एचएससीसी तथा यूसीआईएल) ने निर्धारित प्रारूप का पालन नहीं किया ।
- एनटीपीवीवीएन ने अव्ययित राशि का विवरण नहीं दिया।
- 50 सीपीएसई (अनुलग्न XXX) ने प्रत्यक्ष तथा उपरि खर्चों के विवरण की योजनावार रिपोर्टिंग नहीं की थी। एनएफडीसी तथा पीवीटीएल ने पूरी निधि को क्रमशः पीएमएनआरएफ तथा स्वच्छ गंगा निधि में दे दिया; इसलिए, कोई उपरिव्यय नहीं किए गए। इन 50 सीपीएसई में से तीन सीपीएसई (एआईईएल, एनपीसीसी तथा एनपीसीआईएल) ने शून्य उपरिव्यय सूचित किया।
- 12 सीपीसीई⁷⁰ ने पिछले वर्षों के ₹ 844.19 करोड़ की अव्ययित राशि को आगे लाए, जिसका वार्षिक रिपोर्ट में जिक्र नहीं किया गया।
- आरईएमएल ने सीएसआर नियम 2014 के नियम के तहत सीएसआर समिति की उत्तरदायित्व विवरण को शामिल नहीं किया।

⁷⁰ एआईईएल, हुडको, आईआरएफसी, एमएमटीसी, एनएफएल, एनसीएल, एनपीसीएल, ओएनजीसी, पीजीसीएल, आरईसीएल, एससीआई, एसईसीएल

- पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए तथा एक सीएसआर गतिविधि के लिए विभिन्न संस्थानों सीपीएसई द्वारा कोई दूसरी निधि प्राप्त नहीं कीजाए या निधि की ओवरलैपिंग से बचने के लिए, सीएसआर योजना की कार्यान्वयन एजेन्सी का विवरण, को बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लेख किया जाना चाहिए था। यद्यपि, यह पाया गया कि छः सीपीएसई (एनआरएल, बीपीसीएल, सीपीसीएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी तथा एचपीसीएल) ने इसका जिक्र नहीं किया चार सीपीएसई (एनआरएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी तथा एचपीसीएल) ने अगले वर्ष से इसका खुलासा करने का आश्वासन दिया।
- एनटीपीएल तथा एचएससीसी को छोड़कर, सभी सीपीएसई के पास सीएसआर योजनाओं की प्रगति की रिपोर्टिंग के लिए तंत्र था।
- चारों सीपीएसई (एन्ट्रिक्स, ईआईएल, आईटीपीओ तथा एसपीएमसीआईएल) ने कम्पनी अधिनियम तथा सीएसआर नियम 2014 में निर्दिष्ट सभी रिपोर्टिंग तथा प्रकटीकरण आवश्यकताओं का पालन किया था।

4.6 निष्कर्ष

अधिकतर सीपीएसई ने सीएसआर समिति के गठन तथा सीएसआर नीति के तैयार करने के संबंध में अधिनियम तथा सीएसआर नियमों के प्रावधानों का अनुपालन किया है। 14 सीपीएसई ने सीएसआर निधि का बिलकुल दो प्रतिशत व्यय किया, 30 सीपीएसई ने 2 प्रतिशत से कम तथा 38 सीपीएसई ने दो प्रतिशत से ज्यादा व्यय किया अधिनियम की धारा 198 के अनुसार आईटीआई लिमिटेड का औसत निवल लाभ ऋणात्मक ₹ 0.02 करोड़ था। यद्यपि आईटीआई लिमिटेड ने 2018-19 में सीएसआर पर 0.64 करोड़ आवंटित तथा खर्च किए। दो सीपीएसई सीएसआर योजना से अधिशेष को सूचित किया तथा इसे सीएसआर में वापस ले लिया। स्वास्थ्य (35 प्रतिशत) तथा शिक्षा (33 प्रतिशत) में पिछले वर्ष की तरह अधिकतम निधियन प्राप्त किया। वर्ष के लिए आम विषय के संबंध में अर्थात् स्कूल शिक्षा व स्वास्थ्य, 43 सीपीएसई 60 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर सकी। इसके अलावा, 55 सीपीएसई ने आकांक्षात्मक जिलों में सीएसआर व्यय किया। लेखापरीक्षित 82 सीपीएसई में से किसी भी सीपीएसई ने किसी राजनीतिक पार्टी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान नहीं दिया। अधिकतम सीएसआर व्यय उड़ीसा (₹ 481 करोड़) में, उसके बाद उत्तर प्रदेश (₹ 328 करोड़) तथा असम (₹ 307 करोड़) में किया गया। 82 सीपीएसई में से 12 सीपीएसई ने जम्मू व कश्मीर (₹ 17.95 करोड़) में तथा 23 सीपीएसई (₹ 380.85 करोड़) ने उत्तर पूर्वी राज्यों में व्यय किए। 81 सीपीएसई के संबंध में निगरानी तंत्र लागू था। सीएसआर गतिविधियों, के चयन तथा कार्यान्वयन में पारदर्शिता व उचित परिश्रम था। 82 सीपीएसई में से, केवल 51 सीपीएसई ने प्रभाव आकलन किया। 12 सीपीएसई ने पिछले वर्षों की ₹ 844.19 की आगे लाई गई अव्ययित राशि को आगे लाई गई अव्ययित राशि का वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया।

अध्याय V

प्रशासनिक मंत्रालयों एवं महारत्न सीपीएसई के मध्य समझौता जापन का विश्लेषण

5.1 प्रस्तावना

समझौता जापन (एमओयू), चयनित मापदंडों पर लक्ष्यों को नियत करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों एवं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के प्रबंधन के बीच आमतौर पर एक नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले एक आपसी बातचीत से किया गया समझौता है, और इन लक्ष्यों की तुलना में निष्पादन को मापने के लिए वर्ष के अंत में परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें सीपीएसई और सरकार के प्रयोजन, दायित्व और पारस्परिक जिम्मेदारियां शामिल होती हैं और नियंत्रण एवं प्रक्रियाओं द्वारा प्रबंधन की तुलना में परिणामों और उद्देश्यों द्वारा सीपीएसई प्रबंधन को मजबूत करने के प्रति निर्देशित किया जाता है। सीपीएसई की सहायक कंपनियों को अपनी होल्डिंग कंपनियों के साथ समझौता जापन पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है।

5.2 एमओयू नीति के कार्यान्वयन हेतु संस्थागत व्यवस्था

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) सीपीएसई और प्रशासनिक मंत्रालयों के बीच एक सूत्रधार के रूप में कार्य करता है और सीपीएसई के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। यह एक ऐसी प्रणाली प्रदान करता है जिसके माध्यम से एमओयू लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और एमओयू के लिए दोनों पक्षों की प्रतिबद्धताओं का मूल्यांकन वर्ष के अंत में किया जा सकता है इसके अलावा एमओयू को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक तकनीकी इनपुट में सुधार किया जा सकता है। इस संस्थागत व्यवस्था का विवरण और उनके अंतर-संबंध इस प्रकार हैं:

- पूर्व वार्ता समिति: पूर्व-वार्ता समिति (पीएनसी) में शामिल हैं संयुक्त सचिव/ सलाहकार जो डीपीई में एमओयू देख रहे हैं, सीपीएसई के साथ डील करने वाले प्रशासनिक मंत्रालय के संयुक्त सचिव/सलाहकार, सीपीएसई के अधिकार-क्षेत्र से संबंधित, सलाहकार (नीति आयोग) निदेशक (एमओयू) और प्रत्येक सीपीएसई के संबंध में एमओयू लक्ष्यों की विस्तृत जांच करने के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रतिनिधि से संबंधित है। पीएनसी की भूमिका (जिसे पूर्व में एमओयू पर स्थायी समिति के रूप में जाना जाता

है) निष्पादन में सुधार को मापने के लिए और लक्ष्यों को नियत करने हेतु सबसे उपयुक्त एवं प्रासंगिक मापदंडों का निर्धारण करने में अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की सहायता करनी हेतु है। पीएनसी की बैठक आईएमसी की बैठक से पूर्व प्रत्येक मामले में आयोजित की जाएगी, जो चलन का पता लगाने, चर्चा और वार्ता करके एमओयू मापदंडों और लक्ष्यों की सिफारिश करने के लिए है।

- अंतर-मंत्रालयी समिति: अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) टास्क फोर्स का एक वैकल्पिक तंत्र है, जिसने अभी तक एमओयू वार्ताओं, लक्ष्य निर्धारण और सीपीएसई के निष्पादन के मूल्यांकन हेतु तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान की है। आईएमसी में इसके अध्यक्ष के रूप में सचिव डीपीई, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव या उसके प्रतिनिधि, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव अथवा उसके प्रतिनिधि, अपर सचिव, नीति आयोग अथवा इसके वरिष्ठ प्रतिनिधि इसके अन्य सदस्य हैं। सचिव डीपीई आवश्यकता पड़ने पर किसी भी अधिकारी को सहयोगिता दे सकता है जो वित्त विशेषज्ञ है। समिति की संरचना में कोई भी परिवर्तन कैबिनेट सचिव के अनुमोदन से किया जाएगा। आईएमसी की भूमिका वर्ष के आरंभ से पूर्व सीपीएसई के एमओयू लक्ष्यों को निर्धारित करने में एमओयू और डीपीई पर उच्च अधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की सहायता करना और उस वर्ष के पूरा होने के बाद एमओयू का निष्पादन मूल्यांकन करना है।
- उच्च अधिकार प्राप्त समिति: संस्थागत व्यवस्था के शीर्ष स्तर पर उच्च अधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) है जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं और वित्त सचिव, सचिव (व्यय), सचिव (नीति आयोग), सचिव (कार्यक्रम कार्यान्वयन), अध्यक्ष (सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड) और मुख्य आर्थिक सलाहकार सदस्य के रूप में हैं। सचिव (सार्वजनिक उद्यम) सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करता है।

एचपीसी अंतिम मूल्यांकन को मंजूरी देता है कि एमओयू के दोनों पक्षों द्वारा की गई प्रतिबद्धता को अब तक कितना पूरा किया है।

5.3 निष्पादन निर्धारण और रेटिंग हेतु समझौता ज्ञापन के लक्ष्य

एमओयू लक्ष्यों के निर्धारण में मूल दृष्टिकोण यह है कि लक्ष्य यथार्थवादी, विकास उन्मुख और आकांक्षी होने चाहिए।

एमओयू दिशानिर्देश में प्रावधान किया गया कि सभी सीपीएसई के निष्पादन को मापने के लिए तीन समान वित्तीय मापदंड होंगे अर्थात् परिचालन से राजस्व, परिचालन लाभ और 50 प्रतिशत कुल भारिता के साथ निवेश पर रिटर्न (जैसे पीएटी/निवल मूल्य का अनुपात) सिवाय उन सीपीएसई को छोड़कर जो सरकारी अनुदान पर निर्भर हैं या अनुदान वितरण आदि


के कार्य कर रहे हैं। इसलिए सभी सीपीएसई के लिए तीन वित्तीय मानकों को अनिवार्य मापदंडों के रूप में निर्धारित किया गया था।

शेष 50 प्रतिशत भारिता के लिए, सीपीएसई जिस क्षेत्र में कार्य कर रही है उसके आधार पर चयन हेतु मापदंडों की एक विकल्प-सूची का सुझाव दिया गया है। निष्पादन को मापने के लिए सबसे उपयुक्त और प्रासंगिक मापदंड हेतु पीएनसी द्वारा आईएमसी को सुझाव दिया जाएगा। सभी मामलों में, आईएमसी द्वारा पीएनसी द्वारा दिए गए सुझाव पर उचित निर्णय लिया जाएगा।

वर्ष 2017-18 और 2018-19 हेतु समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों के अनुसार, सामान्यतः 'उत्कृष्ट' ग्रेडिंग के लिए लक्ष्य पिछले पांच वर्षों में प्राप्त किए गए सर्वश्रेष्ठ से कम नहीं होने चाहिए और 'बहुत अच्छा' वर्तमान वर्ष (उस वर्ष से पूर्व का वर्ष जिसके लिए लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं) की अपेक्षित उपलब्धि से कम नहीं होना चाहिए, जब तक अध्यक्ष, आईएमसी के अनुमोदन से निचले लक्ष्यों को तय करने के लिए विशेष कारण नहीं हैं और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा विधिवत समर्थन किए गए हैं। इसके अलावा, लक्ष्य निर्धारण के समय सूचित आधार वर्ष में अनुमानित निष्पादन की तुलना में वास्तविक निष्पादन में सुधार के मामले में लक्ष्यों में यथाअनुपात समायोजन किया जा सकता है।

5.4 एमओयू स्कोर और रैंकिंग

एमओयू लक्ष्य निर्धारण और मूल्यांकन की प्रक्रिया नीचे दी गई है:



5.5 विश्लेषण का कवरेज⁷¹

31 मार्च 2020 तक दस 'महारत्न' सीपीएसई है, जिसमें दो सीपीएसई⁷² शामिल हैं जिन्हें 2019-20 के दौरान महारत्न घोषित किया गया था। इस प्रकार, 2017-18 और 2018-19 वर्ष हेतु दस सीपीएसई में से आठ 'महारत्न' सीपीएसई के एमओयू का लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषण किया गया। वर्ष 2017-18 और 2018-19 हेतु एमओयू को अंतिम रूप देने और मूल्यांकन से संबंधित विभिन्न पहलुओं को सभी के लिए किया गया था सिवाय तीन सीपीएसई के संबंध में वर्ष 2018-19 हेतु एमओयू के मूल्यांकन में जहां जांच का क्षेत्र इन सीपीएसई द्वारा स्व-मूल्यांकन तक सीमित था, क्योंकि अभी तक (मार्च 2020) डीपीई द्वारा इसे पूरा किया जाना है। इस विश्लेषण के लिए चयनित आठ 'महारत्न' सीपीएसई के प्रशासनिक मंत्रालय और 2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए उनकी एमओयू रेटिंग के ब्यौरे तालिका 5.1 में दिए गए हैं।

तालिका 5.1: चयनित सीपीएसई की एमओयू रेटिंग को दर्शाता विवरण

सीपीएसई का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय	एमओयू रेटिंग				
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (भेल)	भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम	अच्छा	अच्छा	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट
एनटीपीसी लिमिटेड (एनटीपीसी)	विद्युत	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	निर्णय किया जाना बाकी है ⁷³
कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	कोयला	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	उचित	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा
गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल)	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	उत्कृष्ट	निर्णय किया जाना बाकी है

⁷¹ 1 भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, 2 भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, 3 कोल इंडिया लिमिटेड, 4 गेल (इंडिया) लिमिटेड, 5 हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, 6 इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, 7 एनटीपीसी लिमिटेड, 8 आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड, 9 पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड 10 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

⁷² हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड एंड पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

⁷³ 25.03.2020 को एमओयू के मूल्यांकन हेतु निर्धारित बैठक स्थगित हो गयी थी।

ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी)	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)	इस्पात	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा	उत्कृष्ट
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	निर्णय किया जाना बाकी है

5.6 विश्लेषण का उद्देश्य

विश्लेषण का उद्देश्य यह निर्धारण करना था कि :

- (i) सीपीएसई और डीपीई दिशानिर्देशों की वार्षिक योजना/कॉर्पोरेट योजना के अनुरूप एमओयू के लक्ष्य वास्तविक थे;
- (ii) सीपीएसई को प्रशासनिक मंत्रालय से प्रतिबद्धता/सहायता प्राप्त हुई; तथा
- (iii) उपलब्धियों का मूल्यांकन हस्ताक्षरित एमओयू और एमओयू दिशानिर्देशों के अनुरूप था

5.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने 8 'महारत्न' सीपीएसई द्वारा उनके प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ हस्ताक्षरित एमओयू वर्ष 2017-18 और 2018-19⁷⁴ की जांच की। तीन सीपीएसई अर्थात् एनटीपीसी लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संबंध में वर्ष 2018-19 के लिए उनके निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए एमओयू के मूल्यांकन को छोड़कर वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए एमओयू को अंतिम रूप देने और मूल्यांकन से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच लेखापरीक्षा में की गई। इन तीनों सीपीएसई के वर्ष 2018-19 के लिए एमओयू का मूल्यांकन सीपीएसई द्वारा स्व-मूल्यांकन तक सीमित है क्योंकि वर्ष 2018-19 के लिए एमओयू के अंतिम स्कोर और रेटिंग डीपीई द्वारा अभी पूरी की जानी बाकी है (मार्च 2020)। सीपीएसई के उत्तर, जब भी प्राप्त हुए, उपयुक्त रूप से शामिल किए गए हैं।

⁷⁴ 2018-19 के लिए सीपीएसई द्वारा प्रस्तुत स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट पर विचार किया गया।

5.7.1 एमओयू तैयार और हस्ताक्षर करना

5.7.1.1 वार्षिक योजना/बजट/काॅर्पोरेट योजना के साथ मसौदा एमओयू का संरेखण

एमओयू दिशानिर्देशों के अनुसार, एमओयू लक्ष्य सीपीएसई की वार्षिक योजना, बजट और काॅर्पोरेट योजना के अनुरूप होना चाहिए। दिशानिर्देश यह भी दर्शाते हैं कि वार्षिक योजना, वार्षिक बजट और काॅर्पोरेट योजना की प्रति के साथ-साथ एमओयू ड्राफ्ट की एक अग्रिम प्रति डीपीई को भेजी जानी चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि तालिका 5.2 में उल्लिखित कंपनियों ने पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए और इन दस्तावेजों के बिना एमओयू को अंतिम रूप दिए गए थे:

तालिका 5.2

सीपीएसई द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए आवश्यक दस्तावेजों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2017-18			2018-19		
		वार्षिक योजना	वार्षिक बजट	काॅर्पोरेट योजना	वार्षिक योजना	वार्षिक बजट	काॅर्पोरेट बजट
1	सेल	x	x	x			
2	बीएचईएल	x	x	x	x	X	x
3	ओएनजीसी	x		x	x	X	
4	आईओसीएल	x	x		x	X	

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि बीएचईएल ने केवल एमओयू 2017-18 और 2018-19 के लिए वार्षिक योजना और काॅर्पोरेट योजना का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया, जिससे एमओयू में कवर किए गए सभी मापदंडों का सत्यापन संभव नहीं हो पाया। इसके अलावा, यह देखा गया कि एमओयू (2018-19) के लिए 22 फरवरी 2018 को आयोजित पीएनसी की बैठक के कार्यवृत्तों के अनुसार “बीएचईएल ने पुष्टि की कि प्रस्तावित लक्ष्य सीपीएसई की वार्षिक योजना/ काॅर्पोरेट योजना में उल्लिखित से कम नहीं थे।” हालांकि यह देखा गया कि, बीएचईएल ने बाद में अप्रैल 2018 में डीपीई को लिखा कि पीएनसी बैठक के दौरान उसके द्वारा ऐसा कोई बयान विशेष रूप से नहीं दिया गया था और इसे हटाने का अनुरोध किया।

सेल ने उत्तर दिया (नवम्बर 2019) के उसके द्वारा एक अलग वार्षिक योजना और अद्यतन काॅर्पोरेट योजना तैयार नहीं की गई थी।

सेल का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वार्षिक योजना और अद्यतन काॅर्पोरेट योजना को किसी भी बाधाओं के बिना अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने रोड मैप

के साथ दीर्घकालिक विजन/लक्ष्यों के लिए डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में तैयार किये जाने की आवश्यकता है ।

बीएचईएल ने बताया (जनवरी 2020) के वार्षिक बजट निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था जिसमें भारी उद्योग विभाग(डीएचआई) के मनोनीत सदस्य भी उपस्थित थे। इसलिए, डीएचआई के पास वार्षिक बजट की प्रति थी। डीएचआई ने लेखापरीक्षा की मांग के उत्तर में बताया (दिसम्बर 2019) कि एमओयू के आंकड़े बीएचईएल पेशवरों द्वारा तैयार किए गए थे और सीएमडी, बीएचईएल द्वारा अनुमोदित थे। इसलिए, जब एमओयू में उल्लिखित डेटा/आंकड़े पेशवरों द्वारा तैयार किए गए हैं और डीपीई के साथ इस पर पूर्व-चर्चा की गई है तो उनको सत्यापित के रूप में शामिल किया गया है क्योंकि डीएचआई के पास इसकी पुष्टि करने के लिए कोई और तंत्र नहीं है।

डीएचआई/ भेल का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपर्युक्त दस्तावेज ड्राफ्ट एमओयू के साथ डीपीई को प्रस्तुत किये जाने थे । डीएचआई को इन दस्तावेजों की तथ्यात्मक स्थिति को सत्यापित करने के लिए बुलाया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लक्ष्य सीपीएसई के नवीनतम वार्षिक योजना, बजट और कॉर्पोरेट योजना के अनुरूप है । इस प्रकार प्रशासनिक मंत्रालय और डीपीई स्वयं को सुनिश्चित करने और आश्वस्त करने में विफल रहे किलक्ष्य, सीपीएसई की वार्षिक योजना, वार्षिक बजट और कॉर्पोरेट योजना के अनुरूप थे।

ओएनजीसी और आईओसीएल के उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2020)।

5.7.1.2 समझौता जापन पर हस्ताक्षर होने में विलंब

एमओयू दिशानिर्देशों के अनुसार, 31 मार्च तक (अर्थात् उस वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले जिसके सम्बन्ध में लक्ष्य नियत किए गए हैं) या आईएमसी बैठक के कार्यवृत्त जारी होने के 21 दिनों के अंदर, जो भी बाद में हो, सीपीएसई के सीएमडी/ एमडी और होल्डिंग/ स्वतंत्र सीपीएसई के मामले में प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव के बीच और सहायक कंपनी के एमडी/सीईओ और सहायक सीपीएसई के मामले में होल्डिंग सीपीएसई के सीएमडी/ एमडी के बीच में बिना किसी विषयांतर के आईएमसी द्वारा अनुशासित मापदंडों, लक्ष्यों और भारिता के आधार पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। वर्ष 2017-18 के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर करने में 183 दिनों का विलंब हुआ और सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों के बीच वर्ष 2018-19 के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर करने में 127 और 136 दिनों का विलंब हुआ जैसा कि तालिका 5.3 में दर्शाया गया है और एमओयू की उत्कृष्ट रेंटिंग प्राप्त न करने के मुख्य कारकों में से एक था।

तालिका 5.3: सीआईएल द्वारा एमओयू पर हस्ताक्षर करने के ब्यौरे को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	निम्न के बीच समझौता ज्ञापन	2017-18			2018-19		
		आईएमसी के कार्यवृत्त की तिथि	एमओयू पर हस्ताक्षर करने की तिथि	निर्धारित तिथि से एमओयू पर हस्ताक्षर करने में विलंब	आईएमसी के कार्यवृत्त की तिथि	एमओयू पर हस्ताक्षर करने की तिथि	निर्धारित तिथि से एमओयू पर हस्ताक्षर करने में विलंब
1	सीआईएल और कोयला मंत्रालय	05.07.2017	26.07.2017		20.06.2018	03.07.2018	
2	सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियां		सभी 8 ⁷⁵ सहायक कंपनियों के साथ 25.01.2018	183 दिन		4 ⁷⁶ सहायक कंपनियों के साथ 15.11.2018 और 4 ⁷⁷ सहायक कंपनियों के साथ 24.11.2018	127 दिन 136 दिन

सीआईएल ने बताया (जनवरी 2020) कि यद्यपि समेकित सीआईएल एमओयू और सहायक कंपनियों के एमओयू पर हस्ताक्षर करने के बीच एक समय अंतराल था, परंतु आगामी वर्ष के लिए लक्ष्य के संबंध में सहायक कंपनियों के लिए स्पष्टता का कोई नुकसान नहीं हुआ। सीआईएल के उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना है कि 2017-18 के लिए 183 दिनों और 2018-19 के लिए 127 दिनों से 136 दिनों का विलंब अपनी सहायक कंपनियों के एमओयू के लिए न्यायोचित नहीं था, जबकि यह सिर्फ समेकित एमओयू के केवल प्रतिबिम्ब मात्र थे।

5.7.2 एमओयू लक्ष्यों को स्थापित करना

5.7.2.1 क्षमता उपयोगिता

वर्ष 2017-18 और इसके बाद के लिए समझौता ज्ञापन के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय मापदंडों के अलावा सीपीएसई के निष्पादन हेतु मानकों में से एक 'क्षमता उपयोग' थी।

⁷⁵ ईसीएल, डबल्यूसीएल, एसईसीएल, एमसीएल, सीएमपीडीआईएल, सीसीएल, बीसीसीएल और एनसीएल

⁷⁶ ईसीएल, डबल्यूसीएल, एसईसीएल और एमसीएल

⁷⁷ सीएमपीडीआईएल, सीसीएल, बीसीसीएल और एनसीएल

एमओयू में इस लक्ष्य का उद्देश्य, वास्तविक/ मात्रात्मक शर्तों में सीपीएसई के निष्पादन को प्रतिबिंबित करना था। क्षमता उपयोग से आशय संस्थापित क्षमता या निर्धारित क्षमताजहां भी लागू हो के संदर्भ में हो सकता है। लक्ष्य या तो संस्थापित क्षमता या निर्धारित क्षमता के प्रतिशत अथवा संपूर्ण शर्तों से उत्पादन/ जनरेशन/ संचरण के रूप में दिया जा सकता है। यह देखा गया था कि 2017-18 और 2018-19 के लिए 7 अंक एवं 10 अंको के बीच भारिता के साथ बीएचईएल को छोड़कर सभी आठ महारत्न कंपनियों के एमओयू में विद्युत का क्षमता उपयोग/ उत्पादन/ जनरेशन हेतु लक्ष्य थे।

बीएचईएल ने क्षमता उपयोग हेतु किसी भी लक्ष्य का प्रस्ताव नहीं दिया था। प्रशासनिक मंत्रालय/ डीपीई ने भी क्षमता उपयोग का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया यह बताते हुए कि यह परिचालनों से राजस्व में परिलक्षित हो रहा था। 2017-18 और 2018-19 के दौरान क्षमता उपयोग हेतु लक्ष्य का निर्धारण न करना इस तथ्य की पृष्ठभूमि में देखा जा सकता है कि बीएचईएल ने स्वयं बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर एवं विद्युत ट्रांसफार्मर हेतु वर्ष 2016-17 में 40.01 प्रतिशत, 40.49 प्रतिशत, 43.27 प्रतिशत और 75.01 प्रतिशत से वर्ष 2017-18 में क्रमशः 17 प्रतिशत, 13 प्रतिशत, 7 प्रतिशत और 24 प्रतिशत क्षमता के उपयोग में तेज गिरावट का अनुमान लगाया था।

बीएचईएल ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2020) कि प्रत्येक वर्ष हेतु चयनित किए जाने वाले एमओयू के मापदंडों का निर्णय डीएचआई/डीपीई के साथ परामर्श से किया जाता है।

बीएचईएल का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि क्षमता के उपयोग के लिए मापदंडों को बीएचईएल/ प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया था, जबकि अन्य सभी सीपीएसई ने वित्तीय मानकों में परिचालनों से राजस्व में वृद्धि के साथ उनके मसौदा एमओयू में इन मानकोंको प्रस्तावित किया था। तथ्य यह है कि एक महत्वपूर्ण मानक होने के कारण वास्तविक निष्पादन को शामिल करनेसेकंपनी के समग्र निष्पादन को और व्यापक तरीके से लेने की संभावना है।

5.7.2.2 प्रशासनिक मंत्रालय से प्रतिबद्धता

वर्ष 2017-18 के लिए एवं इसके बाद के एमओयू दिशानिर्देशों में प्रावधान किया गया कि एमओयू स्कोर, अतिरिक्त उपयुक्तता मापदंड की पूर्ति के तहत लक्ष्यों की तुलना में निष्पादन के संबंध में सभी मापदंडों पर स्कोर का एक समुच्चय होगा इसमेविफल होने पर अनुपालन के प्रत्येक उदाहरण के लिए एमओयू स्कोर से एक अंक कम हो जाएगा जो अधिकतम पाँच अंको तक होगा और रेटिंग तदनुसार संशोधित की जाएगी। अतिरिक्त उपयुक्तता मापदंड में

अन्य बातों के साथ-साथ सूचीकरण करार, डीपीई दिशानिर्देश और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन शामिल थे।

इसके अलावा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 {एसईबीआई (एलओडीआर)} और सीपीएसई, 2010 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देश में अपेक्षित है कि सीपीएसई बोर्ड में 50 प्रतिशत स्वतंत्र निदेशक शामिल होने चाहिए जहां इसका अध्यक्ष एक कार्यकारी अध्यक्ष है। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 में यह भी अपेक्षित है कि सीपीएसई के अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों के रूप में कुल निदेशकों की संख्या का कम से कम एक तिहाई हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 तक सेबी/ डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार यथा अपेक्षित बीएचईएल के पासपर्याप्तसंख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि बीएसई और एनएसई दोनों ने सितम्बर 2018 को समाप्त तिमाही के लिए सेबी (एलओडीआर) विनियमों के अननुपालन के लिए प्रत्येक ने बीएचईएल पर ₹5.42 लाख की शास्ति जुर्माना लगायी।

यद्यपि, एनटीपीसी और गेल आमतौर पर इन आवश्यकताओं का पालन करने में सक्षम थे, एनटीपीसी में 01 अप्रैल 2017 से 23 अक्टूबर 2017 तक और 01 अप्रैल 2018 से 29 जुलाई 2018 तक और गेल में 05 जून 2018 से 05 अगस्त 2018 तक से ऐसी अवधि रही जब इन आवश्यकताओं का पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं किया जा सका था।

आईओसीएल की अपने बोर्ड में वर्ष 2018-19 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की संख्या भी अपर्याप्त थी, अर्थात् आवश्यक नौ स्वतंत्र निदेशक के प्रति सात स्वतंत्र निदेशक।

यद्यपि बीएचईएल, एनटीपीसी और आईओसीएल में सेबी (एलओडीआर) विनियमावली 2015, डीपीई दिशानिर्देश और कंपनी अधिनियम, 2013 का अनुपालन होने के बावजूद स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त पदों को भरने के लिए एमओयू व्यवस्था द्वारा समय पर कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

एनटीपीसी, बीएचईएल, आईओसीएल और गेल ने उत्तर दिया (जनवरी/ फरवरी 2020) कि उनके बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति प्रशासनिक मंत्रालय के पास निहित है। एनटीपीसी ने आगे बताया कि उनके द्वारा 2017-18 और 2018-19 में समय-समय पर स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए विद्युत मंत्रालय (एमओपी) से अनुरोध किया गया था। बीएचईएल ने कहा कि उसने शास्ति जुर्माना माफ करने के लिए डीएचआई के लिए प्रति के साथ बीएचई और एनएसई से अनुरोध किया चूंकि यह उसके नियंत्रण में नहीं है और इसलिए उसे जुर्माना नहीं देना पड़ा।

5.7.2.3 असामान्य भुगतान के बिना कैपेक्स

कोल इंडिया लिमिटेड ने केवल दो वर्षों में अर्थात् 2015-16 और 2017-18 के लिए, 2013-14 से 2018-19 की अवधि के दौरान उत्कृष्ट रेटिंग के साथ कैपेक्स हेतु अपने एमओयू लक्ष्य प्राप्त किए। लेखापरीक्षार्थ पाया गया कि ₹ 8500 करोड़ के कैपेक्स लक्ष्यों के प्रति, 11 कोल ब्लॉकों के आवंटन हेतु ईसीएल, बीसीसीएल और डब्ल्यूसीएल द्वारा ₹ 1375 करोड़ की राशि के अग्रिम शुल्कों के एकमुश्त भुगतान के कारण सीआईएल ने 2017-18 में ₹ 9334.55 करोड़ प्राप्त किए। 2017-18 के दौरान इस प्राप्ति के आधार पर, जो पिछले पाँच वर्षों से सबसे अच्छा था, 2018-19 के लिए कैपेक्स का लक्ष्य ₹ 9500 करोड़ निर्धारित किया गया था, जिसके प्रति यह केवल ₹ 7311.46 करोड़ ही प्राप्त कर सका। इसलिए, यह स्पष्ट है कि सीआईएल ने 2018-19 के लिए लक्ष्य को संरेखित नहीं किया, जो ₹ 1375 करोड़ की राशि अग्रिम शुल्क के एकमुश्त भुगतान का फैक्टर करता है। इस प्रकार सीआईएल 2018-19 के लिए कैपेक्स लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा, क्योंकि यह अग्रिम शुल्कों के एक मुश्त भुगतान के प्रतिफल के विषय पर वास्तविक नहीं था।

सीआईएल ने बताया (जनवरी 2020) कि 4 से 5 वर्षों की तरह छोटे होरिजन में लगभग 1 बीटी की वृद्धि करने के लिए मैसर्स केपीएमजी द्वारा कोयले की मांग का निर्धारण किया गया, इसलिए सीआईएल को निर्दिष्ट की गई मांग को पूरा करने के लिए इसको वर्ष-दर-वर्ष आधार पर बढ़ते हुए कैपेक्स को वहन करना आवश्यक था।

वर्ष 2018-19 के लिए कैपेक्स के लक्ष्य पर विचार करते हुए अग्रिम शुल्कों के एकमुश्त भुगतान के फैक्टरिंग पर सीआईएल अपने उत्तर में उल्लेख नहीं किया था। इस प्रकार तथ्य यह है कि 2018-19 के लिए कैपेक्स लक्ष्य वास्तविक नहीं था।

5.7.2.4 एचआरएम लक्ष्यों में कमियां

वर्ष 2017-18 हेतु मंत्रालय के साथ सीआईएल के समझौता ज्ञापन में, यह पाया गया कि मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम) संबंधित मापदंडों में वरिष्ठ कार्यकारियों के लिए एसीआर/एपीएआर के लेखन और सर्तकता मंजूरी के तिमाही अद्यतनी के संबंध में निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत अनुपालन के साथ-साथ सभी कार्यकारियों (ईओ और ऊपर) के संबंध में एसीआर/एपीएआर को ऑन-लाइन जमा करने के लक्ष्य शामिल थे। इन दोनों लक्ष्यों को कुल अंकों में से प्रत्येक को दो प्रतिशत दिया गया था। हालांकि, यह देखा गया कि सीआईएल ने क्रमशः 2013-14 और अगस्त 2015 से सभी कार्यकारियों (ईओ और ऊपर) के संबंध में एसीआर/एपीएआर ऑन-लाइन जमा करने और वरिष्ठ कार्यकारियों के लिए सर्तकता मंजूरी के ऑन-लाइन अद्यतनीकरण की प्रणाली को लागू किया था। इस प्रकार उन लक्ष्यों को निर्धारित करके सीआईएल के अनुचित लाभ को बढ़ाया गया जो पहले से ही सीआईएल द्वारा

प्राप्त किए गए थे और एमओयू पर हस्ताक्षर करने के असली उद्देश्य का भी उल्लंघन किया गया। इसके परिणामस्वरूप बेहतर निष्पादन हेतु एमओयू के कुल अंकों का चार प्रतिशत दिया गया।

सीआईएल ने बताया (जनवरी 2020) कि एचआरएम मापदंड, पीएनसी और आईएमसी बैठकों के माध्यम से डीपीई के साथ परामर्श करके स्वयं कोयला मंत्रालय (एमओसी) द्वारा निर्धारित किए गए थे। इसने आगे बताया कि निष्पादन प्रबंधन प्रणाली को 2014-15 और 2016-17 के दौरान पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सका था चूंकि यह एक नई प्रणाली थी और दूरस्थ स्थानों पर कार्यकारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन प्रबंधन प्रणाली की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर सकते थे।

कोल इंडिया लिमिटेड का उत्तर तर्कसंगत नहीं है, चूंकि सीआईएल ने एचआरएम मानकों का प्रस्ताव रखा जो पहले से ही लागू किए गए थे और बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, इस विषय पर एमओसी और डीपीई के मध्य आईएमसी बैठक के दौरान कोई चर्चा नहीं हुई थी।

5.7.3 सीपीएस द्वारा समझौता जापन एवं स्व-मूल्यांकन के तहत निष्पादन

5.7.3.1 समय और लागत की अधिकता के बिना कैपेक्स

वर्ष 2017-18 के लिए और उसके बाद समझौता जापन दिशा-निर्देशों में अन्य मापदंडों (अनिवार्य के अलावा) के साथ-साथ “वर्ष के दौरान चल रहे/पूर्ण किए गए/कैपेक्स संविदा के कुल मूल्य के प्रति अधिक समय/लागत के बिना वर्ष के दौरान चालू/पूर्ण होने वाले कैपेक्स संविदा/परियोजनाओं के मूल्य के प्रतिशत” हेतु मापदंड का प्रावधान किया गया। यह सीपीएसई के लिए एक अनिवार्य लक्ष्य था जिसे कैपेक्स के लिए लक्ष्य हेतु लिया गया।

एमओपी और एनटीपीसी के बीच हुए एमओयू में क्रमशः 2017-18 और 2018-19 वर्षों के लिए इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उत्कृष्ट स्तर के लिए पाँच अंक एवं तीन अंक निर्धारित किए गए थे।

एनटीपीसी ने 14 परियोजनाओं हेतु पीएनसी को एक सूची प्रस्तुत की, जिसमें से सात परियोजनाओं को मार्च 2018 तक चालू किया जाना प्रत्याशित था। इसी प्रकार, 2018-19 के दौरान 13 परियोजनाएं चल रही थीं।

एनटीपीसी ने केवल एक परियोजना अर्थात् कुडगी (3 x 800 मेगावॉट) जिसकी अंतिम इकाई III को जनवरी 2017 में पूरा होने के मूल निर्धारित समय के प्रति, मार्च 2018 में चालू किया गया था, के पूर्ण होने पर उत्कृष्ट उपलब्धि और 2017-18 पूर्ण पाँच अंकों का दावा किया। सीआईएसी के दिनांक 08 जनवरी 2020 के आदेश द्वारा इस परियोजना की इकाई

III के चालू होने में कुल 478 दिनों के विलंब में से 183 दिनों के विलंब की अनुमति दी गई थी। इसी प्रकार, एनटीपीसी ने दो परियोजनाओं, बोंगाईगाँव (3 x 250 मेगा वॉट) और सोलापुर (2 x 660 मेगा वॉट) की पूर्ण करने के लिए भी 2018-19 में उत्कृष्ट उपलब्धि एवं पूर्ण तीन अंकों का दावा किया, जिसकी अंतिम इकाईयां क्रमशः सितम्बर 2011 और नवम्बर 2016 में पूर्ण होने के वास्तविक निर्धारित समय के प्रति मार्च 2019 में चालू की गई थी। इसलिए एनटीपीसी की ओर से परियोजनाओं को पूर्ण करने में काफी विलंब हुआ है।

एनटीपीसी के निदेशक मंडलने संबंधित परियोजनाओं को जनवरी 2012 में ₹ 15166.19 करोड़, जनवरी 2008 में ₹ 4375.35 करोड़ और मार्च 2012 में ₹ 9395 करोड़ की एनटीपीसी की मूल निवेश योजना की तुलना में ₹ 16934.65 करोड़, ₹ 8150 करोड़ और ₹ 10154.27 करोड़ के रूप में कुडगी, बोंगाईगाँव, सोलापुर परियोजनाओं की पूर्णता लागत को संशोधित किया था। इस प्रकार समझौता ज्ञापन के मूल्यांकन में इन परियोजनाओं में लागत के अधिक न होने का एनटीपीसी का दावा उचित नहीं था।

एनटीपीसी ने बताया (जनवरी 2020) कि एमओयू 2016-17 हेतु प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर के अनुसार संशोधित समय और लागत का अनुमान किया जा सकता है बशर्ते कि वे उस सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो, जो मूल प्राधिकारी से नीचे के स्तर का न हो, जिसने मूल लागत अनुमान को अनुमोदित किया। इसलिए, एनटीपीसी के द्वारा संशोधित समय/लागत अनुमानों के लिए बोर्ड की मंजूरी ली गई थी, जिसके आधार पर 2017-18 और 2018-19 दोनों के लिए कैपेक्स निगरानी मापदंडों की गणना की गई थी।

एनटीपीसी का उत्तर तर्कसंगत नहीं है जैसा कि हितधारकों की राय लेने के बाद सीईआरसी द्वारा समय/लागत को मंजूरी दी जानी थी। इस प्रकार समझौता ज्ञापन में लक्ष्य की तिथि निर्धारित करने का उद्देश्य विफल रहा चूंकि उपलब्धि के मूल्यांकन का आधार एमओयू में डीपीई द्वारा की गई और स्वीकृत प्रतिबद्धता के बजाए बोर्ड द्वारा अनुमोदित संशोधित/अंतिम निर्धारण के संबंध में किया गया था।

5.7.3.2 एमएसएमई पर दिशानिर्देशों का अननुपालन

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी सार्वजनिक खरीद नीति (2012) में बताया गया है कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों से एससी/एसटी के स्वामित्व वाले एमएसएमई से चार प्रतिशत को शामिल करते हुए उनकी वार्षिक खरीद का 20 प्रतिशत अधिप्राप्त करना आवश्यक है। सीपीएसई हेतु समग्र अधिप्राप्ति लक्ष्य को संशोधित कर (जनवरी 2019) उप-लक्ष्य में

परिवर्तन किए बिना एमएसई से अधिप्राप्त किए जाने वाले मौजूदा 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत कर दिया गया। समझौता जापन दिशानिर्देशों के अनुसार, नीति के अननुपालन के लिए एक अंक तक नकारात्मक अंकन किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पाँच सीपीएसई ने वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए एमएसएमई दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया परंतु स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट में दावा किया था कि उन्होंने वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए एमएसएमई दिशानिर्देशों का अनुपालन किया था, जो तथ्यात्मक रूप से सही नहीं था, जैसा तालिका 5.4 में विवरण दिया गया है।

तालिका 5.4: सीपीएसई के विवरण जिसमें एमएसएमई दिशानिर्देशों के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया था

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	वर्ष के दौरान कुल अधिप्राप्ति के प्रतिशत में एमएसएमई से अधिप्राप्ति		वर्ष के दौरान एमएसएमई से कुल अधिप्राप्ति के प्रतिशत में एससी/एसटी के स्वामित्व वाले एमएसएमई से अधिप्राप्ति	
		2017-18	2018-19	2017-18	2018-19
1	सेल	20.71	20.21	डेटा अनुरक्षित नहीं किया गया	
2	सीआईएल	7.32	8.32	0.00004	0.0005
3	आईओसीएल (तेल एवं गैस को छोड़कर)	24.09	29.07	डेटा अनुरक्षित नहीं किया गया	0.5
4	गेल (वार्षिक अधिप्राप्ति का) ग्राह्य मूल्य	27.79	29.27	डेटा अनुरक्षित नहीं किया गया	0.04
5	बीपीसीएल (निर्माण कार्य संविदाओं को छोड़कर)	27.11	25.40	1.24	1.11

सेल ने उत्तर दिया (नवम्बर 2019) कि समीक्षाधीन वर्षों के दौरान, सभी सीपीएसई को एससी/एसटी के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद पर पृथक रूप से जानकारी संकलित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा क्योंकि एमएसई के डेटाबेस में ऐसे एमएसई के विषय में पृथक जानकारी नहीं थी। इस स्थितिसे एमएसएमई और डीपीई को अवगत कराया गया, जिन्होंने स्थिति को समझने के बाद एससी/एसटी के स्वामित्व वाले एमएसई से चार प्रतिशत की खरीद से संबंधित उपखंड को लागू नहीं करने का निर्णय किया और एमओयू स्कोरसे कोई अंक नहीं काटे गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सेल ने अपनी स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट में प्रमाणित किया कि उनके द्वारा एमएसएमई दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया, जो वास्तव में सही नहीं था।

कोल इंडिया लिमिटेड ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (जनवरी 2020) और मंगाई गई निविदाओं में एमएसई विक्रेताओं की कम भागीदारी के कारण अनुपालन में उनकी असमर्थता व्यक्त की। प्रबंधन ने एमएसएमई से खरीद में वृद्धि करके दिशानिर्देशों का पालन करने का आश्वासन दिया।

आईओसीएल, गेल और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2019/जनवरी 2020) कि एससी/एसटी विक्रेताओं द्वारा भागीदारी के अभाव के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका था।

तथ्य यह रहता है कि ये सीपीएसई, एमएसएमई दिशानिर्देशों के अनुसार एससी/एसटी के स्वामित्व वाले उद्यमियों से चार प्रतिशत खरीद का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके।

5.7.3.3 एचआरएम लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में गलत स्व-मूल्यांकन

एनटीपीसी और पेट्रोलियम मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-18 हेतु हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार, अनिवार्य मापदंडों के अलावा अन्य के लिए निष्पादन मानदंडों में से एक एचआरएम था, जिसमें 'उत्तर्वर्तन योजना को तैयार करना और निदेशक मंडल द्वारा इसका अनुमोदन' लक्ष्यों में से एक लक्ष्य शामिल था। इस लक्ष्य हेतु प्रदान किए जाने वाले अंको को 1 पर सेट किया गया था और उत्कृष्ट रेटिंग के लिए जिस तारीख तक बोर्ड की मंजूरी प्राप्त की जानी थी, वह 30 सितम्बर 2017 थी। एचआरएम के तहत एक और लक्ष्य था। एचआर लेखापरीक्षा और एचआर लेखापरीक्षा के निष्कर्ष पर बोर्ड का निर्णय इस मापदंड के लिए दिए जाने वाले अंको को 2 पर सेट किया गया था और उत्कृष्ट रेटिंग के लिए जिस तिथि तक एचआर लेखापरीक्षा एवं एचआर लेखापरीक्षा के निष्कर्ष पर बोर्ड के निर्णय प्राप्त किया जाना था वह 30.09.2017 थी।

एनटीपीसी द्वारा पेट्रोलियम मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए स्व-मूल्यांकन स्कोर एवं रेटिंग के अनुसार, उत्तर्वर्तन योजना की तैयारी और निदेशक मंडल द्वारा इसकी मंजूरी और एचआर लेखापरीक्षा एवं एचआर लेखापरीक्षा के निष्कर्ष पर बोर्ड के निर्णय के संबंध में, एनटीपीसी ने इन लक्ष्यों के प्रति 'वास्तविक उपलब्धि' की तिथि के रूप में 29 सितम्बर 2017 को बताया और उसके लिए पूर्ण अंक का दावा किया। हालांकि, यह देखा गया कि 24 अक्टूबर 2017 को आयोजित 450वीं बोर्ड बैठक में ही इस मामले को बोर्ड के ध्यान में लाया गया था। यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि 29 सितम्बर 2017 को बोर्ड की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी और इस तरह, इस लक्ष्य के प्रति उपलब्धि 24 अक्टूबर 2017 (अर्थात् 450वीं बोर्ड बैठक की तिथि) होनी चाहिए थी। यदि इस तिथि को माना जाता

है, तो एनटीपीसी द्वारा दावा की गई उत्कृष्ट श्रेणी के प्रति एनटीपीसी की उपलब्धि ठीक की श्रेणी में आती है।

इसी प्रकार, वर्ष 2018-19 के लिए एमओयू, अनिवार्य मापदंडों के अलावा निष्पादन मानदंड में से एक मानव संसाधन प्रबंधन था, जिसमें 'पीपल कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल (पीसीएमएम) या सीपीएसई में समतुल्य के अनुरूप स्तर का निर्धारण करना और यह निर्णय लेने के लिए मामले को बोर्ड के सम्मुख रखना शामिल है कि क्या लक्ष्यों में से एक में स्तर में उन्नयन हेतु जाने की आवश्यकता है। इस मापदंड के लिए दिए जाने वाले अंक 5 पर सेट किए गए थे और 'उत्कृष्ट' रेटिंग के लिए बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त करने की तिथि 15 दिसम्बर 2018 थी।

वर्ष 2018-19 के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय को प्रस्तुत स्व-मूल्यांकन किए गए स्कोर और रेटिंग के अनुसार, एनटीपीसी ने इस लक्ष्य के प्रति 'वास्तविक उपलब्धि' तिथि 12 दिसम्बर 2018 को बताया और इसके लिए पूर्ण 5 अंकों का दावा किया गया। हालांकि, यह देखा गया कि 19 दिसम्बर 2018 को आयोजित केवल 467वीं बोर्ड बैठक में इस मामले को बोर्ड के ध्यान में लाया गया था। यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि 12 दिसम्बर 2018 को कोई बोर्ड बैठक आयोजित नहीं की गई थी और इस प्रकार, इस लक्ष्य के प्रति उपलब्धि 19 दिसम्बर 2018 (अर्थात् 467वीं बोर्ड बैठक की तिथि) थी। यदि इस तिथि को मान लिया जाता है, तो इस मानदंड के प्रति एनटीपीसी द्वारा प्राप्त अंक 4 (अर्थात् 'उत्कृष्ट' के बजाय 'बहुत अच्छा') बनेंगे।

एनटीपीसी ने कहा (जनवरी 2020) कि उत्तरवर्तन योजना की तैयारी पर एचआर मानदंडों और निदेशक मंडल द्वारा इसकी मंजूरी और एचआर लेखापरीक्षा एवं एचआर लेखापरीक्षा के निष्कर्ष पर बोर्ड के निर्णय सम्बन्धी बोर्ड के एजेंडा को 29 सितम्बर 2017 को निदेशकों और सीएमडी द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसलिए, इसे उत्कृष्ट श्रेणी के तहत माना गया था। पीसीएमएम के अनुरूप स्तर के निर्धारण के पैरामीटर के लिए, एजेंडा की मदोंको 12 दिसम्बर 2018 को सभी निदेशकों को परिचालित किया गया था। इसलिए, उसे उत्कृष्ट श्रेणी में प्राप्त उपलब्धि के रूप में माना गया।

एनटीपीसी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एजेंडा मद के परिचालन के और सभी निदेशकों द्वारा इसके अनुमोदन संबंध में कोई भी दस्तावेज लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। बोर्ड की बैठक में रखे गए एजेंडा मद में भी परिचालन के माध्यम से सभी निदेशकों से प्राप्त अनुमोदन का कोई संदर्भ शामिल नहीं था।

5.7.3.4 आरएंडडी लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में गलत स्वमूल्यांकन

वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए बीएचईएल एमओयू में गैर-अनिवार्य मापदंडों में से एक में, दो आरएंड डी परियोजनाओं के पूर्णता हेतु तिथि-वार लक्ष्य शामिल थे जिसमें प्रत्येक के तीन अंक दिए गए थे। इसके अतिरिक्त, 2018-19 के लिए बीएचईएल एमओयू में राष्ट्रीय महत्व की दो परियोजनाओं को प्रत्येक के लिए दो अंकों के साथ पूरा करने के लिए तिथि-वार लक्ष्य शामिल थे। हालांकि, अन्य मापदंडों की सूची में राष्ट्रीय महत्व की परियोजना के नाम से कोई मापदंड नहीं थे, जिसमें से बीएचईएलको एमओयू 2017-18 और उसके बाद के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-अनिवार्य मापदंडों का चयन करना आवश्यक था।

बीएचईएल के इंटरनेट से लेखापरीक्षा द्वारा एकत्रित की गई जानकारी के अनुसार, 'मैथनॉल (सीटीएम) परियोजना के लिए कोयला हेतु पायलट संयंत्र के लिए प्रक्रिया मॉडलिंग और मैथनॉल संपरिवर्तन प्रक्रिया के लिए साइनगैस के सिमुलेशन' नाम की परियोजना के पूरा होने और '1600 एचपी डीईएमयू अनुप्रयोग हेतु कॉम्पैक्ट ट्रेक्शन अल्टरनेटर का डिजाइन, विकास और विनिर्माण और अक्टूबर 2018 के माह हेतु इंजीनियरिंग विशेषताओं में वर्ष 2018-19 के लिए ग्राहक द्वारा स्वीकृति का कोई संदर्भ नहीं था हालांकि, अक्टूबर 2018 में इसके पूरा होने का दावा किया गया था।

बीएचईएल ने अपने उत्तर में (जनवरी 2020) कहा कि मापदंड राष्ट्रीय महत्व की श्रेणी में लिये गए थे क्योंकि उनको भारत सरकार द्वारा पदोन्नत किया गया था। इसने बताया कि कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 में उपर्युक्त योजनाओं को पूरा करने की घोषणा की गई है।

बीएचईएल का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उन अन्य मापदंडों की सूची में राष्ट्रीय महत्व के नाम पर कोई मापदंड नहीं था, जिसमें से बीएचईएल को एमओयू 2017-18 और उसके बाद के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-अनिवार्य मापदंडों का चयन करना था। इसके अलावा, अक्टूबर 2018 के महीने में इंजीनियरिंग विशेषताओं में परियोजनाओं को पूरा करने के विषय में अपने इंटरनेट पर जानकारी देने के विषय में बीएचईएल के उत्तर में कुछ भी नहीं कहा गया था। इसके अतिरिक्त, 2018-19 के आरएंडडी परियोजनाओं के पूर्णता के संबंध में बीएचईएल के दावे भी सही नहीं थे चूंकि इनके द्वारा जांच के परिणामों को पूर्णता तिथि के रूप में लिया गया जबकि अंतिम मंजूरी उचित संयोजन और समाकलन परीक्षण के बाद क्षेत्रीय जांच के अधीन थी।

5.7.3.5 सीएसआर लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में गलत स्व-मूल्यांकन

समझौता ज्ञापन के दिशानिर्देशों के अनुसार, सीपीएसई का स्कोर और रेटिंग स्वच्छ भारत गतिविधियों के लिए सीपीएसई द्वारा सीएसआर निधियों के आवंटन पर डीपीई दिशानिर्देशों

को पूरा करने के अध्यक्षीन होगी, जिसकी विफलता पर कुल एमओयू स्कोर एक अंक तक कम हो जाएगा।

डीपीई ने स्वच्छ भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सीपीएसई द्वारा सृजित सीएसआर निधियों का 33 प्रतिशत खर्च करनेकी सिफारिश (01.08.2016) की।

यह देखा गया कि सीएसआर गतिविधियों हेतु 2017-18 के लिए ₹ 10.40 करोड़ के अनुमोदन बजट के प्रति ₹ 3.43 करोड़ (33 प्रतिशत) बीएचईएल द्वारा स्वच्छ भारत अभियान पर खर्च किया जाना आवश्यक था। हालांकि, सीएसआर अनुमोदित निधि में से स्वच्छ भारत कार्यक्रमलाप पर बीएचईएल द्वारा खर्च की गई कुल राशि केवल ₹ 5.37 लाख थी जो वर्ष 2017-18 हेतु कुल सीएसआर निधि की 0.51 प्रतिशत बनती थी। इस प्रकार बीएचईएल ने स्वच्छ भारत पर 33 प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप 2017-18 में स्वच्छ भारत गतिविधियों के लिए सीपीएसई द्वारा सीएसआर निधि के आवंटन पर डीपीई दिशानिर्देशों को अनुपालन नहीं किया गया। इस सीमा तक डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में बीएचईएल के निदेशक मंडल द्वारा स्व-प्रमाणन सही नहीं था।

बीएचईएल ने बताया (जनवरी 2020) कि स्वच्छ भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सीपीएसई द्वारा सृजित सीएसआर निधियों का 33 प्रतिशत खर्च करने के विषय में डीपीई का दिशानिर्देश परामर्शी स्वरूप वाला था।

बीएचईएल का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीपीई एमओयू दिशानिर्देशों के अनुसार समग्र एमओयू स्कोर और रेटिंग से इसके अनुपालन के लिए एक अंक की कटौती करना आवश्यक था। इसके अनुपालन के संबंध में बीएचईएल के बोर्ड द्वारा गलत स्व-प्रमाणन इस तथ्य की पुष्टि करता है।

5.7.3.6 एचआरएम लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में गलत स्व-मूल्यांकन

समझौता जापन दिशानिर्देशों के अनुसार, सीपीएसई को अनिवार्य रूप से समय-समय पर जारी किसी भी नीति पर डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन करना होता है जिसकी विफलता पर इसकी एमओयू रेटिंग एक अंक तक कम हो जाएगी।

डीपीई ने सीपीएसई में प्रशिक्षुता अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश (मई 2018) जारी किए, जिसमें कर्मचारियों की कुल संख्या का 2.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के बैंड के अंतर्गत प्रशिक्षुओं का लगाया जाना आवश्यक है। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2018-19 के दौरान, सीआईएल और इसकी सहायक कंपनी अपने कर्मचारियों की कुल संख्या के 2.38 प्रतिशत की सीमा तक प्रशिक्षुओं को लगाने में सक्षम थे।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, सीआईएल ने बताया (नवम्बर 2019) कि 2019-20 में डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन का उचित ध्यान रखा जाएगा।

5.7.3.7 वेबसाइट में समझौता जापन की होस्टिंग नहीं होना

हालांकि सीपीएसई के समझौता जापन की होस्टिंग को उनकी संबंधित वेबसाइटों पर डीपीई द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, परन्तु सीपीएसई की संबंधित वेबसाइटों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से खुलासा हुआ कि 2017-18 और 2018-19 हेतु बीपीसीएल और सेल द्वारा और 2017-18 हेतु ओएनजीसी द्वारा यह नहीं किया गया था।

बीपीसीएल ने अपने उत्तर में (दिसम्बर 2019) बताया कि बीपीसीएल का तर्क था कि समझौता जापन बीपीसीएल और भारत सरकार के मध्य एक करार है। यह निष्पादन उत्कृष्टता हेतु एक आंतरिक संस्थागत तंत्र है और परितोषिक से जुड़ा हुआ है। इसलिए, उन्होंने वेबसाइट पर समझौता जापन प्रकाशित नहीं किया था। हालांकि, हस्ताक्षरित समझौता जापन दस्तावेज इंटरालिंक पर प्रकाशित किया गया है, जो बीपीसीएल के आंतरिक कर्मचारियों और समझौता जापन पर काम करने के लिए जवाबदेही के संदर्भ के लिए यह अभिगम्य है। बीपीसीएल का उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि डीपीई अपनी वेबसाइट पर समझौता जापन की होस्टिंग को प्रोत्साहित करता है और अन्य सीपीएसई भी इसका अनुपालन करते रहे हैं।

5.8 निष्कर्ष और सिफारिश

वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए चयनित सीपीएसई के समझौता जापन की लेखापरीक्षा से पता चला कि समझौता जापन दिशानिर्देशों की तुलना में लक्ष्यों का निर्धारण करने में विसंगतियां थीं। लक्ष्यों को कम करने से सीपीएसई को बेहतर रेटिंग हासिल करने में सहायता मिली। सीपीएसई अपने बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशकों को नियुक्त करने के लिए और कंपनी अधिनियम 2013 और सेबी (एलओडीआर) 2015 और सीपीएसई के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देश 2010 के प्रावधानों के अनुपालन हेतु समझौता जापन में प्रशासनिक मंत्रालय से आवश्यक प्रतिबद्धता को सूचीबद्ध नहीं कर सका। एनटीपीसी, बीएचईएल, आईओसीएल और गेल में गैर-सरकारी निदेशकों के कुछ पद खाली पड़े थे। लेखापरीक्षा में सीपीएसई द्वारा स्व-मूल्यांकन में गलत सूचना भी देखी गई, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2017-18 के लिए एनटीपीसी द्वारा 'बहुत अच्छा' के बजाय 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त की गयी और इसके फलस्वरूप पीआरपी का अधिक भुगतान हुआ। लेखापरीक्षा सीपीएसई, प्रशासनिक मंत्रालय और डीपीई द्वारा विचार करने और कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित सिफारिशों का सुझाव देता है:-

- समझौता जापन के लक्ष्य और उनके मूल्यांकन को समझौता जापन दिशानिर्देशों के अनुसार अंतिम रूप दिया जाना चाहिए और सीपीएसई के बेहतर निष्पादन को बढ़ावा देने वाले विकास-उन्मुख लक्ष्यों को नियत करने में उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

- यह सुनिश्चित करने के लिए डीपीई में वैधीकरण प्रक्रिया को मजबूत किया जाना चाहिए कि अंतिम रेटिंग और स्कोर से पहले किसी भी गलत जानकारी और/या प्रमाणीकरण का पता लगाया जा सके।
- समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों के जो पहलू अस्पष्ट हैं उनपर डीपीई द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए और उनको स्पष्ट किया जाना चाहिए।

डीपीई ने अपने उत्तर में (जून 2020) रिपोर्ट में ऑडिट द्वारा उल्लिखित ऑडिट निष्कर्षों और सिफारिशों का खंडन नहीं किया है।

नई दिल्ली

दिनांक: 29 जुलाई 2020



(शुभा कुमार)

उपनियंत्रक महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक)
एवं अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 30 जुलाई 2020



(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

(जैसा कि पैरा नंबर 1.1.3 में संदर्भित किया गया है)

2018-19 के दौरान सीएजी लेखापरीक्षा के दायरे में आई बाहर
सरकारी कंपनियों/ सरकारी नियंत्रित अन्य कंपनियों की सूची

क्र. संख्या	कंपनी का नाम
सरकारी कंपनियां सीएजी लेखापरीक्षा के दायरे में आईं	
1	न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड
2	इंद्रधनुष गैसग्रिड लिमिटेड
3	बीएसएनएल टावर कारपोरेशन लिमिटेड
4	छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड
5	बड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
6	भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड
7	जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड
8	भिंडगुना ट्रांसमिशन लिमिटेड
9	लकाड़िया बनासकांठा ट्रांसको लिमिटेड
10	जामखंबलिया ट्रांसको लिमिटेड
11	अजमेर फागी ट्रांसको लिमिटेड
12	डब्ल्यूआरएसएस-XXI(ए) ट्रांसको लिमिटेड
13	खेतड़ी ट्रांसको लिमिटेड
14	भुज-II ट्रांसमिशन लिमिटेड
15	फतेहगढ़- II ट्रांसको लिमिटेड
16	रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड
17	लकाड़िया वडोदरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड
18	बीकानेर-खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड
19	एचपीआईएल गैस प्राइवेट लिमिटेड
20	एनएमडीसी सीएसआर फाउंडेशन लिमिटेड
21	बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड
22	सीएससी वाईफाई चौपाल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
23	रामपुर सम्भल ट्रांसको लिमिटेड
24	डिफेन्स इनोवेशन आर्गेनाइजेशन
25	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड
26	महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट निगम
27	देवघर एयरपोर्ट लिमिटेड
28	धालभूमगढ़ एयरपोर्ट लिमिटेड

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

29	कावारत्ती स्मार्ट सिटी लिमिटेड
30	ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड
31	आईएचबी प्राइवेट लिमिटेड
32	उडुपी कासरगोडे ट्रांसमिशन लिमिटेड

सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों सीएजी लेखापरीक्षा के दायरे में आईं

1	नाबवेंचर्स लिमिटेड
2	पेट्रोनेट वीके लिमिटेड

सरकारी कंपनियों सीएजी लेखापरीक्षा के दायरे से बाहर हो गईं

1	पेट्रोनेट सीसीके लिमिटेड
2	अरुणाचल प्रदेश डोनीपोलो होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3	पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड
4	डीएमआईसीडीसी गुना पावर कंपनी लिमिटेड
5	डीएमआईसीडीसी इंदापुर पावर कंपनी लिमिटेड
6	डीएमआईसीडीसी वाघेल पावर कंपनी लिमिटेड
7	डीएमआईसीडीसी विलेभगड़ पावर कंपनी लिमिटेड
8	सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
9	सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड
10	राइट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड
11	असम अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड*
12	छत्तीसगढ़ माइनिंग वेंचर्स लिमिटेड
13	हिमाचल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड
14	पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड
15	पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड
16	एनटीपीसी-एससीसीएल ग्लोबल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
17	ग्रिड कंडक्टर लिमिटेड
18	घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड

* कम्पनी को असम राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया है और अब वह राज्य पीएसई है।

परिशिष्ट II क

(जैसा कि पैरा नं 1.1.3 में संदर्भित किया गया है)

खातों का बकाया या परिसमापन धीन कंपनी का ब्यौरा

ए. सरकारी कंपनी और निगम

क्र. संख्या	सेक्टर/सीपीएसई का नाम	वर्ष जिसके लिए 30 सितंबर 2019 तक खाते नहीं मिले
असूचीबद्ध सरकारी कंपनियां		
रसायन और उर्वरक		
**1	बिहार ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	2014-15 से 2018-19
**2	बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड	परिसमापन के तहत
3	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	2018-19
**4	आईडीपीएल तमिलनाडु (प्राइवेट) लिमिटेड	2010-11 से 2018-19
5	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	2016-17 से 2018-19
**6	मणिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	1998-99 से 2018-19
7	उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड	2018-19
8	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	2016-17 से 2018-19
**9	स्मिथस्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	परिसमापन के तहत
**10	दक्षिणी कीटनाशक निगम लिमिटेड	परिसमापन के तहत
11	एचओसी चेमटर लिमिटेड	2018-19
नागरिक उड्डयन		
**12	देवघर एयरपोर्ट लिमिटेड	पहला खाता देय नहीं
** 13	धलभूमगढ़ एयरपोर्ट लिमिटेड	पहला खाता देय नहीं
** 14	रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड	पहला खाता देय नहीं
15	एयर इंडिया लिमिटेड	2018-19
वाणिज्य और उद्योग		
16	गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस	2017-18, 2018-19
17	पीईसी लिमिटेड	2018-19
**18	टी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापन के तहत
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी		
**19	सीएससी वाईफाई चौपाल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	पहला खाता देय नहीं
20	डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन	2018-19
पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास		
**21	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड	2015-16 से 2018-19

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

पर्यावरण और वन		
22	अंडमान और निकोबार द्वीप वन एवं बागान विकास निगम लिमिटेड	2018-19
वित्त		
**23	भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड	परिसमापन के तहत
24	राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा ट्रस्टी फंड	2017-18, 2018-19
25	वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क	2018-19
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण		
26	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2018-19
भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम		
**27	भारत ब्रेक एंड वाल्व लिमिटेड	परिसमापन के तहत
**28	भारत ऑप्टिकल ग्लास लिमिटेड	परिसमापन के तहत
**29	भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड	परिसमापन के तहत
30	भारत पंप्स एंड कंप्रेसर लिमिटेड	2018-19
**31	भारत यंत्र निगम लिमिटेड	परिसमापन के तहत
**32	साइकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापन के तहत
**33	हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड	2015-16 से 2018-19
34	इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड	2018-19
35	जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड	2016-17 से 2018-19
**36	मांड्या नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड	परिसमापन के तहत
**37	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड	परिसमापन के तहत
**38	नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड	2015-16 से 2018-19
**39	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	परिसमापन के तहत
**40	पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड	परिसमापन के तहत
**41	रेरोल बर्न लिमिटेड	परिसमापन के तहत
**42	टेनरी एंड फुटवियर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापन के तहत
**43	त्रिवेणी स्ट्रक्चर्स लिमिटेड	2013-14 से 2018-19
44	एचएमटी चिनार वॉचेस लिमिटेड	2018-19
**45	टायर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापन के तहत
**46	वजाइबर्ड (इंडिया) लिमिटेड	परिसमापन के तहत
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस		
**47	बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड	पहला खाता देय नहीं
**48	आईएचबी प्राइवेट लिमिटेड	पहला खाता देय नहीं
**49	ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड	पहला खाता देय नहीं
50	बीको लॉरी लिमिटेड	2017-18, 2018-19

ऊर्जा		
** 51	अजमेर फागी ट्रांसको लिमिटेड	पहला खाता देय नहीं
**52	भुज-2 ट्रांसमिशन लिमिटेड	पहला खाता देय नहीं
**53	बीकानेर-खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	पहला खाता देय नहीं
**54	फतेहगढ़- II ट्रांसको लिमिटेड	पहला खाता देय नहीं
**55	जाम खंबलिया ट्रांसको लिमिटेड	पहला खाता देय नहीं
**56	खेतड़ी ट्रांसको लिमिटेड	पहला खाता देय नहीं
**57	लकाड़िया बनासकांठा ट्रांसकोलिमिटेड	पहला खाता देय नहीं
**58	लकाड़िया वडोदरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड	पहला खाता देय नहीं
**59	रामपुर सम्भल ट्रांसको लिमिटेड	पहला खाता देय नहीं
**60	डब्ल्यूआरएसएस-XXI (ए) ट्रांसको लिमिटेड	पहला खाता देय नहीं
सड़क परिवहन और राजमार्ग		
**61	भारतीय सड़क निर्माण निगम लिमिटेड	परिसमापन के तहत
रेलवे		
**62	महाराष्ट्र रेल अवसंरचना विकास निगम	पहला खाता देय नहीं
63	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड	2018-19
शिपिंग		
64	केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड	2017-18, 2018-19
65	कोलकाता रिवरफ्रंट विकास प्राइवेट लिमिटेड	2017-18, 2018-19
66	सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड	2018-19
67	सेतुसमुद्रम निगम लिमिटेड	2018-19
अंतरिक्ष		
**68	न्यू स्पेस इंडिया	पहला खाता देय नहीं
69	एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2018-19
वस्त्र		
**70	ब्रशवेयर लिमिटेड	परिसमापन के तहत
**71	कैनपूर टेक्सटाइल्स लिमिटेड	निष्क्रिय
** 72	द ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2016-17 to 2018-19
**73	एल्गिन मिल्स कंपनी लिमिटेड	निष्क्रिय
74	द हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2017-18, 2018-19
75	बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	2018-19
76	नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2018-19
77	नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2018-19
केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन		
**78	चंडीगढ़ बाल एवं महिला विकास निगम लिमिटेड	2011-12 से 2018-19

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

79	चंडीगढ़ औद्योगिक और पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2018-19
**80	चंडीगढ़ अनुसूचित जाति वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड	2015-16 से 2018-19
81	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड	2018-19
शहरी विकास		
82	ईपीआई अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड	2017-18, 2018-19
83	कावारत्ती स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2017-18
सांविधिक निगम		
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण		
84	भारतीय खाद्य निगम	2018-19

** सीपीएसई जिनके खाते तीन वर्ष या उससे अधिक समय से बकाया थे या परिसमापन के तहत निष्क्रिय थे या पहले खाते प्राप्त नहीं हुए थे या देय नहीं थे।

परिशिष्ट II ख

(जैसा कि पैरा नंबर 1.1.3 में संदर्भित किया गया है)

खातों का बकाया या परिसमापनधीन / निष्क्रिय कंपनी का ब्यौरा

B.सरकार ने अन्य कंपनियों को नियंत्रित किया

क्र. संख्या	सीपीएसई का नाम	वर्ष जिसके लिए 30 सितंबर 2019 तक खाते नहीं मिले
**1	एक्यूमेजरस (पंजाब) लिमिटेड	परिसमापन के तहत
**2	एलाइड अंतरराष्ट्रीय उत्पाद लिमिटेड	निष्क्रिय
**3	बेकर ग्रे एंड कंपनी (1930) लिमिटेड	निष्क्रिय
**4	बिहार औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड	निष्क्रिय
5	बॉब ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड	2017-18,2018-19
**6	एक्सललसीयर प्लांट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	परिसमापन के तहत
**7	फ्लेवरिट स्पाइस ट्रेडिंग लिमिटेड	2012-13 से 2018-19
**8	गंगावती शुगर्स लिमिटेड	परिसमापन के तहत
**9	गैस एंड पावर इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड	2013-14 से 2018-19
**10	इंडिया क्लियरिंग एंड डिपॉजिटरी सर्विसेज	परिसमापन के तहत
11	इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड	2018-19
**12	जम्मू और कश्मीर औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड	2005-06से 2018-19
13	कोलकाता पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड	2018-19
**14	मिलेनियम इंफॉर्मेशन सिस्टम्स लिमिटेड	परिसमापन के तहत
15	मुरादाबाद टोलरोड कंपनी लिमिटेड	2018-19
**16	नालंदा सिरेमिक्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	निष्क्रिय
17	नेशनल हाईपावर टेस्ट लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड	2018-19
**18	उत्तर पूर्वी औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड	2012-13 से 2018-19
19	एनटीपीसी भेल पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड	2018-19
**20	उड़ीसा औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड	निष्क्रिय
**21	पञ्जासीरबर्स (पी) लिमिटेड	परिसमापन के तहत
**22	पीएनबी इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड	2016-17 से 2018-19
**23	पोनमुडीरबर (पी) लिमिटेड	2014-15 से 2018-19
24	पोर्ट ब्लेयर स्मार्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड	2018-19
**25	रबर वुड इंडिया (पी) लिमिटेड	2015-16 से 2018-19
26	रबर पार्क इंडिया (पी) लिमिटेड	2018-19
**27	टेक्सटाइल प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापन के तहत

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

28	यूपी इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेंट्स लिमिटेड	2017-18, 2018-19
29	वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड	2017-18, 2018-19
**30	वैगन इंडिया लिमिटेड	परिसमापन के तहत
31	वेस्ट बंगाल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड	2018-19

** सीपीएसई जिनके खाते तीन वर्ष या उससे अधिक समय से बकाया थे या परिसमापन के तहत निष्क्रिय थे / या पहले खाते प्राप्त नहीं हुए थे या देय नहीं थे।

परिशिष्ट- III

(जैसा कि पैरा नंबर 1.2.2.2 में संदर्भित किया गया है)

सरकारी कंपनियों/ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों की सूची जहां 2018-19 के दौरान बकाया दीर्घ कालिक ऋणों की तुलना में कुल संपत्ति कम थी

क्र. संख्या	कंपनी का नाम
1	हिंदुस्तान फोटो फिल्मस (मैन्युफैक्चरिंग) कंपनी लिमिटेड
2	इरकॉन शिवपुरी गुना लिमिटेड
3	इरकॉन पीबी टोल वे लिमिटेड
4	टीसीआईएल एलटीआर लिमिटेड
5	टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड
6	बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
7	भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड
8	भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड
9	नेशनल बाईसाइकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
10	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वन और वृक्षारोपण विकास निगम लिमिटेड
11	उत्तर पूर्वी हस्त शिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
12	अंडमान फिशरीज लिमिटेड
13	नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

परिशिष्ट-IV

(जैसा कि पैरा नंबर 1.3.1 में संदर्भित किया गया है।)

2017-18 में नुकसान की तुलना में 2018-19 के दौरान लाभ कमाने वाली सीपीएसई में जोड़े गए सीपीएसई की सूची

क्रम सं.	कंपनी	क्या परिचालन आय 2017-18 में नुकसान की तुलना में 2018-19 के दौरान लाभ का कारण है
1	एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	लागू नहीं
2	बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड	नहीं
3	बस्टर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	नहीं
4	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	हाँ
5	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड	हाँ
6	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	हाँ
7	बीईएल-थेल्स सिस्टम्स लिमिटेड	हाँ
8	बल्लभगढ़- जीएन ट्रांसमिशन लिमिटेड	नहीं
9	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड	नहीं
10	बड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	नहीं
11	कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ
12	डीएनएच विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	हाँ
13	दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव एससी / एसटी वित्तीय और विकास निगम लिमिटेड	नहीं
14	दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड	नहीं
15	ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड	हाँ
16	उर्वरक और रसायन त्रावणकोर लिमिटेड	नहीं
17	पावर ग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड	लागू नहीं
18	हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड	नहीं
19	भारतीय स्वास्थ्य बीमा टीपीए लिमिटेड	हाँ
20	एचएलएल लाइफ केयरलिमिटेड	हाँ
21	हसन मैंगलोर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	नहीं
22	एचएमटी लिमिटेड	नहीं
23	एचएमटी (बियरिंग्स) लिमिटेड	नहीं
24	एचएमटी वॉचेज लिमिटेड	नहीं
25	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	हाँ
26	एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड	नहीं

27	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड	नहीं
28	अंतर्देशीय तटीय शिपिंग लिमिटेड	नहीं
29	आईएफआईएन कमोडिटीज लिमिटेड	हाँ
30	भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र लिमिटेड	नहीं
31	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	नहीं
32	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेस वे लिमिटेड	लागू नहीं
33	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	नहीं
34	कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड	हाँ
35	मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नहीं
36	मोहिंदरगढ़-भिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	नहीं
37	एनबीसीसी एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग लिमिटेड	नहीं
38	एनबीसीसी इंटरनेशनल लिमिटेड	नहीं
39	एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड	नहीं
40	एनएमडीसी सीएसआर फाउंडेशन लिमिटेड	लागू नहीं
41	एनएमडीसी पावर लिमिटेड	नहीं
42	ओएनजीसी-मंगलौर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	हाँ
43	पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड	नहीं
44	पावर ग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	लागू नहीं
45	प्राइज पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड	नहीं
46	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	हाँ
47	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ
48	सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्रीज लिमिटेड	हाँ
49	दक्षिण मध्यपूर्व दिल्ली पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	नहीं
50	एसजेवीएन थर्मल प्राइवेट लिमिटेड	नहीं
51	वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड	हाँ

* पांच कंपनियां क्रम सं 1, 17, 32, 40 और 44 नई थीं और 2018-19 के दौरान उनके ऑपरेशन के पहले साल में लाभ कमाया।

परिशिष्ट-V

(जैसा कि पैरा नंबर 1.3.1 में संदर्भित किया गया है।)

2017-18 में लाभ की तुलना में 2018-19 के दौरान नुकसान उठाने वाले

सीपीएसई की सूची

क्रम सं.	कंपनी	क्या 2017-18 में लाभ की तुलना में 2018-19 के दौरान परिचालन खर्च नुकसान का कारण है
1	बिहार मेगापावर लिमिटेड	हाँ
2	ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड	हाँ
3	तटीय महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	हाँ
4	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ
5	ईस्टर्न निवेश लिमिटेड	हाँ
6	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड	हाँ
7	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड	नहीं
8	हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नहीं
9	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड	हाँ
10	आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड	नहीं
11	आईएफआईएन प्रतिभूति वित्त लिमिटेड	नहीं
12	इरकॉन पीबी टॉलवे लिमिटेड	हाँ
13	जम्मू और कश्मीर खनिज विकास निगम लिमिटेड	हाँ
14	कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नहीं
15	एमएसटीसी लिमिटेड	हाँ
16	उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	हाँ
17	एनईपीए लिमिटेड	नहीं
18	एनईएसएलई-इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	नहीं
19	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड	हाँ
20	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवाइंक	हाँ
21	एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाइ कंपनी लिमिटेड	नहीं
22	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	हाँ
23	पवन हंस लिमिटेड	हाँ
24	पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	हाँ

25	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ
26	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ
27	तालचर फर्टिलाइजर लिमिटेड	नहीं
28	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	हाँ
29	विज्ञान इंडस्ट्रीज लिमिटेड	हाँ

परिशिष्ट-VI

(जैसा कि पैरा नंबर 1.3.3 में संदर्भित किया गया है)

31 मार्च 2019 को नकारात्मक कुल मूल्य वाले सीपीएसई की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	कंपनी	लाभांश से पहले शुद्ध लाभ	कुल मूल्य	प्रदत्त पूंजी
1	फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	163.14	-1457.71	647.07
2	एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड	161.59	-848.65	780
3	एचएमटी वॉचेस लिमिटेड	121.28	-2686.98	6.49
4	एचएमटी (बीयरिंग) लिमिटेड	79.24	-44.39	37.71
5	हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड	51.85	-314.67	5019.8
6	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	36.24	-693.28	301.99
7	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	25.26	-66.78	76.96
8	रिचर्डसनऔर कूडास (1972) लिमिटेड	21.25	-249.69	156.61
9	नेशनल जूट मैनुफैक्चरर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	1.46	-221.98	55.8
10	मोहिंदरगढ़-भिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.62	0	0.05
11	दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.49	-0.49	0.05
12	एचएमटी चिनार वॉचेस लिमिटेड	0.01	-589.14	1.66
13	बल्लभगढ़- जीएन ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	0	0.05
14	साउथ सेंट्रल ईस्ट दिल्ली पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.01	0	0.05
15	अंतर्देशीय तटीय शिपिंग लिमिटेड	0.02	-0.05	0.05
16	एचओसी चेमटर लिमिटेड	0	0	0.05
17	उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावरलिमिटेड	0	-0.08	0.05
18	अंडमान और निकोबार द्वीप वन एवं बागान विकास निगम लिमिटेड	0	-18.23	3.59
19	यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	0	-0.06	0.05

20	यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड	0	-0.02	0.05
21	इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड	-0.01	-0.05	0.05
22	पावर ग्रिड वेमगिरी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	-0.01	-19.4	0.05
23	सेल-बंगालअलाय कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	-0.01	-0.03	0.02
24	झारखंड नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-0.01	-0.06	0.01
25	सुती टेकऑप्शंस लिमिटेड	-0.01	-0.29	0.5
26	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	-0.03	-131.48	1.24
27	महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	-0.03	-5.91	0.05
28	एनएमडीसी-सेल लिमिटेड	-0.04	0	0.05
29	झारखंड कोल्हान स्टील लिमिटेड	-0.04	-0.03	0.06
30	कर्नाटक विजयनगर स्टील लिमिटेड	-0.12	-0.05	0.1
31	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड	-0.13	-0.16	0.05
32	उडुपी कासरगोडे ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.23	-0.18	0.05
33	एचएलएल मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल्स लिमिटेड	-0.3	-0.2	0.1
34	बिहार ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	-0.71	-43.91	7.77
35	भिंडगुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.76	-0.71	0.05
36	उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-0.82	-24.91	1.3
37	भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड	-1.42	-99.25	75.85
38	मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड	-1.51	-1.46	0.05
39	एनबीसीसी इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	-1.53	-2.87	1
40	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	-1.55	-1.5	0.05
41	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	-1.71	-1.66	0.05
42	राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा ट्रस्टी फंड	-1.74	-2.58	0.02

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

43	चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	-1.75	-1.7	0.05
44	हूगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड	-1.82	-3.89	1.03
45	एसटीसीएल लिमिटेड	-1.94	-4564.62	1.5
46	हिंदुस्तान फोटोफिल्म्स (मैन्युफैक्चरिंग) कंपनी लिमिटेड	-1.94	-23734.3	206.87
47	रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-2.4	-9.63	4.9
48	भारत पेट्रो रिसोर्सज जेपीडीए लिमिटेड	-2.4	-64.34	60
49	फैक्ट आरसीएफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड	-2.71	-56.3	65.74
50	बीएसएनएल टावर कारपोरेशन लिमिटेड	-2.77	-2.77	0
51	बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	-3.27	-126.25	0.39
52	अंडमान फिशरीज लिमिटेड	-4.04	-31.38	1
53	हिंदुस्तान फ्लोरो कार्बन्स लिमिटेड	-4.78	-43.2	19.61
54	टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड	-5.22	-21.07	19.57
55	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-5.39	-5.09	10.85
56	नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-5.41	-7.88	8.5
57	भेल इलेक्ट्रिकल मशीन लिमिटेड	-5.46	-13.73	10.5
58	हूगली डॉक और पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड	-9.33	-113.86	28.61
59	सांभर साल्ट लिमिटेड	-10.83	-45.27	1
60	बीकोलॉरी लिमिटेड	-12.34	0	74.76
61	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	-15.66	-561.07	146.05
62	नेशनल बाईसाइकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-20.52	-607.88	5.65
63	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	-26.55	-98.91	8.44
64	भारत पंपस एंड कंप्रेसर लिमिटेड	-43.92	-153.14	53.53
65	पीईसी लिमिटेड	-53.94	-1133.91	60
66	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	-63.83	-1305.15	276.6

67	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड	-71.1	-430.58	71.72
68	होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-71.2	-367.44	137.6
69	नेपा लिमिटेड	-77.79	-47.54	634.25
70	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	-83.24	-575.27	162.14
71	भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड	-103.96	-1981.65	51.06
72	हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड	-138.89	-146.42	100
73	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी लिमिटेड	-180.87	-1983.15	166.66
74	एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड	-296.57	-2000.52	402.25
75	हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड	-495.56	-998.78	718.3
76	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	-3390.2	-9734.95	630
77	एयर इंडिया लिमिटेड	-5348.17	-24893.7	28690.21

नोट: हालांकि 77 सीपीएसई में मार्च 2018 तक शून्य या नकारात्मक कुल मूल्य है, लेकिन क्रम संख्या 1 से 15 पर 15 सीपीएसई ने वर्ष 2018-19 के दौरान मुनाफा कमाया है

परिशिष्ट-VII
(जैसा कि पैरा नंबर 1.3.4 में संदर्भित किया गया है)
सरकारी कंपनियों द्वारा घोषित लाभांश में कमी

(₹ करोड़ में)

क्र. संख्या	सेक्टर/सीपीएसई का नाम	निवल मूल्य	कर के बाद लाभ	लाभांश घोषित	निवल मूल्य का 5%	कर के बाद 30% लाभ	न्यूनतम लाभांश घोषित किया जाना आवश्यक	कमी होना
सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां								
वाणिज्य और उद्योग								
1	एमएमटीसी लिमिटेड	1489.25	81.43	45	74.46	24.43	74.46	29.46
रक्षा								
2	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	2268.55	422.59	96.22	113.43	126.78	126.78	30.56
3	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	9018.91	1927.29	511.68	450.95	578.19	578.19	66.51
4	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	10848.52	2282.44	662.09	542.43	684.73	684.73	22.64
आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन								
5	आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड	10955.77	1175.69	135.13	547.79	352.71	547.79	412.66
खानों								
6	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	1166.61	128.75	23.13	58.33	38.62	58.33	35.2
पेट्रोलियम								
7	गेल (इंडिया) लिमिटेड	44092.94	6025.67	1734.15	2204.65	1807.7	2204.65	470.5
8	ऑयल इंडिया लिमिटेड	27745.19	2590.14	1078.16	1387.26	777.04	1387.26	309.1

ऊर्जा								
9	एनएचपीसी लिमिटेड	29214.73	2618.14	1000.46	1460.74	785.44	1460.74	460.28
10	पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	43287.99	6745.95	0	2164.40	2023.79	2164.40	2164.40
रेलवे								
11	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	10367.87	1215.41	182.78	518.39	364.62	518.39	335.61
12	इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	3949.55	436.89	117.24	197.48	131.07	197.48	80.24
इस्पात								
13	एमओआईएल लिमिटेड	3082.71	454.32	141.68	154.14	136.3	154.14	12.46
14	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	38151.57	2178.82	206.53	1907.58	653.65	1907.58	1701.05
असूचीबद्ध सरकारी कंपनियां								
परमाणु ऊर्जा								
15	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1025.73	242.51	4.89	51.29	72.75	72.75	67.86
16	इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड	799.94	114.44	36.5	40	34.33	40	3.5
17	न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	36858.51	2778.75	495	1842.93	833.63	1842.93	1347.93
18	यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2833.93	194.25	32.02	141.7	58.27	141.7	109.68
रसायन और उर्वरक								
19	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	179.58	15.82	2.7	8.98	4.75	8.98	6.28
20	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड	251.08	20.47	12.3	12.55	6.14	12.55	0.25

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

रक्षा								
21	मझगांव डॉक लिमिटेड	2805.89	519.4	100	140.29	155.82	155.82	55.82
वित्त								
22	सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ़ सेक्युरिटाइज़ेशन एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटररेस्ट ऑफ़ इंडिया	739.56	70.65	0	36.98	21.20	36.98	36.98
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण								
23	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड	138.7	49.81	0	6.94	14.94	14.94	14.94
खानों								
24	खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड	475.38	97.4	19.73	23.77	29.22	29.22	9.49
रेलवे								
25	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	1283.73	109.8	62.47	64.19	32.94	64.19	1.72
26	मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड	246.25	35.87	0	12.31	10.76	12.31	12.31
27	हसन मंगलौर रेल विकास कंपनी लिमिटेड	358.88	25.58	0	17.94	7.67	17.94	17.94
नई और नवीकरणीय ऊर्जा								
28	भारत अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड	2563.77	244.13	21.84	128.19	73.24	128.19	106.35
सड़क परिवहन और राजमार्ग								
29	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड	196.87	53.58	0	9.84	16.07	16.07	16.07

शिपिंग								
30	एननोर पोर्ट लिमिटेड	2221.02	340.35	90.42	111.05	102.11	111.05	20.63
सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण								
31	भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम लिमिटेड	399.86	75.3	0	19.99	22.59	22.59	22.59
वस्त्र								
32	जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	136.5	11.6	5.31	6.83	3.48	6.83	1.52
33	कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	353.57	50.99	0	17.68	15.30	17.68	17.68
पर्यटन								
34	कुमार क्रुपपा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	33.83	10.48	0	1.69	3.14	3.14	3.14
केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन								
35	ओमनी बस औद्योगिक विकास निगम ऑफ दमन, दीव और दादरा और नगर हवेली लिमिटेड	159.53	22.2	0.5	7.98	6.66	7.98	7.48
36	दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव एससी / एसटी वित्तीय और विकास निगम लिमिटेड	9.94	0.83	0	0.50	0.25	0.50	0.50
कुल								8011.33

परिशिष्ट-VIII

(जैसा कि पैरा नंबर 1.4.1 में संदर्भित किया गया है)
सीपीएसई के उत्पादन का मूल्य, कुल परिसंपत्तियाँ और नियोजित पूंजी

(₹ करोड़ में)

क्रमसं ख्या	सीपीएसई	2016-17			2017-18			2018-19		
		उत्पादन का मूल्य	कुल संपत्ति	नियोजित पूंजी	उत्पादन का मूल्य	कुल संपत्ति	नियोजित पूंजी	उत्पादन का मूल्य	कुल संपत्ति	नियोजित पूंजी
1	भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण	0.00	24460.31	12933.93	12306.69	26032.87	14964.05	13086.69	27697.06	14513.50
2	एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड	0.00	25.13	24.77	343.33	307.35	177.17	368.95	489.64	166.33
3	एग्रिन इनोवेटिव इंडिया लिमिटेड	0.13	63.29	62.92	0.00	64.79	64.50	0.31	67.04	66.42
4	एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड	312.51	304.99	-1343.60	494.73	377.69	-1696.03	821.61	355.07	-1977.71
5	एयर इंडिया एयरट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	596.79	689.09	363.69	645.57	642.07	205.53	662.91	716.06	348.94
6	एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड	0.00	3799.42	-174.04	3545.63	3664.13	-453.55	4171.57	3732.10	-670.85
7	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी लिमिटेड	740.45	334.36	-475.47	783.26	960.18	-1778.20	1191.97	1632.30	-1983.15
8	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम लिमिटेड	238.32	382.82	273.77	217.45	462.98	324.56	339.44	617.54	399.86
9	अंडमान फिशरीज लिमिटेड	0.00	0.38	-1.92	0.00	0.36	-1.98	0.00	0.34	-2.00
10	अंडमान और निकोबार द्वीप वन एवं बागान विकास निगम लिमिटेड	3.18	13.18	-10.25	0.00	0.00	5.77	0.00	0.00	5.77

11	एंड्रयूयूल एंड कंपनी लिमिटेड	407.83	407.69	188.10	365.71	392.41	189.03	311.10	407.49	188.03
12	अंडमान निकोबार द्वीप समूह इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	297.39	252.27	127.80	306.37	272.00	140.54	306.37	272.00	140.54
13	एंट्रेस कॉरपोरेशन लिमिटेड	1872.93	2982.00	1592.82	1932.27	930.50	-840.93	1932.27	930.50	-840.93
14	अनुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड	0.00	0.03	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02
15	अपोलो डिजाइन अपैरल पार्क लिमिटेड	309.71	117.56	107.61	305.62	121.38	112.31	215.62	130.16	116.89
16	आंध्र प्रदेश सोलर पावर कारपोरेशन लिमिटेड	3.31	934.05	728.77	41.82	1319.47	47.33	73.80	2273.23	102.82
17	पांडिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5.44	3.87	1.12	5.25	3.92	1.04	6.10	4.72	1.20
18	पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड	0.00	2.95	2.33	0.00	3.07	2.31	0.00	3.10	2.29
19	रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.76	1.91	-4.84	0.88	6.14	-6.99	0.00	5.75	-9.63
20	उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	2.46	-19.78	0.00	2.41	-20.55	0.00	2.37	-24.91
21	अनुगुल सुकिंदा रेलवे लिमिटेड	118.76	675.05	667.73	0.00	275.73	679.57	238.22	1000.61	964.42
22	औरंगाबाद टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क लिमिटेड	55.76	29.61	16.76	0.07	15.86	15.57	0.04	15.07	14.82
23	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	1779.48	1772.31	1165.99	1759.21	1846.58	1255.86	276.67	1878.41	1310.81
24	बस्टर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	0.00	13.32	3.51	0.00	34.96	1.10	0.00	310.06	292.87
25	ब्रेथवेट बर्न और जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	93.48	797.65	305.16	72.28	730.33	235.15	104.99	734.44	220.81

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

26	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड	0.32	8041.85	77.60	0.35	12350.10	80.37	0.57	13307.44	82.72
27	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	8451.10	9550.47	3928.97	7176.35	9452.72	2805.48	9636.04	9761.92	3403.24
28	ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एवं पॉलिमर लिमिटेड	795.16	9419.27	3401.45	1725.10	9190.64	3273.19	3232.96	8617.69	3298.30
29	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	4653.11	8078.11	2194.98	4622.38	6257.60	1956.38	3235.22	5252.15	2268.55
30	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	179.93	230.58	21.15	239.35	313.43	12.41	95.36	391.63	36.11
31	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	9243.83	16331.00	7508.54	9705.95	17619.81	7838.95	11921.42	19521.49	9018.91
32	बीईएल ऑप्टोनिक्स डिवाइसेज लिमिटेड	120.38	267.93	347.21	122.10	312.33	209.34	97.28	302.34	224.89
33	बेल-थेल्स सिस्टम्स लिमिटेड	1.45	52.68	52.70	3.12	50.78	50.11	6.72	45.24	51.16
34	बीईएमएल लिमिटेड	2962.07	4546.52	2492.08	3287.11	4484.38	2504.72	3466.84	4836.20	2490.21
35	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	84.74	215.72	104.74	98.18	207.35	118.17	123.45	208.92	133.94
36	भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड	0.00	30.89	-1552.40	0.00	15.51	-1658.46	0.00	15.87	-1756.84
37	बल्लभगढ़-जीएन ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	0.01	0.00	0.00	0.02	-0.01	0.00	0.00	0.00
38	भारतीय नाभिकिय विद्युत निगम लिमिटेड	0.00	6056.79	5721.51	0.00	6157.54	5763.03	0.00	6443.33	5835.94
39	भारत पंपस एंड कंप्रेसर लिमिटेड	75.97	254.40	-29.78	67.87	190.21	-83.73	67.87	190.21	-83.73
40	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	27846.49	57284.07	32383.99	27362.29	60071.96	32658.26	30422.37	60818.41	31495.31
41	भेल इलेक्ट्रिकल मशीन लिमिटेड	28.58	21.75	-2.23	11.89	15.41	-8.28	17.82	12.96	-13.73
42	भारत इन्फ्रानोऑप्टिक्स एंड बायोऑप्टिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	124.19	59.07	41.85	34.80	45.47	37.49	83.64	114.95	30.68

43	बिहार इग्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	0.00	12.13	-43.91	0.00	12.13	-43.91	0.00	12.13	-43.91
44	बीको लॉरी लिमिटेड	32.13	49.37	-40.74	0.00	49.37	-65.36	0.00	49.37	0.00
45	बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड	0.00	0.07	0.05	0.00	0.11	0.05	0.00	0.07	0.06
46	बिहार मेगापावर लिमिटेड	0.00	43.26	0.05	0.00	45.56	0.05	0.00	48.19	47.36
47	जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद	0.00	313.39	283.97	0.00	273.23	93.43	0.00	438.26	100.10
48	बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	3.28	3.85	-96.95	0.47	4.41	-100.35	0.47	4.41	-100.35
49	बाल्मर लॉरी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड	0.00	131.70	91.93	0.00	147.92	145.57	0.00	171.52	168.20
50	बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	130.28	15200.66	14303.08	325.00	18964.47	17776.38	402.35	21994.03	20961.43
51	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	236281.87	91966.30	45735.15	276721.49	100020.70	49409.66	334681.39	115398.55	62256.23
52	बीपीसीएल- किलफ्यूल फार्म प्राइवेट लिमिटेड	0.00	9.05	6.08	0.00	10.56	9.70	1.26	19.69	16.22
53	भारत पेट्रो रिसोर्सज जेपीडीए लिमिटेड	0.00	0.16	-22.73	0.00	0.07	-61.94	0.00	0.50	-64.34
54	भारत पेट्रो रिसोर्सज लिमिटेड	47.50	4640.01	4296.52	69.83	4750.60	4459.98	60.64	4981.97	4812.91
55	भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड	86.87	7122.74	6351.91	475.04	8061.17	7222.36	1169.73	8722.25	7739.55
56	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	1747.45	1618.92	323.09	2053.41	2101.65	338.37	3076.29	2691.67	362.18
57	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	146.89	150.46	13.60	124.79	146.57	16.32	309.50	214.55	74.07
58	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड	187.95	597.29	367.14	270.10	594.36	344.28	270.10	594.36	344.28

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

59	भारत संचार निगम लिमिटेड	28403.73	123488.36	108300.81	22667.78	125825.53	106215.90	341.70	129122.34	94784.42
60	बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड	0.00	13.25	0.60	0.00	20.82	3.46	0.00	21.44	8.60
61	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड	188.76	833.84	673.26	160.85	786.78	652.08	150.88	750.93	588.92
62	भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड	5.97	37.53	6.50	4.78	25.37	-73.64	0.00	69.62	44.93
63	क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	5.60	287.86	246.50	4.47	267.74	239.07	6.62	268.92	235.65
64	सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड	11019.31	12788.30	4445.42	11586.43	14203.52	3478.85	11297.43	14671.83	5142.72
65	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	5606.13	9921.14	8846.20	6167.12	10637.87	9401.11	6881.91	12600.05	10367.87
66	सर्टिफिकेशन इंजिनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड	38.18	79.85	71.06	50.29	87.08	75.15	52.91	86.56	76.74
67	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	288.88	302.74	76.79	214.04	255.29	87.44	229.73	266.38	83.45
68	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	336.30	635.32	176.66	338.88	617.94	180.10	276.66	576.19	179.75
69	चेयुर इंफ्रा लिमिटेड	0.00	0.09	0.05	0.00	0.12	0.05	0.00	0.09	0.08
70	छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड	0.00	868.04	494.75	0.00	1169.43	1144.29	0.00	1732.85	1689.57
71	छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेलवे लिमिटेड	0.00	701.59	670.91	0.00	591.81	557.62	0.00	645.66	615.93
72	चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	510.69	158.82	67.08	582.94	146.32	56.68	582.94	146.32	56.68
73	सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड	3.19	69.63	35.35	3.19	69.63	35.35	3.19	69.63	35.35
74	तटीय कर्नाटक पावर लिमिटेड	0.00	5.00	1.68	0.00	5.68	1.70	0.00	6.37	1.70
75	क्रिएटिव संग्रहालय डिजाइनर	4.44	50.01	8.39	9.35	60.15	12.64	9.24	57.28	14.88

76	तटीय महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	0.00	64.50	40.05	0.00	66.92	40.05	0.00	69.69	40.05
77	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड	930.52	1013.71	529.48	1154.75	1366.96	640.15	1274.56	1311.37	466.82
78	चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड	21.26	17689.24	15349.37	70.74	20255.21	16882.57	86.22	22147.64	16983.27
79	छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	0.00	0.04	0.04	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.02
80	कोल इंडिया लिमिटेड	201.61	18885.09	13919.80	315.98	18464.48	12694.71	934.30	19001.41	13997.39
81	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	2058.87	3224.44	2154.11	2355.12	5361.45	3378.87	2962.16	5116.21	3455.08
82	कॉनकोर एयर लिमिटेड	368.52	222.96	64.47	4.50	227.28	66.20	66.54	85.83	53.49
83	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड	0.98	86.59	22.89	71.23	79.17	1.03	68.09	72.15	-4.29
84	कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	232.86	3263.60	280.38	2276.83	4959.68	286.12	3048.88	5313.41	353.57
85	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	27519.21	11464.61	5618.10	32527.30	14140.70	4888.59	40507.74	15150.68	4753.02
86	सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सेक्युरिटाइजेशन एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटररेस्ट ऑफ इंडिया	37.01	462.82	432.80	54.99	686.81	668.91	82.77	770.24	739.56
87	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	0.00	83.03	0.05	0.00	21.89	0.05	0.00	21.89	0.05
88	तटीय तमिलनाडु पावर लिमिटेड	0.00	205.14	0.08	0.00	223.59	0.08	0.00	243.89	153.09
89	सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन	1508.51	3244.58	2336.05	1502.09	3207.63	2529.03	1519.51	3160.15	2497.74
90	एचएमटी चिनार वॉचेस लिमिटेड	1.71	6.49	-589.16	0.00	6.04	-589.14	0.00	6.04	-589.14
91	देवघर इंफ्रा लिमिटेड	0.00	0.19	0.05	0.00	0.32	0.05	0.00	0.30	0.29

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

92	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन लिमिटेड	0.00	19412.14	14838.08	0.00	24293.54	21120.54	0.00	33518.89	26602.38
93	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	0.00	16.74	13.05	0.00	18.24	0.05	0.00	23.15	19.74
94	दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड	4769.31	66235.15	60329.02	5482.63	71549.76	64805.50	5694.11	74183.21	68086.49
95	डीएनएच विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	1894.94	948.51	533.24	2287.73	806.83	555.42	3027.77	970.55	530.28
96	दादर और नगर हवेली, दमन और दीव एससी/एसटी फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	0.35	9.28	8.95	0.26	9.99	9.11	0.30	10.38	9.94
97	दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड	0.00	28.79	10.72	0.00	28.00	11.17	0.00	23.83	11.73
98	ट्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	585.87	2666.27	2220.86	591.87	2645.90	2216.51	691.74	2466.43	2101.68
99	दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	0.88	0.05	0.00	1.12	0.05	0.00	0.58	-0.49
100	दामोदर घाटी निगम	14626.16	50650.88	31294.02	14993.84	47901.57	29985.87	15617.71	46844.27	28607.71
101	ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड	9515.12	10666.55	2750.61	10795.11	12127.57	342.13	13409.77	12656.67	1286.65
102	ईसीजीसी लिमिटेड	1267.62	9755.80	8938.83	1240.42	10419.36	9561.69	1247.54	11808.09	10855.28
103	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1394.53	3025.29	830.69	1407.28	3445.83	875.11	2689.95	3087.67	1025.73
104	एडसील (इंडिया) लिमिटेड	158.22	215.89	78.95	202.71	280.07	95.53	241.68	352.06	112.20
105	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	1448.64	4007.84	2775.96	1787.58	4093.10	2267.87	2444.34	4366.91	2275.85
106	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	1.00	270.89	269.76	0.45	270.97	270.03	0.02	270.80	270.01
107	एननोर पोर्ट लिमिटेड	620.14	2622.63	2516.40	630.98	2933.61	2896.77	707.98	3060.13	3095.97

108	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड	1621.45	1876.22	230.53	1607.41	1915.62	230.67	1791.05	1813.66	197.64
109	ईपीआई अर्बन इन्फ्रा डेवलपर्स लिमिटेड	0.00	0.12	0.09	0.00	0.12	0.09	0.00	0.12	0.09
110	फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	1293.93	1535.27	274.62	1869.89	1816.15	130.31	2006.35	2325.89	333.18
111	फैक्ट आरसीएफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड	21.00	95.26	71.76	17.10	90.72	38.28	16.49	81.82	-14.66
112	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनेरल्स इंडिया लिमिटेड	49.04	252.84	218.38	47.53	259.70	245.42	50.53	262.95	251.08
113	फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0.00	405.81	261.18	0.00	583.58	373.42	0.00	600.50	528.62
114	फ्रेश एंड हेल्दी एंटरप्राइजेज लिमिटेड	0.47	44.72	-7.66	0.01	38.16	-18.10	-11.35	51.88	6.13
115	भारतीय खाद्य निगम	22114.78	152078.91	15840.15	18035.20	217593.40	15856.13	18035.20	217593.40	15856.13
116	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड	310.58	331.91	186.38	319.61	353.90	185.78	365.20	364.92	200.42
117	पावर ग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	567.54	445.49	0.00	1674.08	1476.68	282.97	1815.60	1654.85
118	पावर ग्रिड वीरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	3.66	852.90	701.84	63.70	2021.92	1864.43	280.44	2125.09	1949.77
119	गेल (इंडिया) लिमिटेड	3193.53	55308.41	41153.08	3678.30	57567.73	41303.39	4201.81	62975.44	44962.65
120	गेल गैस लिमिटेड	2607.24	1265.19	950.87	4585.73	1911.86	1377.66	5254.83	2202.69	1575.20
121	गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	57.40	50.94	16.75	32.72	41.30	16.34	32.01	33.56	13.23
122	जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया	26714.90	94935.19	60590.08	38096.05	110212.58	105130.67	37679.08	118881.01	112286.70

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

123	घोगरपल्ली इंटेग्रेट पावर कंपनी लिमिटेड	0.00	24.22	15.63	0.00	25.22	15.63	0.00	26.33	0.05
124	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	1030.20	2215.65	812.60	1342.67	2323.41	909.10	847.80	2585.09	912.32
125	गोल्डमोहूर डिज़ाइन एंड अपैरल पार्क लिमिटेड	293.89	118.43	104.60	320.12	130.65	108.89	230.83	149.85	112.88
126	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	927.84	4559.61	1081.51	1346.52	4260.23	1015.93	1386.42	4184.96	1038.31
127	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	17104.38	49236.44	12536.63	17553.15	47000.73	12133.38	18537.70	48454.83	10948.52
128	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड	11.36	249.70	-191.43	37.44	213.19	-253.60	54.51	231.25	-269.03
129	हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड	0.00	421.85	-902.78	0.00	60.96	-366.53	0.00	73.92	-314.67
130	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	1488.25	2697.08	1247.92	1651.00	2335.52	1196.16	1672.89	2783.31	1737.26
131	हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड	364.84	732.78	-317.53	393.38	882.48	119.37	340.22	751.36	10.38
132	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड	36.54	33.15	-61.83	43.08	60.47	-35.06	46.30	62.93	-43.20
133	हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	591.82	286.21	191.11	615.23	299.74	236.93	615.23	299.74	236.93
134	हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड	357.91	452.81	102.82	231.05	539.20	102.41	268.84	574.86	103.85
135	हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	0.00	187.82	41.28	0.00	209.90	63.45	0.00	308.04	127.80
136	हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड	6.32	51.43	49.29	13.68	79.05	92.71	40.48	91.47	93.89
137	एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड	1140.83	2479.53	622.68	265.30	2504.29	559.76	1444.37	2759.72	542.52
138	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड	0.20	454.73	259.19	0.08	539.30	461.82	0.03	503.43	451.95
139	एचएलएल मेडि पार्क	0.00	0.39	-0.07	0.00	6.15	4.06	0.00	9.72	5.32
140	हसन मंगलौर रेल विकास कंपनी लिमिटेड	115.35	518.42	507.89	169.67	571.76	431.64	159.08	608.20	453.27

141	एचएमटी लिमिटेड	10.36	928.18	537.28	125.30	927.48	420.65	17.01	1055.95	342.32
142	एचएमटी (बीयरिंग) लिमिटेड	3.70	20.30	-122.36	2.30	18.82	-123.63	0.03	42.12	-44.39
143	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड	23.98	53.89	32.33	24.95	46.63	32.60	63.60	81.50	33.79
144	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	184.66	332.62	-1001.58	163.15	335.89	-1177.47	242.79	420.43	-1298.81
145	एचएमटी वॉच लिमिटेड	-16.68	77.21	-2794.59	4.24	50.09	-2808.27	0.00	65.19	-2686.98
146	हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड	337.94	372.25	91.32	260.72	323.87	-9.58	277.14	255.94	-134.34
147	हरिद्वार नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड	0.00	18.39	14.31	0.00	56.05	48.22	0.10	81.85	72.33
148	एचओसी चेमटर लिमिटेड	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
149	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	156.83	1797.85	397.71	242.33	1644.61	654.34	462.55	1517.70	614.90
150	हूगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड	0.00	115.34	-94.88	73.43	32.48	-93.01	0.00	32.36	-108.46
151	हूगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड	15.96	20.90	4.05	9.19	10.26	-0.22	0.52	6.73	-3.89
152	होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	49.99	128.93	-166.53	53.23	130.48	-277.03	59.75	122.22	-367.44
153	हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड	0.00	873.62	-780.42	0.00	873.62	-780.42	0.00	873.62	-780.42
154	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	216650.43	78043.03	26625.56	241658.24	86354.54	32779.00	296866.33	103294.74	39492.04
155	एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड	289.69	704.49	501.05	268.99	797.63	387.88	278.84	827.87	291.20
156	एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड	0.00	28.48	-1.97	0.00	406.29	243.29	0.00	1510.33	1190.88
157	हिंदुस्तान फोटोफिल्म्स (मैन्युफैक्चरिंग) कंपनी लिमिटेड	0.00	93.14	-20092.52	0.00	90.93	-23494.88	0.00	88.44	-23496.82

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

158	हेमीस्फियर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड	0.00	1.16	1.00	0.00	1.36	0.97	0.00	1.13	0.84
159	हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड	226.32	978.86	946.78	273.99	1264.83	1262.51	384.57	1817.75	1808.78
160	हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड	260.20	355.77	30.11	238.45	305.94	32.04	287.19	263.44	34.18
161	हिमाचल रिन्यूएबल्स लिमिटेड	0.00	0.54	0.50	0.00	0.51	0.50	0.00	2.40	2.38
162	हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड	5.96	79.36	36.59	6.88	86.96	50.58	7.93	91.18	50.99
163	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड	1511.16	2295.31	198.78	0.00	0.00	1.80	2063.27	3423.96	138.70
164	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	618.08	918.44	-378.30	644.78	1073.26	-247.22	594.91	1350.37	-35.87
165	हाईस्पीड रेल कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	30.66	-0.01	0.00	2.04	0.04	8.61	2.03	0.08
166	हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	1135.39	1563.70	284.08	979.54	1528.26	308.71	657.04	1633.09	301.37
167	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3498.85	39322.12	34120.92	4075.42	48929.60	38459.72	5547.64	72828.93	67501.49
168	हिंदुस्तान उर्वरक एंड राययान लिमिटेड	0.00	13.07	10.28	0.00	1019.76	996.11	0.00	2487.56	2033.85
169	हिंदुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	17.01	-428.96	0.00	16.96	-93.04	0.00	13.68	11.72
170	अंतर्देशीय तटीय शिपिंग लिमिटेड	0.00	0.05	-0.04	0.00	0.05	-0.05	0.00	0.05	-0.05
171	आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड	77.50	624.32	412.76	60.13	497.71	318.99	47.29	414.27	298.65
172	आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	14.33	96.75	70.37	16.97	99.01	71.42	13.42	94.98	71.72
173	आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड	0.00	705.56	663.06	38.83	637.50	594.03	76.21	556.74	512.44
174	आईएफसीआई लिमिटेड	2739.73	30686.02	29629.00	2701.29	26246.41	25626.82	2157.23	20159.99	20319.10

175	आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड	94.09	738.10	514.18	87.46	562.23	424.74	50.08	278.96	286.23
176	आईफिन क्रेडिट लिमिटेड	0.13	2.07	1.97	0.15	2.09	1.95	0.14	2.09	1.94
177	आईफिन कमोडिटीज लिमिटेड	1.14	11.25	5.31	0.69	8.60	5.05	1.19	8.79	5.42
178	आईफिन सिक्योरिटीज फाइनेंस लिमिटेड	7.12	41.97	33.47	4.97	35.10	34.00	5.00	29.10	29.17
179	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	2083.72	4072.16	2926.56	2491.41	4911.68	3512.90	3397.32	5927.79	4129.85
180	आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	4.42	17.65	16.36	7.31	21.70	19.16	6.85	24.47	22.51
181	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	6.78	12.43	10.55	7.61	16.71	12.86	7.16	16.45	15.50
182	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	3750.94	42156.48	38097.59	3568.14	43103.95	36939.23	3651.05	43538.97	4688.56
183	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	66.46	110.27	61.49	27.24	124.07	69.15	27.24	124.07	69.15
184	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	68.70	634.01	-544.69	63.11	260.82	-548.49	63.11	260.82	-548.49
185	इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड	0.00	0.05	-0.02	0.00	0.05	-0.04	0.00	0.06	-0.05
186	इंडियन कैटेलिस्ट प्राइवेट लिमिटेड	0.00	6.47	6.47	0.00	6.46	6.46	0.00	6.46	6.45
187	अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ऑफ इंडिया	0.00	1401.51	1244.53	133.05	2237.51	1999.55	185.71	2828.21	2576.11
188	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड	354851.17	258234.51	124475.46	420768.15	279700.24	131393.37	523121.85	314331.11	146422.68
189	इंडिया पोस्टपेमेंट बैंक लिमिटेड	5.01	310.59	300.97	39.53	811.76	800.00	46.42	669.64	574.30
190	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	40.98	108.85	133.04	32.36	117.35	146.82	70.64	231.03	142.38

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

191	इस्कॉन शिवपुरी गुना लिमिटेड	0.00	323.84	311.98	381.93	702.07	675.09	149.74	12.86	635.30
192	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड	1432.62	1744.78	778.34	1468.18	2228.55	947.71	124.12	2496.68	1067.02
193	इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड	1336.64	18649.38	15141.12	1779.13	20277.09	16931.30	2020.21	24461.02	21304.93
194	इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड	417.74	983.05	679.85	530.62	1042.56	729.50	738.68	1187.05	799.94
195	इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	2994.80	8698.02	3828.02	3896.39	12556.23	6955.03	4415.10	12346.29	6509.55
196	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड	9046.77	127732.26	108719.87	11018.51	162332.07	128419.34	11132.32	206603.56	187112.31
197	इस्कॉन पीबी टोल वे लिमिटेड	177.89	29.82	248.10	277.54	438.49	409.78	356.07	142.20	476.51
198	इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	0.15	22.89	40.04	8.03	41.10	62.79	23.15	52.60	77.29
199	इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड	0.00	3580.79	3468.50	0.00	3517.84	3519.62	0.00	3598.60	3542.66
200	इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	343.87	625.91	336.42	343.87	625.91	336.42	349.96	630.83	355.58
201	आईटीआई लिमिटेड	1528.12	5262.11	1782.25	1484.16	7007.55	2133.08	1904.82	6958.97	2212.16
202	भारत व्यापार संवर्धन संगठन	263.14	2041.82	1829.64	247.48	1962.56	1964.26	180.06	1992.67	2037.35
203	इंडिया यूनाइटेड टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड	416.64	263.09	160.44	383.27	221.96	160.65	176.75	179.88	161.22
204	इंडियन वैक्सीन कंपनी लिमिटेड	0.00	11.14	10.73	0.00	10.70	9.20	0.22	10.33	8.73
205	जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड	0.00	11.80	2.79	0.00	11.80	2.79	0.00	11.80	2.79
206	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	0.00	208.21	32.67	0.00	228.21	49.33	0.00	192.14	55.51
207	झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड	0.00	0.07	0.05	0.00	0.09	0.08	0.00	0.08	0.06
208	जम्मू-कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड	0.51	145.13	143.23	0.90	168.21	149.36	1.35	157.59	155.38

209	जम्मू-कश्मीर खनिज विकास निगम लिमिटेड	0.00	32.90	13.21	0.00	35.94	14.62	0.00	32.46	13.88
210	झारखंड कोल्हान स्टील लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00	0.01	-0.03
211	झारखंड नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	0.00	0.00	-0.04	0.00	0.00	-0.05	0.00	0.00	-0.06
212	जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	63.30	193.18	113.61	225.19	266.39	124.90	88.08	221.14	136.50
213	कर्नाटक एंटी बायोटेक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	378.98	287.18	159.36	366.82	319.64	182.77	388.63	348.25	189.33
214	कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड	388.25	4660.35	3919.18	861.56	4792.07	3607.61	1605.26	5123.92	3559.44
215	कुमार कृपपा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	8.80	54.35	30.62	9.75	58.12	32.16	11.87	59.89	33.83
216	केरल गेल गैस लिमिटेड	0.00	26.25	26.23	0.00	27.47	27.47	0.00	4.13	3.52
217	केआईओसीएल लिमिटेड	970.86	2507.83	2101.56	1593.44	2532.67	2145.63	1568.93	2322.08	1993.96
218	कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	3331.26	3105.59	0.00	5100.13	3907.47	0.00	6016.07	4779.36
219	कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड	0.00	4273.86	3386.94	44.67	5338.78	4975.14	81.37	5982.44	5386.45
220	कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड	2086.46	5521.56	3245.50	2483.35	5644.49	3581.28	2898.68	6114.26	4007.17
221	कर्नाटक व्यापार संवर्धन संगठन	3.66	127.65	124.82	4.00	147.73	132.41	3.64	126.29	137.38
222	कर्नाटक विजयनगर स्टील लिमिटेड	0.00	638.64	-0.01	0.00	639.61	-0.02	0.00	641.73	-0.05
223	लक्षद्वीप डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	0.87	573.71	223.46	1.02	572.78	259.01	12.61	575.95	298.16

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

224	लोकटक डाउनस्ट्रीम हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन लिमिटेड	0.00	142.12	136.44	0.00	144.80	137.08	0.00	144.63	137.47
225	एमओआईएल लिमिटेड	844.47	3052.49	2805.35	1323.46	3189.16	2799.20	1364.81	3578.94	3082.71
226	महानदी बेसिन पावरलिमिटेड	0.00	0.88	18.87	0.00	20.97	-0.84	0.00	18.58	-5.91
227	महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड	13121.88	28661.35	3391.51	13820.36	27377.10	2949.62	15350.16	30016.57	3878.88
228	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	0.00	14.23	0.05	0.00	33.87	0.03	0.00	44.13	0.02
229	मझगांव डॉक लिमिटेड	3523.67	18460.23	2608.78	4409.59	18782.94	2422.40	4649.15	19804.49	2805.89
230	मेकॉन लिमिटेड	342.93	1100.63	151.37	480.22	1229.70	205.44	479.20	1351.01	340.46
231	मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड	0.00	7425.77	6650.07	0.00	8900.20	7918.22	0.00	10380.94	9353.79
232	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	303.21	1102.08	-419.45	386.99	1582.21	-348.90	285.18	1568.29	-455.49
233	मिश्रा धातु निगम लिमिटेड	695.64	1100.10	705.58	697.68	1363.54	789.96	814.83	1823.39	835.28
234	मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड	4.82	8.12	4.82	6.76	12.54	5.10	7.34	12.15	5.74
235	मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड	347.91	467.57	356.86	369.08	530.22	413.12	366.76	576.21	475.38
236	एमजेएसजे कोल लिमिटेड	0.00	103.09	94.09	0.00	94.45	94.09	0.00	95.36	94.09
237	पावरग्रिड मेदिनीपुर जिरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	19.24	0.01	0.00	329.27	252.58	0.00	1513.61	1269.78
238	डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन	0.00	198.94	28.61	217.85	152.45	34.77	217.85	152.45	34.77
239	मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	2391.85	1883.60	22.17	7013.81	4495.74	0.00	10724.13	8696.29
240	एमएमटीसी लिमिटेड	11708.36	5843.57	1434.08	131.39	5180.48	1449.45	124.25	4223.13	1489.25
241	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड	491.32	748.05	582.08	610.77	888.76	603.81	468.34	1084.97	740.81
242	एमएनएच शक्ति लिमिटेड	0.00	85.92	84.58	0.00	84.66	84.58	0.00	84.96	84.58
243	मोहिंदरगढ़-भिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	0.01	0.00	0.00	0.02	-0.01	0.00	0.00	0.00

244	मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड	31.51	475.62	236.04	22.98	554.26	228.97	40.39	559.22	246.25
245	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	39696.94	26402.18	14886.26	45278.56	26209.06	12532.55	61095.76	27185.69	13947.93
246	एमएसटीसी लिमिटेड	1428.69	4251.17	209.40	1946.27	4461.47	562.76	292.70	2221.20	20.90
247	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	2869.68	13886.27	3644.59	2371.91	12810.40	3955.35	1987.80	11575.54	1737.21
248	एयर इंडिया लिमिटेड	21322.89	43008.50	-19914.51	22478.69	49098.57	-24893.71	22478.69	49098.57	-24893.71
249	राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र	0.61	4.96	3.90	0.22	4.87	3.63	0.00	2.80	2.24
250	नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड	0.00	122.02	23.05	0.00	122.02	23.05	0.00	122.02	23.05
251	नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड	0.00	41.97	28.26	0.64	26.61	17.63	4.03	47.97	23.61
252	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	7535.09	14324.50	10205.79	9328.75	14404.33	10504.81	11441.02	14931.75	10484.51
253	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	10803.63	32216.35	4775.04	11266.55	34764.33	2756.60	-1832.57	32434.08	1067.69
254	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	6279.39	6423.39	1673.60	5905.01	7534.34	1821.37	7244.76	7898.21	1564.81
255	एनबीसीसी इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	4.92	1.41	0.75	2.32	2.66	-1.34	4.60	4.89	-2.87
256	एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड	107.26	67.51	11.77	86.37	77.03	14.76	126.69	84.89	23.39
257	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	47.47	1567.69	1553.93	35.87	1676.39	1664.00	40.68	1833.79	1791.23
258	नेशनल साइकिल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0.00	6.14	4.71	0.00	5.37	3.93	0.00	6.18	4.33
259	नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड	10705.86	13173.08	2794.75	11850.81	15119.23	3409.69	14642.98	16072.42	4177.70
260	नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	3.96	23.57	11.61	6.29	23.81	11.89	7.10	13.81	13.30

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

261	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड	0.00	113.46	111.96	0.00	121.00	114.65	0.00	768.98	217.15
262	नेड्फी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	0.00	0.05	0.05	0.04	0.09	0.08	0.03	0.11	0.10
263	नेड्फी वेंचर कैपिटल लिमिटेड	0.00	0.05	0.05	1.50	1.15	0.82	1.50	2.22	1.48
264	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड	1404.47	12944.59	11570.85	1632.94	14157.73	12588.21	2007.04	14624.35	12820.65
265	नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड	0.00	41.39	41.22	7.69	72.03	71.26	8.05	71.54	68.46
266	नॉर्थ ईस्टर्न हेंडीक्राफ्ट एंड हेंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	14.74	11.91	7.01	18.17	15.61	9.54	4.68	12.03	6.12
267	नेपा लिमिटेड	30.31	302.18	-14.89	10.25	341.86	-2.00	11.88	364.99	-40.67
268	न्यू सिटी ऑफ़ बॉम्बे मैनुफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड	287.75	130.17	74.16	36.11	98.21	69.52	0.00	96.85	68.19
269	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	16491.64	68948.23	35641.71	17900.59	76411.45	38300.55	19288.61	79291.40	38022.24
270	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	8672.84	27354.78	17459.70	8496.20	32500.14	20596.58	7145.92	34558.29	21891.84
271	नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड	0.00	974.62	902.40	0.00	2253.23	902.40	0.00	5898.60	4889.11
272	नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	162.14	200.72	22.53	420.42	400.42	36.66	321.00	334.73	36.20
273	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	7712.86	10169.92	5820.45	8922.00	9622.55	5135.59	13222.07	13908.64	5359.54
274	नेशनल फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	0.00	1.13	1.11	0.00	1.13	1.11	0.00	1.16	1.14
275	नेशनल हेंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2993.04	644.49	101.03	2605.09	756.33	116.02	2605.09	756.33	116.02

276	एनएचडीसी लिमिटेड	1306.93	7752.45	6876.01	784.91	6827.75	5932.30	804.54	6604.35	5789.84
277	राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम	8.94	426.74	410.14	10.19	482.27	444.82	9.68	512.30	465.51
278	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड	42.96	6410.65	127.44	94.37	10940.79	157.65	129.55	5982.95	196.87
279	एनएचपीसी लिमिटेड	7271.17	48464.15	41283.45	6934.03	48951.34	41455.89	8161.18	58702.71	46259.36
280	नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड एमजेएसजे कोल लिमिटेड	0.00	508.05	505.93	0.00	693.64	681.91	0.00	3257.91	3124.48
281	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	13.53	260547.07	228634.88	13.82	341547.60	300135.72	11.44	442115.89	386116.98
282	नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर सर्वसेस इंक	1241.41	2142.50	607.78	1258.36	2361.83	638.82	1149.53	2181.31	501.38
283	राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा ट्रस्टी फंड	0.00	0.36	-2.58	0.00	0.36	-2.58	0.00	0.36	-2.58
284	एसजेवीएन लिमिटेड	2468.66	14951.15	13713.30	2156.95	14003.15	12730.05	2630.34	14593.51	13179.36
285	नेशनल जूट मैनुफैक्चरर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	2.72	277.02	197.25	0.00	286.77	206.77	0.00	87.88	8.78
286	एनएमडीसी लिमिटेड	8730.77	25026.66	22518.94	11614.91	28059.24	24353.83	12231.88	29033.05	25951.53
287	एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड	0.00	76.82	68.52	0.00	64.51	185.43	0.00	42.18	190.07
288	एनएमडीसी पावर लिमिटेड	0.00	0.56	0.49	0.00	0.52	0.43	0.00	0.45	0.45
289	एनएमडीसी-सेल लिमिटेड	0.00	0.05	0.04	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00
290	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.02	0.02
291	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	48.33	2218.43	1971.19	55.20	2253.88	2233.91	64.47	2488.27	2459.91
292	नागपुर मेट्रो रेल निगम	0.00	1624.31	628.10	0.00	5445.70	4878.89	217.12	7740.73	7077.06

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

293	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	18.92	1094.94	982.30	0.38	1143.50	1031.40	15.85	1249.46	1130.37
294	एनपीसीआईएल इंडियन ऑयल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	1.19	1.16	0.00	1.24	1.23	0.00	1.29	1.29
295	एनपीसीआईएल-नालको पावर कंपनी लिमिटेड	0.00	0.06	0.06	0.00	0.06	0.06	0.00	0.01	0.01
296	पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	25716.54	193316.44	160662.82	29752.46	211539.29	176835.28	34119.12	236582.57	190056.65
297	नवीनगर बिजली उत्पादन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	0.00	10696.59	9624.46	0.00	12689.37	11183.59	0.00	14446.97	13204.54
298	नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	25.29	44.57	9.11	10.74	49.32	9.43	10.64	58.63	9.44
299	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	14229.38	7236.89	5515.10	13239.40	7352.87	5206.96	18475.75	7493.45	5550.68
300	पावरग्रिड काला अंब ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	227.91	205.63	37.58	334.07	310.36	57.26	301.69	265.99
301	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	0.00	1660.94	1645.87	39.44	1901.72	1822.10	57.21	2059.42	2013.34
302	नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	915.06	1105.46	612.17	982.64	1187.34	623.93	1054.49	1243.91	657.80
303	नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2311.87	3476.72	878.38	2057.81	3443.37	1002.16	2074.53	3101.71	983.69
304	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम	12.79	717.70	682.73	12.46	740.43	705.66	13.30	838.30	757.05
305	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	24.77	813.25	805.27	30.95	887.22	881.10	35.07	972.17	966.22

306	नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1168.50	3948.61	2435.34	1176.19	3569.93	2127.23	1176.19	3569.93	2127.23
307	एनटीपीसी लिमिटेड	78273.44	235761.64	193570.51	83452.70	259861.96	210475.37	90307.43	286744.03	227106.25
308	एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाइ कंपनी लिमिटेड	0.00	77.75	42.47	0.00	77.76	42.47	0.00	77.77	42.38
309	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	5223.84	1442.80	310.22	5015.27	1685.29	311.30	4481.24	1848.98	352.75
310	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	7177.04	64649.32	58291.90	12206.34	73205.75	65200.82	8185.23	84618.95	74626.91
311	ओडिशा इंफ्रा पावर लिमिटेड	0.00	0.25	0.05	0.00	0.30	0.29	0.00	0.29	0.05
312	उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड	0.00	9.13	4.05	0.00	9.13	4.05	0.00	9.13	4.05
313	ऑयल इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड	0.00	115.81	115.89	0.00	121.50	120.64	0.00	128.22	126.81
314	ऑयल इंडिया लिमिटेड	9780.03	45287.87	38038.02	10857.48	43984.00	35274.97	14121.11	47431.89	35011.97
315	उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	0.00	1101.99	-0.08	0.00	1144.10	-0.08	0.00	1182.37	174.06
316	दमन दीव एंड दादर और नगर हैवली लिमिटेड सर्वग्राही औद्योगिक विकास निगम	382.44	295.70	118.74	424.31	362.45	137.94	410.10	376.22	159.53
317	ओएनजीसी-मेंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	5256.57	7312.51	4533.99	5561.29	6923.77	3291.19	8362.43	6995.13	1348.03
318	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	89407.90	227988.06	185538.38	85004.10	269276.79	193384.68	100551.96	282533.67	202992.56
319	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	4983.67	63679.32	61975.82	5103.04	63007.68	60048.27	5045.69	67648.35	58809.42
320	ओएनजीसी पेट्रोएडिक्शन लिमिटेड	828.77	29423.61	22128.17	5591.82	29581.19	21705.31	9738.72	28571.80	26335.75

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

321	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	9222.39	29362.27	1334.48	1462.47	29984.08	3156.69	-1217.40	33790.74	2863.03
322	पवन हंस लिमिटेड	427.64	1419.27	1009.95	395.42	1584.71	1146.52	379.97	1453.65	1048.75
323	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड	45.95	135.41	107.70	68.20	149.08	110.39	116.50	189.56	123.12
324	पीईसी लिमिटेड	4268.69	1296.02	-1079.91	4451.92	1210.09	-1133.91	4451.92	1210.09	-1133.91
325	पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.05
326	पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	26716.23	258342.89	236657.46	26414.47	286464.28	231359.35	28842.00	340794.37	315455.86
327	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	103.46	277.22	245.99	60.45	222.33	192.56	57.57	122.31	91.74
328	पावर ग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	264.79	204.21	0.00	1179.67	967.15	61.05	1445.60	1472.87
329	पंजाब लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	0.00	243.39	230.84	11.16	272.34	248.71	20.25	252.12	244.84
330	प्राइज पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड	9.82	124.61	125.24	7.44	125.62	123.63	7.62	131.71	128.65
331	पावरग्रिड सर्जन इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	0.00	581.54	342.59	0.00	2488.51	1823.64	33.01	3411.20	3221.48
332	पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड	158.95	1385.00	307.33	202.71	1405.90	366.35	268.93	2976.90	398.91
333	पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	182.09	475.65	83.28	-0.53	1410.88	1042.09	0.00	2136.35	1767.31
334	रेलटेल एंटरप्राइजेज लिमिटेड	0.00	20.56	11.89	3.29	71.85	13.54	17.98	84.29	15.34
335	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	228.50	239.77	110.72	242.88	301.65	111.44	217.82	351.78	116.87

336	राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड	6914.21	6532.43	3038.86	7009.65	6419.13	3249.75	8604.38	8919.50	3459.81
337	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड	23350.79	209234.35	182814.92	22358.27	246477.85	196439.94	25309.72	295348.91	229904.22
338	आरईसी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	182.68	229.87	157.84	201.93	501.06	180.07	152.51	543.52	155.73
339	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	41.53	162.32	157.86	41.73	348.10	176.55	28.70	286.29	118.44
340	रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान लिमिटेड	0.00	3.45	3.19	0.00	3.66	3.27	0.00	3.82	3.39
341	रेलवे एनर्जी मैजमेंट कंपनी लिमिटेड	55.67	198.58	167.25	65.63	199.42	163.50	81.48	207.70	186.16
342	रिचर्डसन और क्रूडस (1972) लिमिटेड	17.90	181.46	-289.09	13.29	40.43	-430.94	12.29	223.88	-249.69
343	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	12889.21	28598.28	14411.36	16124.67	30935.57	13766.12	20470.54	34027.99	16642.50
344	राइट्स लिमिटेड	1303.35	4614.47	2033.65	172.07	4968.78	2191.66	302.30	5179.78	2383.83
345	रिन्यूएबल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड	0.00	40.59	1.00	0.73	47.08	1.41	2.57	58.98	2.18
346	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	1118.22	1386.15	145.96	1127.17	1435.38	173.81	1073.74	1726.50	190.68
347	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	847.86	2306.86	1157.33	983.85	2244.88	1249.39	986.05	2151.59	1283.73
348	रेल विकास निगम लिमिटेड	5919.62	8303.65	5523.67	7556.56	5725.98	5681.63	10060.07	11298.33	6762.95
349	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	49046.37	101011.05	55096.54	60460.64	108549.90	65490.83	-2716.62	112088.49	68954.23

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

350	सेल-बंगाल अलॉय कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	0.00	0.91	-0.02	0.00	0.91	-0.02	0.00	0.91	-0.03
351	सेल रिफ़ैक्टरी कंपनी लिमिटेड	144.92	166.50	110.45	127.17	158.64	123.36	196.67	201.62	140.10
352	सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्रीज लिमिटेड	8.99	121.98	29.66	82.96	120.42	25.51	214.31	169.61	76.27
353	सांभर साल्ट लिमिटेड	20.51	40.58	20.76	20.62	43.88	-25.65	17.81	37.71	-32.64
354	साउथ सेंट्रल ईस्ट दिल्ली पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
355	शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	3446.87	14465.51	9945.01	3469.47	14400.14	10404.13	3925.86	14145.74	9507.87
356	सिडकुल कॉनकोर इंफ्रा कंपनी लिमिटेड	4.56	126.20	99.70	6.78	108.42	88.50	8.51	97.60	83.77
357	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	96.44	157.80	102.31	31.18	111.03	79.59	66.93	107.29	78.05
358	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	0.00	92.46	89.70	0.00	222.10	218.11	0.00	222.10	218.11
359	दक्षिण पूर्वी कोल फील्ड्स लिमिटेड	14.00	22216.37	3352.19	14.47	24846.23	3238.56	15.73	25516.16	3631.87
360	भारतीय सौर ऊर्जा निगम	785.36	1552.02	367.69	1158.18	2139.04	436.84	3235.13	3101.54	563.95
361	सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	860.21	809.04	0.00	860.56	810.92	0.00	860.56	810.92
362	सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	0.00	30.26	21.12	0.00	31.47	21.27	0.00	32.81	21.43
363	एसजेवीएन थर्मल प्राइवेट लिमिटेड	0.00	473.73	436.54	0.00	499.47	436.37	0.00	628.63	436.66
364	सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	5189.46	6879.81	4552.88	2179.21	6257.53	4097.43	5711.34	7026.89	4369.56

365	द स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	7814.49	4211.13	1037.53	10865.71	4364.43	930.81	8903.44	2716.59	51.36
366	एसटीसीएल लिमिटेड	0.00	10.79	-3904.48	0.00	7.96	-4562.68	0.00	6.58	-4564.62
367	सुयुती टेक ऑप्शंस लिमिटेड	0.00	0.02	-0.24	0.00	0.03	-0.27	0.00	0.02	-0.29
368	ताटिया आंध्र मेगा पावर	0.00	21.48	0.05	0.00	21.99	0.05	0.00	22.60	0.05
369	टांडा ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	1.59	0.05	0.00	1.61	0.05	0.00	0.02	0.00
370	टेलीकम्यूनिकेशन कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया	1139.05	2348.94	660.92	1232.63	2694.99	649.57	1616.22	3139.74	627.09
371	टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड	5.15	0.14	110.26	5.47	0.10	105.37	5.25	0.12	97.56
372	टीसीआईएल एलटीआर लिमिटेड	1.93	6.88	85.57	4.83	0.21	86.40	6.69	0.34	83.84
373	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	2094.74	14098.09	12977.24	2190.64	13544.18	10836.10	2767.96	14610.93	11932.79
374	टैल्चर फर्टिलाइजर लिमिटेड	0.00	0.05	0.02	0.00	15.95	15.09	0.00	48.61	33.84
375	तमिलनाडु व्यापार संवर्धन संगठन	37.18	225.64	214.60	36.86	265.58	255.28	44.14	302.52	290.08
376	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	3.37	16.24	-60.94	1.83	15.64	-72.36	0.04	1.81	-98.91
377	यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1293.03	3527.85	2167.35	1782.71	3374.02	2661.20	2013.93	3793.49	2833.93
378	पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	4.08	79.73	67.34	16.34	74.12	68.11	23.30	69.66	66.89
379	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	11406.05	33801.45	9512.24	12193.40	36169.59	9918.51	12371.81	37698.69	7298.33
380	उर्वरक विदेश लिमिटेड	0.00	0.12	0.09	0.00	0.10	0.08	0.00	0.10	0.08
381	पावरग्रिड वेमगिरी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	0.00	0.00	-19.38	0.00	0.00	-19.39	0.00	0.00	-19.40
382	विग्यान इंडस्ट्रीज लिमिटेड	28.66	14.46	5.15	31.37	15.88	5.39	24.78	15.37	4.66

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

383	विशाखापत्तनम पोर्ट लॉजिस्टिक्स पार्क लिमिटेड	0.00	39.84	28.00	0.00	191.66	132.03	0.01	221.47	191.94
384	पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	67.59	1314.67	1201.07	242.29	1285.36	1131.60	295.44	1223.79	1211.67
385	डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड	921.36	1281.67	469.64	1141.29	1568.05	497.75	1413.09	1975.25	575.00
386	वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड	7911.66	11196.34	1750.89	7553.74	11754.74	868.75	8680.93	10924.41	1124.89
387	यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.06	0.00	0.00	-0.06
388	यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	-0.02
389	जेनिथ सिक्वोरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	2.18	16.67	14.84	1.39	17.51	15.57	2.70	19.24	17.23
390	बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड				5.26	10.82	10.54	16.85	14.12	12.04
391	बड़ौदासन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड				0.00	0.05	0.04	0.00	0.03	0.03
392	बिजावर विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड				0.00	0.30	0.01	0.00	0.38	0.01
393	पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड				0.00	25.67	0.04	0.00	240.88	203.57
394	गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस				0.00	97.15	86.18	0.00	97.15	86.18
395	वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क				156.31	629.80	24.48	156.31	629.80	24.48
396	हृगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड				0.00	21.68	21.63	0.00	64.74	64.30
397	उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी				0.00	308.49	308.49	109.38	2879.79	2844.34
398	एचएलएल मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल्स लिमिटेड				0.00	3.15	0.01	2.42	5.66	0.89
399	इरकॉन दावंगरे हैवेरी हाईवे लिमिटेड				0.00	2.46	0.68	312.70	328.51	236.82

400	इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड				0.00	658.90	497.45	0.00	1394.81	1199.13
401	भारत-रूसी हेलीकॉप्टर लिमिटेड				0.00	9.82	9.55	0.00	9.04	9.05
402	महाराष्ट्र एंटी बायोटेक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड				0.00	4.27	-131.24	0.00	4.27	-131.24
403	महाराष्ट्र निष्पादक एवं ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड				1.44	15.54	14.24	1.64	15.57	14.78
404	एनबीसीसी एनवायरमेंट इंजीनियरिंग लिमिटेड				0.00	0.97	0.97	0.00	0.99	0.98
405	एनबीसीसी इंटरनेशनल लिमिटेड				0.00	0.96	0.96	0.00	0.99	0.98
406	एनईएसएल एसेट डेटा लिमिटेड				0.17	3.10	2.92	0.00	3.22	2.74
407	एनईएसएलई-इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड				0.60	1.76	1.02	0.66	1.57	1.02
408	रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड				9.64	59.08	50.42	23.06	61.59	54.02
409	शिगटॉग करचम वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड				0.00	2.12	0.01	0.00	2.26	0.01
410	सूरत एकीकृत परिवहन विकास				0.00	0.00	-0.41	0.00	6.93	6.88
411	पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड				0.00	15.25	0.04	0.00	226.37	202.23
412	दिल्ली मेट्रो लास्टमाइल सर्विसेज लिमिटेड							0.00	0.01	0.00
413	आईरेलआईडी कोल लिमिटेड							0.00	0.23	0.22
414	एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड							0.09	0.13	0.05

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

415	स्मेरा ग्रेडिंग्स एंड रेटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड							0.04	0.42	0.44
416	मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड							0.00	0.26	-1.46
417	वापी-2 उत्तर लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड							0.00	1.87	0.01
418	स्टॉक होल्डिंग सिक्योरिटीज आईएफएससी लिमिटेड							0.00	14.82	14.57
419	छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड							0.00	0.11	0.00
420	बड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड							0.25	0.16	0.09
421	भिंडगुना ट्रांसमिशन लिमिटेड							0.00	0.17	-0.71
422	जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड							0.00	6.37	4.65
423	एचपीआईएल गैस प्राइवेट लिमिटेड							0.00	17.29	9.54
424	डिफेन्स इनोवेशन आर्गेनाइजेशन							0.00	35.25	35.24
425	उडुपी कासरगोडे ट्रांसमिशन लिमिटेड							0.00	0.08	-0.18
426	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड							0.00	0.27	-1.50
427	चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड							0.00	0.30	-1.70
428	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड							0.00	0.30	-1.66
429	इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड							0.00	21.34	12.88
430	बीएसएनएल टावर कारपोरेशन लिमिटेड							0.00	0.00	-2.77
431	बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड							47.33	76.37	64.52
432	भारत गैस रिसोर्सज लिमिटेड							0.00	163.90	158.22

433	एनएमडीसी सीएसआर फाउंडेशन लिमिटेड							0.00	11.88	11.84
434	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड							1.01	6.44	6.05
	कुल	1730091.66	4094142.64	2692555.38	1928654.28	4606134.87	2935623.71	2167133.48	5154666.70	3340950.91

परिशिष्ट-IX
(जैसा कि पैरा नंबर 1.4.2 में संदर्भित किया गया है)
सीपीएसई की नियोजित पूंजी पर रिटर्न

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	सीपीएसई	2016-17			2017-18			2018-19		
		ईबीआईटी	नियोजित पूंजी	आरओसीई (% में)	ईबीआईटी	नियोजित पूंजी	आरओसीई (% में)	ईबीआईटी	नियोजित पूंजी	आरओसीई (% में)
1	भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण	4655.98	15095.16	30.84	4461.09	14964.05	29.81	3690.49	14513.5	25.43
2	एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड	-0.29	24.77	-1.17	234	25	936	60.89	105.43	57.75
3	एग्रिन इनोवेटिव इंडिया लिमिटेड	3.22	62.92	5.12	2.21	64.5	3.43	2.7	66.42	4.07
4	एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड	-145.53	-1343.6	10.83	-125.67	-1696.03	7.41	-147.84	-1977.71	7.48
5	एयर इंडिया एयरट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	61.67	138.42	44.55	114	205.53	55.47	130.78	348.94	37.48
6	एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड	590.55	-145.96	-404.6	547.14	-426.96	-128.15	460.92	-645.74	-71.38
7	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी लिमिटेड	-486.98	-475.47	102.42	-334.58	-1778.2	18.82	-35.37	-1983.15	1.78
8	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम लिमिटेड	55.74	89.66	62.17	50.79	97.33	52.18	75.3	102.85	73.21
9	अंडमान फिशरीज लिमिटेड	-0.01	-1.92	0.52	-0.05	-1.98	2.53	-0.03	-2	1.5
10	अंडमान और निकोबार द्वीप वन एवं बागान विकास निगम लिमिटेड	-24.95	7.23	-345.09	0	23.25	0	0	23.25	0
11	एंड्रयूल एंड कंपनी लिमिटेड	40.19	137.83	29.16	32.21	129.29	24.91	16.66	186.66	8.93
12	अंडमान निकोबार द्वीप समूह इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	39.4	102.79	38.33	31.17	140.54	22.18	31.17	140.54	22.18
13	एंट्रेस कॉरपोरेशन लिमिटेड	333.94	1592.82	20.97	318.58	-755.23	-42.18	318.58	-755.23	-42.18
14	अनुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड	0	0.02	0	0	0.02	0	0	0.02	0

15	अपोलो डिजाइन अपैरल पार्क लिमिटेड	11.05	78.87	14.01	12.87	78.87	16.32	12.79	78.87	16.22
16	आंध्र प्रदेश सोलर पावर कारपोरेशन लिमिटेड	0.35	737.79	0.05	45.89	13.15	348.97	78.75	0.1	78750
17	पांडिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.41	0.21	195.24	0.06	0.45	13.33	0.2	0.63	31.75
18	पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड	0	2.33	0	-0.02	2.14	-0.93	-0.01	2.09	-0.48
19	रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-1.92	-4.83	39.75	-1.74	-6.99	24.89	-2.03	-9.63	21.08
20	उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-0.62	-19.63	3.16	-0.14	-20.4	0.69	-0.14	-24.91	0.56
21	अंगुल सुकिंदा रेलवे लिमिटेड	29.54	667.73	4.42	16.82	679.57	2.48	4.66	962.18	0.48
22	औरंगाबाद टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क लिमिटेड	0.81	16.76	4.83	-0.67	15.57	-4.3	-0.77	14.82	-5.2
23	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	258.65	507.17	51	265.34	508.73	52.16	290.14	1128.33	25.71
24	बस्टर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	-0.09	3.51	-2.56	-2.41	1.01	-238.61	1.77	292.87	0.6
25	ब्रेथवेट बर्न एंड जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	28.04	145.28	19.3	5.7	235.15	2.42	2.25	141.76	1.59
26	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड	28.54	68.47	41.68	4.5	69.47	6.48	4.81	68.46	7.03
27	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	-56.7	5127.48	-1.11	-1935.41	4003.99	-48.34	757.71	4601.75	16.47
28	ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर लिमिटेड	-180.21	3401.45	-5.3	147.65	3273.19	4.51	274.25	3298.3	8.31
29	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	806.49	2005.17	40.22	777.1	1784.64	43.54	675.6	2014.64	33.53
30	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	4.01	10.06	39.86	-1.78	5.6	-31.79	9.66	36.06	26.79
31	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	2041.2	3076.77	66.34	1949.11	3182.46	61.25	2715.4	3504.54	77.48
32	बीईएल ऑप्टोनिक्स डिवाइसेज लिमिटेड	15.42	343.05	4.49	17.65	197.79	8.92	22.75	210.71	10.8
33	बेल-थेल्स सिस्टम्स लिमिटेड	-0.82	52.7	-1.56	-2.48	50.11	-4.95	1.04	51.16	2.03
34	बीईएमएल लिमिटेड	130.97	2492.08	5.26	103.82	2445.94	4.24	170.05	2439.93	6.97
35	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	19.58	182.73	10.72	19.11	196.16	9.74	27.71	211.93	13.08
36	भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड	-3.45	-1551.8	0.22	-8.78	-1657.85	0.53	-3.78	-1756.24	0.22

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

37	बल्लभगढ़-जीएन ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.05	0		-0.01	-0.01	100	0.01	0	
38	भारतीय नाभिकिय विद्युत निगम लिमिटेड	0.14	5721.51	0	-0.38	5763.46	-0.01	0.07	5768.04	0
39	भारत पंपस एंड कंप्रेसर लिमिटेड	-63.84	0.23	-27756.52	-19.91	-53.71	37.07	-19.91	-53.71	37.07
40	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	978.15	32383.99	3.02	1922.87	32931.6	5.84	2225.61	31495.31	7.07
41	भेल इलेक्ट्रिकल मशीन लिमिटेड	-4.45	-2.23	199.55	-6.85	-8.28	82.73	-5.91	-13.73	43.04
42	भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	12.89	41.85	30.8	-7.23	31.81	-22.73	-7.37	18.17	-40.56
43	बिहार ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	-0.71	-43.91	1.62	-0.71	-43.91	1.62	-0.71	-43.91	1.62
44	बीको लॉरी लिमिटेड	-10.14	-40.43	25.08	-10.14	-40.43	25.08	-10.14	-40.43	25.08
45	बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड	0	0.05	0	0	0.05	0	0	0.06	0
46	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	0	0.05	0	0	0.05	0	0	47.36	0
47	जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद	0.92	279.54	0.33	1.52	87.48	1.74	1.54	92.6	1.66
48	बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	-0.55	-95.72	0.57	0.39	-100.35	-0.39	0.39	-100.35	-0.39
49	बाल्मर लॉरी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड	40.88	53.13	76.94	55.46	85.89	64.57	78.19	85.89	91.04
50	बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-391.41	13197.86	-2.97	-239.25	18070.2	-1.32	-384.85	19901.43	-1.93
51	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	11538.66	42660.59	27.05	12031.26	41490.32	29	11758.58	62256.23	18.89
52	बीपीसीएल- किलपयूल फार्म प्राइवेट लिमिटेड	-0.83	6.08	-13.65	-0.8	9.7	-8.25	-0.65	16.22	-4.01
53	भारत पेट्रो रिसोर्सज जेपीडीए लिमिटेड	-0.86	-22.73	3.78	-0.33	-183.88	0.18	-2.4	-188.69	1.27
54	भारत पेट्रो रिसोर्सज लिमिटेड	-135.93	3625.94	-3.75	-18.15	4909.16	-0.37	16.09	3937.32	0.41
55	भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड	39.08	6307.46	0.62	273.91	7150.76	3.83	-28.17	7659.37	-0.37
56	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	38.3	307.23	12.47	54.7	321.8	17	87.24	362.18	24.09
57	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	-15.64	-7.65	204.44	7.3	-13.89	-52.56	12.28	74.11	16.57
58	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड	-22.9	659.34	-3.47	-15.37	659.34	-2.33	-15.37	659.34	-2.33
59	भारत संचार निगम लिमिटेड	-4639.25	108300.81	-4.28	-8698.82	67638.59	-12.86	-14122.58	71145.19	-19.85
60	बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड	-0.12	0.53	-22.64	-0.15	3.46	-4.34	-0.01	4	-0.25

61	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड	7.59	673.26	1.13	-0.54	652.08	-0.08	-63.13	588.92	-10.72
62	भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड	-14.34	6.5	-220.62	-80.15	-73.64	108.84	-1.42	44.93	-3.16
63	क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	21.67	228.86	9.47	30.66	208.46	14.71	31.3	195.66	16
64	सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड	2445.48	4169	58.66	1515.61	3008.48	50.38	2767.45	3093.7	89.45
65	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1184.27	1226.03	96.59	1392.74	1330.94	104.64	1689.62	1452.48	116.33
66	सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड	15.7	71.06	22.09	17.97	75.15	23.91	13.21	76.74	17.21
67	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	27.35	76.79	35.62	20.34	87.44	23.26	7.16	76.68	9.34
68	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	44.58	176.66	25.23	20.6	180.1	11.44	6.35	179.75	3.53
69	चेयुर इंफ्रा लिमिटेड	0	0.05	0	0	0.05	0	0	0.08	0
70	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	-0.15	494.75	-0.03	-0.16	1144.29	-0.01	-0.15	1689.57	-0.01
71	छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	-0.07	670.91	-0.01	-0.15	557.62	-0.03	-0.12	615.93	-0.02
72	चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	-0.15	19.09	-0.79	-15.13	18.78	-80.56	-15.13	18.78	-80.56
73	सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड	17.62	-59.78	-29.47	17.62	-59.78	-29.47	17.62	-59.78	-29.47
74	तटीय कर्नाटक पावर लिमिटेड	0	1.68	0	0	1.7	0	0	1.7	0
75	क्रिएटिव संग्रहालय डिजाइनर	3.5	6.75	51.85	4.25	10.15	41.87	2.46	11.43	21.52
76	तटीय महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	0	40.05	0	0	40.05	0	0	40.05	0
77	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड	65.84	529.48	12.43	121.07	366.94	32.99	263.96	69.65	378.98
78	चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड	-71.33	15320.7	-0.47	-185.88	16574.52	-1.12	-338.86	16989.98	-1.99
79	छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	0	0.04	0	-0.01	0.03	-33.33	-0.01	0.02	-50
80	कोल इंडिया लिमिटेड	14375.44	11450.33	125.55	9056.97	11458.59	79.04	10580.46	11469.22	92.25
81	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	504.54	430.77	117.13	616.27	3378.87	18.24	765.68	3455.08	22.16
82	कॉनकोर एयर लिमिटेड	22.63	36.65	61.75	0.29	66.2	0.44	4.69	53.49	8.77

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

83	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड	0.18	18.74	0.96	-9.46	8.03	-117.81	-5.39	-1.5	359.33
84	कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	277.99	52.99	524.61	0	52.99	0	358.02	52.99	675.64
85	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1632.14	6627.85	24.63	1779.1	5611.79	31.7	121.74	6021.7	2.02
86	सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ़ सेक्युरिटाइज़ेशन एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरैस्ट ऑफ़ इंडिया	54.53	432.8	12.6	71.64	49	146.2	99.94	49	203.96
87	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	0	0.05	0	0	0.05	0	0	0.05	0
88	तटीय तमिलनाडु पावर लिमिटेड	0	0.05	0	0	0.05	0	0	153.06	0
89	सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन	265.77	2336.05	11.38	56.96	2529.03	2.25	226.46	2497.74	9.07
90	एचएमटी चिनार घड़ियां लिमिटेड	0.91	-1179.97	-0.08	0.01	-589.14	0	0.01	-589.14	0
91	देवघर इंफ्रा लिमिटेड	0	0.05	0	0	0.05	0	0	0.29	0
92	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन लिमिटेड	42.87	14603.73	0.29	29.57	21100.9	0.14	42.02	26577.85	0.16
93	देवघर मेगापावर लिमिटेड	0	13.05	0	0	0.05	0	0	19.74	0
94	दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड	-127.43	61326.27	-0.21	119.37	65895.88	0.18	-450.85	69639.11	-0.65
95	डीएनएच विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	-58.8	450.16	-13.06	-2.62	440.15	-0.6	20.14	401.46	5.02
96	दादर और नगर हैवली, दमन और दीव एससी/एसटी फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	-0.07	6.32	-1.11	-0.03	6.52	-0.46	0.83	6.66	12.46
97	दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड	0.02	5	0.4	0.64	11.17	5.73	0.76	11.73	6.48
98	ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	30.36	2220.86	1.37	41.5	2216.51	1.87	64.56	2101.68	3.07
99	दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड	0	0.05	0	0	0.05	0	0.49	-0.49	-100
100	दामोदर घाटी निगम	2259.01	31294.02	7.22	2035.09	34354.98	5.92	1652.66	34005.34	4.86
101	ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड	157.86	4438.93	3.56	-1312.35	1174.84	-111.7	1545.29	4637	33.33
102	ईसीजीसी लिमिटेड	407.75	8938.83	4.56	129.29	9561.69	1.35	313.2	10782.95	2.9
103	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	111.3	185.34	60.05	89.33	875.11	10.21	389.77	185.27	210.38
104	एडसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड	47.29	22.53	209.9	54.91	26.1	210.38	43.79	29.1	150.48

105	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	503.35	2775.96	18.13	568.67	2267.87	25.08	568.74	2275.85	24.99
106	ईस्टर्न निवेश लिमिटेड	1.17	255.99	0.46	0.67	256.1	0.26	0.1	256.1	0.04
107	एननोर पोर्ट लिमिटेड	557.91	1080.73	51.62	487.35	1295.69	37.61	446.99	1308.02	34.17
108	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड	10.26	56.59	18.13	6.57	56.59	11.61	-24.61	56.59	-43.49
109	ईपीआई अर्बन इंफ्राडेवलपर्स लिमिटेड	-0.01	0.09	-11.11	-0.01	0.09	-11.11	-0.01	0.09	-11.11
110	फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	118.16	275.25	42.93	190.9	186.52	102.35	443.67	399.16	111.15
111	फैक्ट आरसीएफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड	-12.13	-7.56	160.45	0.79	-71.53	-1.1	7.61	-136.7	-5.57
112	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड	55.26	186.06	29.7	42	197.31	21.29	29.88	203.32	14.7
113	फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	35.11	288.28	12.18	147.25	-4.08	-3609.07	183.18	544.43	33.65
114	फ्रेश एंड हेल्दी एंटरप्राइजेज लिमिटेड	-11.01	-7.25	151.86	-7.66	-17.69	43.3	-22.95	7.08	-324.15
115	भारतीय खाद्य निगम	6898.52	15819.23	43.61	8906.61	15835.21	56.25	8906.61	15835.21	56.25
116	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड	36.95	186.27	19.84	13.11	186.27	7.04	41.96	200.27	20.95
117	पावरग्रिड पराली ट्रांसमिशन लिमिटेड	0	445.49	0	0	1476.69	0	193.11	1611.18	11.99
118	पावरग्रिड त्रौरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	3.28	701.84	0.47	51.36	1834.55	2.8	185.1	1949.77	9.49
119	गेल (इंडिया) लिमिटेड	5890.18	15470.04	38.07	7233.48	36684.98	19.72	9223.36	12869.71	71.67
120	गेल गैस लिमिटेड	116.88	950.87	12.29	139.98	1377.66	10.16	127.76	1575.2	8.11
121	गोवा एंटी बायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	13.23	3.59	368.52	2.61	11.15	23.41	49.67	13.23	375.43
122	जनरल इंशोरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया	3623.86	57462.32	6.31	3668.26	103103.07	3.56	3433.82	112286.7	3.06
123	घोगरपल्ली इंटेग्रेट पावर कंपनी लिमिटेड	0	15.62	0	0	15.63	0	0	0.05	0
124	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	179.25	808.53	22.17	331.33	759.5	43.62	214.17	759.5	28.2
125	गोल्डमोहूर डिज़ाइन एंड अपैरल पार्क लिमिटेड	9.86	78.07	12.63	12.57	78.07	16.1	11.62	78.07	14.88
126	गार्डन रीचशिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	23.89	1069.06	2.23	135.44	929.13	14.58	184.07	1015.16	18.13
127	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	3592.8	12536.63	28.66	3328.01	11552.2	28.81	3797.24	9696.56	39.16

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

128	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड	212.84	-367.72	-57.88	235.13	-892.24	-26.35	-42.13	-700.23	6.02
129	हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड	2945.17	-902.78	-326.23	-9.37	-366.53	2.56	51.85	-257.93	-20.1
130	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	99.23	1247.92	7.95	148.09	433.03	34.2	268.82	873.27	30.78
131	हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड	-49.82	-216.64	23	535.78	220.74	242.72	-65.95	106.01	-62.21
132	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड	-1.63	-61.83	2.64	2.19	-92.32	-2.37	-1.64	-106.01	1.55
133	हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	39.83	191.11	20.84	-22.59	291.68	-7.74	-22.59	291.68	-7.74
134	हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड	18.02	97.34	18.51	20.87	93.52	22.32	23.15	91.33	25.35
135	हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	2.45	41.3	5.93	33	-571.39	-5.78	80.38	127.81	62.89
136	हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड	-3.74	49.29	-7.59	-15.96	92.71	-17.21	2.17	67.78	3.2
137	एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड	-10.31	652.73	-1.58	-35.26	659.33	-5.35	48.92	630.23	7.76
138	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड	-4.81	243.5	-1.98	-26.25	446.94	-5.87	-41.82	451.95	-9.25
139	एचएलएल मेडि पार्क	-0.17	-0.07	242.86	-0.74	3.15	-23.49	-1.06	5.32	-19.92
140	हसन मंगलौर रेल विकास कंपनी लिमिटेड	24.09	491.97	4.9	-72.96	210.34	-34.69	33.58	206.39	16.27
141	एचएमटी लिमिटेड	-37.37	-461.51	8.1	0.07	542.47	0.01	17.22	103.94	16.57
142	एचएमटी (बीयरिंग) लिमिटेड	-3.66	-122.36	2.99	-1.38	-123.63	1.12	105.36	-126.49	-83.3
143	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड	0.26	31.07	0.84	0.01	32.6	0.03	2.08	32.28	6.44
144	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	-73.64	-2383.11	3.09	-70.51	-1154.76	6.11	4.8	-2880.56	-0.17
145	एचएमटी वॉच लिमिटेड	-201.83	-5595.67	3.61	-7.62	-5609.35	0.14	154.85	-5380.46	-2.88
146	हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड	-62.02	103.3	-60.04	-89.96	2.41	-3732.78	-110.64	-122.36	90.42
147	हरिद्वार नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड	-0.99	14.31	-6.92	-0.09	47.53	-0.19	-1.78	71.53	-2.49
148	हॉकचेमटर लिमिटेड	0	0.05	0	0	0		0	0	
149	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	-157.16	1754.75	-8.96	-124.57	1815.83	-6.86	136.54	1688.63	8.09
150	हूगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड	74.62	-94.51	-78.95	29.58	-92.63	-31.93	2.35	-250.93	-0.94
151	हूगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड	1.03	4.08	25.25	-2.9	-2.07	140.1	-1.65	-5.75	28.7

152	होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-40.8	-166.53	24.5	-34.07	-277.03	12.3	-41.51	-367.44	11.3
153	हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड	-427.51	-727.88	58.73	-427.51	-727.88	58.73	-427.51	-727.88	58.73
154	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	9556.49	26625.56	35.89	9768.64	32779	29.8	10064.6	39492.04	25.49
155	एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड	31.79	506.84	6.27	-20.87	393.67	-5.3	-10.43	296.99	-3.51
156	एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड	-0.01	-1.97	0.51	-19.36	243.29	-7.96	7.4	1190.88	0.62
157	हिंदुस्तान फोटोफिल्म्स (मैन्युफैक्चरिंग) कंपनी लिमिटेड	-52.1	-20070.41	0.26	-41.09	-23472.77	0.18	-1.94	-23474.71	0.01
158	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड	-0.01	1	-1	-0.03	0.89	-3.37	-0.15	0.84	-17.86
159	हरिदासपुर परदीप रेलवे कंपनी लिमिटेड	-0.02	946.78	0	0.16	1262.51	0.01	0.18	1808.78	0.01
160	हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड	9.13	30.21	30.22	3.1	32.04	9.68	3.03	34.18	8.86
161	हिमाचल रिन्यूएबल्स लिमिटेड	0	0.5	0	-0.02	0.5	-4	-0.08	2.38	-3.36
162	हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड	4.28	46.86	9.13	5.42	50.58	10.72	1.26	50.99	2.47
163	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड	147.04	34.88	421.56	0	1.8	0	79.49	88.89	89.43
164	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	68.77	-178.2	-38.59	36.72	62.96	58.32	49.22	-1067.38	-4.61
165	हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.18	-0.01	-1800	0.08	-0.02	-400	0.05	0.06	83.33
166	हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	-7.43	284.08	-2.62	62.84	271.17	23.17	35.54	301.37	11.79
167	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	3148	34108.78	9.23	3358.18	38459.57	8.73	4936.49	67465.25	7.32
168	हिंदुस्तान उर्वरक एंड राययान लिमिटेड	-4.82	10.28	-46.89	1.59	996.11	0.16	18.93	2033.85	0.93
169	हिंदुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	-33.59	-428.96	7.83	464.16	-90.49	-512.94	110.43	11.72	942.24
170	अंतर्देशीय तटीय शिपिंग लिमिटेड	-0.09	-0.04	225	0	-0.14	0	0	-0.05	0
171	आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड	35.99	440.72	8.17	-9.65	346.95	-2.78	31.16	326.61	9.54
172	आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	0	70.37	0	1.3	71.42	1.82	0.56	71.72	0.78
173	आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड	34.65	576.83	6.01	10.25	594.03	1.73	10.25	495.23	2.07

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

174	आईएफसीआई लिमिटेड	1510.3	28239.64	5.35	570.18	25361.13	2.25	1064.85	20578.01	5.17
175	आईएफसीआई वैचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड	82.44	514.18	16.03	56.63	424.74	13.33	7.4	286.23	2.59
176	आईफिन क्रेडिट लिमिटेड	-0.12	1.44	-8.33	-0.01	1.41	-0.71	-0.02	1.39	-1.44
177	आईफिन कमोडिटीज लिमिटेड	-0.11	5.31	-2.07	-0.27	5.05	-5.35	0.48	5.42	8.86
178	आईफिन सिक््योरिटीज फाइनेंस लिमिटेड	4.53	33.47	13.53	1.07	34	3.15	-3.8	30.44	-12.48
179	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	861.9	443.5	194.34	1034.18	443.5	233.19	1202.06	443.5	271.04
180	आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	1.68	12.5	13.44	4.25	12.5	34	4.48	12.5	35.84
181	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	2.31	4.77	48.43	3.21	4.78	67.15	3.12	5.64	55.32
182	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	2618.67	36496.77	7.18	1153.77	36739.85	3.14	2750.51	6546.11	42.02
183	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	4.7	61.49	7.64	10.98	69.15	15.88	10.98	69.15	15.88
184	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	-72.02	-543.68	13.25	-12.52	-1255.62	1	-12.52	-1255.62	1
185	इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड	0	-0.09	0	-0.02	-0.11	18.18	-0.01	-0.14	7.14
186	इंडियन उत्प्रेरक प्राइवेट लिमिटेड	-0.01	6.47	-0.15	-0.01	6.46	-0.15	-0.01	6.45	-0.16
187	अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ऑफ इंडिया	-146.48	1244.53	-11.77	-197.92	1999.55	-9.9	-98.36	2576.11	-3.82
188	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड	29766.67	124475.46	23.91	36012.72	131626.49	27.36	29437.95	146422.68	20.1
189	इंडिया पोस्टपेमेंट बैंकलिमिटेड	3.3	299.31	1.1	-0.82	799.31	-0.1	-222.13	613.01	-36.24
190	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	23.44	133.04	17.62	13.93	133.17	10.46	17.24	142.38	12.11
191	इरकॉन शिवपुरी गुना लिमिटेड	0.61	311.31	0.2	0.02	674.35	0	12.97	603.94	2.15
192	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड	331.01	424.92	77.9	344.39	459.92	74.88	475.93	1067.02	44.6
193	इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड	1275.36	15140.75	8.42	1585.97	16931.3	9.37	1395.85	21291.68	6.56
194	इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड	42.09	168.37	25	124.81	168.37	74.13	197.56	168.37	117.34
195	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	543.66	3828.02	14.2	533.31	6955.03	7.67	619.61	5992.69	10.34

196	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	9021.35	108719.87	8.3	10902.06	128419.34	8.49	11084.65	187112.31	5.92
197	इरकॉन पीबी टोल वे लिमिटेड	1.79	248.1	0.72	17.88	405.85	4.41	22.39	474.7	4.72
198	इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-3.53	40.04	-8.82	0.34	60	0.57	13.81	77.29	17.87
199	इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड	-45.85	3468.5	-1.32	-59.97	3519.62	-1.7	-67.17	3542.66	-1.9
200	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	45.42	330.44	13.75	28.36	330.44	8.58	60.55	355.58	17.03
201	आईटीआई लिमिटेड	457.5	1782.25	25.67	388.54	6565.41	5.92	217.33	6551.94	3.32
202	भारत व्यापार संवर्धन संगठन	168.99	63.34	266.8	134.62	1829.64	7.36	73.35	1961.3	3.74
203	इंडिया यूनाइटेड टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड	12.4	140.78	8.81	12.29	140.86	8.72	12.95	140.86	9.19
204	इंडियन वैक्सीन कंपनी लिमिटेड	-0.18	2.88	-6.25	-1.53	1.15	-133.04	-0.48	-0.86	55.81
205	जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड	0	0.05	0	0	0.05	0	0	0.05	0
206	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	-0.37	32.67	-1.13	-0.03	49.33	-0.06	1.78	55	3.24
207	झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड	0	0.05	0	0	0.08	0	0	0.06	0
208	जम्मू-कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड	9.66	80.43	12.01	8.66	80.41	10.77	8.76	80.42	10.89
209	जम्मू-कश्मीर खनिज विकास निगम लिमिटेड	-0.85	13.21	-6.43	1.41	14.62	9.64	-0.74	13.88	-5.33
210	झारखंड कोल्हान स्टील लिमिटेड	-0.01	0		-0.03	-0.03	100	-0.04	-0.03	133.33
211	झारखंड नेशनल मिनेरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-0.01	-0.04	25	-0.01	-0.05	20	-0.01	-0.06	16.67
212	जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	12.89	107.73	11.97	28.95	113.61	25.48	21.62	124.9	17.31
213	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	47.27	151.49	31.2	24.01	173.27	13.86	27.17	184.82	14.7
214	कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड	-2.82	3941.12	-0.07	50.23	3607.61	1.39	376.73	3559.44	10.58
215	कुमारकुपपा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	11.55	23.04	50.13	12.7	23.04	55.12	14.65	23.04	63.59
216	केरल गैस लिमिटेड	1.54	23.86	6.45	1.66	23.86	6.96	0.65	0.01	6500
217	केओसीएल लिमिटेड	31.22	2101.38	1.49	86.08	2084.78	4.13	184.92	1993.96	9.27
218	कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	28.87	3105.59	0.93	16.1	3907.47	0.41	-34.97	4779.36	-0.73

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

219	कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड	-8.61	3386.94	-0.25	-123.8	5177.23	-2.39	-206.12	5870.18	-3.51
220	कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड	215.51	3245.5	6.64	256.83	284.79	90.18	236.4	4007.17	5.9
221	कर्नाटक व्यापार संवर्धन संगठन	53.16	32.35	164.33	19.95	112.47	17.74	6.99	130.39	5.36
222	कर्नाटक विजयनगर स्टील लिमिटेड	-0.01	-0.01	100	-0.01	-0.02	50	-0.12	-0.05	240
223	लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड	41.73	188.01	22.2	40.55	223.46	18.15	42.85	259.14	16.54
224	लोकटक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड	1.63	135.33	1.2	0.88	136.44	0.64	0.52	137.08	0.38
225	एमओआईएल लिमिटेड	455.34	2704.64	16.84	624.48	2712.3	23.02	700.19	2982.3	23.48
226	महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	-0.01	18.84	-0.05	-0.01	-1.73	0.58	-0.03	-11.83	0.25
227	महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड	6912.27	2474.52	279.34	7412.92	2712.95	273.24	9325.27	2659.14	350.69
228	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	0	0.05	0	-0.01	0.02	-50	-0.01	0.02	-50
229	मझगांव डॉक लिमिटेड	851.62	2766.78	30.78	700.22	1982.6	35.32	830.78	2286.49	36.33
230	मेकॉन लिमिटेड	-86.58	201.81	-42.9	45.65	201.66	22.64	11.4	202.37	5.63
231	मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड	-0.09	6650.15	0	-0.19	7865.22	0	-0.12	9355.95	0
232	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	50.69	-407.06	-12.45	13.43	-336.51	-3.99	16.79	-443.1	-3.79
233	मिश्रा धातु निगम लिमिटेड	191.03	692.43	27.59	205.34	781.15	26.29	197.41	831.29	23.75
234	मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड	0.47	2.95	15.93	0.71	2.95	24.07	0.87	5.74	15.16
235	मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड	161.3	131.71	122.47	144.2	119.55	120.62	151.44	119.55	126.68
236	एमजेएसजे कोल लिमिटेड	0	93.07	0	0	93.07	0	0	94.09	0
237	पावरग्रिड मेदिनीपुर जिरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	0	0.01	0	0	252.58	0	0	1269.78	0
238	डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन	0	28.61	0	0	34.77	0	0	34.77	0
239	मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4.83	1884.07	0.26	-0.99	4149.59	-0.02	8.25	8681.95	0.1
240	एमएमटीसी लिमिटेड	102.5	716.98	14.3	75.73	727.79	10.41	183.86	1407.82	13.06
241	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड	134.97	505.8	26.68	188.06	498.02	37.76	235.65	598.15	39.4
242	एमएनएच शक्ति लिमिटेड	0	84.06	0	0	84.06	0	0	84.58	0

243	मोहिंदरगढ़-भिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.05	0		-0.01	-0.01	100	0.77	0	
244	मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड	23.38	236.04	9.91	1.62	228.97	0.71	35.87	210.38	17.05
245	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड	6043.56	7048.94	85.74	3794.48	3733.42	101.64	1047.99	5455.22	19.21
246	एमएसटीसी लिमिटेड	163.6	209.4	78.13	178.88	562.76	31.79	-212.27	209.02	-101.55
247	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	-1496.99	-352.13	425.12	-1467.54	-3012.01	48.72	-1687.02	-5237.54	32.21
248	एयर इंडिया लिमिटेड	-1529.3	-19914.51	7.68	-884.08	-24563.24	3.6	-884.08	-24563.24	3.6
249	राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र	0.03	3.9	0.77	-0.26	2.94	-8.84	-1.35	1.87	-72.19
250	नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड	-8.18	23.2	-35.26	-8.18	23.2	-35.26	-8.18	23.2	-35.26
251	नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड	-1.74	28.26	-6.16	-10.63	17.63	-60.29	-14.02	11.24	-124.73
252	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	967.41	9944.96	9.73	2040.78	9994.99	20.42	2742.3	9487.41	28.9
253	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	50.23	4729.2	1.06	-2107.78	4927.37	-42.78	-1621.55	1067.69	-151.87
254	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	488.37	564.67	86.49	502.83	556.43	90.37	559.07	541.24	103.29
255	एनबीसीसी इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	-0.25	0.75	-33.33	-2.64	-1.34	197.01	-1.97	-5.21	37.81
256	एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड	10.6	2	530	11.22	7.8	143.85	11.44	14.76	77.51
257	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	25.67	1553.93	1.65	20.07	1664	1.21	27.84	1763.53	1.58
258	नेशनल बाईसाइकिल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-0.41	4.71	-8.7	-0.68	3.93	-17.3	0.5	4.33	11.55
259	नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड	3201.03	2794.75	114.54	4162.87	2734.37	152.24	6683.82	2512.85	265.99
260	नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	0.66	11.61	5.68	0.34	11.89	2.86	1.97	13.3	14.81
261	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड	5.96	100	5.96	3.7	111.95	3.31	3.81	214.36	1.78
262	नेड्डी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	0	0.05	0	0.04	0.05	80	0.02	0.08	25
263	नेड्डी वेंचर कैपिटल लिमिटेड	0	0.05	0	1.09	0.05	2180	0.87	0.83	104.82

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

264	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड	404.65	11570.85	3.5	484.14	12553.67	3.86	608.62	12820.65	4.75
265	नेशनलई-गवर्नस सर्विसेज लिमिटेड	-1.62	41.22	-3.93	-3.13	70.5	-4.44	-3.71	67.68	-5.48
266	नॉर्थ ईस्टर्न हेंडीक्राफ्ट एंड हेंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	-3	7.48	-40.11	0.6	10.01	5.99	-5.38	-4.85	110.93
267	नेपा लिमिटेड	-43.07	-14.79	291.21	56.77	-1.89	-3003.7	-50.76	-40.56	125.15
268	न्यू सिटी ऑफ बॉम्बे मैन्युफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड	6.67	66.31	10.06	-0.42	66.35	-0.63	-1.33	66.35	-2
269	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1163.86	35641.71	3.27	2725.06	38300.55	7.11	644.87	38022.24	1.7
270	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	2296.45	15117.5	15.19	2845.64	18686.77	15.23	2525.96	21891.84	11.54
271	नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड	0	900.4	0	0	902.4	0	-0.28	4889.11	-0.01
272	नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	0.63	22.55	2.79	21.44	36.68	58.45	0.25	36.22	0.69
273	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	513.81	5820.45	8.83	524.72	5135.59	10.22	779.73	5359.54	14.55
274	नेशनल फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	0.03	1	3	0.01	1	1	0.03	1.14	2.63
275	नेशनल हेंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	46.54	101.03	46.07	35.38	116.02	30.49	35.38	116.02	30.49
276	एनएचडीसी लिमिटेड	1259.27	2264.65	55.61	741.9	2247.28	33.01	686.05	5287.46	12.98
277	राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम	1.09	410.14	0.27	1.94	444.82	0.44	5.7	459.8	1.24
278	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड	21.28	99.88	21.31	59.44	100.88	58.92	76.36	143.29	53.29
279	एनएचपीसी लिमिटेड	4555.49	38760.91	11.75	4453.94	38009.44	11.72	4627.25	41369.82	11.19
280	नेशनल हाईस्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड एमजेएसजे कोल लिमिटेड	9.27	500	1.85	29.56	660.76	4.47	62.95	3078.38	2.04
281	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	-278.57	228634.88	-0.12	-392.18	300135.7 2	-0.13	-471.64	386116.98	-0.12

282	नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर सर्वसेस इंक	107.02	543.37	19.7	50.65	607.78	8.33	-97.87	586.61	-16.68
283	राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा ट्रस्टी फंड	-1.74	-5.18	33.59	-1.74	-5.18	33.59	-1.74	-5.18	33.59
284	एसजेवीएन लिमिटेड	1915.67	13713.3	13.97	1720.25	11505.17	14.95	2027.87	6077.21	33.37
285	नेशनल जूट मैनुफैक्चरर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	5.23	-91.17	-5.74	9.52	211.2	4.51	1.78	13.21	13.47
286	एनएमडीसी लिमिटेड	4313.94	22290.18	19.35	6216.32	23327.83	26.65	7238.83	25951.53	27.89
287	एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड	-0.06	68.52	-0.09	-0.34	185.43	-0.18	-1.56	190.07	-0.82
288	एनएमडीसी पावर लिमिटेड	-0.03	0.49	-6.12	-0.06	0.43	-13.95	0.02	0.45	4.44
289	एनएमडीसी-सेल लिमिटेड	-0.01	0.04	-25	0	0.04	0	-0.04	0	
290	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड	-0.01	-0.03	33.33	-0.01	-0.06	16.67	-0.01	-0.02	50
291	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	48.68	1922.53	2.53	54.33	2233.91	2.43	50.11	2459.91	2.04
292	नागपुर मेट्रो रेल निगम	-3.94	631.15	-0.62	-13.39	4845.58	-0.28	-6.63	7121.01	-0.09
293	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	-6.73	963.34	-0.7	-63.07	1012.45	-6.23	-34.01	1130.37	-3.01
294	एनपीसीआईएल इंडियन ऑयल न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड	0.09	1	9	0.09	1	9	0.08	1	8
295	एनपीसीआईएल-नालको पावर कंपनी लिमिटेड	0	0.06	0	0	0.01	0	-0.05	0.01	-500
296	पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	15923.42	157907.96	10.08	18081.23	174158.7	10.38	18037.23	190056.65	9.49
297	नबीनगर बिजली उत्पादन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	0	9624.75	0	-0.1	11138.01	0	-0.54	13162.16	0
298	नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1.34	4.42	30.32	0.62	4.42	14.03	0.1	9.44	1.06
299	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	3169.99	5515.1	57.48	3158.14	4441.79	71.1	3064.53	4279.18	71.61
300	पावरग्रिड काला अंब ट्रांसमिशन लिमिटेड	0	205.63	0	24.43	303.22	8.06	36.95	257.04	14.38

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

301	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	49.71	1645.87	3.02	49.51	1822.1	2.72	51.51	2013.34	2.56
302	नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	79.19	560.37	14.13	34.83	623.93	5.58	53.61	616.48	8.7
303	नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	362.55	612.51	59.19	285.46	638.23	44.73	220.08	617.88	35.62
304	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम	18.23	682.73	2.67	18.04	705.66	2.56	21.61	757.05	2.85
305	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	22.41	805.27	2.78	25.5	881.1	2.89	28.45	966.22	2.94
306	नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1099.88	6060.84	18.15	-247.25	5752.73	-4.3	-247.25	5752.73	-4.3
307	एनटीपीसी लिमिटेड	15781.72	191228.4	8.25	16876.71	207966.8	8.12	12492.79	227106.25	5.5
308	एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाय कंपनी लिमिटेड	-0.16	42.65	-0.38	0	9.29	0	0	42.47	0
309	एनटीपीसी विद्युत विवि निगम लिमिटेड	123.64	309.91	39.9	95.16	311.17	30.58	102.57	352.54	29.09
310	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	3760.73	54380.38	6.92	5427.96	60726.84	8.94	4453.75	68020.34	6.55
311	ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड	0	0.05	0	0	0.29	0	0	0.05	0
312	उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड	0	4.05	0	0	4.05	0	0	4.05	0
313	ऑयल इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड	8.88	115.89	7.66	7.11	120.64	5.89	8.59	126.81	6.77
314	ऑयल इंडिया लिमिटेड	2543.03	38038.02	6.69	4125.48	35274.97	11.7	4395.71	28654.18	15.34
315	उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	0.13	-0.08	-162.5	0	-0.08	0	0	174.06	0
316	दमन, दीव एंड दादर और नगर हैवली लिमिटेड कासर्वग्राहीऔद्योगिकविकासनिगम	22.6	34.43	65.64	32.18	35.94	89.54	33.14	37.6	88.14
317	ओएनजीसी-मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	-38.82	3781.37	-1.03	-3.66	2172.66	-0.17	645.33	-169.32	-381.13
318	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	26437.25	185538.38	14.25	30400.94	193384.68	15.72	42446.16	202992.56	20.91
319	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	3235.18	61975.82	5.22	2196.15	60048.27	3.66	5802.65	58809.42	9.87
320	ओएनजीसी पेट्रो एडिक्शन लिमिटेड	-424.78	22128.17	-1.92	-792.4	21705.31	-3.65	-330.72	24174.93	-1.37
321	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	-1989.26	1334.48	-149.07	1382.29	1646.8	83.94	-426.46	3156.69	-13.51

322	पवन हंस लिमिटेड	378.7	1009.95	37.5	29.67	602.96	4.92	-92	577.98	-15.92
323	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड	-9.94	29.84	-33.31	0.61	29.84	2.04	37.22	26.43	140.82
324	पीईसी लिमिटेड	-3	-1079.91	0.28	19.24	-2273.88	-0.85	19.24	-2273.88	-0.85
325	पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड	0	0.05	0	0	0.05	0	0	0.05	0
326	पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	21542.48	229754.39	9.38	25531.8	224368.82	11.38	28249.42	309253.33	9.13
327	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	88.55	0.05	177100	45.56	0.05	91120	31.65	0.15	21100
328	पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0	204.21	0	0	967.15	0	39.35	1472.87	2.67
329	पंजाब लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	0.11	230.77	0.05	-7.15	249.04	-2.87	-5.45	233.03	-2.34
330	प्राइज़ पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड	-14.95	125.24	-11.94	-1.57	3.87	-40.57	5.02	12.29	40.85
331	पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	-0.02	342.59	-0.01	0	1823.64	0	14.85	3221.48	0.46
332	पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड	38.16	248.32	15.37	73.75	262.2	28.13	62.31	398.91	15.62
333	पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	5.08	83.28	6.1	-3.87	1042.09	-0.37	-1.38	1767.31	-0.08
334	रेलटेल एंटरप्राइजेज लिमिटेड	1.88	9.94	18.91	4.51	10	45.1	5.2	13.54	38.4
335	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	19.2	109.48	17.54	7.82	110.92	7.05	15.44	116.32	13.27
336	राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड	342.71	2931.85	11.69	190.94	3252.56	5.87	391.1	3363.01	11.63
337	ग्रामीणविद्युतीकरणनिगमलिमिटेड	22635.82	174100.45	13	20681.61	188076.02	11	23681.5	225004.83	10.52
338	आरईसी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	60.67	39.94	151.9	57.66	180.07	32.02	41.01	39.94	102.68
339	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	50.15	13.3	377.07	47.38	13.3	356.24	32.51	13.3	244.44
340	रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान लिमिटेड	0.11	3.19	3.45	0.12	2.46	4.88	0.18	2.66	6.77
341	रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	40	167.25	23.92	46.76	163.5	28.6	53.85	186.16	28.93
342	रिचर्डसन और कूडास (1972) लिमिटेड	15.19	-289.09	-5.25	16.46	-430.94	-3.82	22.09	-678.93	-3.25
343	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	-925.19	13587.72	-6.81	-973.12	13766.12	-7.07	952.5	16642.5	5.72

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

344	राइट्स लिमिटेड	487.99	2033.65	24	490.76	2191.66	22.39	679.76	2383.83	28.52
345	रिन्यूएबल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड	0	1	0	0.89	1	89	0.58	2.18	26.61
346	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	32.89	94.53	34.79	30.09	173.81	17.31	18.21	190.68	9.55
347	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	194.5	1157.33	16.81	204.71	1249.39	16.38	178.65	1173.93	15.22
348	रेल विकास निगम लिमिटेड	484.79	5523.67	8.78	564.15	5681.63	9.93	810.29	6762.95	11.98
349	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	-2676.64	30526.43	-8.77	2063.81	41580.36	4.96	6492.81	42259.31	15.36
350	सेल- बंगाल अलॉय कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	-0.01	-0.02	50	-0.01	-0.02	50	-0.01	-0.03	33.33
351	सेल रिफ्रेक्टरी कंपनी लिमिटेड	32.65	51.43	63.48	21.73	52.85	41.12	31.2	55.03	56.7
352	सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्रीज लिमिटेड	-12.97	11.32	-114.58	3.27	7.17	45.61	17.86	70.27	25.42
353	सांभर साल्ट लिमिटेड	-1.13	31.46	-3.59	3.7	-14.99	-24.68	-3.42	-22.03	15.52
354	साउथ सेंट्रल ईस्ट दिल्ली पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	-0.05	0		-0.01	-0.01	100	0.01	0	
355	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	349.39	9743.45	3.59	209.26	9981.46	2.1	171.01	9201.55	1.86
356	सिडकुल कॉनकोर इंफ्रा कंपनी लिमिटेड	-10.29	112.36	-9.16	-11.23	89.57	-12.54	-4.49	72.21	-6.22
357	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	-9.21	99.32	-9.27	-18.03	79.64	-22.64	-5.36	78.1	-6.86
358	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	-0.42	89.7	-0.47	4.89	214.66	2.28	4.89	214.66	2.28
359	साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड	3267.52	2774.58	117.77	3881.99	2893.09	134.18	5566.89	2647.39	210.28
360	भारतीय सौर ऊर्जा निगम	74.24	367.69	20.19	102.38	436.84	23.44	203.17	563.95	36.03
361	सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4.17	806.48	0.52	3.27	809.04	0.4	3.27	809.04	0.4
362	सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	0	21.12	0	0	21.27	0	0	21.43	0
363	एसजेवीएन थर्मल प्राइवेट लिमिटेड	-0.24	436.54	-0.05	-0.17	436.37	-0.04	0.29	436.66	0.07
364	सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1033.17	1720.78	60.04	665.24	1520.69	43.75	815.18	4369.56	18.66
365	द स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	10.56	1158.26	0.91	210.93	890.14	23.7	-741.53	42.72	-1735.79

366	एसटीसीएल लिमिटेड	-3.18	-3888.83	0.08	-2.16	-4551.31	0.05	-1.94	-9130.74	0.02
367	सुयुती टेक ऑप्शंस लिमिटेड	-0.03	-0.95	3.16	-0.03	-1.01	2.97	-0.01	-1.06	0.94
368	ताटिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड	0	0.05	0	0	0.05	0	0	0.05	0
369	टांडा ट्रांसमिशन लिमिटेड	0	0.05	0	0	0.05	0	-0.05	0	
370	टेलीकम्यूनिकेशन कंसलटेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड	87.93	660.92	13.3	69.89	649.57	10.76	81.22	627.09	12.95
371	टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड	0.83	110.26	0.75	0.46	75.06	0.61	-0.03	62.15	-0.05
372	टीसीआईएल एलटीआर लिमिटेड	0.09	85.57	0.11	2.53	81.51	3.1	3.49	77.37	4.51
373	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	1092.41	12977.24	8.42	1146.34	5985.71	19.15	1683.27	6355.89	26.48
374	टैल्चर फर्टिलाइजर लिमिटेड	-0.03	0.02	-150	0.09	15.05	0.6	-15.23	18.63	-81.75
375	तमिलनाडु व्यापार संवर्धन संगठन	31.56	183.05	17.24	31.54	223.74	14.1	35.02	255.06	13.73
376	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	481.83	-60.94	-790.66	-11.4	-72.36	15.75	-17.19	-206.26	8.33
377	यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	272.4	1758.98	15.49	162.81	2604.93	6.25	386.57	2678.23	14.43
378	पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.88	67.34	2.79	12	61.55	19.5	19.05	55.46	34.35
379	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	-1913.53	11425.77	-16.75	1227.96	8915.85	13.77	-1877.85	9176.24	-20.46
380	उर्वरक विदेश लिमिटेड	0	0.09	0	-0.01	0.08	-12.5	-0.01	0.08	-12.5
381	पावरग्रिड वेमगिरी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	-0.01	-38.82	0.03	-0.01	-38.82	0.03	-0.01	-38.85	0.03
382	विज्ञान इंडस्ट्रीज लिमिटेड	0.44	2.89	15.22	0.67	5	13.4	-0.3	4.98	-6.02
383	विशाखापत्तनम पोर्ट लॉजिस्टिक्स पार्क लिमिटेड	-0.54	26.52	-2.04	-1.02	129	-0.79	-4.05	191.94	-2.11
384	पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	20.23	1182.09	1.71	168.51	1128.88	14.93	221.67	1211.67	18.29
385	डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड	161.38	469.64	34.36	163.67	123.05	133.01	203.06	575	35.31
386	वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड	-990.23	1715.82	-57.71	-2751.98	2522.06	-109.12	261.08	2522.06	10.35
387	यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	0	-0.11	0	0	-0.17	0	0	-0.17	0
388	यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड	-0.05	0.09	-55.56	0	-0.09	0	0	-0.09	0

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

389	जेनिथ सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	1.82	8.94	20.36	1.07	9.16	11.68	1.96	9.55	20.52
390	बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड				0.81	9.96	8.13	2.13	10.54	20.21
391	बड़ौदा सनटेक्नोलॉजीज लिमिटेड				-0.01	0.04	-25	-0.01	0.03	-33.33
392	बिजावर विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड				0	0.01	0	0	0.01	0
393	पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड				-0.01	0.04	-25	0	203.57	0
394	गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस				0	86.18	0	0	86.18	0
395	वस्तु एवं सेवाकर नेटवर्क				5.95	40.36	14.74	5.95	40.36	14.74
396	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड				-0.5	21.63	-2.31	-1.8	64.3	-2.8
397	उच्च शिक्षावित्त पोषण एजेंसी				8.49	300	2.83	72.1	2844.34	2.53
398	एचएलएल मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल्स लिमिटेड				0	0.01	0	-0.3	0.89	-33.71
399	इस्कॉन दावंगरे हैवेरी हाईवे लिमिटेड				1.26	0.68	185.29	3.26	234.68	1.39
400	इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एकजीबिशन सेंटरलिमिटेड				-3.27	497.45	-0.66	6.73	1194.99	0.56
401	भारत-रूसी हेलीकॉप्टर लिमिटेड				-0.45	9.55	-4.71	-0.5	9.05	-5.52
402	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड				-0.03	-131.24	0.02	-0.03	-131.24	0.02
403	महाराष्ट्र निष्पादक एवं ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड				1.02	14.24	7.16	1.17	14.78	7.92
404	एनबीसीसी एनवायरमेंट इंजीनियरिंग लिमिटेड				-0.05	0.97	-5.15	0.03	0.98	3.06
405	एनबीसीसी इंटरनेशनल लिमिटेड				-0.05	0.96	-5.21	0.04	0.98	4.08
406	एनईएसएल एसेट डेटा लिमिटेड				-0.06	2.89	-2.08	-0.25	2.71	-9.23
407	एनईएसएलई- इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड				0.05	0.98	5.1	-0.01	1.01	-0.99
408	रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड				1.14	50.42	2.26	5.07	54.02	9.39

409	शिंगटॉग करचम वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड				0	0.01	0	0	0.01	0
410	सूरत एकीकृत परिवहन विकास				-1.04	0.63	-165.08	-2.09	6.88	-30.38
411	पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड				-0.01	0.04	-25	0	202.23	0
412	एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड							0	0.05	0
413	बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड							5.62	104.13	5.4
414	भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड							-14.65	158.22	-9.26
415	भिंडगुना ट्रांसमिशन लिमिटेड							-0.76	-0.71	107.04
416	बीएसएनएल टावर कारपोरेशन लिमिटेड							-2.77	-2.77	100
417	बड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड							0.01	0.09	11.11
418	छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड							-0.25	0	
419	चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड							-1.75	-1.7	102.94
420	डिफेन्स इनोवेशन आर्गनाइजेशन							0	35.24	0
421	दिल्ली मेट्रो लास्टमाइल सर्विसेज लिमिटेड							-0.01	0	
422	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड							-1.7	-1.66	102.41
423	एचपीआईएल गैस प्राइवेट लिमिटेड							-0.58	9.54	-6.08
424	इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड							-12.12	12.88	-94.1
425	आईरेल आईडी कोल लिमिटेड							-0.04	0.22	-18.18
426	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेस वे लिमिटेड							0.07	6.05	1.16
427	जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड							0	4.65	0
428	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड							-1.55	-1.5	103.33
429	मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड							-1.51	-1.46	103.42
430	एनएमडीसी सीएसआर फाउंडेशन लिमिटेड							9.83	2	491.5
431	स्मेरा ग्रेडिंग्स एंडरेटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड							-0.08	0.44	-18.18

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

432	स्टॉक होल्डिंग सिक्योरिटीज आईएफएससी लिमिटेड							-0.67	14.57	-4.6
433	उडुपी कासरगोडे ट्रांसमिशन लिमिटेड							-0.22	-0.18	122.22
434	वापी-2 उत्तर लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड							0	0.01	0
	कुल	273261.13	2556399.1	10.69	290531.29	2774440.11	10.47	318634.15	3167330.41	10.06

परिशिष्ट-X
(जैसा कि पैरा नंबर 1.4.3 में संदर्भित किया गया है)
सीपीएसई की इक्विटी पर रिटर्न

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	सीपीएसई	2016-17			2017-18			2018-19		
		इक्विटी	टैक्स और प्रीफडिव के बाद शुद्ध लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	टैक्स और प्रीफडिव के बाद शुद्ध लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	टैक्स और प्रीफडिव के बाद शुद्ध लाभ	आरओई (% में)
1	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड	185522.44	17899.98	9.65	193368.74	19945.26	10.31	202850.13	26715.79	13.17
2	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	139593.8	-278.72	-0.2	177611.56	-392.26	-0.22	206679.12	-471.73	-0.23
3	एनटीपीसी लिमिटेड	85077.09	9181.88	10.79	89077.09	10343.17	11.61	96599.51	11749.89	12.16
4	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड	78857.14	19106.4	24.23	88987.9	21346.12	23.99	89009.63	16894.15	18.98
5	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	34542.89	1007.93	2.92	35248.23	2200.92	6.24	34797.11	579.79	1.67
6	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	32259.26	495.57	1.54	32839.24	889.93	2.71	31326.81	1096.21	3.5
7	पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	28471.39	7569.98	26.59	32143.14	8252.68	25.67	38557.33	9922.25	25.73
8	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	26415.83	8039.3	30.43	26141.34	7919.34	30.29	36743.03	7132.02	19.41
9	न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	23506.99	2544.36	10.82	24191.99	3612.56	14.93	24191.99	2778.75	11.49
10	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	20082.28	6208.8	30.92	23948.22	6357.07	26.55	28174.82	6028.66	21.4
11	एनएमडीसी लिमिटेड	22290.18	2589.14	11.62	23290.18	3805.88	16.34	25903.81	4641.98	17.92
12	ऑयल इंडिया लिमिटेड	20456.83	1548.68	7.57	20440.77	2667.93	13.05	19887.87	2590.14	13.02
13	दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड	19122.62	-248.76	-1.3	19438.12	-93.14	-0.48	19526.25	-462.24	-2.37

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

14	जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया	14832.3	3127.67	21.09	17968.66	3233.58	18	20792.91	1040.09	5
15	एनएचपीसी लिमिटेड	17820.68	2803.26	15.73	17110.27	2764.53	16.16	19876.13	2618.14	13.17
16	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	16510.69	1749.38	10.6	16672.62	410.55	2.46	19096.8	1326.78	6.95
17	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	12536.63	2615.63	20.86	11257.86	2070.41	18.39	8588.75	2282.44	26.57
18	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन लिमिटेड	7658.27	0	0	11020.87	18.19	0.17	11274.37	24.53	0.22
19	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	8955.2	2342.2	26.15	10627.36	1848.78	17.4	11569.3	1266.97	10.95
20	कोल इंडिया लिमिटेड	10437.2	14500.53	138.93	10445.46	9293.42	88.97	10411.41	10469.67	100.56
21	भारत संचार निगम लिमिटेड	9900.75	-4786.04	-48.34	9900.75	-8001.82	-80.82	9900.75	-14904.24	-150.54
22	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	9944.96	668.53	6.72	9586.87	1342.41	14	9131.6	1732.4	18.97
23	दामोदर घाटी निगम	9582.19	-906.6	-9.46	9323.42	-847.33	-9.09	9108.48	-1115.08	-12.24
24	एसजेवीएन लिमिटेड	11483.83	1540.18	13.41	9263	1212.94	13.09	3929.8	1364.29	34.72
25	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	9462.51	-3186.84	-33.68	9225.66	-481.71	-5.22	9225.66	2178.82	23.62
26	पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	25118.28	2126.39	8.47	9078.76	5855.22	64.49	9042.4	6745.95	74.6
27	भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण	9820.17	3115.93	31.73	9029.93	2801.64	31.03	8051.13	2271.44	28.21
28	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड	6526.46	933.81	14.31	8266.25	2007.31	24.28	12420	2254.75	18.15
29	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	11411.74	-1913.53	-16.77	8001.52	1002.66	12.53	8237.21	-1877.85	-22.8
30	गेल (इंडिया) लिमिटेड	6044.44	3502.91	57.95	6506.28	4618.41	70.98	7108.85	6025.67	84.76
31	शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	5993.57	135.52	2.26	6001.07	253.75	4.23	6001.07	-121.99	-2.03
32	नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड	5893.61	969.38	16.45	5585.5	-306.94	-5.5	5585.5	-306.94	-5.5
33	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड	5477.18	240.46	4.39	5525.73	293.17	5.31	5400.4	213.94	3.96
34	आईएफसीआई लिमिटेड	5340.96	-458.49	-8.58	5514.44	-1008.51	-18.29	4484.21	-443.83	-9.9
35	चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड	4426.78	-93.94	-2.12	4802.23	-229.64	-4.78	5041.43	-714.75	-14.18
36	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड	4656.53	-0.01	0	4656.53	-0.43	-0.01	4618.2	0.01	0
37	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	4889.85	-1263.16	-25.83	4283.49	-1369.01	-31.96	4395.77	77.67	1.77

38	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	5080.64	2100.57	41.34	4179.18	2044.65	48.92	4279.18	1968.1	45.99
39	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	4002.32	67.9	1.7	4102.32	-1154.61	-28.15	4202.32	101.66	2.42
40	बेंगलूर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2752.53	-457.57	-16.62	4055.18	-351.1	-8.66	2601.62	-496.55	-19.09
41	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	3733.4	45.84	1.23	3931.39	-2170.77	-55.22	156.55	-1696.12	-1083.4
42	ईसीजीसी लिमिटेड	3619.19	282.65	7.81	3737.11	74.29	1.99	4391.08	244.38	5.57
43	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3453.54	1024.07	29.65	3685.85	912.93	24.77	3728.06	-213.36	-5.72
44	भारत पेट्रो रिसोर्सज लिमिटेड	1125.94	-202.98	-18.03	3618.17	-159.25	-4.4	2815.94	-45.75	-1.62
45	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	8085.81	711.23	8.8	3536.96	778.74	22.02	3654.88	1251.6	34.24
46	इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड	3468.5	-45.85	-1.32	3519.42	-59.97	-1.7	3542.66	-67.17	-1.9
47	नबीनगर बिजली उत्पादन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	2753.25	0	0	3517.8	-0.1	0	3987.16	-3.21	-0.08
48	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	3432.69	369.03	10.75	3427.76	390.86	11.4	3432.69	436.89	12.73
49	रेल विकास निगम लिमिटेड	3086.79	385.03	12.47	3351.48	469.66	14.01	3738.78	606.59	16.22
50	नागपुर मेट्रो रेल निगम	436.42	-2.45	-0.56	3304.72	-261.92	-7.93	3164.54	-18.53	-0.59
51	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	9023.08	841.81	9.33	3285.73	799.06	24.32	7702.17	1175.69	15.26
52	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	176.51	322.15	182.51	3134.09	396.75	12.66	3205.9	481.18	15.01
53	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	3060.11	1547.62	50.57	3085.84	1399.29	45.35	3485.86	1927.29	55.29
54	सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड	2969	1389.41	46.8	3008.48	789.54	26.24	3093.7	1704.47	55.09
55	साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड	2413.65	2038.57	84.46	2893.09	2370.25	81.93	2598.39	3611.55	138.99
56	भारतीय खाद्य निगम	2819.23	0	0	2835.21	0	0	2835.21	0	0
57	नॉर्थ कोलफील्ड्स लिमिटेड	2156.72	2084.06	96.63	2734.37	2685.24	98.2	2460.99	4111.28	167.06
58	महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड	2219.04	4492.01	202.43	2706.45	4761.29	175.92	2609.14	6039.54	231.48
59	एमओआईएल लिमिटेड	2669.83	299.28	11.21	2703.54	398.55	14.74	2973.54	454.32	15.28

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

60	वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड	1715.82	-777.02	-45.29	2522.06	-3902.06	-154.72	2522.06	269.33	10.68
61	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड	24611.12	6245.76	25.38	2492.66	4647	186.43	7152.32	5703.18	79.74
62	मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड	2386.15	-0.09	0	2418.66	-0.19	-0.01	2571.65	-2.15	-0.08
63	यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1758.98	126.18	7.17	2365.93	106.73	4.51	2678.23	194.24	7.25
64	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	2749.13	325.04	11.82	2236.47	377.87	16.9	2243.31	322.68	14.38
65	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	1922.53	48.67	2.53	2233.91	54.33	2.43	2459.91	50.11	2.04
66	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	2220.92	3638.65	163.84	2220.92	2227.44	100.29	2220.92	327.44	14.74
67	एनएचडीसी लिमिटेड	2223.36	931.28	41.89	2207.01	553.66	25.09	5276.08	490.72	9.3
68	राइट्स लिमिटेड	2033.65	330.82	16.27	2191.66	334.08	15.24	2383.83	442.95	18.58
69	भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड	1832.54	7.66	0.42	2158.75	27.21	1.26	2283.12	8.88	0.39
70	केआईओसीएल लिमिटेड	2101.38	47.93	2.28	2084.78	81.48	3.91	1981.37	111.86	5.65
71	मझगांव डॉक लिमिटेड	2692.81	533.49	19.81	1982.6	439.8	22.18	2187.62	519.4	23.74
72	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	1821.65	207.34	11.38	1981.03	212.77	10.74	2208.62	298.45	13.51
73	सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन	66.5	231.22	347.7	1923.23	56.82	2.95	2032.36	163.61	8.05
74	कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड	1495.5	61.97	4.14	1831.28	125.82	6.87	2068.09	101.88	4.93
75	भारत व्यापार संवर्धन संगठन	0.25	168.99	67596	1819.26	134.62	7.4	1950.92	73.35	3.76
76	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	2005.17	524.06	26.14	1784.64	528.15	29.59	2014.64	422.59	20.98
77	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	1613.04	49.62	3.08	1782.46	48.62	2.73	1965.95	51.27	2.61
78	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1334.48	-1691.1	-126.72	1646.54	1509.89	91.7	3156.43	-293.66	-9.3
79	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	1553.93	25.67	1.65	1639	20.07	1.22	1738.53	27.7	1.59
80	इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड	1624.28	365.02	22.47	1526.79	393.2	25.75	1847.05	244.13	13.22
81	कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड	1469.15	-14.7	-1	1507.46	-167.34	-11.1	2916.85	-281.23	-9.64

82	ट्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1465.06	7.41	0.51	1483.28	16.64	1.12	1509.2	44.59	2.95
83	बीईएमएल लिमिटेड	1493.44	72.55	4.86	1453.34	58.78	4.04	1448.86	50.28	3.47
84	कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1424.64	16.19	1.14	1403	11.52	0.82	1422.04	-34.97	-2.46
85	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1156.11	128.82	11.14	1248.17	156.18	12.51	1172.84	109.8	9.36
86	गेल गैस लिमिटेड	781.65	56.98	7.29	1239.54	61.94	5	1420.48	80.94	5.7
87	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	1454.2	-252	-17.33	1213.44	-199.18	-16.41	1179.61	50.11	4.25
88	कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड	1591.41	-21.93	-1.38	1182.68	-181.09	-15.31	1356.42	98.74	7.28
89	सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1382.58	652.41	47.19	1064.24	663.77	62.37	4369.56	527.87	12.08
90	हिंदुस्तान उर्वरक एंड राययान लिमिटेड	10.28	-4.82	-46.89	996.11	1.15	0.12	1330.74	13.41	1.01
91	गार्डन रीचशिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	1068.11	12.46	1.17	919.84	86.8	9.44	1005.88	109.94	10.93
92	नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड	900.4	0	0	902.4	0	0	1690.75	-0.28	-0.02
93	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्तएवं विकास निगम	805.27	22.41	2.78	881.1	25.5	2.89	966.22	28.45	2.94
94	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	183.94	56.47	30.7	875.11	37.8	4.32	183.94	242.51	131.84
95	सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	806.48	2.56	0.32	809.04	1.88	0.23	809.04	1.88	0.23
96	इंडिया पोस्टपेमेंट बैंक लिमिटेड	299.31	2.22	0.74	799.31	-0.98	-0.12	613.01	-165.1	-26.93
97	मिश्रा धातु निगम लिमिटेड	688.1	126.31	18.36	778.1	130.3	16.75	828.1	130.56	15.77
98	आईटीआई लिमिटेड	860	304.88	35.45	774.08	235.13	30.38	952	110.85	11.64
99	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	2054.42	-148.48	-7.23	769.69	-1391.22	-180.75	1193.31	288.77	24.2
100	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	808.53	117.41	14.52	759.5	217.33	28.61	759.5	131.52	17.32
101	एमएमटीसी लिमिटेड	716.62	57.06	7.96	726.63	48.84	6.72	1410.47	81.43	5.77
102	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवंविकासनिगम	672.73	18.23	2.71	695.66	18.04	2.59	747.05	21.39	2.86

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

103	नेशनल हाईस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	500	5.93	1.19	655	21.15	3.23	2478.38	46.09	1.86
104	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड	184.63	-33.51	-18.15	619.43	-22.86	-3.69	619.43	-22.86	-3.69
105	टेलीकम्यूनिकेशन कंसलटेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड	588.92	70.82	12.03	617.9	37.51	6.07	627.09	43.9	7
106	ओएनजीसी पेट्रो एडिक्शन लिमिटेड	2832.96	-882.37	-31.15	613.76	-2219.2	-361.57	4515.98	-1419.64	-31.44
107	नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर सर्वसेस इंक	543.37	64.41	11.85	607.78	31.04	5.11	586.61	-85.23	-14.53
108	हरिदासपुर परदीप रेलवे कंपनी लिमिटेड	509.98	-0.02	0	600.04	0.31	0.05	713.71	0.42	0.06
109	अंगुल सुकिंदा रेलवे लिमिटेड	600	21.85	3.64	600	11.84	1.97	669.57	2.25	0.34
110	नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	559.72	51.8	9.25	592.21	24.98	4.22	584.16	41.32	7.07
111	मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	711.98	-0.46	-0.06	589.85	-33.04	-5.6	2290.76	4.24	0.19
112	पवन हंस लिमिटेड	984.97	242.78	24.65	577.98	20.55	3.56	577.98	-63.67	-11.02
113	राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड	2788.17	179.26	6.43	551.69	78.81	14.29	2892.37	139.17	4.81
114	एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड	548.63	-25.39	-4.63	547.54	-69.58	-12.71	547.54	18.47	3.37
115	आईएफसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड	477.1	27.67	5.8	540.44	6.57	1.22	427.1	9.14	2.14
116	नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	532.99	106.4	19.96	532.99	99.41	18.65	532.99	18.9	3.55
117	छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेलवे लिमिटेड	503.75	-0.07	-0.01	503.59	-0.15	-0.03	503.47	-0.12	-0.02
118	ब्रह्मपुत्र पटाखा और बहुल कलि मिटेड	579.95	-547.6	-94.42	497.97	-80.39	-16.14	566.94	69.37	12.24
119	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	470.04	170.42	36.26	470.04	184.82	39.32	1085.06	194.52	17.93
120	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड	40	211.71	529.28	459.92	222.02	48.27	1067.02	303.58	28.45
121	राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम	410.14	1.09	0.27	444.82	1.94	0.44	459.8	5.7	1.24
122	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	443.5	571.07	128.76	443.5	670.77	151.24	443.5	786.67	177.38

123	भारतीय सौर ऊर्जा निगम	367.69	46.54	12.66	436.84	64.72	14.82	563.95	129.4	22.95
124	एसजेवीएन थर्मल प्राइवेट लिमिटेड	436.54	-0.12	-0.03	436.37	-0.17	-0.04	436.66	0.29	0.07
125	एननोर पोर्ट लिमिटेड	415.81	472.4	113.61	424.44	394.18	92.87	433.06	340.35	78.59
126	फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	288.28	30.1	10.44	398.82	113.95	28.57	543.67	164.78	30.31
127	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	307.23	16.37	5.33	321.8	16.57	5.15	362.18	33.33	9.2
128	एनटीपीसी विद्युत विवि निगम लिमिटेड	309.79	76.44	24.67	310.99	61.26	19.7	350.49	65.56	18.71
129	छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड	305.59	-0.15	-0.05	305.43	-0.16	-0.05	440.29	-0.15	-0.03
130	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड	255.91	76.56	29.92	304.35	105.72	34.74	378.31	142.65	37.71
131	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	275.46	36.19	13.14	275.46	19.14	6.95	304.11	42.16	13.86
132	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	194.97	858.02	440.08	243.72	1049.04	430.43	1452.48	1215.41	83.68
133	एचएमटी लिमिटेड	-775.67	-21.55	2.78	234.82	-2.05	-0.87	-121.17	16.92	-13.96
134	एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड	-1.97	-0.01	0.51	233.66	-19.36	-8.29	1189.26	7.4	0.62
135	मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड	236.04	23.38	9.91	228.97	1.62	0.71	210.38	35.87	17.05
136	ब्रेथवेट बर्न एंड जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	135.6	17.65	13.02	228.85	2.39	1.04	137.1	0.36	0.26
137	लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड	188.01	35.45	18.86	223.46	35.55	15.91	259.14	39.02	15.06
138	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	89.7	-0.3	-0.33	215	3.45	1.6	215	3.45	1.6
139	पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	170.87	-21.94	-12.84	209.73	77.67	37.03	245.87	139.44	56.71
140	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड	243.5	-4.81	-1.98	202.98	-42.17	-20.78	169.37	-48.39	-28.57
141	तमिलनाडु व्यापार संवर्धन संगठन	183.05	31.56	17.24	198.61	31.54	15.88	230.04	35.02	15.22
142	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड	186.06	36.04	19.37	197.31	27.03	13.7	203.32	20.47	10.07

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

143	आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड	186.64	19.51	10.45	191.87	5.22	2.72	131.44	-32.94	-25.06
144	पंजाब लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	168.77	0.07	0.04	186.71	-12.13	-6.5	174.84	-11.87	-6.79
145	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड	185.89	23.75	12.78	185.89	8.07	4.34	199.89	26.69	13.35
146	एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड	68.52	-0.06	-0.09	185.43	-5.67	-3.06	190.07	4.64	2.44
147	आरईसी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	39.94	40.33	100.98	180.07	36.8	20.44	39.94	26.34	65.95
148	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	564.67	351.1	62.18	180	333.61	185.34	541.24	384.11	70.97
149	बीईएल ऑप्टोनिक्स डिवाइसेज लिमिटेड	156.42	4.82	3.08	176.65	11.7	6.62	197.78	14.18	7.17
150	पावरग्रिड त्रोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	26.37	1.32	5.01	176.3	28.94	16.42	379.76	59.67	15.71
151	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड	34.35	37.61	109.49	172.03			88.29	49.81	56.42
152	इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड	168.37	50.75	30.14	168.37	82.11	48.77	168.37	114.44	67.97
153	पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	46.65	-0.07	-0.15	167.69	0.03	0.02	314.96	-1.38	-0.44
154	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	168.1	0.54	0.32	165	0.83	0.5	165	-2.12	-1.28
155	आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड	191.42	-31.17	-16.28	154.88	-36.53	-23.59	160.14	-20.07	-12.53
156	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	149.17	30.33	20.33	149.67	14.55	9.72	174.16	15.82	9.08
157	इरकॉन शिवपुरी गुना लिमिटेड	148.66	0.39	0.26	148.53	-0.07	-0.05	87.28	-30.63	-35.09
158	इंडिया यूनाइटेड टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड	140.78	8.07	5.73	140.86	7.83	5.56	140.86	8.23	5.84
159	अंडमान निकोबार द्वीप समूह इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	102.79	24.23	23.57	140.54	19.94	14.19	140.54	19.94	14.19
160	मेकॉन लिमिटेड	201.81	-83.84	-41.54	138.66	58	41.83	138.66	13.74	9.91
161	एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	138.42	33.43	24.15	138.42	62.9	45.44	348.94	67.17	19.25

162	लोकटक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन लिमिटेड	135.33	1.11	0.82	136.44	0.64	0.47	137.08	0.39	0.28
163	विशाखापत्तनम पोर्ट लॉजिस्टिक्स पार्क लिमिटेड	26.52	-0.54	-2.04	132.03	-1.02	-0.77	126.46	-5.57	-4.4
164	इरकाँन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	65	12.36	19.02	128.35	8.29	6.46	142.38	14.03	9.85
165	प्राइज पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड	125.24	-14.95	-11.94	123.63	-1.57	-1.27	12.29	5.02	40.85
166	डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड	469.64	107.02	22.79	123.05	105.78	85.97	575	127.38	22.15
167	ऑयल इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड	115.89	5.94	5.13	120.64	4.75	3.94	126.81	6.17	4.87
168	द स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	132.43	-165.54	-125	119.88	37.52	31.3	-849.38	-881.08	103.73
169	मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड	119.55	104.86	87.71	119.55	93.77	78.44	119.55	97.4	81.47
170	रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	70	18.36	26.23	115.84	30.28	26.14	146.23	41.34	28.27
171	नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	99.77	28.88	28.95	114.82	23.58	20.54	114.82	23.58	20.54
172	कर्नाटक व्यापार संवर्धन संगठन	20	53.16	265.8	112.47	19.95	17.74	130.39	6.99	5.36
173	हसन मंगलौर रेल विकास कंपनी लिमिटेड	112	15.92	14.21	112	-88.01	-78.58	112	25.58	22.84
174	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड	100	3.99	3.99	111.95	2.7	2.41	114.36	2.76	2.41
175	हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड	-336.68	-82.27	24.44	109.8	446	406.19	10.38	-93.67	-902.41
176	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	109.48	12.15	11.1	108.84	4.54	4.17	114.48	10.28	8.98
177	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	97.79	27.39	28.01	97.79	19.17	19.6	97.79	8.7	8.9
178	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	94.53	28.84	30.51	94.53	30.36	32.12	190.68	19.37	10.16

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

179	एमजेएसजे कोल लिमिटेड	93.07	0	0	93.07	0	0	94.09	0	0
180	हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड	49.29	-3.74	-7.59	92.71	-15.96	-17.21	67.78	2.17	3.2
181	डीएनएच विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	446.11	-71.25	-15.97	91.72	-12.46	-13.58	91.72	13.54	14.76
182	हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड	91.33	3.26	3.57	91.33	3.41	3.73	91.33	3.62	3.96
183	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	124.1	-18.95	-15.27	90.95	-83.14	-91.41	98.35	-63.56	-64.63
184	सिडकुल कॉनकोर इंफ्रा कंपनी लिमिटेड	99.7	-12.96	-13	89.57	-11.1	-12.39	72.21	-4.68	-6.48
185	एमएनएच शक्ति लिमिटेड	84.06	0	0	84.06	0	0	84.58	0	0
186	पावरसिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड	76.64	25.9	33.79	82.41	48.1	58.37	190.34	43.1	22.64
187	जम्मू-कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड	80.43	6.43	7.99	80.41	6.24	7.76	80.42	6.38	7.93
188	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड	100.51	7.49	7.45	79.33	0.79	1	16.17	-63.15	-390.54
189	बाल्मर लॉरी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड	36.56	38.8	106.13	75.36	53.64	71.18	75.36	75.91	100.73
190	सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड	71.06	10.21	14.37	75.15	12.45	16.57	76.74	9.36	12.2
191	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	50.34	16.82	33.41	72.3	21.71	30.03	69.22	1.69	2.44
192	आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	70.37	0	0	71.42	1.05	1.47	71.72	0.29	0.4
193	नेशनलई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड	41.22	-1.73	-4.2	70.5	-2.36	-3.35	67.68	-4.68	-6.91
194	हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	82.91	-17.28	-20.84	70	35.76	51.09	100.19	34.3	34.23
195	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	85.38	-10.28	-12.04	69.7	-18.62	-26.71	66.05	-5.36	-8.12
196	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड	68.47	22.85	33.37	69.47	2.77	3.99	68.46	3.36	4.91
197	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	61.45	3.52	5.73	69.15	7.66	11.08	69.15	7.66	11.08

198	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	128.24	57.84	45.1	68.23	84.6	123.99	87.76	128.75	146.71
199	न्यू सिटी ऑफ़ बॉम्बे मैन्युफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड	66.31	4.38	6.61	66.35	-0.34	-0.51	66.35	-1.33	-2
200	एग्रिन इनोवेटिव इंडिया लिमिटेड	62.92	2.11	3.35	64.5	1.58	2.45	66.42	1.92	2.89
201	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड	56.57	2.69	4.76	56.57	0.14	0.25	56.57	-33.02	-58.37
202	पावरग्रिड काला अंब ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.04	0	0	56	7.52	13.43	61	13.08	21.44
203	कृत्रिम अंग निर्माण निगम ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	54.1	55.74	103.03	54.1	50.79	93.88	54.1	75.3	139.19
204	कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	52.99	7.44	14.04	52.99			52.99	50.99	96.23
205	हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	29.54	1.65	5.59	51.71	22.17	42.87	116.04	64.34	55.45
206	बेल-थेल्स सिस्टम्स लिमिटेड	52.7	-0.82	-1.56	50.11	-2.59	-5.17	51.16	1.04	2.03
207	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	32.67	-0.58	-1.78	49.33	-0.03	-0.06	55	1.17	2.13
208	सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ़ सेक्युरिटाइज़ेशन एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरैस्ट ऑफ़ इंडिया	430.33	34.63	8.05	49	238.58	486.9	49	70.65	144.18
209	क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	56.11	17.65	31.46	48.51	12.95	26.7	48.51	15.23	31.4
210	हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड	35.94	0.4	1.11	47.78	1.84	3.85	49.04	1.26	2.57
211	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड	197.08	40.59	20.6	42.12	80.83	191.9	50.78	173.27	341.22
212	इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	40	-4.54	-11.35	40	1.14	2.85	63.09	10.06	15.95
213	कॉनकोर एयर लिमिटेड	36.65	7.84	21.39	36.65	0.12	0.33	36.65	0.04	0.11
214	नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	21.52	-1.91	-8.88	36.06	14.54	40.32	36	-0.06	-0.17

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

215	दमन, दीव एंड दादर और नगर हैवली लिमिटेड कासर्वग्राही औद्योगिक विकास निगम	34.43	14.73	42.78	35.94	20.08	55.87	37.6	22.2	59.04
216	सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड	35.35	8.54	24.16	35.35	8.54	24.16	35.35	8.54	24.16
217	एमएसटीसी लिमिटेड	209.4	65.43	31.25	35.2	76.63	217.7	208.08	-324.46	-155.93
218	आईफिन सिक्योरिटीज फाइनेंस लिमिटेड	33.47	2.57	7.68	34	0.53	1.56	29.07	-4.34	-14.93
219	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड	31.37	0.06	0.19	32.46	0.14	0.43	32.28	1.51	4.68
220	हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड	30.11	5.7	18.93	32.04	1.93	6.02	34.18	2.14	6.26
221	भारत इन्फ्रानोर्लॉजिकल्स एंड बायोर्लॉजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	41.85	6.74	16.11	31.81	-4.26	-13.39	18.17	-5.79	-31.87
222	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड	26.43	-10.58	-40.03	26.43	2.69	10.18	26.43	30.36	114.87
223	एडसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड	22.05	28.45	129.02	26.1	35.95	137.74	28.65	30.08	104.99
224	एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड	24.77	-0.23	-0.93	25	152.4	609.6	105.43	60.89	57.75
225	केरल गेल गैस लिमिटेड	23.86	1.08	4.53	23.86	1.23	5.16	0.01	0.51	5100
226	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	4.51	42.33	938.58	22.95	17.99	78.39	28.85	6.35	22.01
227	नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड	28.26	-1.74	-6.16	17.63	-10.63	-60.29	11.24	-14.02	-124.73
228	कुमार कृपपा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	16.76	7.45	44.45	16.76	8.92	53.22	16.76	10.48	62.53
229	टीसीआईएल एलटीआर लिमिटेड	18.23	-4.64	-25.45	16.63	-1.59	-9.56	10.1	-0.06	-0.59
230	चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	15.97	-0.02	-0.13	15.97	-16.51	-103.38	15.97	-16.51	-103.38
231	औरंगाबाद टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क लिमिटेड	16.76	0.58	3.46	15.57	-0.64	-4.11	14.82	-0.75	-5.06
232	टैल्चर फर्टिलाइजर लिमिटेड	0.02	-0.03	-150	15.05	0.07	0.47	18.63	-15.24	-81.8

233	जम्मू- कश्मीर खनिज विकास निगम लिमिटेड	13.21	-0.85	-6.43	14.62	1.41	9.64	13.88	-0.74	-5.33
234	हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-51.84	30.53	-58.89	13.82	-23.61	-170.84	13.82	-23.61	-170.84
235	हरिद्वार नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड	14.31	-1.29	-9.01	13.51	-0.1	-0.74	21.42	-3.39	-15.83
236	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	13.3	34.46	259.1	13.3	35.29	265.34	13.3	24.6	184.96
237	आंध्र प्रदेश सोलर पावर कारपोरेशन लिमिटेड	0.1	-9.02	-9020	13.15	34.18	259.92	0.1	57.57	57570
238	पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	12.9	-0.06	-0.47	12.96	9.05	69.83	12.96	9.81	75.69
239	आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	12.5	1.01	8.08	12.5	2.8	22.4	12.5	3.4	27.2
240	गोल्डमोहूर डिजाइन एंड अपैरल पार्क लिमिटेड	11.52	6.59	57.2	11.52	8.09	70.23	11.52	7.85	68.14
241	दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड	5	-0.19	-3.8	11.17	0.45	4.03	11.73	0.56	4.77
242	गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	0.68	7.97	1172.06	11.1	1.14	10.27	12.72	50.57	397.56
243	ईस्टर्न निवेश लिमिटेड	10.12	0.85	8.4	10.16	0.35	3.44	10.16	-0.02	-0.2
244	नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	10	0.53	5.3	10	0.28	2.8	10	1.42	14.2
245	रेलटेल एंटरप्राइजेज लिमिटेड	9.94	1.34	13.48	10	1.59	15.9	13.54	1.8	13.29
246	अपोलो डिजाइन अपैरल पार्क लिमिटेड	9.86	7.26	73.63	9.86	8.42	85.4	9.86	8.28	83.98
247	एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाइ कंपनी लिमिटेड	42.65	-0.18	-0.42	9.29	0	0	42.47	-0.09	-0.21
248	सेलरि फ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड	7.68	21.01	273.57	9.15	14.2	155.19	11.33	21.81	192.5
249	एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड	2	6.81	340.5	7.8	6.97	89.36	2	8.63	431.5

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

250	सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्रीज लिमिटेड	29.66	-12.97	-43.73	7.17	-4.14	-57.74	42	16.49	39.26
251	दादर और नगर हैवली, दमन और दीव एससी/एसटी फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	6.32	-0.07	-1.11	6.52	-0.03	-0.46	5.83	0.83	14.24
252	इंडियन उत्प्रेरक प्राइवेट लिमिटेड	6.47	-0.01	-0.15	6.46	-0.01	-0.15	6.45	-0.01	-0.16
253	नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड	6.08	-18.33	-301.48	6.08	-18.33	-301.48	6.08	-18.33	-301.48
254	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	5.55	2.04	36.76	5.55	-4.28	-77.12	12.39	0.05	0.4
255	बीपीसीएल- केआई फ्यूल फार्म प्राइवेट लिमिटेड	6.08	-0.86	-14.14	5.25	-0.82	-15.62	7.22	-1.2	-16.62
256	जेनिथ सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	5.1	1.6	31.37	5.06	0.97	19.17	5.06	1.66	32.81
257	आईफिन कमोडिटीज लिमिटेड	5.31	-0.08	-1.51	5.05	-0.27	-5.35	5.42	0.37	6.83
258	जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	107.73	9.2	8.54	5	17.68	353.6	124.9	10.52	8.42
259	विग्यान इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2.89	0.55	19.03	4.89	0.39	7.98	4.56	-0.33	-7.24
260	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	4.75	1.41	29.68	4.78	2.33	48.74	4.75	2.09	44
261	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड	15.12	0.08	0.53	4.51	-21.76	-482.48	-5.09	-5.39	105.89
262	नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	4.42	0.86	19.46	4.42	0.32	7.24	9.44	0.01	0.11
263	बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड	0.53	-0.32	-60.38	3.46	-0.15	-4.34	4	-0.2	-5
264	रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान लिमिटेड	3.19	0.05	1.57	3.27	0.09	2.75	2.66	0.14	5.26
265	मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड	2.95	0.4	13.56	2.95	0.53	17.97	5.74	0.64	11.15
266	राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र	3.9	0.03	0.77	2.94	-0.26	-8.84	1.87	-1.39	-74.33
267	पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड	2.33	0	0	2.14	-0.02	-0.93	2.09	-0.01	-0.48

268	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवस्थापना विकास निगमलिमिटेड	1	13.75	1375	2	38.79	1939.5	143.29	53.58	37.39
269	आईफिन क्रेडिट लिमिटेड	1.44	-0.12	-8.33	1.41	-0.01	-0.71	1.39	-0.02	-1.44
270	उडीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड	1.32			1.32			1.32		
271	बस्टर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	3.51	-0.09	-2.56	1.1	-2.41	-219.09	292.87	1.77	0.6
272	जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद	1	0.92	92	1	1.52	152	1	1.54	154
273	नेशनल फार्मेशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	1	0.02	2	1	0	0	1.14	0.02	1.75
274	एनपीसीआईएल इंडियन ऑयल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1	0.06	6	1	0.07	7	1	0.06	6
275	रिन्यूएबल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड	1	0	0	1	0.41	41	2.18	0.77	35.32
276	अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ऑफ इंडिया	0.94	-146.5	-15585.1	0.94	-197.92	-21055	0.94	-98.36	-10464
277	हिमाचल रिन्यूएबल्स लिमिटेड	0.5	0	0	0.5	-0.02	-4	2.38	-0.08	-3.36
278	एनएमडीसी पावर लिमिटेड	0.49	-0.03	-6.12	0.43	-0.06	-13.95	0.45	0.02	4.44
279	पांडिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-0.04	0.43	-1075	0.2	0.04	20	0.38	0.16	42.11
280	पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.14	0	0	0.15	0	0	181.52	10.14	5.59
281	पावरग्रिड पराली ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.1	0	0	0.1	0	0	228.5	65.01	28.45
282	ईपीआई अर्बन इन्फ्रा डेवलपर्स लिमिटेड	0.09	-0.01	-11.11	0.09	-0.01	-11.11	0.09	-0.01	-11.11
283	उर्वरक विदेश लिमिटेड	0.09	0	0	0.08	-0.01	-12.5	0.08	-0.01	-12.5
284	बिहार इन्फ्रा पावर लिमिटेड	0.05	0	0	0.05	0	0	0.05	0	0
285	बिहार मेगापावर लिमिटेड	0.05	0	0	0.05	0	0	0.05	0	0
286	चेयुर इन्फ्रा लिमिटेड	0.05	0	0	0.05	0	0	0.05	0	0
287	तटीय कर्नाटक पावर लिमिटेड	0.05			0.05	0	0	0.05	0	0
288	तटीय महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	0.05			0.05	0	0	0.05	0	0

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

289	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	0.05			0.05	0	0	0.05	0	0
290	तटीय तमिलनाडु पावर लिमिटेड	0.05	0	0	0.05	0	0	0.05	0	0
291	देवघर इंफ्रा लिमिटेड	0.05	0	0	0.05	0	0	0.05	0	0
292	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	0.05	0	0	0.05	0	0	0.05	0	0
293	दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05			0.05	0	0	-0.49	0.49	-100
294	घोगरपल्ली इंटीग्रेट पावर कंपनी लिमिटेड	0.04	0	0	0.05	0	0	0.05	0	0
295	जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड	0.05	0	0	0.05	0	0	0.05	0	0
296	झारखंड इंफ्रा पावर लिमिटेड	0.05			0.05	0	0	0.05	0	0
297	नेडफी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	0.05	0	0	0.05	0.03	60	0.08	0.02	25
298	नेडफी वेंचर कैपिटल लिमिटेड	0.05	0	0	0.05	0.77	1540	0.83	0.65	78.31
299	ओडिशा इंफ्रा पावर लिमिटेड	0.05			0.05	0	0	0.05	0	0
300	पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड	0.05	0	0	0.05	0	0	0.05	0	0
301	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	0.05	57.85	115700	0.05	28.33	56660	0.05	22	44000
302	सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	0.05			0.05	0	0	0.05	0	0
303	ताटिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड	0.05	0	0	0.05	0	0	0.05	0	0
304	टांडा ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05			0.05	0	0	0	-0.05	
305	हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-0.12	0.13	-108.33	0.04	0.05	125	0.08	0.04	50
306	एनएमडीसी-सेल लिमिटेड	0.04	-0.01	-25	0.04	0	0	0	-0.04	
307	छत्तीसगढ़ मेगास्टील लिमिटेड	0.04	0	0	0.03	-0.01	-33.33	0.02	-0.01	-50
308	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	0.05	0	0	0.03	-0.01	-33.33	0.02	-0.01	-50
309	पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	0.02	-0.02	-100	0.03	0	0	513.92	-1.56	-0.3
310	अनुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड	0.02	0	0	0.02	0	0	0.02	0	0

311	पावरग्रिड मेदिनीपुर जिरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01			0.01	0	0	0.01	0	0
312	एनपीसीआईएल-नालको पावर कंपनी लिमिटेड	0.06	0	0	0.01	0	0	0.01	-0.05	-500
313	क्रिएटिव म्यूजियम डिजाइनर	0	3.5		0	4.25		0	2.45	
314	हॉक चेमटर लिमिटेड	0.05	0	0	0			0		
315	डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन	0			0	0		0	0	
316	बल्लभगढ़- जीएन ट्रांसमिशन लिमिटेड	0	-0.05		-0.01	-0.01	100	0	0.01	
317	मोहिंदरगढ़-भिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	0	-0.05		-0.01	-0.01	100	0	0.62	
318	साउथ सेंट्रल ईस्ट दिल्ली पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0	-0.05		-0.01	-0.01	100	0	0.01	
319	कर्नाटक विजय नगर स्टील लिमिटेड	-0.01	-0.01	100	-0.02	-0.01	50	-0.05	-0.12	240
320	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड	-0.03	-0.01	33.33	-0.02	-0.01	50	-0.02	-0.01	50
321	सेल-बंगाल अलॉय कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	-0.02	-0.01	50	-0.02	-0.01	50	-0.03	-0.01	33.33
322	यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड	-0.03	-0.05	166.67	-0.02	0	0	-0.09	0	0
323	गोलाद्ध प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड	0	-0.01		-0.03	-0.03	100	-0.16	-0.13	81.25
324	झारखंड कोल्हान स्टील लिमिटेड	0	-0.01		-0.03	-0.03	100	-0.03	-0.04	133.33
325	अंतर्देशीय तटीय शिपिंग लिमिटेड	-0.04	-0.09	225	-0.05	0	0	-0.05	0	0
326	झारखंड नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-0.04	-0.01	25	-0.05	-0.01	20	-0.06	-0.01	16.67
327	यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	-0.16	0	0	-0.06	0	0	-0.17	0	0
328	उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	-0.08	0.09	-112.5	-0.08	0	0	-0.08	0	0
329	इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड	-0.02	0	0	-0.11	-0.02	18.18	-0.14	-0.01	7.14

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

330	इंडियन वैक्सिन कंपनी लिमिटेड	12.64	-0.2	-1.58	-0.76	-1.53	201.32	-2.77	-0.48	17.33
331	सुती टेक ऑप्शंस लिमिटेड	-0.95	-0.03	3.16	-1.01	-0.03	2.97	-1.06	-0.01	0.94
332	एनबीसीसी इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	0.75	-0.17	-22.67	-1.34	-2.09	155.97	-2.87	-1.53	53.31
333	एचएलएल मेडिपार्क	-0.07	-0.17	242.86	-1.73	-0.74	42.77	0.13	-1.06	-815.38
334	महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	-0.01	-0.01	100	-1.73	-0.01	0.58	-11.83	-0.03	0.25
335	नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-2.52	-3.06	121.43	-1.99	0.53	-26.63	-18.85	-5.41	28.7
336	राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा ट्रस्टी फंड	-2.58	-1.74	67.44	-2.58	-1.74	67.44	-2.58	-1.74	67.44
337	हृगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड	4	-0.03	-0.75	-2.69	-3.54	131.6	-5.75	-1.82	31.65
338	हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड	94.29	-71.05	-75.35	-6.71	-99.88	1488.52	-134.55	-138.89	103.23
339	रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-4.84	-2.11	43.6	-6.99	-2.15	30.76	-9.63	-2.4	24.92
340	भेल इलेक्ट्रिकल मशीन लिमिटेड	-2.23	-3.79	169.96	-8.28	-6.05	73.07	-13.73	-5.46	39.77
341	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	-24.11	4.51	-18.71	-14.05	10.06	-71.6	11.2	25.26	225.54
342	टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड	-10.74	-10.46	97.39	-15.85	-5.11	32.24	-56.49	-5.22	9.24
343	फ्रेश एंड हेल्दी एंटरप्राइजेज लिमिटेड	-7.25	-13.66	188.41	-17.69	-10.62	60.03	7.08	-26.03	-367.66
344	अंडमान और निकोबार द्वीप वन एवं बागान विकास निगम लिमिटेड	-364.8	-57.57	15.78	-18.23			-18.23		
345	नेपा लिमिटेड	-49.42	-68.62	138.85	-19.29	30.12	-156.14	-47.54	-77.79	163.63
346	पावर ग्रिड वेमगिरी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	-38.82	-0.01	0.03	-19.39	-0.01	0.05	-38.85	-0.01	0.03
347	उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-19.78	-1.28	6.47	-24.05	-0.78	3.24	-24.91	-0.82	3.29

348	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	-18.08	-8.96	49.56	-24.39	2.6	-10.66	63.72	7.86	12.34
349	अंडमान फिशरीज लिमिटेड	-23.82	-3.01	12.64	-27.34	-3.52	12.87	-31.38	-4.04	12.87
350	सांभर साल्ट लिमिटेड	-32.92	-8.55	25.97	-33.25	-2.58	7.76	-45.26	-10.83	23.93
351	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड	-68.55	-4.89	7.13	-38.42	-0.77	2	-106.01	-4.78	4.51
352	एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड	38.8	-30.68	-79.07	-39.09	-77.85	199.16	44.63	-67.55	-151.36
353	बिहार ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	-43.91	-0.71	1.62	-43.91	-0.71	1.62	-43.91	-0.71	1.62
354	बीकोलॉरी लिमिटेड	-60.86	-12.34	20.28	-60.86	-12.34	20.28	-60.86	-12.34	20.28
355	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	-60.94	405.33	-665.13	-72.36	-11.42	15.78	-206.26	-26.55	12.87
356	हिंदुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-428.96	-53.74	12.53	-93.04	336.98	-362.19	9.17	104.76	1142.42
357	भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड	-17.68	-14.34	81.11	-97.82	-80.15	81.94	-99.25	-1.42	1.43
358	हूगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड	-114.71	41.46	-36.14	-104.53	9.71	-9.29	-256.7	-9.33	3.63
359	एचएमटी (बीयरिंग) लिमिटेड	-122.36	-3.66	2.99	-123.63	-1.38	1.12	-126.49	79.24	-62.65
360	बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	-121.22	-4.85	4	-126.25	-3.27	2.59	-126.25	-3.27	2.59
361	भारत पंपस एंड कंप्रेसर लिमिटेड	-109.22	-83.97	76.88	-153.14	-43.92	28.68	-153.14	-43.92	28.68
362	फैक्ट आरसीएफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड	-117.3	-29.12	24.83	-158.69	-9.52	6	-178.35	-2.71	1.52
363	भारत पेट्रो रिसोर्सज जेपीडीए लिमिटेड	-61.62	-0.86	1.4	-183.88	-0.33	0.18	-188.69	-2.4	1.27
364	नेशनल जूट मैनुफैक्चरर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-525.48	4.75	-0.9	-223.43	9.19	-4.11	-217.55	1.46	-0.67
365	होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-166.53	-54.27	32.59	-277.03	-55.29	19.96	-367.44	-71.2	19.38
366	हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड	-860.85	2348.46	-272.81	-309.81	-9.37	3.02	-257.95	51.85	-20.1
367	हिंदुस्तान एंटीबायोटेक्स लिमिटेड	-472.8	191.86	-40.58	-358.6	208.32	-58.09	-838.92	-71.1	8.48

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

368	रिचर्डसन एंड कूडास (1972) लिमिटेड	-289.09	14.94	-5.17	-430.94	16.46	-3.82	-678.93	21.25	-3.13
369	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	-543.07	-23.31	4.29	-479.64	-61.96	12.92	-562.88	-83.24	14.79
370	ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड	1999.01	6.13	0.31	-523.52	-931.17	177.87	1960.43	827.98	42.23
371	नेशनल साइकिल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-565.65	-21.44	3.79	-587.35	-21.71	3.7	-607.88	-20.52	3.38
372	एचएमटी चिनार घड़ियां लिमिटेड	-589.16	0.91	-0.15	-589.14	0.01	0	-589.14	0.01	0
373	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	-750.41	53.77	-7.17	-619.33	20.99	-3.39	-1924.89	36.24	-1.88
374	एंट्रेस कॉरपोरेशन लिमिटेड	1580.19	218.01	13.8	-768.34	211.51	-27.53	-768.34	211.51	-27.53
375	ओएनजीसी-मैंगलोर पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड	6.21	-366.19	-5896.78	-806.54	-447.11	55.44	-907.07	22.89	-2.52
376	एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड	-971.33	296.74	-30.55	-886.94	262.04	-29.54	-848.65	161.59	-19.04
377	हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड	-961.1	-495.56	51.56	-961.1	-495.56	51.56	-961.1	-495.56	51.56
378	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	-2466.87	-127.59	5.17	-1207.64	-129.25	10.7	-2909.61	-63.83	2.19
379	इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड	-544.69	-91.37	16.77	-1269.21	-15.66	1.23	-1269.21	-15.66	1.23
380	फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	-1495.87	-186.96	12.5	-1640.18	-130.51	7.96	-1457.71	163.14	-11.19
381	एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड	-1343.6	-282.72	21.04	-1696.03	-263.76	15.55	-2000.52	-296.57	14.82
382	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी लिमिटेड	-1139.79	-505.16	44.32	-1778.2	-444.44	24.99	-1983.15	-180.87	9.12
383	भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड	-1777.21	-89.95	5.06	-1877.68	-100.48	5.35	-1981.65	-103.96	5.25
384	पीईसी लिमिटेड	-1079.91	-92.1	8.53	-2273.88	-53.94	2.37	-2273.88	-53.94	2.37
385	एचएमटी वॉच लिमिटेड	-5595.67	-203.56	3.64	-2808.27	-8.49	0.3	-5380.46	121.28	-2.25
386	एसटीसीएल लिमिटेड	-3898.82	-562.77	14.43	-4552.67	-656.86	14.43	-9136.45	-1.94	0.02
387	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	-7682.73	-2941.08	38.28	-13624.01	-2973.03	21.82	-20419.19	-3390.2	16.6

388	हिंदुस्तान फोटोफिल्म्स (मैन्युफैक्चरिंग) कंपनी लिमिटेड	-20330.04	-2917.16	14.35	-23710.29	-3402.37	14.35	-23712.23	-1.94	0.01
389	एयर इंडिया लिमिटेड	-19914.51	-5765.17	28.95	-24205.84	-5348.17	22.09	-24205.84	-5348.17	22.09
390	बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड				9.96	0.58	5.82	10.54	1.5	14.23
391	बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड				0.04	-0.01	-25	0.03	-0.01	-33.33
392	बिजावर विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड				0.01	0	0	0.01	0	0
393	पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड				0.04	-0.01	-25	0.04	0	0
394	गवर्नमेंट ई -मार्केटप्लेस				86.03	0	0	86.03	0	0
395	वस्तु एवं सेवाकर नेटवर्क				13.24	-15.88	-119.94	13.24	-15.88	-119.94
396	हूगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड				21.63	-0.37	-1.71	20.3	-1.33	-6.55
397	उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी				300	8.49	2.83	2844.34	72.1	2.53
398	एचएलएल मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल्स लिमिटेड				0.01	0	0	-0.2	-0.3	150
399	इरकॉन दावंगरेहैवेरी हाईवे लिमिटेड				0.68	0.63	92.65	104.05	2.14	2.06
400	इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड				497.45	-2.55	-0.51	1194.99	4.14	0.35
401	भारत-रूसी हेलीकॉप्टर लिमिटेड				9.55	-0.45	-4.71	9.05	-0.5	-5.52
402	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड				-131.48	-0.03	0.02	-131.48	-0.03	0.02
403	महाराष्ट्र निष्पादक एवं ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड				3.58	0.77	21.51	4.41	0.83	18.82
404	एनबीसीसी एनवायरमेंट इंजीनियरिंग लिमिटेड				0.97	-0.03	-3.09	0.98	0.01	1.02
405	एनबीसीसी इंटरनेशनल लिमिटेड				0.96	-0.04	-4.17	0.98	0.02	2.04
406	एनईएसएल-एसेट डेटा लिमिटेड				2.92	-0.05	-1.71	2.71	-0.25	-9.23
407	एनईएसएल-ई- इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड				1	0.02	2	1.01	-0.01	-0.99

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

408	रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड				50	0.81	1.62	54.02	3.6	6.66
409	शिंगटॉग करचम वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड				0.01	0	0	0.01	0	0
410	सूरत एकीकृत परिवहन विकास				-5.91	-1.04	17.6	6.88	-2.09	-30.38
411	पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड				0.04	-0.01	-25	0.04	0	0
412	भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड							158.22	-10.38	-6.56
413	बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड							104.13	4.87	4.68
414	स्टॉक होल्डिंग सिक्क्योरिटीज आईएफएससी लिमिटेड							14.33	-0.67	-4.68
415	इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड							12.88	-12.12	-94.1
416	एचपीआईएल गैस प्राइवेट लिमिटेड							9.54	-0.46	-4.82
417	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेस वे लिमिटेड							6	0.05	0.83
418	एनएमडीसी सीएसआर फाउंडेशन लिमिटेड							2	9.83	491.5
419	स्मेरा ग्रेडिंग्स एंड रेटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड							0.44	-0.06	-13.64
420	आईआरईएल आईडी कोल लिमिटेड							0.22	-0.03	-13.64
421	बड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड							0.09	0.01	11.11
422	एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड							0.05	0	0
423	जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड							0.05	0	0
424	डिफेन्स इनोवेशन आर्गनाइजेशन							0.01	0	0
425	वापी-2 उत्तर लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड							0.01	0	0
426	छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड							0	-0.25	
427	दिल्ली मेट्रो लास्टमाइल सर्विसेज लिमिटेड							0	-0.01	
428	उडुपी कासरगोडे ट्रांसमिशन लिमिटेड							-0.18	-0.23	127.78

429	भिंडगुना ट्रांसमिशन लिमिटेड								-0.71	-0.76	107.04
430	मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड								-1.46	-1.51	103.42
431	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड								-1.5	-1.55	103.33
432	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड								-1.66	-1.7	102.41
433	चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड								-1.7	-1.75	102.94
434	बीएसएनएल टावर कारपोरेशन लिमिटेड								-2.77	-2.77	100
	कुल	1060363.24	124722.55	11.7622	1082083.79	123820.63	11.4428	1175234.05	138819.08	11.812	

परिशिष्ट XI

(जैसा कि पैरा नंबर 1.4.4 में संदर्भित किया गया है।)

2016-17 से 2018-19 के दौरान सीपीएसई वार आरओआरआर

	कंपनियों का नाम	आरओआरआर 2016-17	आरओआरआर 2017-18	आरओआरआर 2018-19
	कुल मिला कर समेकित आरओआरआर	27.62	27.64	25.13
	53 सूचीबद्ध सीपीएसई का समेकित आरओआर	57.85	58.66	58.59
	86 असूचीबद्ध सीपीएसई का समेकित आरओआर	-1.74	-1.77	-4.85
1.	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	61.34	60.69	53.52
2.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड	200.53	133.12	246.60
3.	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	-3.22	-5.48	-1.39
4.	एसजेवीएनएल लिमिटेड	14.96	11.18	11.63
5.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	53.22	76.63	89.36
6.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	84.33	98.77	89.76
7.	गेल (भारत) लिमिटेड	138.58	153.34	187.58
8.	आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड	12.46	13.98	15.15
9.	आईएफसीआई लिमिटेड	-33.69	31.39	-27.60
10.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	327.36	232.42	183.06
11.	एमओआईएल लिमिटेड	147.08	188.15	199.00
12.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	12.23	12.26	15.96
13.	एनएचपीसी लिमिटेड	8.97	8.29	7.33
14.	एनटीपीसी लिमिटेड	36.79	39.72	42.71
15.	पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	47.31	122.10	135.65
16.	ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	8.88	18.66	0.00
17.	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	97.31	98.60	73.20
18.	एनएमडीसी लिमिटेड	328.88	456.55	521.56
19.	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	469.49	381.31	514.47
20.	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड	97.44	125.94	165.36
21.	बीईएमएल लिमिटेड	17.29	13.09	10.39
22.	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	656.09	749.88	806.09
23.	एचएमटी लिमिटेड	-0.53	-0.05	0.44
24.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	557.01	405.22	342.45
25.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	619.24	0.00	0.00
26.	तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	196.40	205.10	263.10
27.	केआईओसीएल लिमिटेड	2.09	3.32	4.25

28.	मिश्रा धातू निगम लिमिटेड	21.61	22.55	20.96
29.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	359.61	266.11	272.18
30.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	-227.39	-214.88	-227.35
31.	कोल इंडिया लिमिटेड	66.63	39.96	42.69
32.	ऑयल इंडिया लिमिटेड	130.68	216.56	171.69
33.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	-22.99	-3.65	15.33
34.	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	3.54	2.32	0.98
35.	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	4.30	6.02	8.50
36.	एमएसटीसी लिमिटेड	175.28	134.80	-76.84
37.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	26.91	53.50	66.63
38.	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	13.86	24.26	-10.82
39.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड	10.18	4.25	6.96
40.	भारत इम्मूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7.55	-4.46	-5.62
41.	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	-22.31	-16.48	3.85
42.	द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	161.98	261.68	63.96
43.	जनरल इश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	236.68	238.45	119.13
44.	आईटीआई लिमिटेड	2.78	1.92	0.84
45.	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	42.64	31.93	20.84
46.	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	78.39	92.81	105.17
47.	उर्वरक और रसायन त्रावणकोर लिमिटेड	-15.21	-6.99	8.19
48.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0.95	-16.56	-20.64
49.	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	101.29	90.31	99.56
50.	द स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-167.50	35.49	-773.26
51.	एमएमटीसी लिमिटेड	16.93	13.55	20.96
52.	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	10.31	5.10	10.42
53.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	272.94	280.47	313.13
54.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	-12.27	-64.11	-1.05
55.	मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड	50.24	3.25	66.86
56.	कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड	-1.28	-12.86	-20.06
57.	बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-8.10	-5.31	-6.36
58.	कर्नाटकएंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	233.38	84.45	105.59
59.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	-4.42	-4.48	0.29
60.	होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-188.11	-157.40	-188.08
61.	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड	175.55	123.13	86.57
62.	नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	6.45	-1.91	-1.82
63.	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	182.05	315.05	176.90

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

64.	गार्डन रीचशिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	2.71	19.51	22.96
65.	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	1.39	30199.22	0.22
66.	मझगांव डॉकशिप बिल्डर्स लिमिटेड	56.13	44.42	48.67
67.	भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड	-6.12	-6.37	-6.10
68.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	1744.12	1344.14	1472.83
69.	कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	8.15	9.56	48.47
70.	ईसीजीसी लिमिटेड	7.86	1.91	5.16
71.	नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन	-0.10	-3.52	0.22
72.	नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	59.30	69.52	352.53
73.	नेशनल फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	1.55	0.15	1.36
74.	मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-0.63	-1.52	-0.77
75.	चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड	-2.69	-3.61	-6.57
76.	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	-397.60	194.76	-338.44
77.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	-4.12	1.10	2.54
78.	सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.22	0.15	0.14
79.	कामराजार पोर्ट लिमिटेड	35.90	28.00	22.43
80.	मेकॉन लिमिटेड	-86.83	56.16	12.34
81.	हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-3.51	17.78	-3.46
82.	भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड	1.22	3.28	0.99
83.	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.54	1.01	0.76
84.	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	98.70	30.51	72.43
85.	रिचर्डसन और क्रूडस (1972) लिमिटेड	7.47	7.69	9.94
86.	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	-0.32	1.46	1.74
87.	हिंदुस्तान एंटीबायोटेक्स लिमिटेड	91.70	93.07	-29.47
88.	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	-329.65	275.1453529	-49.65
89.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	25.55	20.59	-20.58
90.	भारत पंप्स एंड कम्प्रेसर लिमिटेड	-42.98	-21.01	-14.86
91.	हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-60.52	-43.75	-6.88
92.	एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2940.79	1935.99	2254.65
93.	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00
94.	उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी	0	3.17	2.64

95.	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड	-5.84	-14.95	2.37
96.	भारत अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड	16.11	24.38	32.37
97.	चंडीगढ़ बाल एवं महिला विकास निगम लिमिटेड	-1.12	-0.87	-0.64
98.	चंडीगढ़ अनुसूचित जाति वित्तीय और विकास निगम लिमिटेड	0.53	0.50	0.45
99.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम	1.97	1.68	1.60
100.	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम	1.52	1.40	1.50
101.	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम	1.59	1.62	1.62
102.	सेंट्रल रेल साइडवेयर हाउस कंपनी लिमिटेड	14.50	16.39	14.76
103.	इंडियन मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.44	8.60	5.81
104.	जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद	0.72	0.91	0.72
105.	दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-1.79	3.88	4.52
106.	भारत अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड	18.51	17.57	10.74
107.	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	12.91	14.75	27.36
108.	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	8.79	10.59	0.76
109.	लखनऊ सौर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	0.00	122.81	251.28
110.	राष्ट्रीय अल्प संख्यक विकास और वित्त निगम लिमिटेड	1.86	1.84	1.49
111.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम	1.01	0.70	0.88
112.	भारत संचार निगम लिमिटेड	-10.51	-16.38	-28.34
113.	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड	0.36	0.37	0.56
114.	टेलीकम्यूनिकेशन कंसलटेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड	51.51	31.33	27.69
115.	सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सेक्युरिटाइजेशन एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन एंड सिव्योरिटी इंटरैस्ट ऑफ इंडिया	86.57	557.61	153.21

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

116.	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	1.01	-21.01	1.28
117.	एनईपीए लिमिटेड	-23.03	9.57	-22.62
118.	खनिज अन्वेषण निगमलिमिटेड	22.97	19.21	18.51
119.	राष्ट्रीयसूचनाविज्ञानकेंद्रसेवाइंक	882.38	397.55	-1012.76
120.	इंडिया पोस्टपेमेंट बैंक लिमिटेड	0.69	-0.11	-13.00
121	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	2.38	4.96	11.56
122	ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड	0.30	0.03	-2.18
123	फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1.10	3.88	5.21
124	हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.06	0.80	2.14
125	हगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड	5.59	1.17	-1.04
126	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	13.48	-519.01	-403.07
127	नेशनल इंवेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी फंड्स	-7357.96	9079.53	387.72
128	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड	-2.45	0.58	6.09
129	हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड	2.03	0.64	0.64
130	हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड	0.36	1.39	0.87
131	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	12.99	20.32	9.93
132	रेल विकास निगम लिमिटेड	7.27	8.28	9.93
133	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.73	0.12	0.15
134	पिपावाव रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	27.95	25.01	26.42
135	भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड	241.16	230.51	131.88
136	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	9.88	20.32	16.13
137	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	14.95	17.23	11.24
139	रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	45.01	69.39	87.90

परिशिष्ट-XII

(जैसा कि पैरा नंबर 1.4.6 में संदर्भित किया गया है)

सीपीएसई की सूची जहां आरओई पिछले 5 वर्षों के दौरान 3 या उससे अधिक वर्षों के लिए एक ही क्षेत्र में निजी कंपनियों की तुलना में कम है

क्रम संख्या	सरकारी कंपनी	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	निजीकंपनी	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
1	बालमर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	17.93	14.72	14.62	16.36	16.49	गल्फ ऑयल लुब्रिकैंट्स इंडिया लिमिटेड	30.3	33.92	33.2	40.36	41.37
2	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	3.5	2.73	1.53	-2.76	4.16	लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड	12.71	10.96	11.85	13.04	13.63
3	भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	-31.87	-11.35	16.12	-17.69	3.74	सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	3.57	-2.5	-0.11	-5	-6.47
4	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	16.5	16.66	11.71	9.72	11.99	लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड	12.71	10.96	11.85	13.04	13.63
5	फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	-11.19	7.96	12.5	34.55	46.68	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	20.79	20.79	16.96	15.18	18.62
6	गेल (इंडिया) लिमिटेड	84.76	11.45	9.18	7.52	10.44	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	8.68	10.68	10.9	11.42	10.51
7	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	146.71	8.11	5.55	3.95	6.15	आर्कोटेक लिमिटेड	5723.88	1.72	12.04	18.28	20.24
8	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड	4.51	2.01	7.13	17.46	7.18	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	20.79	20.79	16.96	15.18	18.62
9	एचएमटी लिमिटेड	-13.97	-2.04	-10.5	-6.96	-9.28	एस्कॉर्ट्स लिमिटेड	16.04	13.53	8.06	4.77	4.16
10	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	4.25	-383.44	-173.19	-43.25	41.58	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	20.79	20.79	16.96	15.18	18.62
11	आईएफसीआई लिमिटेड	-9.9	-17.45	-6.81	4.69	7.3	आईडीएफसी लिमिटेड	1.31	1.52	0.58	-12.11	9.95
12	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	14.79	12.59	4.2	35.62	39.31	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	20.79	20.79	16.96	15.18	18.62
13	एमएमटीसी लिमिटेड	5.77	3.37	3.98	3.98	3.52	वेदांता लिमिटेड	6.52	9.15	13.88	12.46	5.66
14	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	13.51	4.29	4.28	4.11	0.54	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	20.79	20.79	16.96	15.18	18.62
15	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड	13.17	10.31	9.65	10.6	12.26	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	8.68	10.68	10.9	11.42	10.51
16	राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड	4.81	2.69	6.13	6.76	11.88	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	20.79	20.79	16.96	15.18	18.62
17	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	23.62	-1.35	-8.85	-6.12	4.82	टाटा स्टील लिमिटेड	14.48	6.54	6.63	6.95	9.66
18	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	-8.12	-26.72	-11.62	5.56	11.9	अतुल ऑटो लिमिटेड	20.54	21.05	20.11	30.66	33.51

परिशिष्ट-XIII

(जैसा कि पैरा नंबर 1.4.6 में संदर्भित किया गया है)

सीपीएसई की सूची जहां आरओसीई पिछले 5 वर्षों के दौरान 3 या उससे अधिक वर्षों के लिए एक ही क्षेत्र में निजी कंपनियों की तुलना में कम है

क्रम संख्या	सरकारी कंपनी	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	निजी कंपनी	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
1	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	17.75	14.72	14.62	16.36	16.49	गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स इंडिया लिमिटेड	30.06	33.92	33.20	40.36	41.37
2	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	3.49	2.72	1.53	-2.75	4.16	लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड	12.14	10.11	11.29	10.83	11.09
3	भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	-31.87	-11.35	16.12	-17.69	3.74	सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	3.37	-2.32	-0.1	-4.58	-6.15
4	फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	48.96	-100.16	-68.08	-142.09	57.53	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	20.64	20.79	16.96	14.99	18.07
5	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	19.55	7.07	4.63	3.33	6.15	आर्कोटेक लिमिटेड	-4836.95	1.29	9.25	12.81	19.45
6	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड	4.51	2.21	7.9	20.82	11.71	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	20.64	20.79	16.96	14.99	18.07
7	एचएमटी लिमिटेड	16.28	-0.49	-4.01	-5.82	-8.79	एस्कॉर्ट्स लिमिटेड	15.77	13.46	7.84	4.56	3.93
8	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	2.97	-30.44	-63.36	-19.68	89.04	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	20.64	20.79	16.96	14.99	18.07
9	आईएफसीआई लिमिटेड	-2.16	-3.94	-1.55	0.99	1.61	आईडीएफसी लिमिटेड	1.31	1.52	0.58	-12.11	2.82
10	आईटीआई लिमिटेड	8.85	11.02	17.11	6.35	-41.7	भारतीइंफ्राटेल लिमिटेड	17.04	13.62	16.66	7.13	15.17
11	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	18.79	17.76	5.56	51.78	92.21	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	20.64	20.79	16.96	14.99	18.07
12	एमएमटीसी लिमिटेड	5.77	3.37	3.98	3.98	3.46	वेदांता लिमिटेड	5.14	7.71	10.85	8.14	3.45

13	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	37.89	-75.16	-80.7	-25.59	-23.46	भारती एयरटेल लिमिटेड	-1.13	0.05	-6.55	5.98	13.48
14	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	11.7	4.14	3.56	3.41	0.4	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	20.64	20.79	16.96	14.99	18.07
15	राष्ट्रीयर सायन एवं उर्वरक लिमिटेड	4.2	2.43	5.9	6.41	10.44	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	20.64	20.79	16.96	14.99	18.07
16	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	5.44	-0.74	-5.78	-4.95	3.64	टाटा स्टील लिमिटेड	10.58	4.71	4.5	5.22	7.11
17	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	-6.87	-23.4	-10.04	4.7	9.63	अतुल ऑटो लिमिटेड	20.54	21.05	20.11	30.66	33.51

परिशिष्ट-XIV

(जैसा कि पैरानंबर 1.4.6 में संदर्भित किया गया है)

सीपीएसई की सूची जहां ईपीएस पिछले 5 वर्षों के दौरान 3 या उससे अधिक वर्षों के लिए समान व्यवसाय वाली निजी कंपनियों की तुलना में कम है

क्रम संख्या	सरकारी कंपनी	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	निजी कंपनी	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
1	बाल्मर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	17.06	16.21	14.95	57.26	51.73	गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स इंडिया लिमिटेड	35.73	31.92	23.7	20.24	15.62
2	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	3.15	2.2	2.03	-3.73	5.8	लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड	47.63	38.46	39	57.07	54.46
3	भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	-1.34	-0.99	1.56	-1.44	0.36	सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	3.4	9	29	18.9	18.9
4	बाल्मर लॉरी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड	34.2	24.16	17.48	16.05	16.08	गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स इंडिया लिमिटेड	35.73	31.92	23.7	20.24	15.62
5	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-14.33	61.31	69.15	48.96	-2.62	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	55.48	53.08	49.77	84.66	70.25
6	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	5.86	5.83	4.82	7.68	9.14	लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड	47.63	38.46	39	57.07	54.46
7	फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	2.52	-2.02	-2.89	-6.99	-6.18	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	24.41	12.57	16.35	12.41	13.85
8	गेल (इंडिया) लिमिटेड	26.49	20.48	20.71	18.12	23.96	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	55.48	53.08	49.77	84.66	70.25
9	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	1.39	0.86	0.67	0.47	0.73	आर्कोटेक लिमिटेड	-8.78	0.37	2.6	17.37	16.07
10	हिंदुस्तान फ्लोरो कार्बन्स लिमिटेड	-2.44	-2.46	-2.49	-5.67	-1.93	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	24.41	12.57	16.35	12.41	13.85
11	एचएमटी लिमिटेड	0.14	-0.06	-1.99	-0.21	-0.83	एस्कॉर्ट्स लिमिटेड	40.58	28.85	16.84	7.49	6.26
12	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	7.46	-29.69	-38	-25.89	-32.08	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	24.41	12.57	16.35	12.41	13.85
13	आईएफसीआई लिमिटेड	-2.62	-6.07	-2.76	2.03	3.14	आईडीएफसी लिमिटेड	0.8	0.93	0.35	-7.29	10.83
14	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड	17.95	22.52	40.31	42.83	21.72	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	55.48	53.08	49.77	84.66	70.25
15	आईटीआई लिमिटेड	1.24	3.23	6.77	7.77	-11.26	भारती इन्फ्राटेल लिमिटेड	15.03	13.05	14.49	6.97	14.41

16	एमओआईएल लिमिटेड	17.64	21.08	20.21	10.3	25.48	टाटा स्टील लिमिटेड	90.41	38.57	31.74	48.67	64.49
17	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	-5.17	-2.76	-1.45	-11.77	-8.36	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	24.41	12.57	16.35	12.41	13.85
18	एमएमटीसी लिमिटेड	0.54	0.49	0.57	0.55	0.48	वेदांता लिमिटेड	13.65	19.47	29.04	18.45	6.5
19	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	1.87	12.69	20.79	6.55	-9.77	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	55.48	53.08	49.77	84.66	70.25
20	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	-53.81	-47.19	-46.68	-31.84	-45.93	भारतीय यरटेल लिमिटेड	-4.58	0.2	-24.84	18.88	33.02
21	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	6.08	4.34	4.24	4.02	0.53	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	24.41	12.57	16.35	12.41	13.85
22	ऑयल इंडिया लिमिटेड	23.89	23.32	19.32	38.76	41.76	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	55.48	53.08	49.77	84.66	70.25
23	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	21.24	15.54	13.95	18.71	20.73	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	55.48	53.08	49.77	84.66	70.25
24	राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड	2.52	1.43	3.25	3.47	5.84	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	24.41	12.57	16.35	12.41	13.85
25	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	5.28	-1.17	-6.86	-10.02	5.07	टाटा स्टील लिमिटेड	90.41	38.57	31.74	48.67	64.49
26	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	-0.61	-2.19	-1.2	0.64	1.3	अतुल ऑटो लिमिटेड	24.21	21.05	16.88	21.6	18.49

परिशिष्ट-XV

(जैसा कि पैरा नंबर 1.4.6 में संदर्भित किया गया है)

सीपीएसई की सूची जहां पी/ई अनुपात पिछले 5 वर्षों के दौरान 3 या उससे अधिक वर्षों के लिए समान व्यवसाय वाली निजी कंपनियों की तुलना में कम है

क्रम संख्या	सरकारी कंपनी	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	निजी कंपनी	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
1	बाल्मर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	10.88	13.40	15.76	10.01	10.85	गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स इंडिया लिमिटेड	23.20	28.48	29.68	25.05	32.57
2	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	23.78	-19.90	14.49	-12.81	101.11	लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड	29.06	34.11	40.45	21.31	31.56
3	भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	-5.74	16.46	21.83	17.56	16.35	सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	140.96	55.04	23.71	43.36	54.09
4	बाल्मर लॉरी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड	11.38	24.92	23.55	21.56	22.94	गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स इंडिया लिमिटेड	23.20	28.48	29.68	25.05	32.57
5	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	12.05	10.63	10.58	8.77	11.52	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	24.57	16.63	26.51	12.35	11.74
6	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	26.30	5.36	5.25	4.07	-26.16	एसआईसीएल लॉजिस्टिक	25.55	42.02	32.04	39.28	32.17
7	कोल इंडिया लिमिटेड	13.94	18.94	12.66	11.29	17.10	अडानी एंटरप्राइजेज	33.26	87.40	53.59	16.33	166.32
8	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	19.97	27.12	29.95	22.17	21.25	लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड	29.06	34.11	40.45	21.31	31.56
9	फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	14.50	11.81	26.12	8.03	10.71	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	20.45	23.24	19.13	15.30	19.38
10	गेल (इंडिया) लिमिटेड	13.11	-25.27	-14.34	-3.02	-4.55	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	24.57	16.63	26.51	12.35	11.74
11	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	35.22	16.04	18.18	19.67	16.23	आर्कोटेक लिमिटेड	-0.64	89.96	201.73	22.17	21.32
12	एचएमटी लिमिटेड	133.57	-0.78	-0.65	-0.64	-0.44	एस्कॉर्ट्स लिमिटेड	19.64	29.10	32.00	18.56	20.30

13	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	3.08	-4.32	-6.87	-1.00	-3.47	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	20.45	23.24	19.13	15.30	19.38
14	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	7.17	-475.83	-19.02	-213.33	-50.78	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	24.57	16.63	26.51	12.35	11.74
15	आईएफसीआई लिमिटेड	-5.26	-3.25	-10.76	12.12	10.62	आईडीएफसी लिमिटेड	58.00	52.31	155.71	-5.54	15.41
16	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	56.92	7.83	9.59	9.19	16.96	इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड	69.53	95.04	92.70	40.70	-114.56
17	आईटीआई लिमिटेड	77.18	8.25	8.60	6.89	8.05	भारती इन्फ्राटेल लिमिटेड	20.86	25.76	22.46	54.81	26.70
18	एमओआईएल लिमिटेड	9.01	8.63	5.13	10.24	-6.87	टाटा स्टील लिमिटेड	5.76	14.80	15.21	6.56	4.91
19	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	-3.96	35.02	10.49	3.09	-1.82	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	20.45	23.24	19.13	15.30	19.38
20	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	39.84	-11.63	-13.34	-0.99	-1.93	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	24.57	16.63	26.51	12.35	11.74
21	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	5.96	-0.40	-0.51	-0.56	-0.40	हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड	37.96	33.21	25.81	-137.34	28.83
22	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	5.81	9.62	25.50	13.96	9.09	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	20.45	23.24	19.13	15.30	19.38
23	एनटीपीसी लिमिटेड	11.39	11.23	9.08	8.43	6.09	टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	12.51	-6.59	85.38	27.39	23.36
24	ऑयल इंडिया लिमिटेड	7.76	12.31	13.72	12.07	15.25	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	24.57	16.63	26.51	12.35	11.74
25	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड	7.51	9.86	18.43	12.82	8.03	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	24.57	16.63	26.51	12.35	11.74
26	राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड	23.21	11.44	13.27	11.48	14.80	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	20.45	23.24	19.13	15.30	19.38
27	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	10.17	-60.00	-8.92	-4.29	13.48	टाटा स्टील लिमिटेड	5.76	14.80	15.21	6.56	4.91
28	शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-14.48	-27.60	-33.33	40.23	19.65	एस्सार शिपिंग लिमिटेड	-0.14	10.06	-4.12	-4.53	-5.42
29	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	-54.26	51.19	25.15	11.18	9.64	अतुल ऑटो लिमिटेड	14.21	20.98	27.57	24.04	30.04

परिशिष्ट-XVI

(जैसा कि पैरा नंबर 1.4.6 में संदर्भित किया गया है)

सीपीएसई की सूची जहां पिछले 5 वर्षों के दौरान 3 या उससे अधिक वर्षों के लिए एक ही क्षेत्र में निजी कंपनियों की तुलना में ब्याज कवरेज अनुपात कम है

क्रम संख्या	सरकारी कंपनी	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	निजी कंपनी	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
1	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	5.29	7.55	2.79	-54.22	24.35	लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड	6.62	6.07	6.13	5.62	5.72
2	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.63	5.54	5.98	3.55	-0.84	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	8.21	10.82	15.98	15.35	13.19
3	फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	1.58	0.59	0.39	-0.74	-1.04	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	5.33	6.62	4.18	3.43	3.83
4	गेल (इंडिया) लिमिटेड	47.07	26.29	12.29	5.96	12.86	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	8.21	10.82	15.98	15.35	13.19
5	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड	-0.52	0.74	-0.5	-2.22	-0.8	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	5.33	6.62	4.18	3.43	3.83
6	एचएमटी लिमिटेड	59.1	0.03	-13.39	0.02	-4.36	एस्कॉर्ट्स लिमिटेड	40.09	18.81	8.59	3.04	2.58
7	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	1.76	-1.67	-1.66	-1.63	-3.2	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	5.33	6.62	4.18	3.43	3.83
8	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5.38	10.44	8.64	6.28	3.33	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	8.21	10.82	15.98	15.35	13.19
9	आईटीआई लिमिटेड	2.04	2.53	3	1.52	-1.03	भारती इन्फ्राटेल लिमिटेड	70.28	70.4	85.66	3969.60	-502.65
10	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0.17	0.18	0.68	-1.3	-0.6	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	5.33	6.62	4.18	3.43	3.83
11	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	1.77	8.61	11.69	3.03	-4.29	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	8.21	10.82	15.98	15.35	13.19

12	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	-0.99	-0.97	-1.03	-1.17	-1.01	भारती एयरटेल लिमिटेड	0.72	0.88	-0.86	3.82	12.11
13	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	1.94	2.76	2.71	2.24	1.15	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	5.33	6.62	4.18	3.43	3.83
14	ऑयल इंडिया लिमिटेड	6.86	9.92	6.41	17.74	11.94	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	8.21	10.82	15.98	15.35	13.19
15	राष्ट्रीय सायन एवं उर्वरक लिमिटेड	1.94	3.05	3.65	3.18	5.36	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	5.33	6.62	4.18	3.43	3.83
16	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	1.7	0.73	-1.06	-2.5	2.62	टाटा स्टील लिमिटेड	6.75	3.36	2.99	5.2	5.31
17	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	NA	-30.47	-11.39	5.27	38.86	अतुल ऑटो लिमिटेड	95.75	165.69	97.77	92.56	101.42

परिशिष्ट XVII

(जैसा कि पैरा 2.5.1.1 में संदर्भित किया जाता है)

सीपीएसई की सूची जहां तीन चरण की लेखापरीक्षा आयोजित की

क्रम संख्या	कंपनी का नाम
1.	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
2.	बाल्मर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
3.	बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
4.	बीईएमएल लिमिटेड
5.	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
6.	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड
7.	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
8.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
9.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
10.	भारत संचार निगम लिमिटेड
11.	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
12.	सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड
13.	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड
14.	सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन
15.	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
16.	कोल इंडिया लिमिटेड
17.	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
18.	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
19.	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
20.	डिफेन्स इनोवेशन आर्गनाइजेशन
21.	ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
22.	ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड
23.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
24.	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड
25.	गेल (इंडिया) लिमिटेड
26.	गार्डन रीचशिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
27.	जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
28.	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
29.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
30.	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
31.	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक्स केमिकल्स लिमिटेड

32.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
33.	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड
34.	आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड
35.	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
36.	भारत व्यापार संवर्धन संगठन
37.	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड
38.	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड
39.	इंडोरशियन हेलिकॉप्टर्स लिमिटेड
40.	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
41.	इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
42.	आईटीआई लिमिटेड
43.	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड
44.	कामराजर पोर्ट लिमिटेड
45.	केआईओसीएल लिमिटेड
46.	कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
47.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
48.	महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड
49.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
50.	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड
51.	मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड
52.	मेकॉन लिमिटेड
53.	मिश्रा धातु निगम लिमिटेड
54.	एमओआईएल लिमिटेड
55.	एमएसटीसी लिमिटेड
56.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
57.	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
58.	एनएचपीसी लिमिटेड
59.	एनएलसी इंडिया लिमिटेड
60.	एनएमडीसी लिमिटेड
61.	उत्तर पूर्वी इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड
62.	नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड
63.	एनटीपीसी लिमिटेड
64.	एनटीपीसी-सेल पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड
65.	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड
66.	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड
67.	ऑयल इंडिया लिमिटेड

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

68.	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड
69.	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड
70.	पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड
71.	पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
72.	रेल विकास निगम लिमिटेड
73.	राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड
74.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
75.	राइट्स लिमिटेड
76.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड
77.	एसजेवीएन लिमिटेड
78.	दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड्स लिमिटेड
79.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
80.	टेलीकम्यूनिकेशन कंसलटेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड
81.	टीएचडीसीआईएल लिमिटेड
82.	द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
83.	द शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
84.	यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
85.	विज्ञान इंडस्ट्रीज लिमिटेड
86.	वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड

परिशिष्ट XVIII

(जैसा कि पैरा 2.5.1.3 में संदर्भित किया जाता है)

सीपीएसई की सूची जहां सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट संशोधित की गई

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी)/सरकारी नियंत्रित अन्य कंपनी (डीजीसी)
1.	एपिआईटीसीओ लिमिटेड	डीजीसी
2.	बड़ौदा सनटेक्नोलॉजीज लिमिटेड	जीसी
3.	भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड	जीसी
4.	भरुच दहेज रेल कंपनी लिमिटेड	डीजीसी
5.	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	जीसी
6.	चेन्नई एननोर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड	डीजीसी
7.	कोल इंडिया लिमिटेड	जीसी
8.	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	जीसी
9.	ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड	जीसी
10.	फ्रेश एंड हेल्दी एंटरप्राइजेज लिमिटेड	जीसी
11.	हार्डीकॉन लिमिटेड	डीजीसी
12.	हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड	जीसी
13.	हरिद्वार नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड	जीसी
14.	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	जीसी
15.	एचएमटी लिमिटेड	जीसी
16.	आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड	जीसी
17.	आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड	जीसी
18.	इंडिया पोस्टपेमेंट बैंक लिमिटेड	जीसी
19.	इरकॉन देवंगरेहैवेरी हाईवे लिमिटेड	जीसी
20.	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	जीसी
21.	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	जीसी
22.	आईटीसीओटी कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज लिमिटेड	डीजीसी
23.	आईटीआई लिमिटेड	जीसी
24.	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	जीसी
25.	कुमार क्रुपपा फ्रंटियर होटल लिमिटेड	जीसी
26.	महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड	जीसी
27.	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड	जीसी
28.	एनआईटीसीओएन लिमिटेड	डीजीसी
29.	एनआईटीसीओएन सोशल फाउंडेशन	डीजीसी
30.	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	जीसी

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

31.	नॉर्दर्न कोल फाइल्स लिमिटेड	जीसी
32.	ओएनजीसी मैंगलोर पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड	जीसी
33.	पेट्रोनेट वीके लिमिटेड	डीजीसी
34.	पिपावाव रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड	डीजीसी
35.	पांडिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जीसी
36.	प्राइज पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड	जीसी
37.	पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड	जीसी
38.	रेलटेल एंटरप्राइजेज लिमिटेड	जीसी
39.	सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्रीज लिमिटेड	जीसी
40.	सेल एससीआई शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड	डीजीसी
41.	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	डीजीसी
42.	सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	जीसी
43.	सिंड बैंक सर्विसेज लिमिटेड	डीजीसी
44.	टैल्चर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	जीसी
45.	तमिलनाडु व्यापार संवर्धन संगठन	जीसी
46.	उर्वरक विदेश लिमिटेड	जीसी

परिशिष्ट XIX

(जैसा कि पैरा 2.5.1.4 में संदर्भित किया जाता है)

सीपीएसई की सूची जहां सीएजी द्वारा टिप्पणी जारी की गई है

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी)/सरकारी नियंत्रित अन्य कंपनी (डीजीसी)
1.	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	डीजीसी
2.	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	जीसी
3.	एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड	जीसी
4.	एयर इंडिया लिमिटेड	जीसी
5.	एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड (2017-18)	जीसी
6.	आंध्रप्रदेश सोलर पावर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	जीसी
7.	बीईएमएल लिमिटेड	जीसी
8.	बोकारो पावर सप्लाई कंपनी (पी) लिमिटेड	जीसी
9.	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (2017-18)	जीसी
10.	केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	डीजीसी
11.	सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड	डीजीसी
12.	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	जीसी
13.	क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	डीजीसी
14.	ईसीजीसी लिमिटेड	जीसी
15.	गवर्नमेंट ई- मार्केटप्लेस (2017-18)	जीसी
16.	हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड	जीसी
17.	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड	जीसी
18.	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड	जीसी
19.	एचएलएल इंफ्राटेक सर्विसेज लिमिटेड	जीसी
20.	एचएमटी वॉच लिमिटेड	जीसी
21.	होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	जीसी
22.	आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड	जीसी
23.	आईएफसीआई लिमिटेड	जीसी
24.	आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड	जीसी
25.	आईआईडीएल रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	जीसी
26.	इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड	जीसी
27.	इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	डीजीसी
28.	इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड	जीसी

29.	इरकॉन देवंगरेहैवेरी हाईवे लिमिटेड	डीजीसी
30.	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	डीजीसी
31.	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	डीजीसी
32.	कर्नाटक सौर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	जीसी
33.	केआईओसीएल लिमिटेड	जीसी
34.	कृष्णापाटनम रेलवे कंपनी लिमिटेड	जीसी
35.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	जीसी
36.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	जीसी
37.	राष्ट्रीयराजमार्गएवंअवस्थापनाविकासनिगमलिमिटेड	जीसी
38.	नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक	जीसी
39.	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	जीसी
40.	नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	जीसी
41.	नेपा लिमिटेड	जीसी
42.	नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	डीजीसी
43.	उत्तरपूर्वीहस्तशिल्पएवंहथकरघा विकास निगम	जीसी
44.	ओएनजीसी पेट्रो एडिशनस लिमिटेड	जीसी
45.	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	जीसी
46.	पारादीप पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड	जीसी
47.	पवन हंस लिमिटेड	जीसी
48.	पीईसी लिमिटेड (2017-18)	जीसी
49.	रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड	डीजीसी
50.	रिन्यूएबल पावर कारपोरेशन ऑफ़ केरल लिमिटेड	जीसी
51.	सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्रीज लिमिटेड	डीजीसी
52.	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	डीजीसी
53.	सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिटिंग कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	जीसी
54.	स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	डीजीसी
55.	द जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया	जीसी
56.	द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	जीसी
57.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	जीसी
58.	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	जीसी

परिशिष्ट XX

(जैसा कि पैरा 2.6 में संदर्भित किया गया है)

उन कंपनियों का विवरण जहां सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन नहीं किया गया था को रिपोर्ट किया गया

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	श्रेणी (सूचीबद्ध/ असूचीबद्ध)	सरकारीकंपनी (जीसी)/ सरकारी नियंत्रित अन्य कंपनी (डीजीसी)	लेखांकन मानक की संख्या (एस)/ इंडएस
1.	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	असूचीबद्ध	डीजीसी	एस 1 और 9
2.	भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसी	इंडएस 37
3.	भारत संचार निगम लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	इंडएस 8, इंडएस 16, इंडएस 17, इंडएस 19, इंडएस 20, इंडएस 36, इंडएस 101 और इंडएस 108
4.	कैन बैंक फैक्टर्स लिमिटेड	असूचीबद्ध	डीजीसी	एस 15
5.	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एस 28
6.	चंडीगढ़ चाइल्ड एंड वुमन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एस 15 और एस 22
7.	चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	इंडएस 9 और इंडएस 28
8.	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	असूचीबद्ध	डीजीसी	एस 13
9.	एडसिल (इंडिया) लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एस 5
10.	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	इंडएस 115
11.	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसी	इंडएस 8 और इंडएस 101
12.	हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एस 2
13.	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	इंडएस 1, इंडएस 36, इंडएस 115
14.	एचएमटी वॉच लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	इंडएस 2, इंडएस 8, इंडएस 36, इंडएस 37 और इंडएस 107
15.	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एस 28

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

16.	इंडियन रेयरअर्थ लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	इंडएएस 8
17.	केआईओसीएल लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसी	इंडएएस।6
18.	लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	इंडएएस 12, 19 और 108
19.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसी	इंडएएस 16, इंडएएस 18
20.	नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक	असूचीबद्ध	जीसी	इंडएएस 115
21.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यकविकासऔरवित्त निगम	असूचीबद्ध	जीसी	इंडएएस 32
22.	राष्ट्रीयपरियोजनाएं कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशनलिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस 7
23.	नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	इंडएएस 36 और इंडएएस 17
24.	नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	इंडएएस 32
25.	आरआईएनल पावरग्रिड टीएलटी	असूचीबद्ध	जीसी	इंडएएस 1
26.	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसी	इंडएएस 16
27.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस 3

परिशिष्ट XXI

(जैसा कि पैरा 2.7 में संदर्भित किया गया है)

सीपीएसई की सूची जहां सीएजी द्वारा प्रबंधन पत्र जारी किए गए

क्रमसं ख्या	सीपीएसई का नाम
1.	एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड
2.	एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड
3.	एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया
4.	आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
5.	एपीआईटीसीओ लिमिटेड
6.	अरावली बिजली कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
7.	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम लिमिटेड
8.	अवंतिका गैस लिमिटेड
9.	बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
10.	बैंकनोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
11.	बड़ौदा एसेट्स मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड
12.	बड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
13.	भाग्य नगर गैस लिमिटेड
14.	भारत गैस रिसोर्सज लिमिटेड
15.	भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड
16.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड
17.	भारत पेट्रो रिसोर्सज लिमिटेड
18.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
19.	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड
20.	भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड
21.	बिहारमेगापावरलिमिटेड
22.	बाँब फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड
23.	बीओआई एक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड
24.	बीओआई एक्सा ट्रस्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
25.	बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड
26.	कैनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड
27.	कैनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड
28.	कैनबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

29.	कैनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड
30.	सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड
31.	सेंट्रल रेल साइडवेयर हाउस कंपनी लिमिटेड
32.	सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड
33.	कोल इंडिया लिमिटेड
34.	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
35.	क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
36.	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
37.	दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड
38.	डीएनएच विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
39.	ईसीजीसी लिमिटेड
40.	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड
41.	फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड
42.	फ्रेश एंड हेल्दी एंटरप्राइजेज लिमिटेड
43.	गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
44.	गोवा नेचुरल गैस लिमिटेड
45.	हरिद्वार नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड
46.	उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी
47.	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड
48.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
49.	हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड
50.	हिंदुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन लिमिटेड
51.	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड
52.	एचएलएल इंफ्राटेक सर्विसेज लिमिटेड
53.	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड
54.	एचएमटी बेयरिंग लिमिटेड
55.	एचएमटी लिमिटेड
56.	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड
57.	एचएमटी वॉच लिमिटेड
58.	होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
59.	आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड
60.	एचपी ऑयल गैस लिमिटेड
61.	आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड

62.	आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड
63.	आईएफसीआई लिमिटेड
64.	इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
65.	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
66.	इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
67.	इरकॉन देवंगरेहैवेरी हाईवे लिमिटेड
68.	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड
69.	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड
70.	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
71.	कर्नाटक सौर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
72.	कर्नाटक व्यापार संवर्धन संगठन
73.	केआईओसीएल लिमिटेड
74.	किटको लिमिटेड
75.	कोंकण एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड
76.	एलआईसी कार्ड सर्विसेज लिमिटेड
77.	एमएमटीसी लिमिटेड
78.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
79.	महाराष्ट्र मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड
80.	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड
81.	मेकॉन लिमिटेड
82.	मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड
83.	मेजा उर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड
84.	माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड
85.	मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड
86.	एमओआईएल लिमिटेड
87.	एमपीसीओएन लिमिटेड
88.	मुंबई एविएशन फ्यूल फार्म फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड
89.	मुंबई जेएनपीटी पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड
90.	मुंबईमेट्रोरेलकार्पोरेशनलिमिटेड
91.	एनएबीएफ आईएनएस लिमिटेड
92.	नब किसान फाइनेंस लिमिटेड
93.	नब समंदरडी फाइनेंस लिमिटेड
94.	राष्ट्रीय पिछड़ावर्ग वित्त एवं विकास निगम

95.	राष्ट्रीयराजधानीक्षेत्रपरिवहननिगमलिमिटेड
96.	नेशनलहाईस्पीडरेलकॉरपोरेशनलिमिटेड
97.	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवस्थापनाविकासनिगमलिमिटेड
98.	राष्ट्रीयसूचनाविज्ञानकेंद्रसेवाएं
99.	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
100.	राष्ट्रीयअल्पसंख्यकविकासऔरवित्तनिगम
101.	राष्ट्रीयसफाईकर्मचारीवित्तएवंविकासनिगम
102.	राष्ट्रीयअनुसूचितजनजातिवित्तएवंविकासनिगम
103.	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
104.	नेपा लिमिटेड
105.	नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड
106.	एनएचपीसी लिमिटेड
107.	एनएलसी इंडिया लिमिटेड
108.	एनएमडीसी लिमिटेड
109.	नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
110.	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड
111.	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड
112.	ओएनजीसी पेट्रोएडिशन लिमिटेड
113.	उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड
114.	पारादीप पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड
115.	पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
116.	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड
117.	पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड
118.	पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड
119.	पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड
120.	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड
121.	पावरग्रिड पराली ट्रांसमिशन लिमिटेड
122.	पावरग्रिड सदरन इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड
123.	पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड
124.	पावरग्रिड वेमगिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड
125.	रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
126.	रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
127.	राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड

128.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
129.	रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड
130.	आरईसी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
131.	राइट्स लिमिटेड
132.	सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्रीज लिमिटेड
133.	सांभर साल्ट लिमिटेड
134.	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड
135.	एसबीआई फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
136.	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
137.	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
138.	एसबीआई सीएपी वेंचर्स लिमिटेड
139.	एसजेवीएन लिमिटेड
140.	स्मेरा ग्रेडिंग और रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड
141.	भारतीय सौर ऊर्जा निगम
142.	स्टार यूनियन दाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
143.	एसटीसीआई कमोडिटीज लिमिटेड
144.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
145.	स्टॉक होल्डिंग सिक्योरिटीज आईएफएससी लिमिटेड
146.	सिंड बैंक सर्विसेज लिमिटेड
147.	द कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
148.	द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
149.	द उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
150.	शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
151.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड
152.	उज्जवला प्लस फाउंडेशन
153.	यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
154.	यूटीआई ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
155.	यूटीआई वेंचर कैपिटल फंड्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

परिशिष्ट - XXII
(जैसा कि पैरा 3.1.4 में संदर्भित किया गया है)

सूचीबद्ध सीपीएसई- जिन्हे अध्याय के लिए लिया गया

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम
1.	एनएमडीसी लिमिटेड
2	केआईओसीएल लिमिटेड
3	ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
4	एचएमटी लिमिटेड
5	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
6	एनएलसी इंडिया लिमिटेड
7	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
8	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड
9	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
10	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
11	भारतइलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
12	मिश्रा धातू निगम लिमिटेड
13	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
14	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड
15	बीईएमएल लिमिटेड
16	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
17	राइट्स लिमिटेड
18	इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
19	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
20	आईटीआई लिमिटेड
21	भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड
22	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
23	कोल इंडिया लिमिटेड
24	ऑयल इंडिया लिमिटेड
25	नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड
26	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
27	बाल्मर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
28	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
29	बाल्मर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
30	शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

31	राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड
32	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
33	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
34	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
35	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
36	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
37	एमएमटीसी लिमिटेड
38	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
39	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
40	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
41	गेल इंडिया लिमिटेड
42	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
43	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
44	आईएफसीआई लिमिटेड
45	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
46	एनटीपीसी लिमिटेड
47	पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
48	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
49	एनएचपीसी लिमिटेड
50	पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड
51	आरईसी लिमिटेड
52	एसजेवीएन लिमिटेड
53	एमओआईएल लिमिटेड
54	आवास एवं शहरी विकास निगमलिमिटेड
55	इंडियन रिन्यूअल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड

परिशिष्ट - XXIII
(जैसा कि पैरा 4.3 में संदर्भित किया गया है)
चयनित 82 सी पी एस ई की सूची

क्रमसं ख्या	सीपीएसई का नाम	सीपीएसई
1	भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण	एएआई
2	एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड	एआईएल
3	भारतीय कृत्रिम अंग निर्मित निगम	एएलएमईआई
4	एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	एंट्रिक्स
5	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	बीडीएल
6	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	बेल
7	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड	बीईएमएल
8	भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड	बीआरबीएल
9	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	बीएचईएल
10	बाल्मर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	बीएलसी
11	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	बीपीसीएल
12	ब्रिज एंड रूफ कंपनी इंडिया लिमिटेड	बीआरसीआईएल
13	सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड	सीसीएल
14	कोल इंडिया लिमिटेड	सीआईएल
15	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	कॉनकोर
16	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सीपीसीएल
17	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	सीएसएल
18	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	ईआईएल
19	गेल (इंडिया) लिमिटेड	गेल
20	गेल गैस लिमिटेड	गेलगैस
21	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	जीएसएल
22	गार्डन रीचशिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	जीआरएसबीएल
23	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	एचसीएल
24	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	एचएएल
25	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	एचपीसीएल
26	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड	एचएससीसी
27	आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड	हुडको
28	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	आईओसीएल
29	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	इरकॉन
30	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड	आईआरसीटीसी
31	भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड	इरेडा

32	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	आईआरएफसी
33	भारतीय रेयर अर्थ्स लिमिटेड	आइरेल
34	आईटीआई लिमिटेड	आईटीआई
35	भारत व्यापार संवर्धन संगठन	आईटीपीओ
36	कामराजर पोर्ट लिमिटेड	केपीएल
37	कॉकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	केआरसीएल
38	महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड	एमसीएल
39	मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड	एमडीएल
40	मिश्रा धातू निगम लिमिटेड	मिधानी
41	एमएमटीसी लिमिटेड	एमएमटीसी
42	एमओआईएल लिमिटेड	एमओआईएल
43	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	एमआरपीएल
44	राष्ट्रीय परियोजनाएं निर्माण कॉर्पोरेशन लिमिटेड.	एनपीसीसीएल
45	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकासनिगम	एनएसकेएफडीसी
46	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड	एनएफडीसी
47	राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड	एनएएल
48	एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड	एनएसएल
49	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	एनबीसीसी
50	नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड	एनसीएल
51	उत्तर पूर्वी इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड	एनईईपीसीओ
52	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	एनएफएल
53	एनएचडीसी लिमिटेड	एनएचडीसी
54	एनएचपीसी लिमिटेड	एनएचपीसी
55	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	एनएलसी
56	एनएमडीसी लिमिटेड	एनएमडीसीएल
57	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	एनपीसीएल
58	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	एनआरएल
59	राष्ट्रीय लघु उद्योग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	एनएसआईसीएल
60	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	एनटीपीवीवीएन
61	एनटीपीसी लिमिटेड	एनटीपीसी
62	एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड	एनटीपीएल
63	ऑयल इंडिया लिमिटेड	ऑयल
64	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	ओएनजीसी
65	बिजली प्रणाली संचालन निगम लिमिटेड	पीएसओसीएल
66	पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	पीवीटीएल
67	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	पीएफसीएल

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

68	पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	पीजीसीएल
69	पवन हंस लिमिटेड	पीएचएल
70	रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	आरईएमएल
71	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	रेलटेल
72	आरईसी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	आरपीडीसीएल
73	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड	आरईसीएल
74	राइट्स लिमिटेड	राइट्स
75	रेल विकास निगम लिमिटेड	आरवीएनएल
76	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	एससीआई
77	साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड	एसईसीएल
78	एसजेवीएन लिमिटेड	एसजेवीएन
79	सिक्योरिटी प्रिंटिंग और मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड	एसपीएमसीआईएल
80	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	टीएचडीसी
81	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	यूसीआईएल
82	डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड	डब्ल्यूएपीसीओएस

परिशिष्ट - XXIV

(जैसा कि पैरा 4.3 में संदर्भित किया गया है)

महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न एवं अन्य श्रेणी की 82 सी पी एस ई

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	एबीबी	श्रेणी	सीएसआर व्यय (₹ करोड़ में)
1	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	बीएचईएल	महारत्न	16.01
2	भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड	बीपीसीएल	महारत्न	177.94
3	कोल इंडिया लिमिटेड	सीआईएल	महारत्न	27.33
4	गेल (इंडिया) लिमिटेड	गेल	महारत्न	119.29
5	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	आईओसीएल	महारत्न	490.60
6	एनटीपीसी लिमिटेड	एनटीपीसी	महारत्न	285.46
7	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	ओएनजीसी	महारत्न	614.64
	उप-कुल			1731.27
8	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	बेल	नवरत्न	36.86
9	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	कॉनकोर	नवरत्न	13.39
10	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	ईआईएल	नवरत्न	10.04
11	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	एचएएल	नवरत्न	72.46
12	हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड	एचपीसीएल	नवरत्न	159.81
13	राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड	नालको	नवरत्न	30.35
14	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड	एनएमडीसी	नवरत्न	167.24
15	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	एनबीसीसी	नवरत्न	9.79
16	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	एनएलसी	नवरत्न	49.46
17	ऑयल इंडिया लिमिटेड	ऑयल	नवरत्न	133.39
18	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	पीएफसीएल	नवरत्न	100.50
19	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	पीजीसीआईएल	नवरत्न	195.51
20	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड	रीईसीएल	नवरत्न	103.39
21	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	एससीआई	नवरत्न	5.66
	उप-कुल			1087.85
22	भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण	एएआई	मिनीरत्न	86.78
23	एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	एंट्रिक्स	मिनीरत्न	6.89
24	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम लिमिटेड	एएलएमसीआई	मिनीरत्न	0.20
25	बाल्मर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	बीएलसी	मिनीरत्न	5.16
26	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	बीडीएल	मिनीरत्न	16.83
27	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड	बीईएमएल	मिनीरत्न	3.10
28	ब्रिज एंड रूफ कंपनी इंडिया लिमिटेड	बीआरसीआईएल	मिनीरत्न	0.41

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

29	सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड	सीसीएल	मिनीरत्न	41.14
30	चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	सीपीसीएल	मिनीरत्न	18.88
31	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	सीएसएल	मिनीरत्न	10.42
32	गार्डन रीचशिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	जीआरएसबीईएल	मिनीरत्न	2.68
33	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	जीएसएल	मिनीरत्न	4.32
34	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	एचबीईएच	मिनीरत्न	2.08
35	आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड	हूडको	मिनीरत्न	4.58
36	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड	एचएससीसी	मिनीरत्न	1.34
37	भारतव्यापारसंवर्धनसंगठन	आईटीपीओ	मिनीरत्न	4.37
38	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म लिमिटेड	आईआरसीटीसी	मिनीरत्न	6.88
39	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड	आईआरएफसी	मिनीरत्न	7.20
40	भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड	इरेडा	मिनीरत्न	12.56
41	इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	इस्कॉन	मिनीरत्न	8.75
42	कामराजर पोर्ट लिमिटेड	केपीएल	मिनीरत्न	4.69
43	महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड	एमसीएल	मिनीरत्न	167.16
44	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	एमआरपीएल	मिनीरत्न	31.32
45	मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड	एमडीएल	मिनीरत्न	23.47
46	मिश्रा धातू निगम लिमिटेड	मिधानी	मिनीरत्न	3.93
47	एमएमटीसी लिमिटेड	एमएमटीसी	मिनीरत्न	1.39
48	एमओआईएल लिमिटेड	एमओआईएल	मिनीरत्न	9.29
49	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	एनएफएल	मिनीरत्न	2.29
50	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड	एनएफडीसी	मिनीरत्न	0.02
51	राष्ट्रीय परियोजनाएं निर्माण कॉरपोरेशन लिमिटेड.	एनपीसीसी	मिनीरत्न	0.55
52	राष्ट्रीय लघु उद्योग कॉरपोरेशन लिमिटेड	एनएसआईसीएल	मिनीरत्न	3.19
53	एनएचपीसी लिमिटेड	एनएचपीसी	मिनीरत्न	17.58
54	उत्तर पूर्वी इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड	एनईईपीसीओ	मिनीरत्न	5.16
55	नॉर्डन कोल फील्ड्स लिमिटेड	एनसीएल	मिनीरत्न	73.57
56	नुमालीगढ़ रिफाइनरीलिमिटेड	एनआरएल	मिनीरत्न	54.85
57	पवन हंस लिमिटेड	पीएचएल	मिनीरत्न	0.48
58	रेल विकास निगम लिमिटेड	आरवीएनएल	मिनीरत्न	11.48
59	रेलटेल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड	रेलटेल	मिनीरत्न	3.03

60	राइट्स लिमिटेड	राइट्स	मिनीरत्न	10.23
61	सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड	एसपीएमसीआईएल	मिनीरत्न	3.80
62	एसजेवीएन लिमिटेड	एसजेवीएन	मिनीरत्न	40.25
63	साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड	एसईसीएल	मिनीरत्न	83.55
64	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	टीएचडीसी	मिनीरत्न	17.52
65	डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड	डब्ल्यूएपीसीओएस	मिनीरत्न	3.98
66	भारतीय रेयर अर्थ्स लिमिटेड	आईआरईएल	मिनीरत्न	1.51
	उप-कुल			818.86
67	एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड	एआईईएक्सएल	अन्य	0.57
68	भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड	बीआरबीएल	अन्य	0.01
69	गेल गैस लिमिटेड	गेलगैस	अन्य	1.73
70	आईटीआई लिमिटेड	आईटीआई	अन्य	0.64
71	कॉकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	केआरसीएल	अन्य	2.39
72	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम	एनएसकेएफडीसी	अन्य	0.37
73	एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड	एनएसएल	अन्य	0.20
74	एनएचडीसी लिमिटेड	एनएचडीसी	अन्य	30.40
75	एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड	एनटीपीएल	अन्य	1.78
76	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	एनटीपीवीवीएन	अन्य	0.09
77	न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	एनपीसीआईएल	अन्य	76.46
78	बिजली प्रणाली संचालन निगम लिमिटेड	पीएसओसीएल	अन्य	1.36
79	पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	पीवीटीएल	अन्य	0.37
80	रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	आरईएमएल	अन्य	0.55
81	आरईसी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	आरपीडीसीएल	अन्य	0.82
82	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	यूसीआईएल	अन्य	3.29
	उप-कुल			121.03
	कुलयोग			3759

परिशिष्ट - XXV
(जैसा कि पैरा 4.3 में संदर्भित किया गया है)

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	
1	बाल्मर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	बीएलसी
2	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	बीडीएल
3	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड	बीईएमएल
4	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	बेल
5	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	बीएचईएल
6	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	बीपीसीएल
7	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सीपीसीएल
8	कोल इंडिया लिमिटेड	सीआईएल
9	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	सीएसएल
10	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	कॉनकोर
11	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	ईआईएल
12	गेल (इंडिया) लिमिटेड	गेल
13	गार्डन रीचशिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	जीआरएसबीएल
14	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	एचएएल
15	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	एचसीओएल
16	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	एचपीसीएल
17	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	आईओसीएल
18	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	इरकॉन
19	आईटीआई लिमिटेड	आईटीआई
20	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	एमआरपीएल
21	मिश्रा धातू निगम लिमिटेड	मिधानी
22	एमएमटीसी लिमिटेड	एमएमटीसी
23	राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड	नालको
24	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	एनएफएल
25	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	एनएमडीसी
26	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	एनबीसीसी
27	एनएचपीसी लिमिटेड	एनएचपीसी
28	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	एनएलसी
29	उत्तर पूर्वी इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड	एनईईपीसीओ

30	एनटीपीसी लिमिटेड	एनटीपीसी
31	न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	एनपीसीआईएल
32	ऑयल इंडिया लिमिटेड	ऑयल
33	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड	ओएनजीसी
34	पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड	पीएफसीएल
35	पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	पीजीसीआईएल
36	रेल विकास निगम लिमिटेड	आरवीएनएल
37	राइट्स लिमिटेड	राइट्स
38	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड	आरईसीएल
39	एसजेवीएन लिमिटेड	एसजेवीएन
40	शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया	एससीआई
41	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	टीएचडीसी

परिशिष्ट - XXVI
(जैसा कि पैरा 4.5.2.3 में संदर्भित किया गया है)
सीपीएसई की सूची जहाँ सीएसआर खर्च कम था

क्रमसं ख्या	सीपीएसई का नाम	2% खर्च किया जाएगा (₹ लाखों में)	वर्तमान वर्ष के बजट से वास्तविक खर्च (₹ लाखों में)	राशि में कमी (₹ लाखों में)	कमी के लिए प्रतिशत
1	आर्टिफिसियल लिम्ब्स मैनुयुफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया	101.82	0	101.82	100.00
2	पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड	14815	0	14815	100.00
3	रेलटेल कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड	374.51	0	374.51	100.00
4	एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड	1012.63	20.26	992.37	98.00
5	भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड	29.48	0.61	28.87	97.93
6	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	195.59	8.93	186.66	95.43
7	आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड	2228.4	101.82	2126.58	95.43
8	एनएचपीसी लिमिटेड	6003	516	5487	91.40
9	राष्ट्रीय परियोजनाएं निर्माण कॉरपोरेशन लिमिटेड.	46.67	4.56	42.11	90.23
10	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड	4417.96	519	3898.96	88.25
11	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	626.09	95.4	530.69	84.76
12	भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड	20332	3107	17225	84.72
13	आरईसी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	113.68	23.9	89.78	78.98
14	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	6706	2006.6	4699.38	70.08
15	सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड	1066	378.42	687.58	64.50
16	कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड	211.52	80.99	130.53	61.71
17	गेल गैस लिमिटेड	185	78.35	106.65	57.65
18	शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	420	197.55	222.45	52.96
19	एमएमटीसी लिमिटेड	125.4	62.93	62.47	49.82
20	कामराजर पोर्ट लिमिटेड	898	468.65	429.35	47.81
21	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2588	1351.1	1236.95	47.80

22	उत्तर पूर्वी इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड	807.16	463.11	344.05	42.62
23	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	667	416.21	250.79	37.60
24	भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड	1221	776.05	444.95	36.44
25	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड	15729	10339	5390	34.27
26	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	3542.75	2416.5	1126.27	31.79
27	पवन हंस लिमिटेड	59.5	48.31	11.19	18.81
28	सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड	4557.00	4114.00	443	9.72
29	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	7674	7246	428	5.58
30	नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड	7544.02	7357	187.02	2.48

परिशिष्ट - XXVII
(जैसा कि पैरा 4.5.2.3 में संदर्भित किया गया है)

क्रमसं ख्या	सीपीएसई	2% खर्च किया जाएगा (रुपये लाखों में)	वर्तमान वर्ष के बजट सेवास्तविक खर्च (रुपये लाखों में)	निर्धारित 2% से अधिक खर्च (रुपये लाखों में)	2% से अधिकखर्च का प्रतिशत
1	एंट्रिक्स	677.15	688.91	11.76	1.74
2	एचसीओएल	170.33	208.15	37.82	22.20
3	बीएलसी	481.47	516.23	34.76	7.22
4	आईआरसीटीसी	654	664	10	1.53
5	बीडीएल	1615.96	1665.65	49.69	3.07
6	आरईएमएल	48.53	48.55	0.02	0.04
7	एएआई	8379	8678	299	3.57
8	बीईएमएल	227	310.18	83.18	36.64
9	बीआरसीआईएल	38.9	40.84	1.94	4.99
10	सीआईएल	650.00	2733.12	2083.12	320.48
11	सीएसएल	1015	1042	27	2.66
12	ईआईएल	981.06	1004.37	23.31	2.38
13	गेल	8721	11928.77	3207.77	36.78
14	जीआरएसबीईएल	265.19	268.23	3.04	1.15
15	जीएसएल	412.46	432.08	19.62	4.76
16	एचपीसीएल	15886	15981	95	0.60
17	आईआरईएल	33.72	150.58	116.86	346.56
18	इरकॉन	874	874.87	0.87	0.10
19	आईटीआई	0	64.12	64.12	0.00
20	एमसीएल	13635.60	16716.20	3080.6	22.59
21	मिधानी	364.85	393.49	28.64	7.85
22	एमओआईएल	920.05	929.48	9.43	1.02
23	नालको	2738	3034.92	296.92	10.84
24	एनएमडीसीएल	9709	16724	7015	72.25
25	एनएसआईसीएल	315.28	318.55	3.27	1.04
26	एनएलसी	4517	4945.83	428.83	9.49
27	एनटीपीएल	55.88	177.75	121.87	218.09
28	एनटीपीसी	23701	28546	4845	20.44
29	एनआरएल	5436	5485	49	0.90
30	ऑयल	5616.00	13339.00	7723	137.52
31	पीएसओसीएल	136.01	136.37	0.36	0.26
32	आरवीएनएल	937.49	1148.46	210.97	22.50
33	राइट्स	1010	1022.53	12.53	1.24
34	एसजेवीएन	3485	4025.12	540.12	15.50

35	टीएचडीसी	1735.17	1751.58	16.41	0.95
36	यूसीआईएल	327	328.58	1.58	0.48
37	वाप्कोस	302.83	398.08	95.25	31.45
38	एनबीसीसी	950.96	978.58	27.62	2.90

परिशिष्ट - XXVIII
(जैसा कि पैरा 4.5.2.12 में संदर्भित किया गया है)

सीपीएसई की सूची जो आम विषय के तहत लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके	
क्रम संख्या	पीएसयू का नाम
1	आर्टिफिसियल लिम्ब्समैनुफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया
2	एंट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड
3	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
4	कोल इंडिया लिमिटेड
5	कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
6	चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
7	गैस लिमिटेड
8	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
9	गार्डन रीचशिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
10	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
11	इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
12	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड
13	भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड
14	इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड
15	भारतीय दुर्लभ अर्थ्स लिमिटेड
16	भारत व्यापार संवर्धन संगठन
17	कोकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड
18	मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड
19	एमओआईएल लिमिटेड
20	राष्ट्रीय परियोजनाएं निर्माण कारपोरेशन लिमिटेड.
21	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड
22	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
23	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
24	एनएचपीसी लिमिटेड
25	एनएलसी इंडिया लिमिटेड
26	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड
27	एनटीपीसी लिमिटेड
28	एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड
29	ऑयल इंडिया लिमिटेड
30	पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड

31	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
32	पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
33	रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
34	रेलटेल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड
35	राइट्स
36	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड
37	एसजेवीएन लिमिटेड
38	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
39	वैपकोस लिमिटेड

परिशिष्ट - XXIX

(जैसा कि पैरा 4.5.4 में संदर्भित किया गया है)

सीपीएसई की सूची जहाँ कोई प्रभाव आकलन नहीं किया गया।

क्रमसं ख्या	सीपीएसई का नाम
1	एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड
2	बाल्मर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
3	ब्रिज एंड रूफ कंपनी इंडिया लिमिटेड
4	कोल इंडिया लिमिटेड
5	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
6	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
7	गेल गैस लिमिटेड
8	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
9	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड
10	आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड
11	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड
12	आईटीआई लिमिटेड
13	भारत व्यापार संवर्धन संगठन
14	कामराजर पोर्ट लिमिटेड
15	महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड
16	मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड
17	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
18	राष्ट्रीय परियोजनाएं निर्माण कॉर्पोरेशन लिमिटेड.
19	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम
20	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड
21	राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कंपनी
22	एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड
23	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड
24	एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड
25	ऑयल इंडिया लिमिटेड
26	बिजली प्रणाली संचालन निगम लिमिटेड
27	पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड
28	रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
29	रेलटेल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड
30	आरईसी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
31	राइट्स लिमिटेड
32	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
33	डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड

परिशिष्ट - XXX
(जैसा कि पैरा 4.5.5 में संदर्भित किया गया है)

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम
1	भारतीय विमान पल्लतन प्राधिकरण
2	एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड
3	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड
4	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
5	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
6	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
7	सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड
8	कोल इंडिया लिमिटेड
9	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
10	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
11	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
12	गेल (इंडिया) लिमिटेड
13	गेल गैस लिमिटेड
14	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
15	हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड
16	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
17	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड
18	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
19	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड
20	कामराजर पोर्ट लिमिटेड
21	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
22	मिश्रा धातू निगम लिमिटेड
23	एमएमटीसी लिमिटेड
24	एमओआईएल लिमिटेड
25	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड
26	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड
27	राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड
28	नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड
29	उत्तर पूर्वी इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड
30	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
31	एनएचडीसी लिमिटेड
32	एनएचपीसी लिमिटेड
33	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम
34	न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
35	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड

2020 का प्रतिवेदन संख्या 7

36	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड
37	एनटीपीसी लिमिटेड
38	ऑयल इंडिया लिमिटेड
39	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
40	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
41	पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
42	पवन हंस लिमिटेड
43	रेलटेल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड
44	राइट्स लिमिटेड
45	रेल विकास निगम लिमिटेड
46	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
47	साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड
48	एसजेवीएन लिमिटेड
49	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
50	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in